वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2018-19

भा बी वि वि प्रा

irdai

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

कार्यालय
सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट
नानकरामगुडा, गच्चीबाउली,
हैदराबाद - 500032, (भारत)
फोन: (040) 20204000

वेबसाइट: www.irdai.gov.in

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

पारगमन पत्र

संदर्भ सं. 101/8/ आर&डी/एसडी/एआर-2018-19/01/ नवम्बर-19 19 नवम्बर, 2019

सचिव,

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय
तीसरा तल, जीवनदीप बिल्डिंग,
संसद मार्ग, नयी दिल्ली - 110 001

श्रीमान,

हम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 20 के उपबंधों के अनुसार, 31 मार्च 2019 को समाप्त हुये वर्ष के लिये प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट, अधिसूचित बी.वि.वि.प्रा. (वार्षिक रिपोर्ट विवरणियों, विवरणों और अन्य विशिष्टयों को प्रस्तुत किया जाना) विनियम, 2000 के विहित प्रारूप में भेज रहे हैं।

भवदीय,

डा. सुभाष चंद्र खुंटिआ
अध्यक्ष

LETTER OF TRANSMITTAL

Ref. No. 101/8/R&D/SD/AR-2018-19/01/Nov-19 19th November, 2019

The Secretary,
Department of Financial Services
Ministry of Finance
3rd Floor, Jeevan Deep Building
Parliament Street
New Delhi - 110 001

Sir,

In accordance with the provisions of Section 20 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999, we are sending herewith the Annual Report of the Authority for the financial year ended 31st March, 2019 in the format prescribed in the IRDA (Annual Report – Furnishing of return, statements and other particulars) Rules, 2000.

Yours faithfully,

Dr. Subhash Chandra Khuntia
Chairman

विषय-सूची

लक्ष्य कथन xvii

प्राधिकरण के सदस्य xix

आईआरडीएआई के वरिष्ठ अधिकारी xxi

भाग-I
नीतियाँ और कार्यक्रम

			पृष्ठ संख्या
I.1	सामान्य आर्थिक परिवेश	....	1
I.2	विश्व बीमा परिदृश्य	....	4
I.3	भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन	....	8
I.4	समीक्षा	....	34
I.4.1	पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	....	34
I.4.2	बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण	....	41
I.4.3	पुनर्बीमा की निगरानी	....	41
I.4.4	बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी	....	49
I.4.5	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	....	52
I.4.6	ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय	....	74
I.4.7	वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक		
I.4.8	धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम	....	76
I.4.9	प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	....	76
I.4.10	सूक्ष्म बीमा	....	80
I.4.11	प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश, आदेश और विनियम	....	82
I.4.12	सूचना अधिकार अधिनियम, 2005	....	87
I.4.13	नियमों / दिशानिर्देशों के तहत प्राधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकार	....	87
I.5	बीमाकर्ताओं दवारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप	....	89

भाग-II

कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1	बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन	....	95
II.2	बीमा उद्योग के साथ संबद्ध वैयक्तिक एजेंट, माध्यम-वार नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन	....	95
II.3	बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती संस्थाएँ	....	101
II.4	बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान	....	114
II.5	वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय	....	116
II.6	बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग	....	118
II.7	जनता की शिकायतें	....	121
II.8	बीमा संघ और बीमा परिषदें	....	126
II.9	बीमा लोकपाल	....	129
II.10	सलाहकार समिति का कामकाज	....	134

भाग-III

प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

III.1	आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन	....	135
III.2	पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण	....	135
III.3	मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना	....	139
III.4	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण-संहिता विनिर्दिष्ट करना	....	139
III.5	बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यक्षमता का संवर्धन करना	....	141
III.6	बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना	....	143
III.7	अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही	....	144
III.8	बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना,		

III.9 साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली उन दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन नियंत्रण और विनियमन करना जिनका नियंत्रण और विनियमन प्रशुल्क (टैरिफ़) सलाहकार समिति द्वारा इस प्रकार नहीं किया जाता 145
III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे 146
III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमन 146
III.12 शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमन 146
III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन 147
III.14 पैरा III`6' में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना 147
III.15 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना 147

भाग-IV
संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन 149
IV.2 प्राधिकरण की बैठकें 149
IV.3 मानव संसाधन 149
IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति 150
IV.5 राजभाषा का संवर्धन 151
IV.6 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति 153
IV.7 लेखा 155
IV.8 आईआरडीएआई जर्नल 155
IV.9 आभार 156

बॉक्स मदें

1.	जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता पर एक संक्षिप्त अध्ययन	....	92
2.	बीमा उद्योग को प्रभावित करनेवाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में परिवर्तन एक नजर में	....	94

मूल पाठ की सारणियाँ

I.1	राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान और जीडीपी संबंधी व्यय	....	1
I.2	आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अनंतिम अनुमान	....	2
I.3	घरेलू क्षेत्र की वित्तीय बचत	....	3
I.4	सकल बचत	....	4
I.5	कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर	....	6
I.6	क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	....	7
I.7	भारत में बीमा व्यापन और सघनता	....	8
I.8	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं / लॉयड्स सहित पंजीकृत बीमाकर्ता	....	9
I.9	जोखिम-अंकित प्रीमियम और बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता	....	10
I.10	जारी की गई नई वैयक्तिक पालिसियाँ : जीवन बीमाकर्ता	....	12
I.11	प्रदत्त पूँजी : जीवन बीमाकर्ता	....	12
I.12	कमीशन व्यय और कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता	....	13
I.13	परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता	....	14
I.14	प्रदत्त लाभ : जीवन बीमाकर्ता	....	14
I.15	निवेश आयः जीवन बीमाकर्ता	....	15
I.16	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कर के बाद लाभ	....	15
I.17	जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभांश	....	16
I.18	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे	....	17
I.19	जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे	....	17
I.20	जीवन कार्यालयों की संख्या	....	18
I.21	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण - जीवन कार्यालयों की संख्या	....	18
I.22	जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का वितरण - स्तर-वार	....	19

I.23	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	21
I.24	भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (बाजार में हिस्सेदारी के साथ): साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	21
I.25	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) - खंड-वार	....	22
I.26	कुल प्रीमियम की तुलना में भारत के बाहर प्रीमियम का अनुपात	....	24
I.27	भारत के बाहर व्यवसाय से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	....	24
I.28	जारी की गई नई पालिसियों की संख्याः साधारण बीमाकर्ता	....	24
I.29	प्रदत्त पूँजीः साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता	....	25
I.30	जोखिम-अंकन अनुभवः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	26
I.31	सकल कमीशन व्ययः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	27
I.32	परिचालन व्ययः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	27
I.33	निवल उपगत दावेः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	28
I.34	उपगत दावा अनुपातः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	28
I.35	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय	....	29
I.36	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ	....	30
I.37	भुगतान किये गये लाभांशः साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ता	....	30
I.38	साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या	....	31
I.39	साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या - स्तर-वार	....	31
I.40	सरकारी और निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों की शिकायतों से संबंधित डेटा	....	37
I.41	किये गये कार्यकलाप और व्यय की गई राशि - बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में आईआरडीएआई की पहलें	....	39
I.42	भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश	....	44
I.43	भारतीय नाभिकीय बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश	....	45
I.44	पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल प्रीमियम	....	46
I.45	पुनर्बीमा संस्थाओं के व्यावसायिक आंकड़े	....	47
I.46	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारण (भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)	....	47
I.47	भारत के अंदर और बाहर एवं सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में		

	(साधारण प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं द्वारा) रखे गये पुनर्बीमा व्यवसाय की मात्रा	....	48
I.48	सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में साधारण प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारित प्रीमियम	....	48
I.49	बीमा क्षेत्र के कुल निवेश	....	49
I.50	जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः श्रेणी-वार	....	50
I.51	जीवन बीमाकर्ताओं के निवेशः निधि-वार	....	50
I.52	निवेशों में वृद्धिः निधि-वार	....	51
I.53	साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के कुल निवेशः श्रेणी-वार	....	52
I.54	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	53
I.55	स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	54
I.56	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	55
I.57	स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत व्यवसाय का वर्ग-वार निवल उपगत दावा अनुपात (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	56
I.58	स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	57
I.59	वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की क्षेत्र-वार संख्या	....	57
I.60	सरकार प्रायोजित कुछ प्रमुख योजनाओं सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या और सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम	....	58
I.61	क्षेत्र-वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम	....	58
I.62	क्षेत्र-वार विदेशी यात्रा बीमा प्रीमियम	....	59
I.63	क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम	....	59
I.64	विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय	....	60
I.65	वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश - जारी की गई पालिसियों की संख्या और प्रीमियम की राशि (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	61
I.66	अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे	....	62
I.67	बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे संभाले गये दावे	....	63

I.68	दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे	....	63
I.69	अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण	....	64
I.70	आंतरिक रूप से निपटान के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण	....	65
I.71	दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण	....	65
I.72	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या	....	66
I.73	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरणस्	....	66
I.74	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों से युक्त / रहित जिलों की राज्य-वार संख्या	....	68
I.75	अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की सूची	....	69
I.76	अन्य पक्ष प्रबंधकों की सूची जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्रों का नवीकरण किया गया	....	70
I.77	अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) द्वारा सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों संबंधी सूचना	....	70
I.78	नये व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित और एकल प्रीमियम पालिसियों से प्रथम वर्ष प्रीमियम)	....	71
I.79	नवीकरण व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय (नियमित प्रीमियम पालिसियों से नवीकरण प्रीमियम)	....	71
I.80	जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नया व्यवसाय	....	72
I.81	जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नवीकरण व्यवसाय	....	72
I.82	स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा संभाले गये दावों का विवरण	....	73
I.83	स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा संभाले गये दावों का विवरण	....	74

I.84	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय	....	84
I.85	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण	....	84
I.86	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे	....	84
I.87	सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे	....	85
I.88	सूक्ष्म बीमा वैयक्तिक श्रेणी में अदा किये गये मृत्यु दावों का विवरण	....	85
I.89	सूक्ष्म बीमा सामूहिक श्रेणी में अदा किये गये मृत्यु दावों का अवधि-वार विवरण	....	86
I.90	केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची	....	88
II.1	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण	....	96
II.2	जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण - लिंगानुपात	....	96
II.3	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण	....	97
II.4	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण - लिंगानुपात	....	97
II.5	कारपोरेट एजेंटों का विवरण 2018-19	....	98
II.6	जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	99
II.7	जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	100
II.8	बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) की राज्य-वार उपस्थिति	....	103
II.9	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस	....	104
II.10	बीमा दलालों के पंजीकृत कार्यालय - राज्य-वार	....	105
II.11	दायर किये गये कानूनी मामलों का विवरण	....	117
II.12	निपटाये गये / खारिज किये गये कानूनी मामलों का विवरण	....	117
II.13	शिकायतों की स्थिति (आईजीएमएस के अनुसार): जीवन बीमाकर्ता	....	122
II.14	शिकायतों की स्थिति: साधारण बीमाकर्ता	....	123
II.15	शिकायतों की गति - जीवन बीमाकर्ता	....	124
II.16	शिकायतों की गति - साधारण बीमाकर्ता	....	124
II.17	शिकायतों की गति - उद्योग	....	125
II.18	डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज और आईआरडीएआई को प्रेषित शिकायतों की प्राप्ति और निपटान	....	125
II.19	आईआरडीएआई को प्रेषित शिकायतें	....	125
II.20	बीमा लोकपालों के द्वारा शिकायतों का निपटान	....	133

III.1 पंजीकृत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं/ लायड्स इंडिया के व्यवसाय संघों (सिंडिकेटों) और सेवा कंपनियों की सूची 135
III.2 प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़) 142

चार्ट

I.1 वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में क्षेत्रों का अंश 2
I.2 चयनित देशों में बीमा व्यापन 7
I.3 चयनित देशों में बीमा सघनता 7
I.4 भारत में बीमा व्यापन 8
I.5 भारत में बीमा सघनता 8
I.6 जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम 10
I.7 जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम 10
I.8 5 वर्ष के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम 10
I.9 लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण - वैयक्तिक पालिसियाँ 17
I.10 लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण - सामूहिक पालिसियाँ 18
I.11 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 19
I.12 जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वितरण - निजी क्षेत्र 19
I.13 कार्यालयों का भौगोलिक वितरण -- एलआईसी 19
I.14 जीवन बीमा कार्यालयों का भौगोलिक वितरण - उद्योग 19
I.15 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 22
I.16 साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या - स्तर-वार 32
I.17 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर) 53
I.18 कुल प्रीमियम में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश 54
I.19 सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या - सम्मिलित कुल व्यक्तियों में व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश 55
I.20 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर) 56
I.21 कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में शीर्षस्थ 5 राज्यों का अंश 60
I.22 स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में विभिन्न माध्यमों का अंशदान

	(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)	....	62
I.23	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या	....	66
I.24	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण	....	67
I.25	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वर्गीकरण वार वितरण	....	67
II.1	निजी जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	99
II.2	एलआईसी का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	99
II.3	जीवन उद्योग का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	100
II.4	निजी जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	101
II.5	एलआईसी का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	101
II.6	जीवन उद्योग का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन - माध्यम-वार	....	101
II.7	जीवन बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	....	122
II.8	साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण	....	123

विवरण

1.	बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना	....	159
2.	बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना	....	160
3.	नया व्यवसाय प्रीमियम	....	161
4.	कुल जीवन बीमा प्रीमियम	....	162
4क.	जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम	....	163
5.	जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम	....	165
6.	वैयक्तिक मृत्यु दावे	....	166
7.	सामूहिक मृत्यु दावे	....	168
8.	जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ	....	170
9.	जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	....	173
10.	भारत में जीवन बीमाकर्ताओं का तिमाही शोधक्षमता अनुपात	....	174
11.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम		
	(भारत के अंदर और बाहर)	....	175

12.	साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)	....	176
13.	स्वास्थ्य बीमा (यात्रा - देशी/विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर)	....	177
14.	उपगत दावा अनुपात - सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	....	178
15.	उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता	....	179
16.	दावों का विश्लेषण - साधारण बीमाकर्ता	....	181
17.	साधारण बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ	....	182
18.	साधारण और स्वास्थ्य तथा पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी	....	184
19.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी	....	185
20.	साधारण और स्वास्थ्य तथा पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात	....	186

अनुबंध

1.	भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ	....	189
2.	बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना	....	192
3.	(i) भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (2012-14) (ii) प्रकाशित वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर सारणीः एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें	....	193
4.	अनुमोदित जीवन बीमा उत्पादों और अनुवृद्धियों (राइडर्स) की सूची	....	195
5.	जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची	....	196
6.	अनुमोदित साधारण बीमा उत्पादों की सूची	....	197
7.	अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची	....	198
8.	जारी किये गये परिपत्र / आदेश / दिशानिर्देश / अनुदेश / विविध	....	199
9.	आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम	....	206
10.	प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड	....	213
11.	जीवन बीमाकर्ताओं/ साधारण बीमाकर्ताओं/ स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण	....	214
12.	मोटर टीपी दायित्वों के परिकलन के लिए डेटा	....	217

लक्ष्य कथन

- ✓ पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करना तथा उनके प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना;
- ✓ आम आदमी के हित के लिए बीमा उद्योग (वार्षिकी और अधिवर्षिता संबंधी भुगतानों सहित) की त्वरित और व्यवस्थित संवृद्धि करना, तथा अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निधियाँ उपलब्ध कराना;
- ✓ प्राधिकरण जिनका विनियमन करता है, उनकी सत्यनिष्ठा, वित्तीय सुदृढ़ता, उचित व्यवहार औरसक्षमता के उच्च मानकों का निर्धारण, संवर्धन, निगरानी और प्रवर्तन करना;
- ✓ वास्तविक दावों का त्वरित निपटान सुनिश्चित करना, बीमा संबंधी धोखाधड़ियों और अन्य अनाचारोंकी रोकथाम करना तथा प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र की व्यवस्था करना;
- ✓ बीमे के साथ संबंध रखनेवाले वित्तीय बाजारों में निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुव्यवस्थित कार्यसंचालनको बढ़ावा देना तथा बाजार के खिलाड़ियों में वित्तीय सुदृढ़ता के उच्च मानक लागू करने के लिएएक विश्वसनीय प्रबंध सूचना प्रणाली का निर्माण करना;
- ✓ जहाँ ऐसे मानक अपर्याप्त हैं अथवा अप्रभावी ढंग से लागू किये गये हैं वहाँ कार्रवाई करना;
- ✓ विवेकपूर्ण विनियमन की अपेक्षाओं के अनुरूप उद्योग के दैनंदिन कार्यचालन में इष्टतम परिमाण में स्व-विनियमन उत्पन्न करना।

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

प्राधिकरण के सदस्य

डॉ सुभाष चंद्र खुंटिया
अध्यक्ष
(7 मई 2018 से)

पूर्णकालिक सदस्य

पौर्णिमा गुप्ते

नीलेश साठे
(30 अप्रैल 2019 तक)

पी जे जोसफ
(13 जनवरी 2019 तक)

सुजय बनारजी

प्रवीण कुतुम्बे

टी एल अलामेलु
(01 जुलाई 2019 से)

के गणेश
(31 जुलाई 2019 से)

अंशकालिक सदस्य

सुषमा नाथ

रवि मितल
(05 अप्रैल 2018 तक)

देबाशीष पांडा
(06 अप्रैल 2018 से)

सीए नवीन एन डी गुप्ता
(11 फरवरी 2019 तक)

सीए प्रफुल्ल छाजेड़
(12 फरवरी 2019 से)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण में वरिष्ठ अधिकारी

(30 सितंबर 2019 की स्थिति के अनुसार)

कार्यकारी निदेशक	एम पुल्ला राव सुरेश माथुर
मुख्य महाप्रबंधक	रणदीप सिंह जगपाल ए आर नित्यानंदम ममता सूरी जे मीना कुमारी यज्ञप्रिया भरत एच अनंत कृष्णन वी जयंत कुमार
महाप्रबंधक	एस एन जयसिंहन रमणा राव अद्दंकि संजीव कुमार जैन टी एस नाईक एस पी चक्रवर्ती पी के मैती राज कुमार शर्मा जे अनिता के जी पी एल रमा देवी डी वी एस रमेश सुदीप्त भट्टाचार्य जी आर सूर्य कुमार पी एस जगन्नाथम
मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधक	ए. वेंकटेश्वर राव

भाग - I
नीतियाँ और कार्यक्रम

I.1 सामान्य आर्थिक परिवेश

I.1.1 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये गये वार्षिक राष्ट्रीय आय, 2018-19 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार उक्त वर्ष के लिए वर्तमान कीमतों पर जीडीपी 190.10 लाख करोड़ रुपये पर अनुमानित है जो वर्ष 2017-18 के लिए 170.95 लाख करोड़ रुपये के जीडीपी के प्रथम संशोधित अनुमानों की तुलना में 11.2 प्रतिशत की संवृद्धि दर दर्शा रहा है।

I.1.2 कृषि को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों ने अर्थात् `खनन और उत्खनन', `विनिर्माण'. `बिजली, गैस, जल-आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाओं', `निर्माण', `व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाओं', `वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं', एवं `लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं' ने वर्तमान कीमतों पर 9.0 प्रतिशत से अधिक संवृद्धि दर दर्ज की है।

I.1.3 सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई) वर्तमान कीमतों पर वर्ष 2017-18 के ₹169.10 लाख करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान ₹188.17 लाख करोड़ पर अनुमानित है जो 11.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। 2018-19 के दौरान वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई) के विषय में अनुमान है कि इसने वर्ष 2017-18 के ₹114958 के अनुमान की तुलना में 10.0 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए ₹126406 का स्तर प्राप्त किया है।

(स्रोतः सीएसओ प्रेस नोट दिनांक 31.05.2019)

सारणी I.1
राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान और जीडीपी संबंधी व्यय

मद	2016-17	2017-18	2018-19 (अअ)
1. मूल कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	13,935,917	15,482,715 (11.1)	17,199,815 (11.1)
2. सकल देशी उत्पाद (जीडीपी)	15,362,386	17,095,005 (11.3)	19,010,164 (11.2)
3. निवल देशी उत्पाद (एनडीपी)	13,771,661	15,313,286 (11.2)	17,030,846 (11.2)
4. सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई)	15,185,986	16,910,192 (11.4)	18,816,538 (11.3)
5. निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई)	13,595,261	15,128,474 (11.3)	16,837,219 (11.3)
6. सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई)	15,565,424	17,315,933 (11.2)	19,237,943 (11.1)
7. निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (एनएनडीआई)	13,974,699	15,534,214 (11.2)	17,258,624 (11.1)
प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम उपभोग (रु)			
8. प्रति व्यक्ति जीडीपी	118,263	129,901 (9.8)	142,719 (9.9)
9. प्रति व्यक्ति जीएनआई	116,905	128,497 (9.9)	141,265 (9.9)
10.प्रति व्यक्ति एनएनआई	104,659	114,958 (9.8)	126,406 (10.0)
11.प्रति व्यक्ति जीएनडीआई	119,826	131,580 (9.8)	144,429 (9.8)
12.प्रति व्यक्ति पीएफसीई	70,175	76,619 (9.2)	84,760 (10.6)

अ.अ.: अनंतिम अनुमान; पीएफसीई: निजी अंतिम उपभोग व्यय, टिप्पणी; कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन दर्शाते हैं। . **स्रोत :** केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 31 मई 2019.

सारणी I.2
आर्थिक गतिविधि द्वारा मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) के अनंतिम अनुमान

उद्योग	2016-17	2017-18	2018-19 (अ.अ.)	प्रतिशत में परिवर्तन	
				2017-18	2018-19
कृषि, वानिकी और मत्स्य-ग्रहण	2,496,358	2,670,147	2,775,852	7.0	4.0
खनन और उत्खनन	321,872	351,058	410,151	9.1	16.8
विनिर्माण	2,335,068	2,542,089	2,818,218	8.9	10.9
बिजली, गैस, जल-आपूरति और अन्य जनोपयोगी सेवाएँ	353,468	423,089	479,871	19.7	13.4
निर्माण 1,082,466	1,213,628	1,376,293	12.1	13.4	
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएँ	2,538,268	2,823,263	3,151,709	11.2	11.6
वित्तीय, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएँ	2,911,901	3,252,789	3,666,326	11.7	12.7
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएँ	1,896,516	2,206,652	2,521,395	16.4	14.3
मूल कीमत पर योजित सकल मूल्य (जीवीए)	**13,935,917**	**15,482,715**	**17,199,815**	**11.1**	**11.1**

अ.अ.: अनंतिम अनुमान
स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सीएसओ), प्रेस नोट दिनांक 31मई 2019

चार्ट I.1 वर्तमान कीमतों पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) 2017-18 में क्षेत्रों का अंश (अ.अ.)

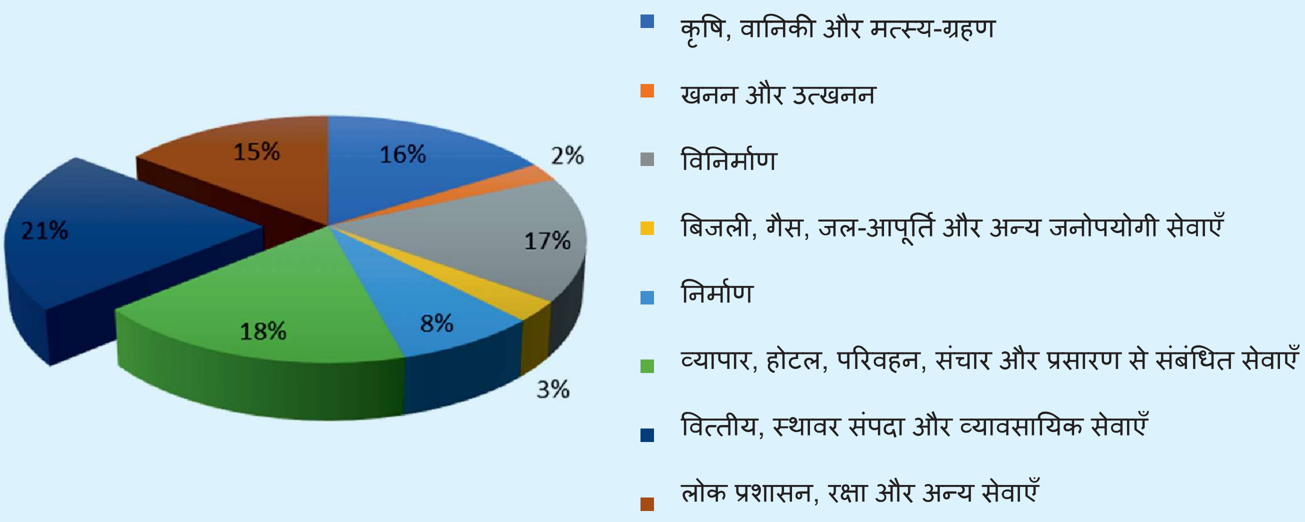

घरेलू क्षेत्र में वित्तीय बचत

I.1.4 सकल घरेलू बचत की दर में पिछले दो वर्षों में हुई गिरावट से 2017-18 में सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई) के 30.1 प्रतिशत तक सीमांत रूप से वृद्धि हुई (सारणी I.4)। एक ओर जहाँ निजी गैर-वित्तीय निगमों की बचत में सीमांत रूप से बढ़ोतरी हुई, वहीं दूसरी ओर सामान्य सरकार की ऋणात्मक बचत (डिस-सेविंग) में वृद्धि हुई। घरेलू वित्तीय बचत - जोकि निधियों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है - में जीएनडीआई के 0.3 प्रतिशत अंक की वृद्धि हुई, यद्यपि यह 2011-16 के दौरान 7.3 प्रतिशत से काफी निम्नतर रही (सारणी I.3)।

I.1.5 बचत-निवेश का अंतराल वर्षों के दौरान नीचे आया है, जो निर्दिष्ट करता है कि निधि निवेश की आवश्यकता का एक अधिकतर भाग देशी संसाधनों के माध्यम से पूरा किया जा रहा है तथा विलोमतः विदेशों से संसाधनों का निवल अंतर्वाह घट गया है जो अर्थव्यवस्था के खुलेपन की मात्रा के अनुरूप है। घरेलू क्षेत्र कमी के क्षेत्रों अर्थात् गैर-वित्तीय निगमों और सामान्य सरकार को निधियों की निवल आपूर्ति लगातार कर रहा है। तथापि, हाल के वर्षों में यह स्पष्ट है कि गैर-वित्तीय निगमों, दोनों सरकारी और निजी, का संसाधनगत अंतराल उल्लेखनीय रूप में कम हुआ है जो निर्दिष्ट करता है कि उनके निवेश की आवश्यकताएँ उनके आंतरिक संसाधनों के द्वारा पूरी की जा रही हैं। सामान्य सरकारी क्षेत्र के द्वारा बचत पर आहरण से कमी (ड्राडाउन) लगातार उन्नत स्तर पर बनी हुई है।

(स्रोतः भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19)

सारणी I.3

घरेलू क्षेत्र में वित्तीय बचत (जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
क. सकल वित्तीय बचत जिसमें से	10.4	10.5	10.4	9.9	10.7	9.2	10.8
1. मुद्रा 1.2	1.1	0.9	1.0	1.4	-2.0	--	
2. जमाराशियाँ	6.0	6.0	5.8	4.8	4.6	6.3	--
3. शेयर और डिबेंचर	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	--
4. सरकार पर दावे	-0.2	-0.1	0.2	0.0	0.5	0.4	--
5. बीमा निधियाँ	2.2	1.8	1.8	2.4	1.9	2.3	--
6. भविष्य और पेंशन निधियाँ	1.1	1.5	1.5	1.5	2.1	2.0	--
ख. वित्तीय देयताएँ	3.2	3.2	3.1	3.0	2.7	3.0	4.3
ग. निवल वित्तीय बचत (क-ख)	7.2	7.2	7.2	6.9	7.9	6.2	6.5

जीएनडीआई - सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय; --: उपलब्ध नहीं

टिप्पणी: आंकड़े पूर्णांकित होने के कारण कुल जोड़ के साथ मेल नहीं खाते होंगे। .

2. सकल वित्तीय बचत के घटकों संबंधी डेटा 2016-17 के प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार हैं।

स्रोत: एनएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, परिशिष्ट सारणी 3बी में प्रकाशित है।

सारणी I.4
सकल बचत

(जीएनडीआई के प्रतिशत में)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
सकल बचत	31.6	30.5	29.9	30.1
1.1 गैर-वित्तीय निगम	11.1	12.0	11.6	12.0
1.1.1 सरकारी गैर-वित्तीय निगम	1.0	1.1	1.1	1.4
1.1.2 निजी गैर-वित्तीय निगम	10.1	10.9	10.5	10.6
1.2 वित्तीय निगम	2.7	2.1	2.2	2.1
1.2.1 सरकारी वित्तीय निगम	1.3	1.3	1.3	1.3
1.2.2 निजी वित्तीय निगम	1.3	0.8	0.8	0.9
1.3 सामान्य सरकार	-1.4	-1.2	-0.8	-0.9
1.4 घरेलू क्षेत्र	19.2	17.6	16.9	17.0
1.4.1 निवल वित्तीय बचत	6.9	7.9	6.2	6.5
ज्ञापनः सकल वित्तीय बचत	9.9	10.7	9.2	10.8
1.4.2 भौतिक आस्तियों में बचत	11.9	9.4	10.3	10.2
1.4.3 मूल्यवान वस्तुओं के रूप में बचत	0.4	0.3	0.3	0.2

जीएनडीआई - सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय

टिप्पणी : घरेलू क्षेत्र की निवल वित्तीय बचत वर्ष के दौरान सकल वित्तीय बचत और वित्तीय देयताओं के बीच अंतर के रूप में प्राप्त की गई है।

स्रोत : एनएसओ जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, परिशिष्ट सारणी 3ए में प्रकाशित है।

I.2 विश्व बीमा परिदृश्य

I.2.1 रीइंश्योरेंस मेजर, स्विस रे द्वारा प्रकाशित `2018 में विश्व बीमा' रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.2% के बढ़ने के साथ, 2018 में वैश्विक आर्थिक संवृद्धि ने बीमा क्षेत्र को सहारा दिया।

I.2.2 वैश्विक प्रत्यक्ष प्रीमियम सर्वप्रथम 2018 में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डालर से अधिक रहे जो 5193 बिलियन अमेरिकी डालर (वैश्विक जीडीपी का 6.1%) तक पहुँच गये। कुल प्रीमियमों का विस्तार दोनों सांकेतिक और वास्तविक तौर पर हुआ, परंतु समग्र वृद्धि 2017 की तुलना में अपेक्षाकृत मंद रही, जो जीवन क्षेत्र में कमजोर स्थिति के कारण थी। यह स्थिति यूरोप, चीन और लातीन अमेरिका में संकुचित हो रहे बाजारों की वजह से थी। गैर-जीवन बीमा प्रीमियम वृद्धि 3% पर स्थिर थी, जो ऐतिहासिक औसत से बढ़कर रही क्योंकि उन्नत बाजार मंद रहे और उभरते बाजारों में सुधार हुआ।

वैश्विक जीवन प्रीमियमों में 2018 में 2820 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक केवल सीमांत रूप से 0.2% वृद्धि हुई

(2017 : 0.5%)। यह 2017 से उल्लेखनीय मंदी थी जो मुख्य रूप से चीन में संकुचन के कारण थी क्योंकि 2017 में वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि के लिए चीन सबसे बड़ा अंशदाता रहा, परंतु 2018 में यह स्थिति उलट गई। इस सीमा तक कि उसके ऋणात्मक अंशदान (-0.6 पीपीटी) ने उत्तरी अमेरिका (0.5 पीपीटी), उन्नत एशिया-पसिफिक (0,3 पीपीटी) और चीन को छोड़कर उभरते एशिया (0.3 पीपीटी) द्वारा किये गये अधिकांश अंशदानों को तटस्थ कर दिया। उभरते बाजारों में जीवन प्रीमियम 2017 में 13% बढ़ने के बाद 2018 में 2.0% घट गये। यह तीव्र टर्नअराउंड मुख्य रूप से चीन के द्वारा प्रेरित था जहाँ बचत पालिसियों के वितरण पर विनियामक पर्यवेक्षण के सख्त होने के कारण प्रीमियम 5.4% संकुचित हुए। अन्यत्र उभरते एशिया में जीवन प्रीमियम प्रमुख बाजारों में जबरदस्त वृद्धि के साथ 7.0% बढ़े।

वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियम में 2017 के 2.8% से 2018 में 2373 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक 3% तक वृद्धि हुई क्योंकि एशियाई पसिफिक क्षेत्र में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में प्रीमियम 2018 में 7.1% बढ़ गये जोकि पिछले वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है। उभरते एशिया ने तीव्र गति से विस्तार करना जारी रखा, जहाँ प्रीमियम 11% से अधिक रहे, और ये चीन में 12% से अधिक थे।

I.2.3 लाभप्रदता दोनों जीवन और गैर-जीवन क्षेत्रों में लगातार दबाव में रही। जीवन खंड में निम्नतर ब्याज दरें लाभप्रदता को प्रभावित कर रही हैं, विशेष रूप से यूरोप और एशिया-पसिफिक में। गैर-जीवन क्षेत्र में, ईक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) 2018 में 6-6.5% पर लगभग स्थिर रहा। तकनीकी परिणाम कुछ सकारात्मक निकले क्योंकि 2017 के अंत में प्रारंभ हुआ जोखिम-अंकन स्थितियों में सुधार 2018 में जारी रहा। तथापि, नरम बाजार प्रवृत्ति का स्थिरीकरण लाभप्रदता के अंतराल को उल्लेखनीय रूप में कम करने के लिए पर्याप्त नहीं रहा है जो गैर-जीवन बीमा क्षेत्र को अभी घेरे हुए है।

I.2.4 यह प्रत्याशित है कि वैश्विक जीवन प्रीमियम वृद्धि में 2019/20 में ऐसी दर पर सुधार होगा, जो पिछले दस वर्षों के वार्षिक औसत से अधिक होगी। यह अधिकांशतः उभरते बाजारों के द्वारा प्रेरित होगी, विशेष रूप से चीन में पुनः अच्छी स्थिति प्राप्त करने (बाउन्स बैक) के कारण। उन्नत बाजारों में जीवन प्रीमियम मंद गति से वृद्धि करेंगे, परंतु यह गति ऐतिहासिक औसत से तीव्रतर होगी।

गैर-जीवन क्षेत्र में इसी प्रकार वैश्विक प्रीमियम ऐतिहासिक औसत की तुलना में अधिक तेजी से वृद्धि करेंगे। उन्नत बाजार औसत को पीछे छोड़ेंगे, जहाँ प्रीमियम वृद्धि समग्र आर्थिक संवृद्धि से बढ़कर होगी, जो अमेरिका, कनाडा और उन्नत एशिया-पसिफिक से प्रेरित होगी, जबकि उन्नत ईएमईए (यूरोप, मध्य पूर्व, अफ्रीका) लगातार पीछे रह जाएँगे। उभरते बाजारों में वृद्धि सुदृढ़ रहेगी, परंतु चीन और अन्य उभरते एशियाई बाजारों में मंदी के होते हुए यह 10-वर्षीय औसत से नीचे होगी। तथापि, अन्य उभरते बाजारों में प्रीमियम वृद्धि पर्याप्त सुधार करेगी।

वैश्विक परिदृश्य में भारतीय बीमा

I.2.5 वैश्विक तौर पर वैश्विक बीमा बाजार में भारत का अंश 2018 के दौरान 1.92 प्रतिशत था। तथापि, 2018 के दौरान भारत में कुल बीमा प्रीमियम 9.3 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) बढ़ा, जबकि वैश्विक कुल बीमा प्रीमियम में 1.5 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) वृद्धि हुई।

वैश्विक तौर पर 2018 के दौरान कुल प्रीमियम में जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 54.30 प्रतिशत था तथा गैर-

जीवन बीमा प्रीमियम 45.70 प्रतिशत था। तथापि, भारत के लिए जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 73.85 प्रतिशत पर अत्य़धिक रहा, जबकि गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का अंश 26.15 प्रतिशत था।

I.2.6 जीवन बीमा व्यवसाय में, 88 देशों के बीच भारत का स्थान 10वाँ है, जिसके लिए डेटा स्विस रे द्वारा प्रकाशित किया गया है। वैश्विक जीवन बीमा बाजार में भारत का अंश 2018 के दौरान 2.61 प्रतिशत था। तथापि, 2018 के दौरान भारत में जीवन बीमा प्रीमियम 7.7 प्रतिशत बढ़ा (मुद्रास्फीति समायोजित) जब वैश्विक जीवन बीमा प्रीमियम में 0.2 प्रतिशत वृद्धि हुई (मुद्रास्फीति समायोजित)।

I.2.7 भारतीय गैर-जीवन बीमा क्षेत्र ने 2018 के दौरान 14 प्रतिशत (मुद्रास्फीति समायोजित) की वृद्धि देखी। इसी अवधि के दौरान वैश्विक गैर-जीवन प्रीमियम में वृद्धि 3 प्रतिशत थी (मुद्रास्पीति समायोजित)। तथापि, वैश्विक गैर-जीवन बीमा प्रीमियम में भारतीय गैर-जीवन बीमा प्रीमियम का अंश 1.1 प्रतिशत था तथा भारत का स्थान वैश्विक गैर-जीवन बीमा बाजारों में 15वाँ है।

सारणी I.5
कुल वास्तविक प्रीमियम वृद्धि दर 2018

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	0.8	1.9	1.3
उभरते बाजार	-2.0	7.1	2.1
एशिया-पैसिफिक	-0.1	6.4	2.1
भारत	7.7	14.0	9.3
विश्व	0.2	3.0	1.5

स्रोतः स्विस रे, सिगमा सं. 3/2019.

भारत में बीमा व्यापन और सघनता

I.2.8 बीमा व्यापन और सघनता का मापन किसी भी देश में बीमा क्षेत्र के विकास के स्तर को प्रतिबिंबित करता है। जबकि बीमा व्यापन का मापन जीडीपी की तुलना में बीमा प्रीमियम के प्रतिशत के तौर पर किया जाता है, बीमा सघनता का परिकलन जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम के अनुपात (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) के रूप में किया जाता है।

I.2.9 बीमा क्षेत्र के उदारीकरण के पहले दशक के दौरान इस क्षेत्र ने बीमा व्यापन में सुसंगत वृद्धि सूचित की जो 2001 में विद्‌यमान 2.71 प्रतिशत से 2009 में 5.20 प्रतिशत तक हुई। तब से व्यापन का स्तर घट रहा था। तथापि, वर्ष 2015 में (3.44 प्रतिशत), वर्ष 2016 में (3.49 प्रतिशत), 2017 में (3.69 प्रतिशत) और 2018 में (3.70 प्रतिशत) इसमें थोड़ी-सी वृद्धि रही। बीमा सघनता का स्तर 2001 के 11.5 अमेरिकी डॉलर के स्तर से बढ़कर वर्ष 2010 में 64.4 अमेरिकी डॉलर के अधिकतम तक पहुँचा। वर्ष 2018 के दौरान बीमा सघनता 74 अमेरिकी डॉलर (2017 में 73 अमेरिकी डॉलर) थी।

I.2.10 जीवन बीमा क्षेत्र की बीमा सघनता 2001 के 9.1 अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2010 में 55.7 अमेरिकी डॉलर के चरम पर पहुँची थी। तब से इसने वर्ष 2013 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष 2018 के दौरान जीवन बीमा सघनता का स्तर 55 अमेरिकी डॉलर (2017 में 55 अमेरिकी डॉलर) था। जीवन बीमा व्यापन 2001 में विद्‌यमान 2.15 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 4.60 प्रतिशत तक पहुँची। तब से इसने वर्ष 2014 तक गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई है। वर्ष 2015 में इसमें थोड़ी-सी वृद्धि हुई जब यह 2.72 प्रतिशत तक पहुँच गई तथा यह 2016 में अपरिवर्तित बनी रही और वर्ष 2017 में बढ़कर 2.76

तक पहुँची तथा वर्ष 2018 में 2.74 तक इसमें कमी आई।

I.2.11 देश में गैर-जीवन बीमा क्षेत्र का व्यापन 2001 के 0.56 से बढ़कर 2018 में 0.97 हुआ (2017 में 0.93)। इसकी सघनता में 2001 में विद्यमान 2.4 अमेरिकी डॉलर से 2018 में 19 अमेरिकी डॉलर तक वृद्धि हुई (2017 में 18 अमेरिकी डॉलर)।

(स्रोतः स्विस रे, सिगमा के विभिन्न अंक)

सारणी I.6
क्षेत्र-वार जीवन और गैर-जीवन बीमा प्रीमियम 2018

(प्रीमियम बिलियन अमेरिकी डालर में)

क्षेत्र/देश	जीवन	गैर-जीवन	कुल
उन्नत बाजार	2231.35	1854.79	4086.14
	(54.61)	(45.39)	(100.00)
उभरते बाजार	588.82	518.27	1107.09
	(53.19)	(46.81)	(100.00)
एशिया-पैसिफिक	1092.85	589.66	1682.51
	(64.95)	(35.05)	(100.00)
भारत	73.74	26.10	99.84
	(73.86)	(26.14)	(100.00)
विश्व	**2820.18**	**2373.05**	**5193.23**
	(54.30)	**(45.70)**	**(100.00)**

स्रोत: स्विस रे, सिगमा, **टिप्पणी:** कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में खंड का अंश दर्शाते हैं।

चार्ट I.2: चयनित देशों में बीमा व्यापन – 2018

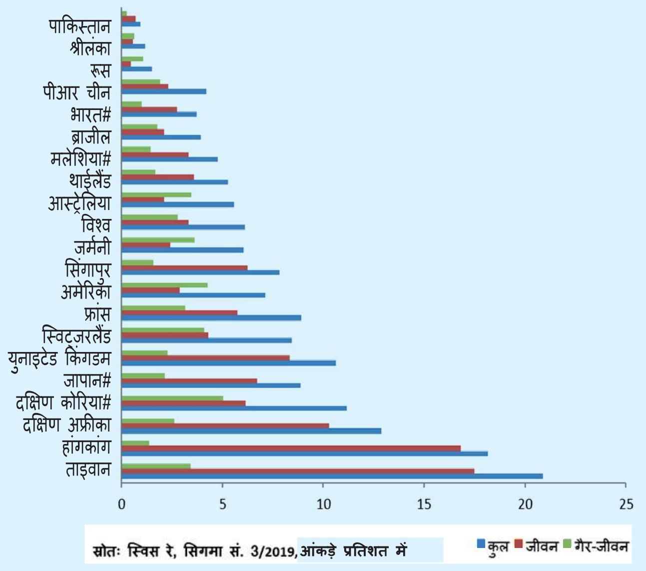

चार्ट I.3: चयनित देशों में बीमा सघनता – 2018

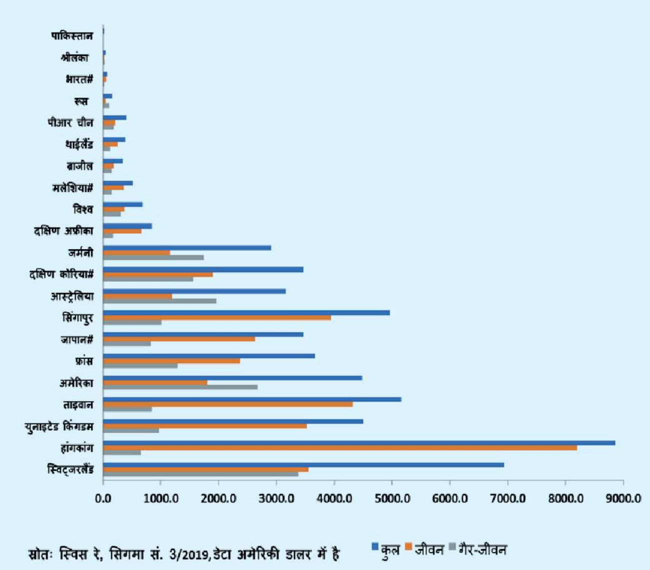

सारणी I.7
भारत में बीमा व्यापन और सघनता

वर्ष	जीवन		गैर-जीवन		उद्योग	
	सघनता (अमेरिकी डालर)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (अमेरिकी डालर)	व्यापन (प्रतिशत)	सघनता (अमेरिकी डालर)	व्यापन (प्रतिशत)
2001	9.10	2.15	2.40	0.56	11.50	2.71
2002	11.70	2.59	3.00	0.67	14.70	3.26
2003	12.90	2.26	3.50	0.62	16.40	2.88
2004	15.70	2.53	4.00	0.64	19.70	3.17
2005	18.30	2.53	4.40	0.61	22.70	3.14
2006	33.20	4.10	5.20	0.60	38.40	4.80
2007	40.40	4.00	6.20	0.60	46.60	4.70
2008	41.20	4.00	6.20	0.60	47.40	4.60
2009	47.70	4.60	6.70	0.60	54.30	5.20
2010	55.70	4.40	8.70	0.71	64.40	5.10
2011	49.00	3.40	10.00	0.70	59.00	4.10
2012	42.70	3.17	10.50	0.78	53.20	3.96
2013	41.00	3.10	11.00	0.80	52.00	3.90
2014	44.00	2.60	11.00	0.70	55.00	3.30
2015	43.20	2.72	11.50	0.72	54.70	3.44
2016	46.50	2.72	13.20	0.77	59.70	3.49
2017	55.00	2.76	18.00	0.93	73.00	3.69
2018	55.00	2.74	19.00	0.97	74.00	3.70

टिप्पणी: 1. बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
2. बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डालर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।
स्रोत: स्विस रे, सिगमा, विभिन्न अंक।

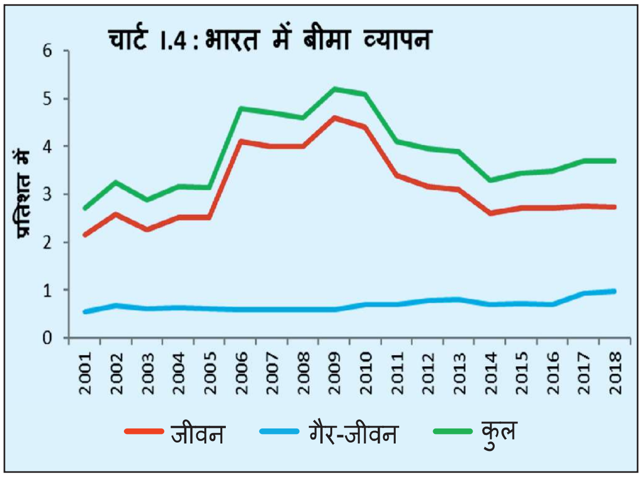

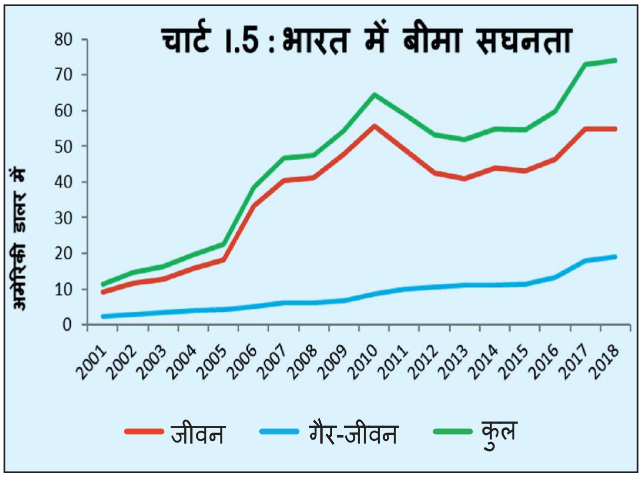

I.3 भारतीय बीमा बाजार का मूल्यांकन

भारत में पंजीकृत बीमाकर्ता

I.3.1 मार्च 2019 के अंत में भारत में 70 बीमाकर्ता परिचालनरत हैं; जिनमें से 24 जीवन बीमाकर्ता हैं, 27 साधारण बीमाकर्ता हैं तथा 7 स्वास्थ्य बीमाकर्ता हैं जो एकमात्र स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करते हैं एवं 12 पुनर्बीमाकर्ता हैं जिनके अंतर्गत भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लॉयड्स इंडिया शामिल हैं।

I.3.2 वर्तमान में परिचालन में लगे हुए 70 बीमाकर्ताओं में से आठ सरकारी क्षेत्र में हैं और शेष बासठ निजी क्षेत्र में हैं। दो विशेषीकृत बीमाकर्ता अर्थात् ईसीजीसी और एआईसी, एक जीवन बीमाकर्ता अर्थात् भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी), साधारण बीमा में चार और पुनर्बीमा में एक अर्थात् जीआईसी आरई सरकारी क्षेत्र में हैं। 23 जीवन बीमाकर्ता, 21 साधारण बीमाकर्ता और 7 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता एवं भारत में परिचालनरत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं और लॉयड्स इंडिया सहित 11 पुनर्बीमाकर्ता निजी क्षेत्र में हैं।

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान एक कंपनी को भारत में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी के रूप में पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया गया है

- रिलायंस स्वास्थ्य बीमा (पंजीकरण की तारीख: 03.10.2018)

2018-19 के दौरान जिन विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में अपने पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया।

- अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशाल्टी एसई, भारत शाखा (पंजीकरण जारी करने की तारीख 06.08.2018)
- मार्केल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पंजीकरण जारी करने की तारीख 01.06.2018)

जीवन बीमा

प्रीमियम

I.3.3 जीवन बीमा उद्योग ने पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज ₹458809.44 करोड़ की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹508132.03 करोड़ की प्रीमियम आय दर्ज की और इस प्रकार इसने 10.75 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 9.64 प्रतिशत वृद्धि थी)। जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने अपनी प्रीमियम आय में 21.37 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 19.15 प्रतिशत वृद्धि थी), एलआईसी ने 6.06 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में वृद्धि 5.90 प्रतिशत थी) (सारणी I.9)।

सारणी I.8
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं / लायड्स इंडिया सहित पंजीकृत बीमाकर्ता

बीमाकर्ता का प्रकार	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
जीवन	1	23	24
साधारण	6	21	27
स्वास्थ्य	0	7	7
पुनर्बीमाकर्ता (विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं/ लायड्स इंडिया सहित)	1	11	12
कुल	**8**	**62**	**70**

टिप्पणी: पंजीकृत बीमाकर्ताओं की सूची अनुबंध 1 में दी गई है।

सारणी I.9
जोखिम-अंकित प्रीमियम और बाजार अंश : जीवन बीमाकर्ता

(प्रीमियम करोड़ ₹ में)

(बाजार अंश प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	प्रीमियम		बाजार अंश	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
प्रथम वर्ष प्रीमियम (1)				
एलआईसी	28146.40 (7.02)	31326.22 (11.30)	42.82	42.79
निजी क्षेत्र	37581.33 (13.71)	41887.02 (11.46)	57.18	57.21
कुल	**65727.73 (10.75)**	**73213.24 (11.39)**	**100.00**	**100.00**
एकल प्रीमियम (2)				
एलआईसी	106525.29 (8.39)	111009.74 (4.21)	82.95	78.29
निजी क्षेत्र	21900.88 (24.65)	30780.06 (40.54)	17.05	21.71
कुल	**128426.17 (10.85)**	**141789.80 (10.41)**	**100.00**	**100.00**
नया व्यवसाय प्रीमियम (3 =(1+2))				
एलआईसी	134671.69 (8.10)	142335.96 (5.69)	69.36	66.20
निजी क्षेत्र	59482.21 (17.51)	72667.08 (22.17)	30.64	33.80
कुल	**194153.90 (10.82)**	**215003.04 (10.74)**	**100.00**	**100.00**
नवीकरण प्रीमियम (4)				
एलआईसी	183551.51 (4.35)	195169.11 (6.33)	69.35	66.58
निजी क्षेत्र	81104.03 (20.39)	97959.88 (20.78)	30.65	33.42
कुल	**264655.54 (8.79)**	**293129.00 (10.76)**	**100.00**	**100.00**
कुल प्रीमियम (5 =(3+4)=(1+2+4))				
एलआईसी	318223.20 (5.90)	337505.07 (6.06)	69.36	66.42
निजी क्षेत्र	140586.24 (19.15)	170626.96 (21.37)	30.64	33.58
कुल	**458809.44 (9.64)**	**508132.03 (10.75)**	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) दर्शाते हैं। .

चार्ट I.6 : जीवन बीमाकर्ताओं का नया व्यवसाय प्रीमियम

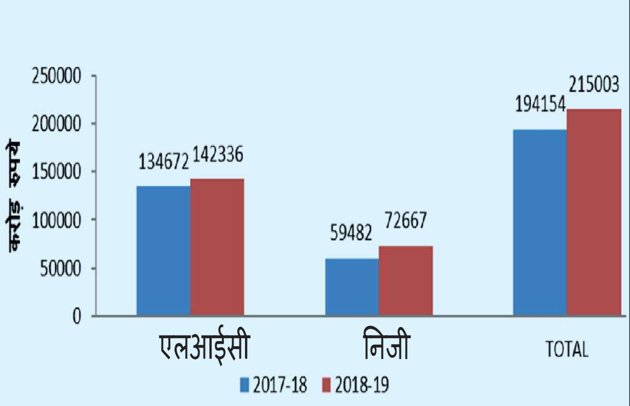

चार्ट I.7 : जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

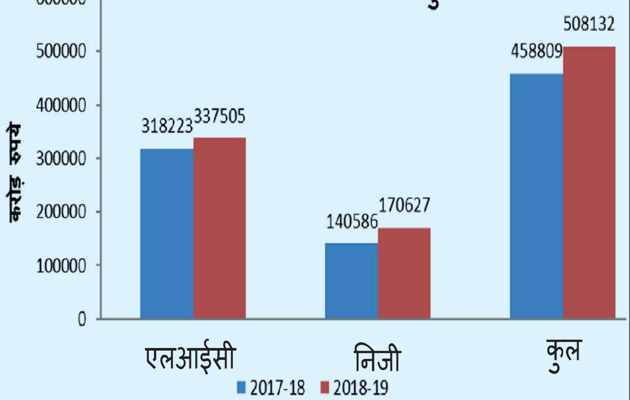

चार्ट I.8 : 5 वर्ष के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का कुल प्रीमियम

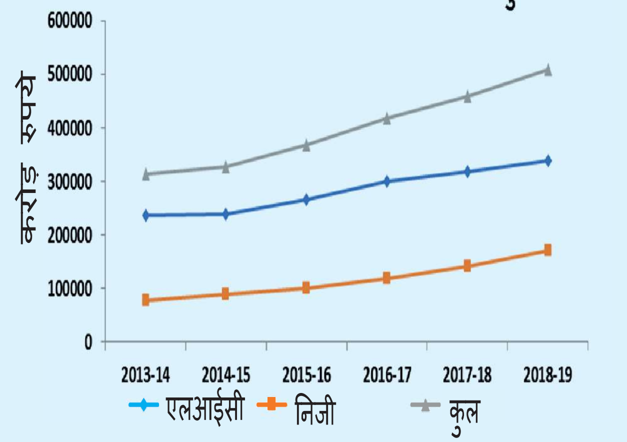

I.3.4 जबकि नवीकरण प्रीमियम जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त कुल प्रीमियम का 57.68 प्रतिशत रहा है (पिछले वर्ष में 57.68 प्रतिशत), नये व्यवसाय प्रीमियम ने शेष 42.32 प्रतिशत का अंशदान किया (पिछले वर्ष में 42.32 प्रतिशत था)। 2018-19 के दौरान नवीकरण प्रीमियम में वृद्धि 10.76 प्रतिशत थी (पिछले वर्ष में 8.79 प्रतिशत)। नये व्यवसाय प्रीमियम ने पिछले वर्ष की 10.82 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10.74 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की (सारणी I.9)।

I.3.5 नये व्यवसाय प्रीमियम का आगे और द्विभाजन यह निर्दिष्ट करता है कि जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त एकल प्रीमियम आय ने 2018-19 के दौरान 10.41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 10.85 प्रतिशत वृद्धि थी)। एकल प्रीमियम उत्पादों ने एलआईसी के लिए प्रमुख भूमिका अदा करना जारी रखा क्योंकि उन्होंने एलआईसी की कुल प्रीमियम आय के 32.89 प्रतिशत का अंशदान किया (पिछले वर्ष में 33.48 प्रतिशत)। तुलनात्मक रूप से 2018-19 के दौरान कुल प्रीमियम आय में एकल प्रीमियम आय का अंशदान निजी बीमा कंपनियों के लिए 18.04 प्रतिशत था (पिछले वर्ष में 15.58 प्रतिशत)।

I.3.6 प्रथम वर्ष प्रीमियम ने पिछले वर्ष की 10.75 प्रतिशत वृद्धि के मुकाबले 2018-19 में 11.39 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की। निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 11.46 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 13.71 प्रतिशत वृद्धि थी); जबकि एलआईसी ने प्रथम वर्ष प्रीमियम में 11.30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की (पिछले वर्ष में 7.02 प्रतिशत वृद्धि थी)।

I.3.7 यूनिट सहबद्ध उत्पादों (यूलिप) ने 2017-18 के ₹ 64850.90 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹76152.17 करोड़ तक 17.42 प्रतिशत की प्रीमियम वृद्धि दर्ज की। दूसरी ओर, पारंपरिक उत्पादों से प्रीमियम में वृद्धि 2017-18 में विद्यमान ₹393958.54 करोड़ के मुकाबले प्रीमियम ₹431979.87 करोड़ के साथ 9.65 प्रतिशत थी। तदनुसार कुल प्रीमियम में यूनिट सहबद्ध उत्पादों का अंश 2017-18 के 14.13 प्रतिशत की तुलना में बढ़कर 2018-19 में 14.99 प्रतिशत हो गया (विवरण सं. 5)।

बाजार अंश

I.3.8 कुल प्रीमियम आय के आधार पर एलआईसी का बाजार अंश 2017-18 के 69.36 प्रतिशत से 2018-19 में 66.42 प्रतिशत तक घटा। निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2017-18 के 30.64 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 33.58 प्रतिशत हो गया (सारणी I.9)।

I.3.9 नये व्यवसाय प्रीमियम में निजी बीमाकर्ताओं का बाजार अंश 2018-19 में 33.80 प्रतिशत रहा (पिछले वर्ष में य़ह 30.64 प्रतिशत था)। यही एलआईसी के लिए 66.20 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 69.36 प्रतिशत) था। इसी प्रकार, नवीकरण प्रीमियम में एलआईसी ने 66.58 प्रतिशत पर अपना उच्चतर अंश जारी रखा (पिछले वर्ष में 69.35 प्रतिशत) जबकि इसकी तुलना में निजी बीमाकर्ताओं का अंश 33.42 प्रतिशत (पिछले वर्ष में 30.65 प्रतिशत) था।

नई पॉलिसियाँ :

I.3.10 2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 286.48 लाख नई पॉलिसियाँ जारी कीं, जिनमें से एलआईसी ने 214.04 लाख पॉलिसियाँ और निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 72.44 लाख पॉलिसियाँ जारी कीं। जबकि निजी क्षेत्र ने जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 5.61% की वृद्धि प्राप्त की, एलआईसी ने जारी की गई नई पॉलिसियों की संख्या में 0.31% की वृद्धि प्राप्त की।

सारणी I.10
वित्तीय वर्ष 2018-19 में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई नई वैयक्तिक पालिसियाँ

(लाख में)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
एलआईसी	213.38 (5.99)	214.04 (0.31)
निजी क्षेत्र	68.59 (8.47)	72.44 (5.61)
कुल	**281.97 (6.58)**	**286.48 (1.70)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत के तौर पर पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि/कमी दर्शाते हैं।

प्रदत्त पूँजी

I.3.11 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमा कंपनियों की कुल पूँजी ₹27615.94 करोड़ थी। 2018-19 के दौरान निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं द्वारा ₹351.56 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी उद्योग में लाई गई।

सारणी I.11
प्रदत्त पूँजी* : जीवन बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2018 को	2018-19 के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2019 को
एलआईसी	100.00	0.00	100.00
निजी क्षेत्र	27164.38	351.56	27515.94
कुल	**27264.38**	**351.56**	**27615.94**

टिप्पणी: * इसमें शेयर प्रीमियम और शेयर आवेदन राशि शामिल नहीं है।

जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.12 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसरण में, बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 40बी का संशोधन किया गया तथा वह निम्नानुसार पढ़ी जाती है: "कोई भी बीमाकर्ता भारत में अपने द्वारा किये जानेवाले बीमा व्यवसाय के संबंध में किसी भी वित्तीय वर्ष में इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जानेवाली राशि से कोई भी अधिक राशि प्रबंधन व्ययों के रूप में व्यय नहीं करेगा।"

तदनुसार, 9 मई 2016 को आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 अधिसूचित किये गये। ये विनियम अन्य बातों के साथ-साथ उत्पाद के प्रकार और स्वरूप, प्रीमियम भुगतान अवधि और बीमा व्यवसाय की अवधि को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन व्ययों की अनुमतियोग्य सीमाएँ निर्धारित करते हैं। जीवन बीमाकर्ताओं के समग्र व्यय (कमीशन और परिचालन व्यय) 2018-19 में 6.41 प्रतिशत बढ़ गये (2017-18 में 8.67 प्रतिशत बढ़ गये थे)।

I.3.13 समग्र कमीशन व्यय अनुपात (प्रीमियमों के प्रतिशत के रूप में कमीशन व्यय) 2017-18 के 5.53

प्रतिशत से सीमांत रूप से घटकर 2018-19 में 5.47 प्रतिशत रहा। तथापि, कुल कमीशन 9.55 प्रतिशत (कुल प्रीमियम वृद्धि 10.75 प्रतिशत) बढ़ा, प्रथम वर्ष कमीशन 9.58 प्रतिशत बढ़ा (प्रथम वर्ष प्रीमियम वृद्धि 11.39 प्रतिशत), नये व्यवसाय कमीशन में 10.32 प्रतिशत (नया व्यवसाय प्रीमियम वृद्धि 10.74 प्रतिशत) तथा नवीकरण कमीशन में 8.60 प्रतिशत वृद्धि (नवीकरण प्रीमियम वृद्धि 10.76 प्रतिशत) हुई। एकल प्रीमियम में 10.41 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, जबकि एकल प्रीमियम कमीशन में 24.30 प्रतिशत वृद्धि रही है। तथापि, निजी बीमाकर्ताओं और एलआईसी के बीच तुलना करने पर स्थिति में कुछ विभिन्नता है, जैसी कि सारणी I.12 में प्रतिबिंबित है जिसमें दोनों निजी और सरकारी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं के लिए कमीशन अनुपातों का द्विभाजन प्रस्तुत किया गया है।

I.3.14 जीवन बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय 2018-19 में 4.73 प्रतिशत बढ़ गये (2017-18 में 5.81 प्रतिशत बढ़े)। जीवन बीमा व्यवसाय के लिए परिचालन व्यय 2018-19 में ₹51130.26 करोड़ पर रहे (2017-18 में ₹48819.66 करोड़ थे)। एलआईसी के परिचालन व्यय 3.19 प्रतिशत घट गये और निजी बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में 17.51 प्रतिशत बढ़ा। समग्र रूप में उद्योग के लिए, परिचालन व्यय अनुपात 2017-18 के 10.64 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 10.06 प्रतिशत हुआ। (सारणी I.13)। परिचालन व्यय भी जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में एलआईसी के लिए 2017-18 के 9.47 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 8.65 प्रतिशत रहे। निजी बीमाकर्ताओं के लिए ये 2017-18 के 13.29 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 12.86 प्रतिशत हो गये।

सारणी I.12
कमीशन व्यय और कमीशन व्यय अनुपात : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	कमीशन (करोड़ ₹ में)		कमीशन व्यय अनुपात (प्रतिशत में)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
प्रथम वर्ष कमीशन (1)				
एलआईसी	8235.52 (7.02)	8799.61 (6.85)	29.26	28.09
निजी क्षेत्र	5100.55 (13.71)	5813.95 (13.99)	13.57	13.88
कुल	**13336.08 (10.75)**	**14613.56 (9.58)**	**20.29**	**19.96**
एकल प्रीमियम (2)				
एलआईसी	524.55 (8.39)	487.72 7.02	0.49	0.44
निजी क्षेत्र	182.64 (24.65)	391.34 (114.27)	0.83	1.27
कुल	**707.19 (10.85)**	**879.06 (24.30)**	**0.55**	**0.62**
नया व्यवसाय कमीशन (3 =(1+2))				
एलआईसी	8760.07 (8.10)	9287.33 (6.02)	6.50	6.57
निजी क्षेत्र	5283.19 (17.51)	6205.30 (17.45)	8.88	8.54
कुल	**14043.26 (10.82)**	**15492.63 (10.32)**	**7.23**	**7.21**
नवीकरण कमीशन (4)				
एलआईसी	9511.46 (4.35)	10057.99 (5.75)	5.18	5.15
निजी क्षेत्र	1798.22 (20.39)	2223.93 (23.67)	2.22	2.27
कुल	**11309.67 (8.79)**	**12281.92 (8.60)**	**4.27**	**4.19**
कुल कमीशन (5 =(3+4)=(1+2+4))				
एलआईसी	18271.53 (5.90)	19345.32 (5.88)	5.74	5.73
निजी क्षेत्र	7081.41 (19.15)	8429.23 (19.03)	5.04	4.94
कुल	**25352.94 (9.64)**	**27774.54 (9.55)**	**5.53**	**5.47**

सारणी I.13
परिचालन व्यय : जीवन बीमाकर्ता

बीमाकर्ता	परिचालन व्यय (करोड़ ₹ में)		परिचालन व्यय अनुपात (प्रतिशत में)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
एलआईसी	30142.40	29182.02	9.47	8.65
निजी क्षेत्र	18677.27	21948.24	13.29	12.86
कुल	**48819.66**	**51130.26**	**10.64**	**10.06**

प्रदत्त लाभ

I.3.15 जीवन उद्योग ने 2018-19 में ₹329678.28 करोड़ के लाभ अदा किये (2017-18 में ₹277953.63 करोड़) जो जोखिम-अंकित सकल प्रीमियम का 64.88 प्रतिशत है (2017-18 में 60.58 प्रतिशत)। निजी बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभ ₹80393.42 करोड़ थे (2017-18 में ₹81235.59 करोड़) जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 47.12 प्रतिशत (2017-18 में 57.78 प्रतिशत) है। एलआईसी ने 2018-19 में ₹249284.86 करोड़ के लाभों का भुगतान किया जो जोखिम-अंकित प्रीमियम का 73.86 प्रतिशत (2017-18 में ₹196718.04 करोड़, जोखिम-अंकित प्रीमियम का 61.82 प्रतिशत) है। अभ्यर्पणों / आहरणों के कारण अदा किये गये लाभ ₹111169.00 करोड़ तक बढ़ गये थे, जिनमें से एलआईसी द्वारा किये गये भुगतान ₹69237.27 करोड़ थे और निजी क्षेत्र द्वारा किये गये भुगतान ₹41933.00 करोड़ थे। पिछले वर्ष के तुलनीय आंकड़े ₹99265.00 करोड़ थे जिनमें से एलआईसी के ₹51677.91 करोड़ थे और निजी क्षेत्र के द्वारा ₹47587.09 करोड़ अदा किये गये थे। चालू वर्ष में एलआईसी के मामले में ₹69237.27 करोड़ के अभ्यर्पणों में से यूलिप पॉलिसियों के ₹4082.23 करोड़ (5.89 प्रतिशत) थे जबकि 2017-18 में ₹8087.82 करोड़ (15.65 प्रतिशत) अदा किये गये थे। निजी बीमा उद्योग के मामले में यूलिप अभ्यर्पण 2017-18 के ₹41864.50 करोड़ (87.97 प्रतिशत) की तुलना में 2018-19 में ₹35948.72 करोड़ (85.73 प्रतिशत) थे।

सारणी I.14
प्रदत्त लाभ : जीवन बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18			2018-19		
	अभ्यर्पण/आहरण	अन्य	कुल	अभ्यर्पण/आहरण	अन्य	कुल
एलआईसी	51677.91	145040.13	196718.04	69237.27	180047.59	249284.86
निजी क्षेत्र	47587.09	33648.50	81235.59	41931.73	38461.69	80393.42
कुल	**99265.00**	**178688.63**	**277953.63**	**111169.00**	**218509.28**	**329678.28**

निवेश आय

I.3.16 एलआईसी के मामले में पूँजीगत अभिलाभों और अन्य आय सहित निवेश आय (पॉलिसीधारकों और शेयरधारकों संबंधी) 2018-19 में ₹223642.30 करोड़ (2017-18 में ₹206069.53 करोड़) थी। निजी बीमा उद्योग के मामले में पूँजीगत अभिलाभों सहित निवेश आय 2018-19 में ₹61158.07 करोड़ (2017-18 में ₹55754.32 करोड़) थी।

सारणी I.15
निवेश आय - जीवन बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
एलआईसी	206069.53	223642.30
निजी क्षेत्र	55754.32	61158.07
कुल	**261823.85**	**284800.37**

प्रतिधारण अनुपात

I.3.17 2018-19 के दौरान, एलआईसी द्वारा पुनर्बीमा प्रीमियम के रूप में ₹319.67 करोड़ की राशि अध्यर्पित की गई (2017-18 में ₹372.22 करोड़) थी। निजी बीमाकर्ताओं ने कुल मिलाकर पुनर्बीमा के प्रति प्रीमियम के रूप में ₹2079.96 करोड़ (2017-18 में ₹1761.71 करोड़) अध्यर्पित किये। जीवन बीमाकर्ताओं का प्रतिधारण अनुपात 2018-19 के लिए 99.53% (2017-18 के लिए 99.54%) था।

जीवन बीमाकर्ताओं के लाभ

I.3.18 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, जीवन बीमा उद्योग ने 2017-18 के ₹8511.99 करोड़ की तुलना में कर के बाद ₹8435.81 करोड़ का लाभ सूचित किया। 2018-19 के दौरान परिचालन में लगे हुए चौबीस जीवन बीमाकर्ताओं में से बीस कंपनियों ने लाभ सूचित किये। विचाराधीन वर्ष के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा सूचित किया गया कुल लाभ ₹2688.50 करोड़ (पिछले वर्ष में ₹2446.41 करोड़) था। निजी बीमाकर्ताओं ने कुल मिलाकर कर के बाद ₹5747.31 करोड़ के लाभ की (पिछले वर्ष ₹6064.32 करोड़) की सूचना दी।

सारणी I.16
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा कर के बाद लाभ

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
एलआईसी	2446.41	2688.50
निजी क्षेत्र	6064.32	5747.31
कुल	**8511.91**	**8435.81**

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.19 वर्ष 2018-19 के लिए एलआईसी ने शेयरधारक अर्थात् भारत सरकार को लाभांश के रूप में ₹ 2660.60 करोड़ (2017-18 में ₹ 2421.82 करोड़) अदा किये। सात निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान लाभांशों का भुगतान/प्रस्तावित किया। एचडीएफसी लाइफ ने ₹ 328.83 करोड़ अदा किये (2017-18 में ₹ 273.22 करोड़), आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल ने ₹ 703.43 करोड़ अदा किये/प्रस्तावित (2017-18 में ₹ 990.46 करोड़), मैक्स लाइफ ने ₹ 285.90 करोड़ अदा किये/प्रस्तावित (2017-18 में ₹ 397.19 करोड़), एसबीआई लाइफ ने ₹ 200 करोड़ (2017-18 में ₹ 200 करोड़), श्रीराम लाइफ ने ₹ 17.94 करोड़ (2017-18 में ₹ 20.09 करोड़), बजाज अलायंज ने ₹ 105.50 करोड़, तथा स्टार यूनियन ने ₹ 5.18 करोड़ का भुगतान किया।

सारणी I.17
जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये लाभांश

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
एलआईसी	2421.82	2660.60
निजी क्षेत्र	1769.68	1781.26
कुल	**4191.50**	**4441.86**

वर्ष 2018-19 के लिए मृत्यु दावे

वैयक्तिक जीवन बीमा व्यवसायः

I.3.20 वर्ष 2018-19 में जीवन बीमा कंपनियों ने वैयक्तिक पॉलिसियों पर 8.43 लाख दावों का भुगतान किया, जो ₹ 17365.30 करोड़ के कुल भुगतान से संबद्ध था। निराकृत दावों की संख्या 6372 थी जो रु.539.14 करोड़ की राशि के लिए थी तथा अस्वीकृत दावों की संख्या 3697 थी जो रु. 25.18 करोड़ की राशि के लिए थी।

I.3.21 एलआईसी का दावा निपटान अनुपात 31.03.2018 को विद्यमान 98.04% की तुलना में 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार 97.79 प्रतिशत था। निराकरणों का अनुपात पिछले वर्ष के 0.67% की तुलना में 2018-19 में 0.43% तक नीचे आया।

निजी बीमाकर्ताओं के लिए, निपटान अनुपात पिछले वर्ष के दौरान विद्यमान 95.24% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 96.64% तक बढ़ गया। निराकरणों का अनुपात पिछले वर्ष के 3.97% की तुलना में वर्ष 2018-19 में 2.83% तक नीचे आया।

I.3.22 उद्योग का निपटान अनुपात 2017-18 में विद्यमान 97.68% से 2018-19 में 97.64% तक सीमांत रूप से घट गया तथा निराकरण अनुपात 2017-18 के 1.10% की तुलना में 0.74% तक नीचे आया।

सारणी I.18
2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक मृत्यु दावे

(आंकड़े पालिसियों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत दावे	अस्वीकृत दावे	दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पालिसियाँ)			
							< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	96.64	2.83	0.23	0.10	0.20	59.73	18.58	8.85	12.83
एलआईसी	100.00	97.79	0.43	0.46	1.22	0.11	46.78	36.03	11.25	5.94
उद्योग कुल	**100.00**	**97.64**	**0.74**	**0.43**	**1.08**	**0.12**	**49.66**	**32.15**	**10.72**	**7.47**

चार्ट I.9 : लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण – वैयक्तिक पालिसियाँ

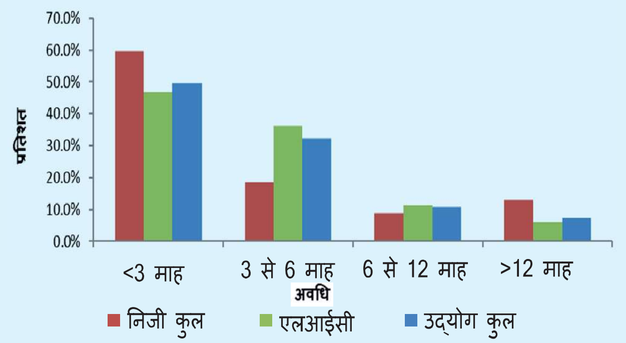

सामूहिक जीवन बीमाः

I.3.23 2018-19 के दौरान देय सामूहिक दावों की कुल संख्या 870042 में से जीवन बीमा उद्योग ने कुल 862452 दावों (99.13%) का भुगतान किया।

I.3.24 जबकि एलआईसी ने दावों के 99.68% का भुगतान किया, निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने दावों के 98.89% का भुगतान किया। उद्योग ने 0.32% दावों को निराकृत किया और दावों के 0.19% को अस्वीकृत किया।

सारणी I.19
2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के सामूहिक मृत्यु दावे

(आंकड़े सम्मिलित जीवनों के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे	भुगतान किये गये दावे	निराकृत दावे	अस्वीकृत दावे	दावे	वर्ष के अंत में लंबित दावे	लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि-वार (पालिसियाँ)			
							< 3 माह	3 - < 6 माह	6 - < 1 वर्ष	> 1 वर्ष
निजी कुल	100.00	98.89	0.44	0.27	0.004	0.39	59.73	18.58	8.85	12.83
एलआईसी	100.00	99.68	0.02	0.00	0.00	0.30	68.40	3.93	3.81	23.86
उद्योग कुल	**100.00**	**99.13**	**0.32**	**0.19**	**0.003**	**0.36**	**66.47**	**7.20**	**4.93**	**21.40**

चार्ट I.10 : लंबित दावों का अवधि-वार विश्लेषित विवरण – सामूहिक पालिसियाँ

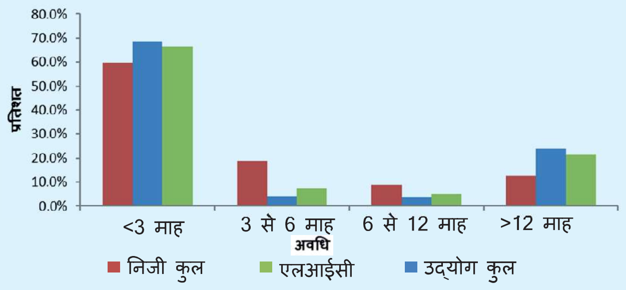

कार्यालयों का विस्तार

I.3.25 जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या 31.3.2018 को विद्यमान 11112 की तुलना में 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार बढ़कर 11279 हो गई।

I.3.26 यह पाया गया है कि जीवन बीमाकर्ताओं के अधिकांश कार्यालय अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं जहां की जनसंख्या 10,000 से 99,999 के बीच में है। जीवन बीमा कार्यालयों का लगभग 38.4% इन क्षेत्रों में स्थित हैं। अर्ध-शहरी क्षेत्रों के बाद अधिकांश जीवन बीमा कार्यालय अर्थात् 35.1% कार्यालय शहरी क्षेत्रों में हैं जहां की जनसंख्या 1,00,000 से 9,99,999 के बीच में है तथा 24.5% कार्यालय महानगरीय क्षेत्रों में है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख और उससे अधिक है, 2% कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में हैं जहाँ की जनसंख्या 10,000 से कम है।

सारणी I.20
जीवन कार्यालयों की संख्या *
(31 मार्च को)

बीमाकर्ता	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
निजी	8785	8768	8175	7712	6759	6193	6156	6179	6057	6204	6347
एलआईसी	3030	3250	3371	3455	3526	4839	4877	4892	4897	4908	4932
उद्योग**	**11815**	**12018**	**11546**	**11167**	**10285**	**11032**	**11033**	**11071**	**10954**	**11112**	**11279**

* प्राधिकरण का अनुमोदन माँगने के बाद खोले गये कार्यालय, **दो विदेशी कार्यालय और एक विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय इनमें शामिल नहीं हैं।
टिप्पणी: 1) कार्यालय बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीसी के अंतर्गत यथापरिभाषित।.
2) 2001-2008 हेतु इसी प्रकार के डेटा के लिए आईआरडीए की वार्षिक रिपोर्ट 2007-08 देखें।

सारणी I.21
जीवन बीमाकर्तोओं के कार्यालयों* का वितरण - जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च 2019 को)

बीमाकर्ता	महानगरीय	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
निजी	1909	2983	1397	58	6347
एलआईसीआई	853	976	2932	171	4932
उद्योग**	**2762**	**3959**	**4329**	**229**	**11279**

*प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करने के बाद खोले गये कार्यालय।
**दो विदेशी कार्यालय और एक विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय शामिल नहीं हैं। ***स्थानों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया गया है:
महानगरीय: 10,00,000 और अधिक। शहरी: 1,00,000 से 9,99,999 तक।
अर्ध-शहरी: 10,000 से 99,999 तक। ग्रामीण: 9999 तक जनसंख्या।

सारणी I.22
जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों* का स्तर-वार वितरण - जीवन कार्यालयों की संख्या
(31 मार्च 2019 को)

बीमाकर्ता	ल्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर IV	स्तर V	स्तर VI	कुल
निजी	4881	801	500	107	29	29	6347
एलआईसीआई	1829	556	1350	1026	117	54	4932
उद्योग	**6710**	**1357**	**1850**	**1133**	**146**	**83**	**11279**

* प्राधिकरण के अनुमोदन की अपेक्षा करने के बाद खोले गये कार्यालय।
**निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसारः
स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक। स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक।
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक। स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999.तक।
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999.तक। स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम।

चार्ट I.11 : जीवन बीमा कार्यालयों की संख्या

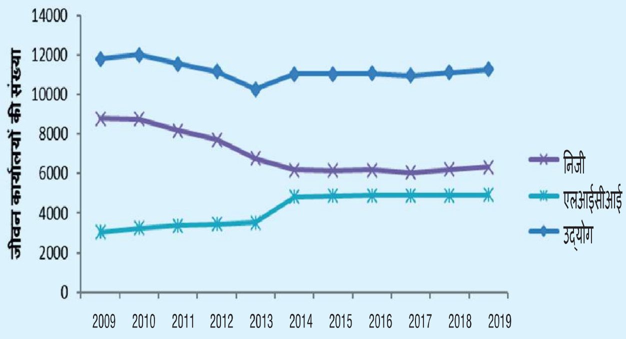

चार्ट I.13 : कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – एलआईसी

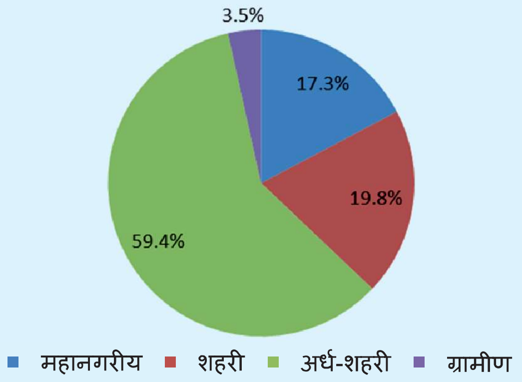

चार्ट I.12 : जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – निजी क्षेत्र

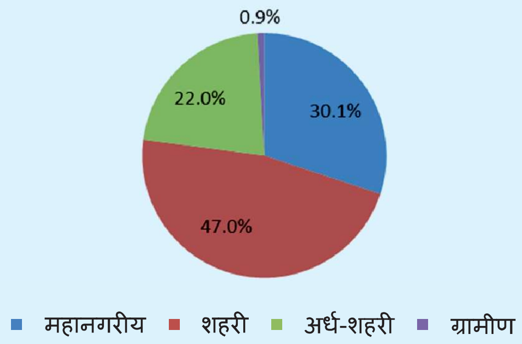

चार्ट I.14 : जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वितरण – उद्योग

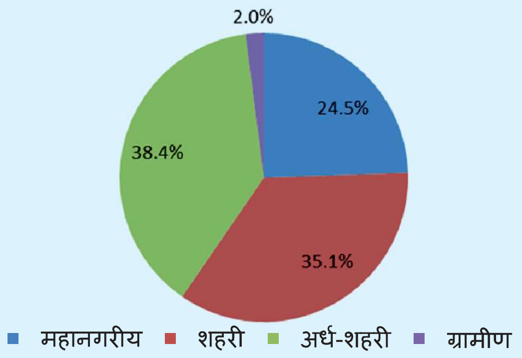

जीवन कार्यालयों की जिला-स्तरीय उपस्थिति

I.3.27 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के एकमात्र जीवन बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के कार्यालय देश में 718 जिलों में से 669 जिलों में हैं। इस स्थिति के होते हुए इसने देश में सभी जिलों के 93.18% को समाविष्ट किया है, जबकि निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के पास 587 जिलों में कार्यालय हैं जिनके साथ वे देश में सभी जिलों के 81.75% को समाविष्ट करते हैं। कुल मिलाकर दोनों एलआईसी और निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने मिलकर देश में सभी जिलों के 94.29% को सम्मिलित किया है। देश में जीवन बीमा कार्यालयों की उपस्थिति से रहित जिलों की संख्या 40 है। इनमें से, 34 जिले उत्तर-पूर्वी राज्यों के हैं, अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड और सिक्किम। 23 राज्यों (देश के कुल 29 राज्यों और 7 संघ राज्यक्षेत्रों में से) में सभी जिले जीवन बीमा कार्यालयों द्वारा शामिल किये गये हैं।

साधारण बीमा

प्रीमियम

I.3.28 गैर-जीवन बीमा उद्योग ने भारत में 2017-18 के रु.150662 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में रु.169448 करोड़ के कुल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया और इस प्रकार पिछले वर्ष में दर्ज 17.59 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 12.47 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 12.58 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 2018-19 में 1.28 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। निजी साधारण बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 21.59 प्रतिशत वृद्धि दर के मुकाबले 24.25 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.29 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष के दौरान प्राप्त 41.93 प्रतिशत वृद्धि दर की तुलना में 36.56 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने पिछले वर्ष की 10.75 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 10.79 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की।

I.3.30 2018-19 में 28 निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं द्वारा (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) जोखिम-अंकित प्रीमियम 2017-18 के रु.73734 करोड़ की तुलना में रु.92641 करोड़ था। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने लगातार निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी के रूप में अपना स्थान जारी रखा, जिसका बाजार अंश पिछले वर्ष के 8.20 प्रतिशत के बाजार अंश के मुकाबले चालू वर्ष में 8.55 प्रतिशत रहा। बजाज अलायंज़ निजी क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी है, जिसने रु.11059 करोड़ के कुल प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया, 2017-18 के 6.27 प्रतिशत के बाजार अंश की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष में 6.53 प्रतिशत तक वृद्धि सूचित की। वर्ष 2018-19 में परिचालन में लगे हुए सभी 28 निजी बीमाकर्ताओं ने (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए जोखिम-अंकित प्रीमियम में वृद्धि की सूचना दी।

I.3.31 सरकारी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में चार कंपनियों में से दो कंपनियों ने पिछले वर्ष की तुलना में प्रीमियम संग्रहणों के संबंध में वृद्धि के साथ अपने

व्यवसाय का विस्तार किया। तथापि, ओरियन्टल इन्शोरेंस को छोड़कर सरकारी क्षेत्र के अन्य सभी बीमाकर्ताओं के बाजार अंश पिछले वर्ष की तुलना में कम हुए। न्यू इंडिया का बाजार अंश पिछले वर्ष के 15.08 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 14.11 प्रतिशत हुआ, नेशनल का बाजार अंश पिछले वर्ष के 10.75 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 8.93 प्रतिशत तक कम हुआ तथा युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के बाजार अंश में पिछले वर्ष के 11.57 प्रतिशत से 2018-19 में 9.69 प्रतिशत तक गिरावट हुई। ओरियन्टल का बाजार अंश 2017-18 के 7.60 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.79 प्रतिशत हो गया। न्यू इंडिया, जिसने रु.23910 करोड़ के प्रत्यक्ष प्रीमियम का संग्रहण किया, एक बार पुनः भारत में सबसे बड़ी साधारण बीमा कंपनी रही।

सारणी I.23
भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय - साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	67,794.23 12.58%	68,658.85 1.28%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	65,419.82 21.59%	81,287.15 24.25%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	8,314.28 41.93%	11,354.03 36.56%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	9,133.81 10.75%	8,148.42 -10.79%
कुल	**1,50,662.13** **17.59%**	**1,69,448.46** **12.47%**

सारणी I.24 भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आयः साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता (बाजार अंश के साथ)

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	राशि ₹ में		बाजार अंश	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र	67,794.23	68,658.85	45.00%	40.52%
निजी क्षेत्र	65,419.82	81,287.15	43.42%	47.97%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य	8,314.28	11,354.03	5.52%	6.70%
विशेषीकृत	9,133.81	8,148.42	6.06%	4.81%
कुल	**1,50,662.13**	**1,69,448.46**	**100.00%**	**100.00%**

टिप्पणीः बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया।

चार्ट I.15 : भारत में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय – साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

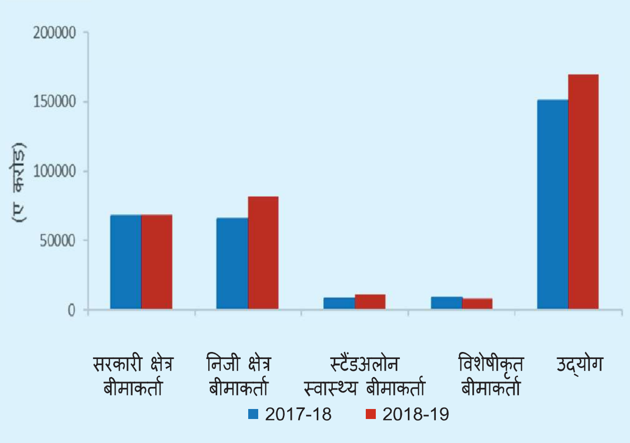

सारणी I.25
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम (भारत के अंदर) - खंड-वार

(करोड़ ₹)

खंड	2017-18	2018-19
अग्नि (फायर)	10,780.70	11,667.64
	7.16%	6.89%
मरीन	2,894.66	3,238.14
	1.92%	1.91%
मोटर	59,246.11	64,522.35
	39.32%	38.08%
स्वास्थ्य	41,980.56	50,833.55
	27.86%	30.00%
अन्य	35,760.09	39,186.78
	23.74%	23.13%
कुल प्रीमियम	**1,50,662.13**	**1,69,448.46**

टिप्पणी: 1.प्रतिशत में आंकड़े संबंधित खंड के अनुपात (प्रतिशत में) को दर्शाते हैं। 2.उपर्युक्त आंकड़ों में विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का प्रीमियम शामिल है। 3. स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटनाएँ शामिल हैं।

खंड-वार प्रीमियम

I.3.32 मोटर व्यवसाय सबसे बड़े गैर-जीवन बीमा खंड के रूप में जारी रहा जिसका अंश 38.08 प्रतिशत (2017-18 में 39.32 प्रतिशत) था। इसने 8.91 प्रतिशत की वृद्धि दर सूचित की (2017-18 में 17.90 प्रतिशत)। स्वास्थ्य खंड में प्रीमियम संग्रहण लगातार उत्थान पर था जो 2017-18 के रु.41,981 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में रु.50,834 करोड़ पर अग्रसर रहा और इसने 21.09 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। स्वास्थ्य खंड का बाजार अंश पिछले वर्ष के 27.86 प्रतिशत से बढ़कर 30.00 प्रतिशत हुआ। अग्नि (फायर) से प्रीमियम संग्रहण 8.23 प्रतिशत बढ़ा, तथा मरीन खंड के लिए यह 2018-19 में 11.87 प्रतिशत बढ़ा।

भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.3.33 सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता (युनाइटेड इंडिया को छोड़कर) भारत के बाहर गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। युनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर परिचालन 2003-04 में समाप्त किये थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2017-18 के रु.2776 करोड़ के मुकाबले 2018-19 में रु.3034 करोड़ पर रहा जिसने पिछले वर्ष की 2.33 प्रतिशत गिरावट की तुलना में 9.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.3.34 भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम के तौर पर न्यू इंडिया लगातार सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा साधारण बीमाकर्ता रहा। उक्त विदेशी प्रीमियम 2018-19 में उक्त

बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 10.14 प्रतिशत (2017-18 में 9.70 प्रतिशत) है। ओरियन्टल के मामले में यह 2018-19 में 2.12 प्रतिशत (2017-18 में 2.43 प्रतिशत) है। नेशनल इंश्योरेंस ने 2018-19 में 0.34 प्रतिशत पर लगातार विदेशी व्यवसाय का एक छोटा घटक अपने पास रखा (2017-18 में 0.31 प्रतिशत)।

I.3.35 2018-19 में भारत के बाहर जोखिम-अंकित रु.3034 करोड़ के कुल प्रीमियम में से न्यू इंडिया ने रु.2698 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2017-18 में रु.2441 करोड़), साधारण बीमाकर्ताओं के कुल भारत के बाहर प्रीमियम में इसका बाजार अंश 2017-18 के 87.93 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 88.91 प्रतिशत हो गया। नेशनल इंश्योरेंस ने 2018-19 में रु. 51 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2017-18 में रु. 50 करोड़)। भारत के बाहर ओरियन्टल इंश्योरेंस द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम 2018-19 में रु. 285 करोड़ पर रहा।

भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम

I.3.33 सरकारी क्षेत्र के सभी बीमाकर्ता (युनाइटेड इंडिया को छोड़कर) भारत के बाहर गैर-जीवन बीमा व्यवसाय का जोखिम-अंकन कर रहे हैं। युनाइटेड इंडिया ने भारत के बाहर परिचालन 2003-04 में समाप्त किये थे। सरकारी क्षेत्र के तीन बीमाकर्ताओं द्वारा देश के बाहर जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम 2017-18 के रु.2776 करोड़ के मुकाबले 2018-19 में रु.3034 करोड़ पर रहा जिसने पिछले वर्ष की 2.33 प्रतिशत गिरावट की तुलना में 9.32 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.3.34 भारत के बाहर जोखिम-अंकित प्रीमियम के तौर पर न्यू इंडिया लगातार सरकारी क्षेत्र का सबसे बड़ा साधारण बीमाकर्ता रहा। उक्त विदेशी प्रीमियम 2018-19 में उक्त बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-अंकित कुल प्रीमियम का 10.14 प्रतिशत (2017-18 में 9.70 प्रतिशत) है। ओरियन्टल के मामले में यह 2018-19 में 2.12 प्रतिशत (2017-18 में 2.43 प्रतिशत) है। नेशनल इंश्योरेंस ने 2018-19 में 0.34 प्रतिशत पर लगातार विदेशी व्यवसाय का एक छोटा घटक अपने पास रखा (2017-18 में 0.31 प्रतिशत)।

I.3.35 2018-19 में भारत के बाहर जोखिम-अंकित रु.3034 करोड़ के कुल प्रीमियम में से न्यू इंडिया ने रु.2698 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2017-18 में रु.2441 करोड़), साधारण बीमाकर्ताओं के कुल भारत के बाहर प्रीमियम में इसका बाजार अंश 2017-18 के 87.93 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 88.91 प्रतिशत हो गया। नेशनल इंश्योरेंस ने 2018-19 में रु. 51 करोड़ के प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया (2017-18 में रु. 50 करोड़)। भारत के बाहर ओरियन्टल इंश्योरेंस द्वारा जोखिम-अंकित प्रीमियम 2018-19 में रु. 285 करोड़ पर रहा।

सारणी I.26
कुल प्रीमियम की तुलना में भारत बाहर प्रीमियम का अनुपात

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
नेशनल	0.31	0.34
न्यू इंडिया	9.70	10.14
ओरियन्टल	2.43	2.12
युनाइटेड	-	-

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा
पुनः वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

सारणी I.27
भारत के बाहर व्यवसाय से सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
नेशनल	50.13 11.82%	51.04 1.81%
न्यू इंडिया	2,440.55 -1.72%	2,697.83 10.54%
ओरियन्टल	284.86 -9.19%	285.42 0.20%
युनाइटेड	- -	- -
कुल	**2,775.54 -2.33%**	**3,034.30 9.32%**

टिप्पणी: प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं। .बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

जारी की गई पॉलिसियों की संख्या

I.3.36 साधारण बीमाकर्ताओं ने (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2017-18 में जारी की गई 1702.30 लाख पॉलिसियों की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 1832.74 लाख पॉलिसियाँ जारी कीं और इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 7.7% की वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 10.4% वृद्धि) सूचित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में गिरावट देखी। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 8.1% गिरावट सूचित की (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.4% गिरावट थी)। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 29.7% की वृद्धि (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 26.1 प्रतिशत वृद्धि) सूचित की। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई पॉलिसियों की संख्या में 33.2% की गिरावट (वित्तीय वर्ष 2017-18 में 79.2% वृद्धि) सूचित की।

सारणी I.28
जारी की गई नई पालिसियों की संख्याः साधारण बीमाकर्ता*

(लाख में)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र	797.71 (-6.4)	733.02 (-8.1)
निजी क्षेत्र	787.13 (26.1)	1021.23 (29.7)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	117.46 (79.2)	78.49 (-33.2)
कुल	**1702.30 (10.4)**	**1832.74 (7.7)**

टिप्पणी: पिछले वर्ष के आंकड़ों में बीमाकर्ता द्वारा
पुनः वर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

प्रदत्त पूँजी.

I.3.37 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी (विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की समनुदेशित पूँजी सहित) रु.17541 करोड़ थी। 2018-19 के दौरान, गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं ने अपनी ईक्विटी पूँजी के आधार में, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की समनुदेशित पूँजी में रु.3087 करोड़ की वृद्धि सहित, रु.5780 करोड़ जोड़ दिये। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु.412 करोड़

की पूँजी जोड़ी, जबकि विशेषीकृत बीमाकर्ता ईसीजीसी ने रु.500 करोड़ की अतिरिक्त पूँजी प्रदान की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने रु.701 करोड़ की सीमा तक अतिरिक्त पूँजी शामिल की। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने रु.641 करोड़ की पूँजी जोड़ दी। जीआईसी ने रु. 439 करोड़ जोड़ दिये। सभी बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं की कुल प्रदत्त पूँजी (विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की समनुदेशित पूँजी सहित) 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार रु. 23321 करोड़ है।

सारणी I.29
प्रदत्त पूँजी:साधारण, स्वास्थ्य बीमाकर्ता और पुनर्बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
साधारण बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	862.00	1,274.00
निजी क्षेत्र	8,869.24	9,570.88
उप-जोड़	**9,731.24**	**10,844.88**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
निजी क्षेत्र	2,831.90	3,472.97
उप-जोड़	**2,831.90**	**3,472.97**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	1,700.00	2,200.00
निजी क्षेत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
उप-जोड़	**1,700.00**	**2,200.00**
पुनर्बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	438.60	877.20
निजी क्षेत्र	268.94	268.94
उप-जोड़	707.54	1,146.14
कुल जोड़	**14,970.69**	**17,664.00**
लायड्स इंडिया सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	**2570.35***	**5657.27***

*समनुदेशित पूँजी;
टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

अन्य प्रकार की पूँजी

I.3.38 बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 6ए(1) (i) के अधीन दी गई शक्ति के अनुसरण में तथा बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114ए और आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 26 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2016 अधिसूचित किये हैं। उपर्युक्त विनियमों के उपबंधों के अधीन

जीवन बीमा: जीवन बीमा उद्योग ने 2018-19 के दौरान अन्य प्रकार की पूंजी को नहीं उठाया है, जबकि 2017-18 में ₹230 करोड़ रुपये जुटाए गए थे। 31 मार्च 2019 तक कुल पूंजी के अन्य प्रकार ₹230 करोड़ हैं।

साधारण बीमा: साधारण बीमा उद्योग ने 2018-19 के दौरान रु.824 करोड़ की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई, जबकि वर्ष 2017-18 में रु. 1550 करोड़ की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई गई थी। सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि. ने रु.750 करोड़ की अन्य प्रकार की पूँजी जुटाई। निजी क्षेत्र के एक बीमाकर्ता अर्थात् अपोलो म्यूनिख ने रु.74 करोड़ जुटाए। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार अन्य प्रकार की कुल पूजी रु. 4656 करोड़ है।

जोखिम-अंकन अनुभव

I.3.39 साधारण बीमा कंपनियों की जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष के रु.15341 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में रु.22320 करोड़ हो गईं। जोखिम-अंकन हानियाँ पिछले वर्ष की तुलना में 45.49 प्रतिशत बढ़ीं। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की हानियाँ 2017-18 के रु.12603 करोड़ से 47.06 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में रु.18533 करोड़ हुईं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने जोखिम-अंकन हानियों में वृद्धि सूचित की जो 2017-18 के रु.2085 करोड़ की तुलना

में 2018-19 में रु.2890 करोड़ है। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने जोखिम-अंकन हानियों में वृद्धि सूचित की जो 2017-18 के रु.436 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में 2018-19 में रु.568 करोड़ है। विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की जोखिम-अंकन हानियों में 2017-18 में दर्ज रु.218 करोड़ रुपये की तुलना में 2018-19 में रु.328 करोड़ तक थोड़ी-सी वृद्धि हुई। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन हानि का अनुपात वर्ष 2017-18 में क्रमशः दर्ज 23.56%, 5.39%, 7.67% और 8.31% की तुलना में 2018-19 में क्रमशः 33.34%, 6.10%, 7.26% और 38.44% था। 2018-19 में साधारण बीमा उद्योग के लिए निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन हानि का अनुपात 2017-18 में दर्ज 15.27% की तुलना में 19.98% रहा।

सारणी I.30

जोखिम-अंकन अनुभव-साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	-12602.57 -23.56%	-18532.95 -33.34%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	-2085.43 -5.39%	-2889.87 -6.10%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	-435.73 -7.67%	-568.22 -7.26%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	-217.69 -8.31%	-328.45 -38.44%
कुल	**-15341.42** **-15.27%**	**-22319.50** **-19.98%**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में जोखिम-अंकन लाभ / हानि का अनुपात दर्शाते हैं।
(जोखिम-अंकन लाभ / हानि = अर्जित प्रीमियम (निवल)-उपगत दावा (निवल)-कमीशन-बीमा व्यवसाय से संबंधित परिचालन व्यय-प्रीमियम कमी बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःसमूहन / पुनःवर्गीकरण, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के व्यय

I.3.40 सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के सकल कमीशन व्यय 2018-19 के लिए क्रमशः रु.5041 करोड़, रु.5811 करोड़, रु.1411 करोड़ और रु.14 करोड़ रहे, तथा संचयी तौर पर साधारण बीमा उद्योग के लिए कुल सकल कमीशन व्यय रु.12277 करोड़ रहे। सकल कमीशन व्यय मोटर खंड के लिए अधिकतम रहे, जो रु.4903 करोड़ थे जिनमें से सरकारी क्षेत्र के लिए रु.1957 करोड़ और निजी क्षेत्र कंपनियों के लिए ₹2946 करोड़ थे।

I.3.41 कुल व्ययों में से एक बड़ा भाग कमीशन व्ययों और परिचालन व्ययों का है। साधारण बीमा कंपनियों के परिचालन व्यय 2017-18 के रु.25611 करोड़ की तुलना में 2018-19 में रु.28624 करोड़ थे, जो 11.76 प्रतिशत की समग्र वृद्धि दर्शाते हैं। सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के परिचालन व्ययों में क्रमशः 4.56 प्रतिशत, 14.20 प्रतिशत, 33.75 प्रतिशत और 28.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

I.3.42 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 7 निजी बीमाकर्ता छूट की अवधि के अधीन थे अर्थात् पाँच वित्तीय वर्षों की उक्त अवधि प्रथम आंशिक वित्तीय वर्ष के अतिरिक्त होगी। शेष 27 साधारण बीमाकर्ताओं में से 21 साधारण बीमाकर्ता आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016 के अनुपालनकर्ता थे और 5 साधारण बीमाकर्ताओं को इसके अनुपालन से स्थगन की अनुमति इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि प्रबंधन के व्ययों का आधिक्य शेयरधारकों की निधि में नामे डाला जाएगा।

सारणी I.31
सकल कमीशन व्यय: साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
फायर	619.15	609.58	559.93	430.57	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1179.08	1040.14
मरीन	154.80	147.23	175.72	143.49	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	330.53	290.73
मोटर	1957.35	2197.69	2945.87	2070.15	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4903.22	4267.84
स्वास्थ्य	1472.67	1515.79	1173.49	931.19	1411.45	987.82	लागू नहीं	लागू नहीं	4057.61	3434.81
अन्य	837.51	612.51	955.65	370.68	लागू नहीं	लागू नहीं	13.83	13.64	1806.98	996.83
कुल	**5041.48**	**5082.80**	**5810.66**	**3946.08**	**1411.45**	**987.82**	**13.83**	**13.64**	**12277.42**	**10030.34**

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।.

सारणी I.32
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के परिचालन व्यय

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	12161.88	11631.57
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	12940.27	11331.64
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	3065.65	2292.04
विशेषीकृत बीमाकर्ता	456.30	356.19
कुल	**28624.10**	**25611.44**

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

उपगत दावा अनुपात

I.3.43 गैर-जीवन बीमाकर्ताओं के निवल उपगत दावे 2017-18 के रु.85651 करोड़ रुपये के मुकाबले 2018-19 में रु.101051 करोड़ रुपये रहे। 2018-19 के दौरान उपगत दावों ने 17.98 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित की। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में क्रमशः 14.74 प्रतिशत, 23.77 प्रतिशत और 40.43 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की, जबकि विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने उपगत दावों में 9.91 प्रतिशत की कमी सूचित की।

I.3.44 गैर-जीवन बीमा उद्योग का उपगत दावा अनुपात (निवल अर्जित प्रीमियम की तुलना में निवल उपगत दावे) 2018-198 के दौरान 89.16 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 85.26 प्रतिशत के आंकड़े से अधिक है। सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के लिए उपगत दावा अनुपात वर्ष 2018-19 के लिए 103.46 प्रतिशत था जो पिछले वर्ष के 93.73

प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात से बढ़ा था। जबकि निजी क्षेत्र के गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं के लिए वर्ष 2018-19 के लिए उपगत दावा अनुपात क्रमशः 76.20 प्रतिशत, 60.68 प्रतिशत और 106.33 प्रतिशत था, जबकि तुलनीय रूप में पिछले वर्ष का अनुपात क्रमशः 76.46 प्रतिशत, 59.58 प्रतिशत और 112.95 प्रतिशत था।

I.3.45 विभिन्न खंडों के बीच मोटर खंड का दावा अनुपात 90.60 प्रतिशत पर सबसे उच्च रहा। फायर खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 82.35 प्रतिशत से बढ़कर 90.48 प्रतिशत हुआ। मरीन खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 65.30 प्रतिशत की तुलना में 84.48 प्रतिशत तक बढ़ गया। स्वास्थ्य खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के अनुपात 92.21 प्रतिशत से वर्ष 2018-19 में 89.34 प्रतिशत तक घटा। अन्य खंड का उपगत दावा अनुपात पिछले वर्ष के 78.90 प्रतिशत से बढ़कर 82.88 प्रतिशत हुआ।

सारणी I.33
निवल उपगत दावे : साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	57,514.90 14.74%	50,126.17 2.21%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	36,120.88 23.77%	29,184.70 13.25%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	4,750.43 40.43%	3,382.67 41.41%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	2,664.80 -9.91%	2,957.82 -14.41%
कुल जोड़	**1,01,051.01** **17.98%**	**85,651.36** **6.19%**

टिप्पणी: प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

सारणी I.34
उपगत दावा अनुपात : साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

(प्रतिशत में)

खंड	सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		विशेषीकृत बीमाकर्ता		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
फायर	98.34	91.31	64.81	47.19	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	90.48	82.35
स्वास्थ्य	107.12	109.86	75.85	71.32	60.68	59.58	ला.न.	ला.न.	89.34	92.21
मरीन	83.71	64.06	85.33	66.93	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	84.48	65.30
मोटर	107.73	89.48	76.22	77.77	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	90.60	83.45
अन्य	77.24	64.65	77.68	76.95	ला.न.	ला.न.	106.33	112.95	82.88	78.90
कुल	**103.46**	**93.73**	**76.20**	**75.46**	**60.68**	**59.58**	**106.33**	**112.95**	**89.16**	**85.26**

टिप्पणी: स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है। ला.न. :- लागू नहीं
बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/ पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

निवेश आयः गैर-जीवन बीमाकर्ता

I.3.46 2018-19 के दौरान सभी गैर-जीवन बीमाकर्ताओं की निवेश आय रु.26289 करोड़ रुपये थी (2017-18 में रु.25007 करोड़ रुपये थी) जिसने पिछले वर्ष के 15.08 प्रतिशत के मुकाबले 5.13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ताओं की निवेश आय में 0.64 प्रतिशत कमी आई है। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं की निवेश आय में क्रमशः 14.50 प्रतिशत, 33.15 प्रतिशत और 11.10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी I.35
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की निवेश आय
(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	15599.13 -0.64%	15699.85 18.57%
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	8884.58 14.50%	7759.21 9.53%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	515.19 33.15%	386.93 23.89%
विशेषीकृत बीमाकर्ता	1289.60 11.10%	1160.71 6.19%
कुल जोड़	**26288.51 5.13%**	**25006.71 15.08%**

टिप्पणी: प्रतिशत में आंकड़े संबंधित बीमाकर्ताओं की वृद्धि दर (प्रतिशत में) दर्शाते हैं।

गैर-जीवन बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ (पीएटी)

I.3.47 वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-जीवन बीमा उद्योग का कुल पीएटी, 2017-18 में विद्यमान रु.6909 करोड़ के लाभ की तुलना में रु.683 करोड़ था। सरकारी क्षेत्र की कंपनियों ने 2017-18 में प्राप्त रु.2543 करोड़ के कर के बाद लाभ की तुलना में रु.3288 करोड़ की कर के बाद हानि सूचित की। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने 2017-18 में दर्ज रु.3798 करोड़ के पीएटी के मुकाबले रु.3584 करोड़ का पीएटी सूचित किया तथा विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने 2017-18 के रु.670 करोड़ के पीएटी की तुलना में रु.685 करोड़ के पीएटी की सूचना दी जबकि स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 2017-18 में दर्ज रु.102 करोड़ रुपये की कर के बाद हानि की तुलना में रु.298 करोड़ की हानि सूचित की।

I.3.48 वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार बीमाकर्ताओं में से एक ने पीएटी सूचित की तथा तीन ने कर के बाद हानि की सूचना दी। न्यू इंडिया ने 2017-18 के रु.2201 करोड़ के पीएटी की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान रु.580 करोड़ का पीएटी सूचित किया। नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड ने क्रमशः रु.1696 करोड़, रु. 294 करोड़ और रु. 1878 करोड़ की हानि सूचित की।

I.3.49 2018-19 के दौरान इक्कीस निजी साधारण बीमा कंपनियों में से चौदह ने पीएटी की सूचना दी जबकि, शेष सात कंपनियों ने हानियाँ उठाईं।

सारणी I.36
साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कर के बाद लाभ

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता	(3287.90)	2542.70
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता	3584.40	3798.33
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	(298.00)	(102.19)
विशेषीकृत बीमाकर्ता	684.71	669.95
कुल जोड़	**683.21**	**6908.80**

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण / पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

सारणी I.37
साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा भुगतान किया गया लाभांश

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
साधारण बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	-	309.00
निजी क्षेत्र	617.92	315.94
उप-जोड़	**617.92**	**624.94**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
निजी क्षेत्र	-	-
उप-जोड़	**-**	**-**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	30.00	-
निजी क्षेत्र	लागू नहीं	लागू नहीं
उप-जोड़	30.00	-
पुनर्बीमाकर्ता		
सरकारी क्षेत्र	1184.22	1002.00
निजी क्षेत्र	-	-
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	-	-
उप-जोड़	**1184.22**	**1002.00**
कुल जोड़	**1832.14**	**1626.94**

उपर्युक्त आंकड़ों में प्रस्तावित अंतिम लाभांश और अंतरिक लाभांश भी शामिल हैं।
टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/ पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

शेयरधारकों को प्रतिलाभ

I.3.50 सरकारी क्षेत्र की चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों में से वर्ष 2018-19 के दौरान किसी भी कंपनी ने लाभांश का भुगतान नहीं किया है। 2018-19 में निजी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं ने रु. 618 करोड़ और विशेषीकृत बीमाकर्ताओं ने रु. 30 करोड़ का लाभांश अदा किया है।

I.3.51 जीआईसी आरई ने वर्ष 2017-18 में अदा किये गये रु. 1002 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान रु.1184 करोड़ के लाभांश का भुगतान किया।

कार्यालयों की संख्या

I.3.52 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमाकर्ता देश भर में वित्तीय वर्ष 2017-18 के 10425 कार्यालयों की तुलना में 10,695 कार्यालयों (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) से परिचालन कर रहे थे। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 270 कार्यालयों की वृद्धि हुई है। सारे भारत में स्थित कार्यालयों का क्षेत्र-वार और राज्य-वार वितरण क्रमशः सारणी सं. I.38 और I.39 में दिया गया है।

सारणी I.38
साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या (31 मार्च को)

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	2018	2019
सरकारी	8296	8150
निजी	2043	2459
विशेषीकृत	86	86
कुल	**10425**	**10695**

टिप्पणी: इस डेटा में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय शामिल नहीं हैं।

सारणी I.39
साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या - स्तर-वार (31 मार्च को)

बीमाकर्ताओं की श्रेणी	वर्ष	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर IV	स्तर V	स्तर VI	कुल
सरकारी क्षेत्र	2018	4087	1107	1693	1256	92	61	8296
	2019	4247	967	1607	968	292	69	8150
निजी क्षेत्र	2018	1982	55	4	2	0	0	2043
	2019	2301	118	28	9	3	0	2459
विशेषीकृत क्षेत्र	2018	86	0	0	0	0	0	86
	2019	86	0	0	0	0	0	86
कुल	**2018**	**6155**	**1162**	**1697**	**1258**	**92**	**61**	**10425**
	2019	**6634**	**1085**	**1635**	**977**	**295**	**69**	**10695**

स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक, स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक।
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक, स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक।
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999.तक, स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम।

चार्ट I.16 : साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या – स्तर-वार

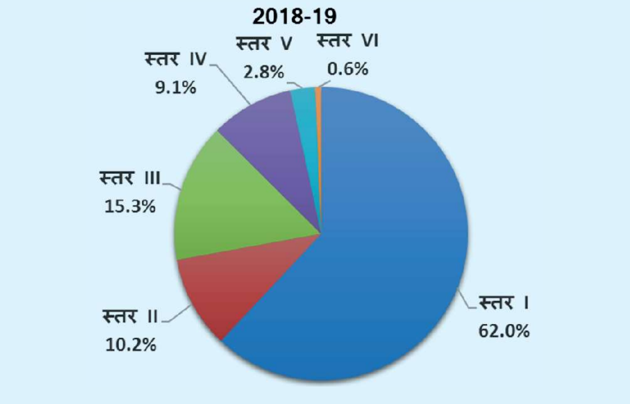

जिला स्तरीय व्याप्ति - साधारण बीमाकर्ता

I.3.53 साधारण बीमा क्षेत्र में, देश के 718 जिलों में से 647 जिलों में (अर्थात् देश में कुल जिलों के 90.11% में) सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के कार्यालय हैं। निजी क्षेत्र के बीमाकर्ता (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) 290 जिलों (अर्थात् देश में कुल जिलों का 40.4%) को समाविष्ट करते हैं। भारत में 71 जिलों में साधारण बीमाकर्ताओं के कोई कार्यालय नहीं हैं।

I.3.54 मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के दायित्व

I बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 की धारा 32डी का अनुपालन करने के लिए प्राधिकरण ने बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद मोटर बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के न्यूनतम दायित्व के लिए कार्यपद्धति बताते हुए 2 जून 2015 को आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 जारी किये।

ii. वित्तीय वर्ष 2018-19 में पच्चीस गैर-जीवन बीमाकर्ताओं में से दो बीमाकर्ताओं ने मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में न्यूनतम दायित्व का अनुपालन नहीं किया। यह विषय विनियामक परिप्रेक्ष्य से जाँच के अधीन है।

iii. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सभी सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने मोटर अन्य पक्ष दायित्वों का अनुपालन किया।

iv. इस बात पर विचार करते हुए कि उक्त विनियम के निर्गम से लगभग 3 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, और साथ ही दीर्घकालिक मोटर अन्य पक्ष (टीपी) पालिसियों के निर्गम पर हाल ही के सर्वच्च न्यायालय के निर्णय के आलोक में एवं विभिन्न बीमाकर्ताओं द्वारा उठाई गई कुछ चिंताओं को ध्यान में रखते हुए उक्त विनियमों की समीक्षा करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान ढाँचे की समीक्षा करने के लिए एक कार्य-दल बनाया गया है।

v. मोटर थर्ड पार्टी ऑब्जेक्शंस की गणना के लिए, प्रत्येक बीमाकर्ता को पिछले वित्तीय वर्ष के सभी बीमाकर्ताओं के ऑडिट किए गए डेटा की आवश्यकता होती है। आईआरडीऐआई वित्त वर्ष 2017-18 से वार्षिक रिपोर्ट और वेबसाइट दोनों में पिछले वित्तीय वर्ष के लिए डेटा प्रकाशित कर रहा है ताकि पूरे उद्योग के लिए डेटा का एक ही स्रोत हो। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मोटर थर्ड पार्टी ऑब्लिगेशन की गणना के लिए आवश्यक वित्त वर्ष 2018-19 का डेटा अनुबंध 12 में पाया जा सकता है।

विशेषीकृत बीमाकर्ता

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.

I.3.55 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) एक विशेषीकृत ऋण बीमा कंपनी है जो भारतीय निर्यातकों और भारत में बैंकों के बीमायोग्य हित का संरक्षण करने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। इस कंपनी का मुख्य कार्य निर्यात ऋण बीमा व्यवसाय का जोखिम अंकन करना है।

I.3.56 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो निर्यात ऋण बीमा में व्यवसाय का जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2018-19 में रु.1248 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया तथा 2017-18 के रु.1240 करोड़ के मुकाबले 0.57 प्रतिशत की वृद्धि सूचित की। उक्त बीमाकर्ता ने पिछले वर्ष के रु.555 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की तुलना में रु.507 करोड़ की जोखिम-अंकन हानि की सूचना दी। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के रु.839 करोड़ की तुलना में रु.854 करोड़ का है। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के रु.74 करोड़ से बढ़कर रु.244 करोड़ हुआ। उक्त बीमाकर्ता ने 2018-19 में 134% का उपगत दावा अनुपात (2017-18 में 136%) सूचित किया।

भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.

I.3.57 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. (एआईसी) एक विशेषीकृत बीमाकर्ता है जो कृषि बीमा में व्यवसाय का जोखिम-अंकन करता है। इस कंपनी ने 2017-18 के रु.7893 करोड़ की तुलना में 13 प्रतिशत की ऋणात्मक वृद्धि सूचित करते हुए वर्ष 2018-19 के दौरान रु.6901 करोड़ के सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम का जोखिम-अंकन किया। इस बीमाकर्ता का निवल अर्जित प्रीमियम पिछले वर्ष के रु.1780 करोड़ के मुकाबले वर्ष 2018-19 के लिए रु.1652 करोड़ है। उक्त बीमाकर्ता ने 2017-18 में अर्जित रु.337 करोड़ के जोखिम-अंकन लाभ की तुलना में 2018-19 में रु.178 करोड़ का जोखिम-अंकन लाभ अर्जित किया। कंपनी का कर के बाद लाभ पिछले वर्ष के रु.596 करोड़ से घटकर रु.440 करोड़ हो गया। कंपनी का उपगत दावा अनुपात 2017-18 में विद्यमान 102% की तुलना में 2018-19 में 92% है।

I.3.58 एआईसी प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत मुख्य बीमाकर्ता है। पीएमएफबीवाई के अलावा, एआईसी पुनःसंरचित मौसम आधारित फ़सल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) और नारियल वृक्ष बीमा योजना (सीपीआईएस) के अंतर्गत भी किसानों को बीमा उपलब्ध कराती है। फ़सल बीमा के लिए कुछ आंतरिक उत्पाद भी (उपर्युक्त सरकार प्रायोजित योजनाओं के अतिरिक्त) उपलब्ध हैं।

पुनर्बीमाकर्ताः

भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी)

I.3.59 जीआईसी राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता है, जो भारत में प्रत्यक्ष साधारण बीमा कंपनियों को पुनर्बीमा उपलब्ध कराता है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम घरेलू बाजार के अंदर एक्सपोज़र के लिए पर्याप्त कवरेज सुनिश्चित करते हुए तथा पर्याप्त क्षमताएँ विकसित करते हुए, देश के अंदर प्रतिधारण को इष्टतम बनाने के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अभिकल्पित किया गया है।

I.3.60 जीआईसी द्वारा अंकित कुल निवल प्रीमियम 2017-18 में दर्ज रु. 37634 करोड़ से 2018-19 के दौरान

रु.38996 करोड़ तक 3.62 प्रतिशत बढ़ा। उक्त पुनर्बीमाकर्ता के निवल अर्जित प्रीमियम में 2017-18 के रु. 38096 करोड़ से 2018-19 के दौरान रु. 37679 करोड़ तक गिरावट हुई। निवल उपगत दावा अनुपात 2017-18 के 86.50 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 89.55 प्रतिशत हो गया। उक्त कंपनी ने 2017-18 के रु. 3234 करोड़ के कर के बाद लाभ की तुलना में 2018-19 में रु. 2224 करोड़ के कर के बाद के लाभ की सूचना दी।

आईटीआई आरई

I.3.61 वर्ष 2016-17 के दौरान प्राधिकरण ने आईटीआई रीइंश्योरेंस लिमिटेड, एक निजी बीमाकर्ता को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया था। उक्त पंजीकरण प्रमाणपत्र 8 मई 2019 को निरस्त किया गया है।

विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ

I.3.62 वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं द्वारा स्वीकृत पुनर्बीमा पर कुल प्रीमियम रु.10418 करोड़ था।

I.3.63 वर्ष 2018-19 के दौरान, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं की समनुदेशित पूँजी में 31 मार्च 2018 को यथाविद्यमान रु. 2570 करोड़ से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु.5657 करोड़ तक रु.3087 करोड़ की वृद्धि हुई।

I.3.64 भारत में परिचालनरत सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं में से 5 विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने वर्ष 2018-19 में कर के बाद लाभ सूचित किया है। सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं का कर के बाद कुल लाभ 2017-18 में दर्ज रु. 324 करोड़ की हानि के मुकाबले 2018-19 में रु.10 करोड़ था।

I.4 समीक्षा

I.4.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण

I.4.1.1 पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम - पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण का मूलभूत ढाँचा आईआरडीए (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निहित है।

उनमें बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए विक्रय केंद्र के स्तर,, प्रस्ताव के स्तर, पालिसी निर्गम स्तर, और दावों के स्तर पर अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाओं के संबंध में ढाँचा निहित है। उक्त विनियम निर्धारित करते हैं कि बीमाकर्ताओं के पास पॉलिसीधारकों के हितों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होनी चाहिए जिसमें बीमा जागरूकता को बढ़ाना, सेवा मानदंडों को परिभाषित करना, टर्नअराउंड समय, शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए क्रियाविधि, अपविक्रय (मिस-सेलिंग) और अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए कदम तथा संभावित ग्राहकों को उचित सूचना के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए की गई कार्रवाई शामिल होंगे।

I.4.1.2 प्रस्तावक अथवा पालिसीधारक की शिकायतें : भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 के विनियम4(4) में परिवाद/ शिकायत को विशिष्ट रूप से परिभाषित किया गया है जो निम्नानुसार पठित है:

`शिकायत' अथवा `परिवाद' से शिकायतकर्ता द्वारा बीमाकर्ता, वितरण माध्यमों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों अथवा अन्य विनियमित संस्थाओं से ऐसे बीमाकर्ता, वितरण माध्यमों, मध्यवर्तियों, बीमा

मध्यवर्तियों अथवा अन्य विनियमित संस्थाओं की सेवा के स्तर अथवा सेवा में कमी के बारे में कार्रवाई अथवा कार्रवाई की कमी के बारे में असंतोष की लिखित अभिव्यक्ति (जिसमें इलेक्ट्रानिक मेल अथवा अन्य इलेक्ट्रानिक लिपियों के रूप में संप्रेषण शामिल है) अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरणः पूछताछ अथवा अनुरोध `शिकायत' अथवा `परिवाद' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता।

शिकायत निवारण और उपभोक्ता शिक्षण

I.4.1.3 आईआरडीएआई शिकायत निवारण की बीमाकर्ताओं की नीति की निगरानी करने के द्वारा पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। शिकायत निवारण प्रक्रिया आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 में निर्धारित है जिसके अनुसार आईआरडीआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति होनी चाहिए, वे प्रधान कार्यालय/ कॉरपोरेट कार्यालय/ प्रमुख कार्यालय में और प्रत्येक अन्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं के लिए यह भी निर्धारित करते हैं कि वे शिकायतों से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने एवं उनका समाधान करने के लिए कॉरपोरेट अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुसार एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति भी गठित करेंगे।

बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने हेतु आईआरडीएआई ने एक शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो एक निःशुल्क (टोल-फ्री) टेलीफोन संख्या और ई-मेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है तथा शिकायतें पंजीकृत करता है और साथ ही, समाधान की स्थिति उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) प्रारंभ की है जो न केवल आनलाइन शिकायतों का पंजीकरण और उनकी खोज करने के लिए एक प्रवेश-द्वार (गेटवे) है, बल्कि यह बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्योग-व्यापी शिकायत भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में कार्य करती है। आईजीसीसी का आईजीएमएस के साथ एक इंटरफेस है, तथा आईजीएमएस के माध्यम से आईआरडीएआई सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ एक इंटरफेस रखता है।

आईआरडीएआई संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों से बीमाकर्ताओं के संबंध में शिकायतें प्राप्त करता है; तथा समाधान के लिए ये शिकायतें बीमाकर्ताओं के पास उठाता है। संभावित ग्राहकों और पॉलिसीधारकों को सूचित किया जाता है कि वे पहले अपनी शिकायतें संबंधित बीमा कंपनियों के पास दाखिल करें। बीमा कंपनी से अपेक्षित है कि वह शिकायत का समाधान उसकी प्राप्ति से दो सप्ताह के अंदर करे। यदि शिकायतकर्ता बीमा कंपनी अथवा उक्त कंपनी के साथ संबद्ध मध्यवर्ती द्वारा दी गई सेवा/ समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो उसे पहले बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) के साथ संपर्क करना चाहिए तथा आवश्यक समर्थक दस्तावेजों के साथ लिखित में शिकायत देनी चाहिए। जीआरओ से अपेक्षित है कि वह 2 सप्ताह के अंदर समाधान उपलब्ध कराए। यदि शिकायत का समाधान उसकी प्राप्ति से 2 सप्ताह के अंदर नहीं किया जाता अथवा उसके संबंध में कार्रवाई नहीं की जाती, अथवा यदि बीमा कंपनी शिकायतकर्ता के संतोष के

अनुरूप शिकायत का समाधान नहीं करती, तो शिकायतकर्ता उपयुक्त अधिकार-क्षेत्र के बीमा लोकपाल से संपर्क कर सकता है। उक्त विनियम निर्धारित करते हैं कि बीमाकर्ता अपने द्वारा जारी किये गये प्रत्येक पालिसी दस्तावेज में शिकायतों पर क्षेत्राधिकार रखनेवाले बीमा लोकपालों के संपर्क का विवरण उपलब्ध कराएँगे। बीमा लोकपाल प्रभावी मध्यस्थता के द्वारा अथवा एक अधिनिर्णय पारित करने के द्वारा शिकायत का समाधान करता है। बीमा लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय बीमाकर्ता पर बाध्यकारी होगा। तथापि, ऐसे उदाहरण हैं जहाँ न्यायालयों ने अपने संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल द्वारा पारित किये गये आदेशों पर बीमाकर्ताओं द्वारा की गई अपीलों को अनुमति दी है। अतः शिकायतों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/विविध/194/11/2015 दिनांक 03.11.2015 जारी किया है जिसके द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे बीमा लोकपाल, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी) और अन्य न्यायिक निकायों के आदेशों का अनुपालन उक्त आदेशों में विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अनुसार अथवा जहाँ आदेश में कोई समय-सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की गई हो, उन मामलों में बीमाकर्ता द्वारा आदेश/अधिनिर्णय की प्राप्ति से 60 दिन के अंदर करें। यदि बीमाकर्ता आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करना चाहता है, तो उक्त आदेश के विरुद्ध ऐसी अपील लागू नियमों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्रस्तुत की जाएगी तथा तदनुसार ग्राहक को सूचित किया जाएगा।

आईआरडीएआई बीमा संबंधी जागरूकता को व्याप्त करने के उद्देश्य से उपभोक्ता शिक्षण में भी सक्रिय रूप से कार्यरत है। बीमा एक जटिल वित्तीय उत्पाद होने के कारण प्रस्तावित बीमा उत्पादों के स्वरूप, उनकी उपयोगिता, शर्तों और निबंधनों को समझने के लिए विशेष ज्ञान की अपेक्षा करता है। आईआरडीएआई के उपभोक्ता शिक्षण की पहलुओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अपनी आवश्यकताओं की पहचान करे, बीमा उत्पादों और उनके साथ संबद्ध जोखिमों को समझे, ताकि बीमा खरीदते समय वह एक सुविज्ञतापूर्ण निर्णय ले सके। आईआरडीएआई द्वारा बीमा जागरूकता अभियान प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् अखबारों में विज्ञापन और पुस्तिकाओं/ कॉमिक बुकों के प्रकाशन, रेडियो/ टेलीविजन, इंटरनेट, सामाजिक वेबसाइटों जैसे यू ट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आदि सहित सभी संभव माध्यमों के द्वारा चलाये जाते हैं। उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट www.policyholder.gov.in में जनसाधारण के लिए सरल भाषा में बीमा संबंधी विपुल रोचक सामग्री उपलब्ध है। इस सामग्री की पहुँच को बढ़ाने के लिए आईआरडीएआई ने एक हिन्दी साइट प्रारंभ किया है तथा प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में पुस्तकें तैयार की हैं ताकि देश भर में जनता को उनकी अपनी पसंद की भाषा में सूचना उपलब्ध कराई जा सके। आईआरडीएआई अब विकसित सामग्री के वितरण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है जिसके लिए आईआऱडीएआई बीमा उद्योग, अन्य विनियामक निकायों, वित्तीय साक्षरता केन्द्रों, सामान्य सेवा केन्द्रों आदि के साथ सहयोग कर रहा है तथा बीमा जागरूकता को व्याप्त करने हेतु सारे राष्ट्र में जनसाधारण तक पहुँचने के लिए प्रयुक्त सभी उपलब्ध वैकल्पिक माध्यमों का उपयोग कर रहा है और इसके द्वारा बीमा समावेशन के स्तरों को बढ़ाने के लिए माँग में वृद्धि कर रहा है। व्यक्ति के प्रारंभिक स्तरों से वित्तीय साक्षरता देने की दिशा में अन्य वित्तीय विनियमनकर्ताओं के साथ कार्य करने के द्वारा वित्तीय शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय कार्यनीति का कार्यान्वयन करने में भी आईआरडीएआई एक सक्रिय सहभागी है।

I.4.1.4 अनुचित व्यवसाय प्रथा: अन्य वित्तीय संस्थाओं की तरह ही आईआरडीए भी अनुचित व्यवसाय प्रथा से संबंधित शिकायतें प्राप्त करता है एवं इसके रोकथाम हेतु लगातार प्रयत्नशील है।

पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यापार प्रथाओं संबंधी (यूएफबीपी) शिकायतों से संबंधित डेटा सारणी I.40 में प्रस्तुत है। बेची गई नई पालिसियों के प्रतिशत के रूप में उक्त यूएफबीपी शिकायतों का विवरण भी सूचनार्थ प्रस्तुत है।

सारणी I.40
पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र जीवन बीमाकर्ताओं के विरुद्ध पंजीकृत अनुचित व्यवसाय पद्धतियों (यूएफबीपी) की शिकायतों से संबंधित डेटा

वर्ष	बीमाकर्ता	बेची गई नई पालिसियों की संख्या	कुल जीवन शिकायतें	कुल शिकायतों का %	यूएफबीपी की शिकायतों की संख्या	बेची गई नई पालिसियों की तुलना में यूएफबीपी का %
2016-17	एलआईसी	20131500	30784	0.15%	1215	0.00%
	निजी जीवन बीमाकर्ता	6325145	90063	1.42%	61071	0.96%
2017-18	एलआईसी	21338176	77184	0.36%	2908	0.01%
	निजी जीवन बीमाकर्ता	6860602	77183	1.13%	51321	0.75%
2018-19	एलआईसी	21433256	102127	0.48%	4276	0.01%
	निजी जीवन बीमाकर्ता	7254556	61137	0.84%	45294	0.62%

स्रोत: आईआरडीएआई की समन्वित शिकायत प्रबंधन प्रणाली और व्यवसाय के आंकड़े - जीवन

यह विदित हो कि आईआरडीए की प्रभावी निगरानी एवं लगातार प्रयासों की वजह से अनुचित व्यवसाय प्रथा संबंधित शिकायतें पूर्ण नियंत्रण में है (< 1%).

I.4.1.5 छल-कपटपूर्ण कॉलः आईआरडीएआई/ आईजीएमएस, विभिन्न सरकारी एजेंसियों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के अधिकारियों के नाम से छल-कपटपूर्ण कॉल बीमा उद्योग के लिए चिंता का विषय है। आईआरडीएआई ने विभिन्न संपर्क बिन्दुओं पर और मीडिया में भी छल-कपटपूर्ण कॉलों के विरुद्ध जनसाधारण को सतर्क करने के लिए कई सार्वजनिक सूचनाएँ, प्रेस प्रकाशनियाँ, अग्रणी टीवी चैनलों पर और समाचारपत्रों में विज्ञापन एवं बीमा कंपनियों को निदेश जारी किये हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि अपविक्रय और छल-कपटपूर्ण कॉलों के अंतर्गत सभी शिकायतों पर कार्रवाई सभी मामलों में बीमा कंपनी की निर्धारित नीति के अनुसार की जाए,

सभी जीवन बीमाकर्ताओं को निम्नलिखित नीतियाँ बनाने के लिए सूचित किया गया है-

- अपविक्रय के विषय में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में एक कंपनी- विशिष्ट नीति, और साथ ही,
- छल-कपटपूर्ण कालों के विषय में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में कंपनी- विशिष्ट नीति।

सभी जीवन बीमा कंपनियों ने उपर्युक्त नीतिया बनाई हैं।

I.4.1.6 बीमाकर्ताओं द्वारा कार्रवाई

बीमाकर्ता भी अनुचित व्यवसाय प्रथा की समस्या को गंभीरतापूर्वक ले रहे हैं तथा उनपर नियंत्रण रखने के लिए एक कार्यनीति बनाकर अनुचित व्यवसाय प्रथा को रोकने अथवा कम करने के लिए कदम उठाये हैं।

इन्हें कदमों में से उत्पाद की उपयुक्तता माध्यम की असुरक्षितता के आधार पर उन पर नियंत्रण जैसे कदम प्रमुख है।

बीमाकर्ताओं के द्वारा शिकायतों की जाँच के आधार पर आईआरडीएआई द्वारा की गई कार्रवाई के अतिरिक्त, वे भी चेतावनी पत्र जारी करने, कर्मचारियों की सेवा समाप्त करने, पुलिस में शिकायतें दाखिल करने तथा सर्वाधिक सामान्य तौर पर जहाँ भी साबित किये गये अपविक्रय के परिणामस्वरूप पालिसियाँ निरस्त की गई हों, वहाँ कमीशन को क्ला-बैक करने के रूप में एजेंटों अथवा मध्यवर्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं।

इसके अलावा, प्रत्येक बीमाकर्ता के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित बीमा जागरूकता नीति विद्यमान है, जिसमें ग्राहकों के बीच जागरूकता का निर्माण करने के लिए कार्यनीति और प्रयास निहित हैं।

I.4.1.7 उपभोक्ता शिक्षण

अपविक्रय को कम करने का निश्चित मार्ग जनसाधारण के सदस्यों को बीमा की संकल्पना, बीमा पालिसियों के प्रकार, कवर किये गये जोखिम, प्रस्तावित लाभ, अपवर्जन, और शर्तें आदि के संबंध में जागरूक बनाना है। इसे वित्तीय साक्षरता में सुधार लाने के लिए वित्तीय शिक्षण के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से प्राप्त करना अपेक्षित है।

- प्रिंट और इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से बीमा बेमिसाल अभियान।
- फर्जी प्रस्तावों और छल-कपटपूर्ण फोन-कालों के विरुद्ध जनता को सतर्क करना।
- उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट www.policyholder.gov.in और उसका मोबाइल वर्शन प्रारंभ करना।
- बीमा और आईआरडीएआई की पहलों से संबंधित विभिन्न फिल्में, कामिक, गेम, पुस्तिकाएँ और प्रायः पूछे जानेवाले प्रश्न (एफएक्यू) बनाना एवं उनका प्रचार करना।
- पालिसीधारकों की चिंताओं का समाधान करनेवाले ग्राहक समूहों को संबद्ध करते हुए नियमित सेमिनार एवं पालिसीधारक शिक्षण संचालित करना।
- मोबाइल अनुप्रयोग प्रारंभ करना जो संभावित पालिसीधारकों को यूनिट सहबद्ध उत्पादों के मामले में बीमा उत्पादों और प्रीमियम दरों की तुलना करने में समर्थ बनाता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि जनसाधारण के सदस्यों से बीमा उत्पादों को संबद्ध करते हुए छल-कपटपूर्ण

फोन-कालों और फर्जी प्रस्तावों से संबंधित अनेक शिकायतें प्राप्त की गई थीं, आईआरडीएआई ने इंटरनेट सहित प्रिंट, इलेक्ट्रानिक और जनसंचार माध्यमों के द्वारा जनसाधारण के सदस्यों को सतर्क करने के लिए एक बहुविध अभियान प्रारंभ किया है तथा बीमाकर्ताओं को अपनी प्रचार सामग्री में, पालिसी संबंधी विज्ञापनों में एवं प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया और टीवी में दिये जानेवाले विज्ञापनों में उक्त चेतावनी सम्मिलित करने के लिए विशिष्ट निर्देश जारी किये हैं।

I.4.1.8 आईआरडीएआई के बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता संबंधी पहलू

बीमा पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण और भारत में बीमा क्षेत्र की सुव्यवस्थित संवृद्धि सुनिश्चित करना आईआरडीएआई के मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं। अपने प्रारंभ से ही, आईआरडीएआई वर्तमान और भावी पालिसीधारकों को उनकी जोखिम कवरेज आवश्यकताओं की एवं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त बीमा उत्पादों का चयन करने के लिए उचित समझ से सुसज्जित करने के उद्देश्य से विभिन्न बीमा जागरूकता अभियानों में निरंतर लगा हुआ है। यह इलेक्ट्रानिक, प्रिंट, डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग करते हुए एक बहुविध दृष्टिकोण के माध्यम से किया गया है।

आईआरडीएआई की पालिसीधारक वेबसाइट www.policyholder.gov.in बीमा की मूलभूत संकल्पनाओं पर पालिसीधारकों के लिए सूचना के एक एकल स्थान स्रोत के रूप में कार्य करती है। इस बीच, वित्तीय वर्ष 2018-19 तक इस पोर्टल ने कुल 1.5 करोड़ विजिटरों को दर्ज किया है। इस वेबसाइट को निरंतर आधार पर सूचना को अद्यतन करते हुए अधिक गतिशील और सुसंगत बनाया गया है।

सारणी I.41
किये गये कार्यकलाप और व्यय की गई राशि - बीमा साक्षरता और उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में आईआरडीएआई की पहलें

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय वर्ष 2018-19 में व्यय किया गया बजट (लाख ₹)
1	आईटी (उपभोक्ता शिक्षण वेबसाइट का रखरखाव और उसे अद्यतन करना)	1.77
2	अनुसंधान कार्य	10.94
3	एनसीएफई व्यय (एनएसएफई के कार्यान्वयन के लिए अंशदान)	3139.78
	कुल	**3152.49**

1. **एनसीएफई की कोर समिति के सदस्य के रूप में भूमिकाः** वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एनसीएफई) की कोर समिति के एक सदस्य के रूप में एक सक्रिय भूमिका अदा करना आईआरडीएआई ने जारी रखा, जो वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) के कार्यान्वयन के उद्देश्य से भारत में सभी वित्तीय क्षेत्र विनियमनकर्ताओं के प्रतिनिधियों से युक्त संस्था है। एनसीएफई की स्थापना प्रत्येक विनियमनकर्ता से लिये गये एक प्रतिनिधि से युक्त निदेशक बोर्ड के साथ एक सेक्शन 8 कंपनी के रूप में 2018 में की गई। आईआरडीएआई ने एनसीएफई के शासी मंडल (गवर्निंग बोर्ड) में एक सदस्य के रूप में अपने एक अधिकारी को नामित किया है तथा एनसीएफई की प्राधिकृत पूँजी के प्रति 30% शेयर के रूप में रु. 30 करोड़ का अंशदान किया है। आईआरडीएआई अन्य विनियमनकर्ताओं के साथ समन्वय करते हुए,

वित्तीय शिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति (एनएसएफई) का प्रारूप बनाने में भी सक्रिय रूप से संबद्ध है।

2. आईआरडीएआई अनुसंधान अनुदान योजनाः
आईआरडीएआई उक्त अनुसंधान अनुदान योजना के अंतर्गत प्रस्तावों को प्रायोजित करता है, जो बीमा के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुसंधान के लिए अवसर उपलब्ध कराती है। उक्त योजना के अंतर्गत प्रति परियोजना रु. 5 लाख तक की राशि स्वीकृत की जाती है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित विषयों पर चार अनुसंधान परियोजनाओं को प्रायोजित किया गयाः

क) इक्कीसवीं सदी की युवा पीढ़ी (मिलीनियल्स) में बीमा जागरूकता।

ख) सूखा न्यूनीकरण रणनीति के रूप में फ़सल बीमा।

ग) जीवन बीमा तथा उत्तर प्रदेश और केरल राज्य में इसकी कमी के लिए जिम्मेदार कारक।

घ) गुजरात में स्वास्थ्य बीमा के उपभोक्ता क्रय निर्णयों के निर्धारक तत्व।

इसके पहले, आईआरडीएआई ने भारत में स्वास्थ्य बीमा के संभाव्य प्रयोक्ता, तिमाही डेटा के विश्लेषण के माध्यम से भारतीय बीमाकर्ताओं की उत्पादक और आर्थिक कुशलता का मापन, एवं सामुदायिक सहभागिता और पीपीपी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्यरक्षागत आवश्यकताओं के संरक्षण अंतराल का आकलन करना, जैसे विषयों पर अनुसंधान को प्रायोजित किया है।

3. जिलों के अंगीकरण के द्वारा बीमा जागरूकता अभियानः बीमा के माध्यम से वित्तीय समावेशन को आगे और बढ़ाने हेतु आईआरडीएआई ने बीमा साक्षरता की व्याप्ति तथा सभी परिवारों को उनकी बीमा आवश्यकताओं के आधार पर कवरेज देने के लिए जिलों का अंगीकरण (अडाप्शन) करने के लिए सूचित किया है। नीति आयोग द्वारा पहचान किये गये रूप में 117 आकांक्षी जिलों को उक्त प्रायोजिक परियोजना के लिए लक्ष्य क्षेत्रों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। इस अभियान का दोहरा उद्देश्य हैः

- प्रत्येक घर-परिवार को बीमा के चार सामान्य प्रकारों अर्थात् जीवन, स्वास्थ्य, मोटर और संपत्ति बीमा से अवगत कराना; और
- प्रत्येक घर-परिवार को प्रासंगिकता की कम से कम दो पालिसियाँ लेने के लिए प्रेरित करना।

प्रायोगिक परियोजना के परिणाम के आधार पर आईआरडीएआई इस अभियान को देश के अन्य जिलों में विस्तारित करना चाहेगा।

I.4.2 बीमाकर्ताओं के शोधक्षमता मार्जिनों का अनुरक्षण

I.4.2.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार एक अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बनाये रखे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य का आधिक्य बनाये रखेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में कहलाता है। आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 और आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति विस्तार से वर्णित है।

जीवन बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.4.2.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसकी गणना प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से की जाती है। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में ज्ञात शोधक्षमता मार्जन का एक स्तर विनिर्दिष्ट करता है, जिसका उल्लंघन करने पर प्राधिकरण बीमाकर्ता को निदेश देगा कि छह महीने से अनधिक एक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्य-योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करे।

साधारण बीमाकर्ताओं और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात

I.4.2.3 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, निजी क्षेत्र के सभी 28 साधारण बीमाकर्ताओं ने (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं सहित) 1.50 के निर्धारित शोधक्षमता अनुपात का अनुपालन किया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि. को शोधक्षमता के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते के 100% को मानने तथा मोटर टीपी के प्रति निवल आईबीएनआर में 2.50% डिस्काउंट करने के लिए छूट प्रदान की।

प्राधिकरण ने युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि. और ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.

को शोधक्षमता के प्रयोजन के लिए उचित मूल्य परिवर्तन खाते के क्रमशः 100% और 40% को मानने के लिए छूट प्रदान की।

नेशनल, ओरियन्टल और युनाइटेड ने प्रदान किये गये स्थगन पर विचार करने के बाद

क्रमशः 1.04, 1.57 और 1.52 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है। न्यू इंडिया ने 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 2.13 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया है।

I.4.2.4 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, अर्थात् एआईसी और ईसीजीसी ने क्रमशः 2.14 और 10.40 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया।

पुनर्बीमाकर्ता का शोधक्षमता अनुपात

I.4.2.5 राष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ता, भारतीय साधारण बीमा निगम ने 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 2.06 का शोधक्षमता अनुपात सूचित किया।

I.4.2.6 सभी विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं ने 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 1.50 से अधिक शोधक्षमता मार्जिन सूचित किया है।

I.4.3 पुनर्बीमा की निगरानी

I.4.3.1 भारतीय पुनर्बीमाकर्ता

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, दो भारतीय पुनर्बीमाकर्ता प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं, अर्थात् भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई) ओर आईटीआई रीइंश्योरेंस लिमिटेड (आईटीआई आरई)।

जीआईसी आरई भारत में प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों और विदेशी बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं को पुनर्बीमा समर्थन प्रदान करता रहा है। निगम का पुनर्बीमा कार्यक्रम एक्सपोजर के लिए कवरेज सुनिश्चित करते हुए और घरेलू बाजार के अंदर पर्याप्त क्षमताएँ विकसित करते हुए देश के अंदर प्रतिधारण को इष्टतम बनाने के उद्देश्यों को पूरा

करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। यह नाभिकीय समूह (न्यूक्लियर पूल) और आतंकवाद समूह (टेररिज्म पूल) का भी प्रबंध कर रहा है। जीआईसी आरई कुछ सीमाओं के अधीन देशी साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई प्रत्येक पालिसी पर सांविधिक अध्यर्पण प्राप्त करता है तथा इन कंपनियों के अधिकांश संधि कार्यक्रमों और विकल्पी (फैकल्टेटिव) कार्यक्रमों का नेतृत्व करता है।

आईटीआई आरई को पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए दिसंबर 2016 में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया था। इस संस्था ने व्यवसाय के परिचालन प्रारंभ नहीं किये तथा अपना पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) निरस्तीकरण के लिए अभ्यर्पित किया है।

सीमापार पुनर्बीमाकर्ता

I.4.3.2 प्राधिकरण ने आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14 के उपबंधों के अंतर्गत "सीमापार पुनर्बीमाकर्ता" संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश 1 अप्रैल 2016 से प्रभावी थे। ये दिशानिर्देश उन "सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं" (सीबीआर) पर लागू हैं जिनकी भारत में भौतिक उपस्थिति नहीं है, परंतु जो भारतीय बीमा कंपनियों के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय करते हैं।

I.4.3.3 सीमापार पुनर्बीमाकर्ता के पास पिछले तीन निरंतर वर्षों की अवधि के लिए एसएण्डपी अथवा समकक्ष अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी से प्राप्त कम से कम बीबीबी की क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए और उनका पिछला दावा निष्पादन संतोषजनक होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ताओं को अपने स्वदेश में विधिमान्य संस्था होनी चाहिए तथा उन्हें अपने स्वदेश के पर्यवेक्षक के द्वारा विनियमित होना चाहिए। पुनर्बीमाकर्ता की शोधक्षमता स्वदेश के विनियमनकर्ता/ पर्यवेक्षक द्वारा निर्धारित मानकों से कम नहीं होनी चाहिए, जो उनकी वित्तीय शक्ति, प्रबंधन की गुणवत्ता और उनकी तकनीकी प्रारक्षण कार्यपद्धतियों की पर्याप्तता की निगरानी करता हो।

सीबीआर को प्राधिकरण के द्वारा एक वित्तीय वर्ष के लिए विधिमान्य विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) प्रदान की जाती है, जिससे विदेशी पुनर्बीमाकर्ता भारतीय बीमाकर्ताओं / पुनर्बीमाकर्ताओं के साथ पुनर्बीमा व्यवसाय कर सके। य़ह भी आवश्यक है कि पुनर्बीमाकर्ता के देश ने भारत सरकार के साथ दोहरे कराधान परिवर्जन करार पर हस्ताक्षर किये हों। वित्तीय वर्ष 2017-18 में सहभागिता किये हुए 367 सीबीआर की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में 371 सीबीआर ने भारतीय पुनर्बीमा व्यवसाय में सहभागिता की है।

I.4.3.4 भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को बाध्यकर अध्यर्पणों के बारे में सांविधिक उपबंध

क) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए निर्धारित करती है कि प्रत्येक बीमाकर्ता भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं के साथ, अधिनियम की धारा 101बी के अधीन गठित पुनर्बीमा सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशत का पुनर्बीमा करेगा (जिसे `बाध्यकर अध्यर्पण' अथवा `सांविधिक अध्यर्पण' कहा जाता है)।

(ख) बीमा अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि प्राधिकरण अधिसूचना द्वारा भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक पॉलिसी पर बीमित राशि के प्रतिशतों को विनिर्दिष्ट कर सकता

है तथा विभिन्न वर्गों के बीमा के लिए विभिन्न प्रतिशत विनिर्दिष्ट किये जा सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट कोई भी प्रतिशत ऐसी पॉलिसी पर बीमित राशि के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(ग) धारा 101ए(4) में व्यवस्था है कि बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 101ए की उप-धारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना भी इस धारा के अधीन किये जाने के लिए अपेक्षित पुनर्बीमा के किसी भी व्यवसाय के संबंध में शर्तें निर्धारित कर सकती है तथा ऐसी शर्तें भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और अन्य बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होंगी।

I.4.3.5 2018-19 के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/ओं को बाध्यकर अध्यर्पण

क) भारतीय पुनर्बीमाकर्ता के पास पुनर्बीमित की जानेवाली प्रत्येक साधारण बीमा पॉलिसी पर बीमित राशि का प्रतिशत 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक के वर्ष के दौरान संबद्ध बीमाओं के संबंध में अधिसूचित रूप में 5% है।

ख) बाध्यकर अध्यर्पण की दर वर्ष 2013-14 से 5% पर बनी हुई है।

I.4.3.6 बीमा पूल-आतंकवाद पूल

अंतरराष्ट्रीय पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा 9/11 की घटना के बाद आतंकवाद बीमारक्षा को हटाने के बाद अप्रैल 2002 में भारत में सभी गैर-जीवन बीमा कंपनियों की पहल से भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) बनाया गया। इस पूल ने इस प्रकार सफल परिचालन के 17 वर्ष पूरे किये हैं। सभी भारतीय गैर-जीवन बीमा कंपनियाँ, गुजरात की राज्य सरकार और जीआईसी आरई उक्त पूल के सदस्य हैं। इस पूल का प्रबंधन जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है। यह पूल बहुविध स्थानों में निवासों और अचल आस्तियों के लिए बीमारक्षा सहित, संपत्ति बीमा पॉलिसियों के अंतर्गत रक्षित आतंकवाद जोखिम के बीमा के लिए लागू है।

प्रति स्थान क्षतिपूर्ति की सीमा पिछले वर्ष की तरह रु.2000 करोड़ पर अनुरक्षित है।

उक्त पूल की प्रीमियम आय 2017-18 की रु.533.93 करोड़ की तुलना में 2018-19 में रु.531.21 करोड़ रही। पूल द्वारा 2018-19 के दौरान भुगतान किये गये दावे रु.24.84 करोड़ के हैं। 2018-19 के दौरान पूल को किसी बड़ी हानि की सूचना नहीं दी गई।

सारणी I.42
भारतीय बाजार आतंकवाद जोखिम बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश

क्रम सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)	प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	336.05	16.80%	333.69	16.68%
2	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	336.05	16.80%	333.69	16.68%
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	251.82	12.59%	250.04	12.50%
4	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	240.00	12.00%	238.31	11.91%
5	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	166.91	8.34%	165.73	8.28%
6	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	107.03	5.35%	106.28	5.31%
7	इफ्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	79.20	3.96%	78.64	3.93%
8	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	40.00	2.00%	39.71	1.98%
9	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	39.34	1.96%	39.06	1.95%
10	टाटा-एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	31.68	1.58%	31.45	1.57%
11	फ्यूचर जनराली जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	28.36	1.41%	28.16	1.40%
12	रायल सुंदरम अलायंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	27.91	1.39%	27.72	1.38%
13	लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20.95	1.04%	20.80	1.04%
14	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	177.62	8.88%	167.62	8.38%
15	सरकारी बीमा निधि, गुजरात	20.00	1.00%	20.00	1.00%
16	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20.00	1.00%	20.00	1.00%
17	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.61	0.78%	15.61	0.78%
18	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.10	0.75%	15.10	0.75%
19	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15.00	0.75%	15.00	0.75%
20	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.31	0.51%	10.31	0.51%
21	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50%	10.00	0.50%
22	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10.00	0.50%	10.00	0.50%
23	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.00	0.05%	1.00	0.05%
24	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	-	10.00	0.50%
25	डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	-	2.00	0.10%
26	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	-	-	10.00	0.50%
	कुल	**2000.00**	**100.00%**	**2000.00**	**100.00%**

I.4.3.7 न्यूक्लियर पूल

नाभिकीय क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम, 2010 का अधिनियमन नाभिकीय (न्यूक्लियर) घटना के कारण उत्पन्न होनेवाले अज्ञात और संभावित आपाती जोखिम के संरक्षण को अधिदेशी (मैंडेटरी) बनाता है। सामान्य रूप से पारंपरिक बीमा रक्षाओं से नाभिकीय जोखिम अपवर्जित किये जाते हैं क्योंकि इसके लिए एक बड़ी बीमा क्षमता आवश्यक होती है। अतः नाभिकीय जोखिमों से उत्पन्न होनेवाले दायित्व का संरक्षण करने के लिए भारतीय नाभिकीय बीमा पूल (आईएनआईपी) 2015 में बनाया गया।

इस समूह (पूल) का प्रबंधन भी जीआईसी आरई द्वारा किया जाता है जहाँ प्रति स्थान रु.1500 करोड़ की क्षतिपूर्ति सीमा है। उक्त पूल देश में न्यूक्लियर परिचालकों और न्यूक्लियर आपूर्तिकर्ताओं को भी बीमारक्षा उपलब्ध कराता है।

उक्त पूल की 2018-19 के लिए प्रीमियम आय रु.100.16 करोड़ है, जबकि 2017-18 में उक्त पूल की प्रीमियम आय रु. 100 करोड़ थी। वर्ष 2018-19 के दौरान उक्त पूल द्वारा किसी दावे का भुगतान नहीं किया गया है।

सारणी I.43

भारतीय नाभिकीय बीमा समूह (पूल) में सदस्यों का अंश

(करोड़ ₹)

क्रम सं.	सदस्य कंपनी	प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)	प्रति जोखिम क्षमता	अंश (% में)
1	भारतीय साधारण बीमा निगम	600	40%	600	40%
2	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	300	20%	300	20%
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी	200	13%	200	13%
4	ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100	7%	100	7%
5	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इंडिया	100	7%	100	7%
6	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100	7%	100	7%
7	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1%	20	1%
8	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1%	20	1%
9	इफ़्को-टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	20	1%	20	1%
10	चोलमंडलम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	1%	15	1%
11	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15	1%	15	1%
12	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10	1%	10	1%
	कुल	**1500**	**100%**	**1500**	**100%**

दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि. ने दो उत्पाद अर्थात् नाभिकीय आपूर्तिकर्ता की बीमा पॉलिसी और नाभिकीय परिचालक का दायित्व (एक्ट ओनली) बीमा पॉलिसी फाइल किये हैं जिनका अनुमोदन प्राधिकरण द्वारा किया गया है।

I.4.3.8 भारत पुनर्बीमा केन्द्र (हब) के रूप में

भारत को एक पुनर्बीमा केन्द्र (हब) बनाने के उद्देश्य से बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 ने विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं तथा सोसाइटी आफ लायड्स को भारत में पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए भारत में अपनी शाखाएँ खोलने की अनुमति दी है।

2018-19 के दौरान निम्नलिखित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में अपने पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया।

इस प्रकार, प्राधिकरण ने भारत में परिचालन करने के लिए नौ विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं को अनुमति प्रदान की है तथा लायड्स इंडिया दो व्यवसाय संघों (सिंडिकेटों) के साथ परिचालन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र, गुजरात-विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अपने कार्यालय खोलने के लिए भी बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को अनुमति दी है।

निम्नलिखित सारणी (सारणी सं. I.45) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए भारत में परिचालन करनेवाले पुनर्बीमाकर्ताओं के व्यावसायिक आंकड़ों की एक झलक प्रस्तुत करती है

2018-19 के दौरान पंजीकृत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं/ सिंडिकेट, लायड्स इंडिया की सेवा कंपनियों की सूची

क्रम सं.	विदेशी पुनर्बीमाकर्ता का नाम	पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) के निर्गम की तारीख
1	अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशियाल्टी एसई, भारत शाखा	06-08-2018
2	मार्केल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	01-06-2018

सारणी I.44
पुनर्बीमाकर्ताओं का सकल प्रीमियम

(करोड़ ₹)

पुनर्बीमाकर्ता	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय व्यवसाय)	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (विदेशी व्यवसाय)	कुल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय और विदेशी व्यवसाय)
जीआईसी आरई	30972.21	13265.79	44238.00
एफआरबी/ लायड्स	9761.96	55.47	9817.43
कुल	**40734.17**	**13321.26**	**54055.43**

सारणी I.45

पुनर्बीमा संस्थाओं के व्यावसायिक आंकड़े : 2018-19

(करोड़ ₹)

पुनर्बीमाकर्ता	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय व्यवसाय)	सकल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (विदेशी व्यवसाय)	कुल पुनर्बीमा प्रीमियम आय (भारतीय और विदेशी व्यवसाय)
जीआईसी आरई	30972.21	13265.79	44238.00
स्विस आरई	2272.92	2.49	2275.41
म्यूनिख आरई	2248.23	36.85	2285.08
स्कोर	571.77	0.00	1571.77
हैनोवर	622.42	0.18	622.60
अक्सा वी	2173.54	0.00	2173.54
एक्सएल कैट	316.53	7.97	324.50
जन आरई	194.06	0.00	194.06
आरजीए	266.85	0.16	267.01
लायड्स	1.19	0.00	1.19
अलायंज़ ग्लोबल, भारत शाखा	94.45	7.82	102.27
आईटीआई आरई	0.00	0.00	0.00
कुल जोड़	**40734.17**	**13321.26**	**54055.43**

सारणी I.46

सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गैर-जीवन बीमाकर्ताओं, भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं और भारत में स्थित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (लायड्स सहित) का निवल प्रतिधारण

(प्रतिशत में)

वर्ग	2018-19	2017-18
फायर	47.80	57.14
मरीन कार्गो	65.20	82.15
मरीन हल	34.77	37.23
मोटर	91.01	98.99
इंजीनियरिंग	56.81	74.72
विमानन	20.97	38.97
अन्य विविध.	47.82	88.57
कुल	**59.78**	**90.37**

टिप्पणी: निवल प्रतिधारित प्रीमियम के परिकलन के लिए आधार सकल अर्जित प्रीमियम से सकल प्रीमियम में परिवर्तित किया गया है।

सारणी I.47
भारत के अंदर और बाहर एवं सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में (गैर-जीवन प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं द्वारा) रखे गये पुनर्बीमा व्यवसाय की मात्रा

(करोड़ ₹)

वर्ग	भारत के अंदर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि	भारत के अंदर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम का प्रतिशत	भारत के बाहर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि	भारत के बाहर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम का प्रतिशत	भारत के अंदर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि	भारत के अंदर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम का प्रतिशत	भारत के बाहर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम की राशि	भारत के बाहर रखे गये पुनर्बीमा प्रीमियम का प्रतिशत
फायर	5842.55	46.03	2435.11	19.19	5104.32	50.42	2308.14	22.80
मरीन कार्गो	502.39	20.29	320.06	12.93	411.82	18.70	285.07	12.95
मरीन हल	434.86	38.13	328.21	28.78	229.97	46.45	196.88	39.77
मोटर	7165.00	11.11	689.70	1.07	6418.93	11.43	326.83	0.58
विमानन	262.58	37.90	335.19	48.38	266.39	67.74	112.32	28.56
इंजीनिय-रिंग	885.58	33.73	547.90	20.87	715.23	33.75	497.91	23.49
अन्य विविध	26747.62	30.44	8165.38	9.29	22539.74	33.18	5272.84	7.76
कुल	**41840.59**	**24.33**	**12821.56**	**7.45**	**35686.40**	**25.59**	**8999.98**	**6.45**

टिप्पणी: निवल प्रतिधारित प्रीमियम के परिकलन का आधार सकल अर्जित प्रीमियम से सकल प्रीमियम में परिवर्तित किया गया है।

सारणी I.48
सकल प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में गैर-जीवन प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं का निवल प्रतिधारित प्रीमियम

(करोड़ ₹)

वर्ग	2018-19			2017-18		
	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल
फायर	47.49	24.47	34.78	45.59	6.72	26.77
मरीन कार्गो	77.00	60.58	66.78	83.06	57.32	68.35
मरीन हल	38.71	2.93	33.09	18.12	-0.37	13.78
मोटर	90.05	86.29	87.82	87.71	88.24	87.99
इंजीनियरिंग	62.95	23.98	45.41	62.57	16.65	42.76
विमानन	14.96	13.02	14.57	1.96	8.41	3.70
अन्य विविध	64.77	56.09	60.26	62.66	53.82	59.06
कुल	**71.21**	**65.53**	**68.11**	**70.09**	**65.49**	**67.95**

टिप्पणी: निवल प्रतिधारित प्रीमियम के परिकलन का आधार सकल अर्जित प्रीमियम से सकल प्रीमियम में परिवर्तित किया गया है।

I.4.4 बीमाकर्ताओं द्वारा निवेशों की निगरानी

I.4.4.1 बीमाकर्ताओं के लिए आईआरडीएआई (निवेश) विनियमों के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार निवेश के स्वरूप का पालन करना अधिदेशात्मक किया गया है। जीवन, साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा कंपनियों के पिछले वर्ष के आंकड़ों के साथ 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार निवेशों का विवरण निम्नानुसार है।

बीमा क्षेत्र के कुल निवेश

I.4.4.2 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेश 31 मार्च 2018 को यथाविद्यमान रु.3457989 करोड़ की तुलना में रु.3847474 करोड़ रुपये के थे और इस प्रकार इन्होंने 11.26 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। जीवन बीमाकर्ताओं का अंश 91.83 प्रतिशत और पीएसयू का अंश 76.40 प्रतिशत पर स्थित है, निवेशों का ब्योरा सारणी I.49 में दिया गया है।

सारणी I.49
बीमा क्षेत्र के कुल निवेश
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ ₹)

वर्ग	जीवन		साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा		कुल	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019
सरकारी	2526923	2760658	162503	178977	2689426	2939635
	(11.06)	(9.25)	(16.94)	(10.14)	(11.40)	(9.30)
निजी	662137	772485	106426	135354	768563	907839
	(14.37)	(16.67)	(27.64)	(27.18)	(16.04)	(18.12)
कुल	**3189060**	**3533143**	**268929**	**314331**	**3457989**	**3847474**
	(11.74)	**(10.79)**	**(20.95)**	**(16.88)**	**(12.41)**	**(11.26)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।

जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश

I.4.4.3 जीवन बीमाकर्ताओं की निधियों को पारंपरिक उत्पादों और यूलिप उत्पादों से किये गये निवेशों के आधार पर विभाजित किया गया है। जीवन बीमाकर्ताओं की निधियाँ 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार रु.3533143 करोड़ थीं जिनमें से रु.3121717 करोड़ (कुल निधियों का 88.36 प्रतिशत) पारंपरिक उत्पादों से है तथा शेष रु.411425 करोड़ (कुल निधियों का 11.64 प्रतिशत) यूलिप उत्पादों से।

I.4.4.4 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी-वार किये गये निवेश तथा 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े सारणी I.50 में दर्शाये गये हैं :

सारणी I.50
जीवन बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ ₹)

निवेशों का स्वरूप	2018		2019	
	राशि	प्रतिशत	राशि	प्रतिशत
पारंपरिक उत्पाद				
1 केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	1069623	38.05	1215622	38.94
2 राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	792475	28.19	867521	27.79
3 आवास और बुनियादी संरचना	233327	8.30	253187	8.11
4 अनुमोदित निवेश	642726	22.86	661247	21.18
5 अन्य निवेश	72969	2.60	124141	3.98
क. कुल (1+2+3+4+5)	**2811119**	**100.00**	**3121717**	**100.00**
यूलिप निधियाँ				
6 अनुमोदित निवेश	356608	94.36	378781	92.07
7 अन्य निवेश	21333	5.64	32645	7.93
ख. कुल (6+7)	**377941**	**100.00**	**411425**	**100.00**
कुल जोड़ (क+ख)	**3189060**		**3533143**	

सारणी I.51
जीवन बीमाकर्ताओं के निवेश : निधि-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	जीवन निधि		पेंशन और सामान्य वार्षिकी और सामूहिक निधि		यूनिट सहबद्ध निधि		सभी निधियों का कुल जोड़	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
एलआईसी	1883018	2042651	600374	683735	43530	34272	2526923	2760658
निजी	254462	304804	73265	90527	334411	377153	662137	772485
कुल	**2137480 (67.02)**	**2347455 (66.44)**	**673639 (21.12)**	**774262 (21.91)**	**377941 (11.86)**	**411425 (11.65)**	**3189060 (100.00)**	**3533143 (100.00)**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल निधियों की तुलना में संबंधित निधियों का प्रतिशत है।

I.4.4.5 निधियों के वर्गीकरण की पद्धति के आधार पर कुल निवेशों में जीवन निधि का अंशदान रु.2347455 करोड़ (कुल निधियों का 66.44 प्रतिशत), पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि का अंशदान रु.774262 करोड़ (कुल निधियों का 21.91 प्रतिशत) तथा यूलिप निधि का अंशदान रु.411425 करोड़ (कुल निधियों का 11.65 प्रतिशत) रहा। वित्तीय वर्ष 2018-198 के दौरान कुल निवेशों में पेंशन/ वार्षिकी निधि और जीवन निधि का अंश क्रमशः 21.12 प्रतिशत से बढ़कर 21.91 प्रतिशत हो गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में जीवन, पेंशन/वार्षिकी और यूलिप निधियों की मात्रा क्रमशः रु.209975 करोड़, रु. 100624 करोड़ तथा रु. 33484 करोड़ बढ़ गई है।

सारणी I.52
निवेशों में वृद्धि : निधि-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ ₹)

निधि	2018		2019	
	कुल	% में वृद्धि	कुल	% में वृद्धि
जीवन	2137480	12.03	2347455	9.82
पेंशन और सामान्य वार्षिकी तथा सामूहिक निधि	673639	18.93	774262	14.94
पारंपरिक (क)	2811119	13.61	3121717	11.05
यूनिट सहबद्ध निधियाँ (ख)	377941	-0.50	411425	8.86
कुल (क+ख)	**3189060**	**11.73**	**3533143**	**10.79**

साधारण बीमाकर्ताओं के निवेश (स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं सहित)

I.4.4.6 बीमा क्षेत्र द्वारा किये गये कुल निवेशों में साधारण बीमा उद्योग के निवेशों का अंश 8.17 प्रतिशत पर स्थित है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा उद्योग द्वारा किये गये निवेशों की कुल राशि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के रु.268929 करोड़ की तुलना में रु.314331 करोड़ थी तथा इस प्रकार इसने 16.88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

I.4.4.7 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, साधारण बीमाकर्ताओं ने केन्द्र, राज्य और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों एवं अनुमोदित निवेशों में क्रमशः रु.130703 करोड़ (41.58 प्रतिशत) और रु.90162 करोड़ (28.68 प्रतिशत) का निवेश किया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमाकर्ताओं द्वारा श्रेणी-वार किये गये निवेश एवं 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार तदनुरूपी आंकड़े सारणी I.53 में दिये गये हैं।

सारणी I.53
साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं के कुल निवेश : श्रेणी-वार
(31 मार्च की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ ₹)

निवेशों का स्वरूप	2018		2019	
	कुल	कुल का %	कुल	कुल का %
केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ	69315	25.77	81755	26.01
राज्य सरकार और अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	36549	13.59	48948	15.57
आवास तथा राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण	27554	10.25	31770	10.11
बुनियादी संरचना निवेश	42322	15.74	50070	15.93
अनुमोदित निवेश	85388	31.75	90162	28.68
अन्य निवेश	7801	2.90	11626	3.70
कुल	**268929**	**100.00**	**314331**	**100.00**

टिप्पणी: 1.विशेषीकृत बीमाकर्ताओं और भारतीय पुनर्बीमा शाखाओं को शामिल किया गया है। 2. एफएफई :अग्नि शमन उपस्कर

I.4.5 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रूप में रु.44,873 करोड़ संगृहीत किये तथा पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में 21.2% की वृद्धि दर्ज की। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पिछले चार वित्तीय वर्षों के दौरान वर्षानुवर्ष 20% से अधिक वृद्धि लगातार कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सरकारी क्षेत्र के चार साधारण बीमाकर्ताओं ने 52% पर अधिकतर बाजार अंश धारित करना जारी रखा। तथापि, सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के बाजार अंश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दर्ज 58% से सीमांत रूप से गिरावट आई है। दूसरी ओर, निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं का अंश वित्तीय वर्ष 2017-18 के 21% की तुलना में सीमांत रूप से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24% हुआ तथा स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश वित्तीय वर्ष 2017-18 के 21% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 24% हो गया।

सारणी I.54
पिछले पाँच वर्षों में स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	12882 (64%)	15591 (64%)	19227 (63%)	21,509 (58%)	23,536 (52%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	4386 (22%)	4911 (20%)	5632 (19%)	7,689 (21%)	10,655 (24%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	2828 (14%)	3946 (16%)	5532 (18%)	7,831 (21%)	10,681 (24%)
उद्योग कुल	**20,096**	**24,448**	**30,392**	**37,029**	**44,873**
वार्षिक वृद्ध दर (% में)	**14.9%**	**21.7%**	**24.3%**	**21.8%**	**21.2%**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।.

चार्ट I.17: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम की प्रवृत्ति (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

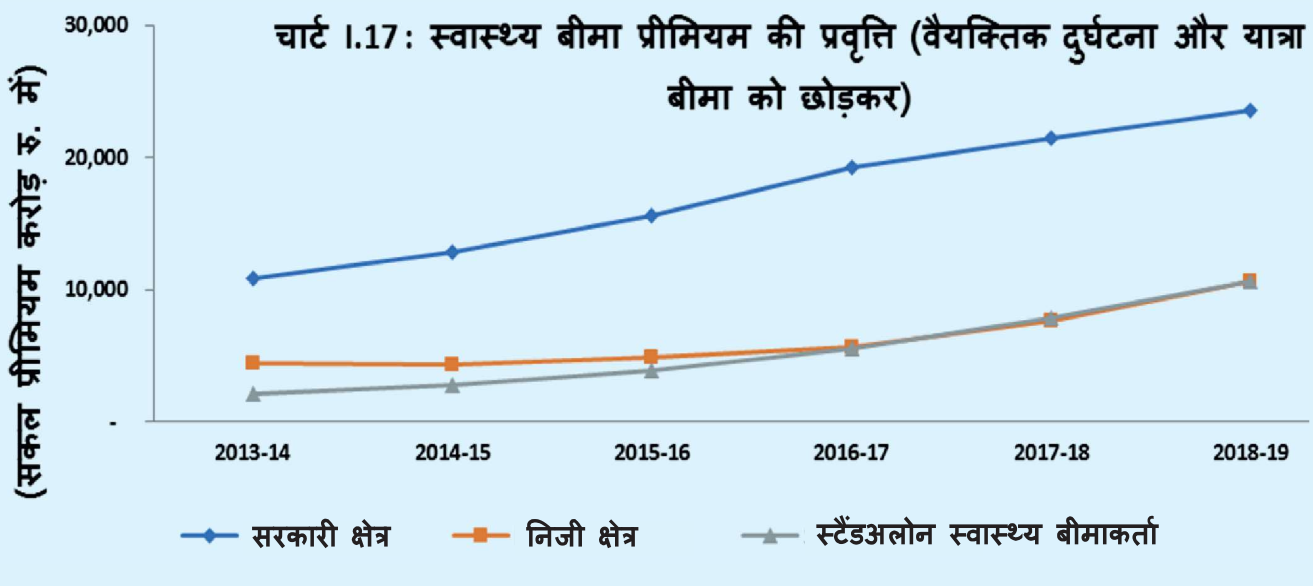

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का वर्गीकरण

I.4.5.2 स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा, सामूहिक स्वास्थ्य बीमा (सरकार द्वारा प्रायोजित को छोड़कर अन्य) और वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संगृहीत प्रीमियम की राशि के तौर पर, सामूहिक व्यवसाय का अंश उच्चतम (48%) था, तथा उसके बाद वैयक्तिक व्यवसाय (39%) और सरकारी व्यवसाय (13%) का स्थान रहा। दोनों वैयक्तिक और सामूहिक व्यवसाय (सरकारी योजनाओं को छोड़कर अन्य) से संगृहीत प्रीमियम की राशि पिछले पाँच वर्षों की अवधि के दौरान दुगुनी हो गई है।

सारणी I.55
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का वर्गीकरण
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

(करोड़ ₹)

व्यवसाय का वर्ग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी व्यवसाय	2,425 (12%)	2,474 (10%)	3,090 (10%)	3,981 (11%)	5,672 (13%)
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर)	8,898 (44%)	11,621 (48%)	14,718 (48%)	17,757 (48%)	21,676 (48%)
वैयक्तिक व्यवसाय	8,772 (44%)	10,353 (42%)	12,584 (41%)	15,291 (41%)	17,525 (39%)
कुल जोड़	**20,096**	**24,448**	**30,392**	**37,029**	**44,873**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं। डेटा में विदेशों में किये गए स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।.

चार्ट I.18: कुल प्रीमियम में विभिन्न वर्गों का अंश

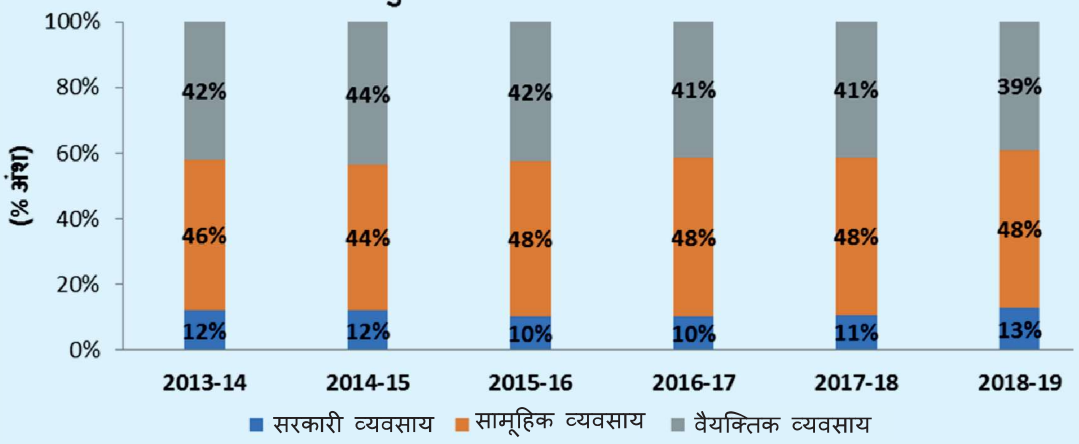

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर अन्य) के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसियों की संख्या और सम्मिलित व्यक्तियों की संख्याः

I.4.5.3 2018-19 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमा कंपनियों ने कुल 47.20 करोड़ व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए लगभग 2.07 करोड़ स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियाँ (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा के अंतर्गत जारी की गई पॉलिसियों को छोड़कर) जारी की हैं। सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के तौर पर तीन-चौथाई भाग के व्यक्तियों को सरकार द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल किया गया तथा शेष एक-चौथाई हिस्से के व्यक्तियों को साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सामूहिक और वैयक्तिक पॉलिसियों द्वारा समाविष्ट किया गया।

सारणी I.56
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

(लाख में)

व्यवसाय का वर्ग	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी व्यवसाय	2143 (74%)	2733 (76%)	3350 (77%)	3593 (74%)	3571 75.0%
सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर)	483 17%)	570 (16%)	705 (16%)	894 (19%)	729 15.4%
वैयक्तिक व्यवसाय	254 9%)	287 (8%)	320 (7%)	333 (7%)	421 8.9%
कुल जोड़	**2880**	**3590**	**4375**	**4820**	**4720**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या में व्यवसाय के प्रत्येक वर्ग का अंश दर्शाते हैं।
डेटा में विदेशों में किये गये स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।.

चार्ट I.19 : सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या – सम्मिलित कुल व्यक्तियों में व्यवसाय के विभिन्न वर्गों का अंश

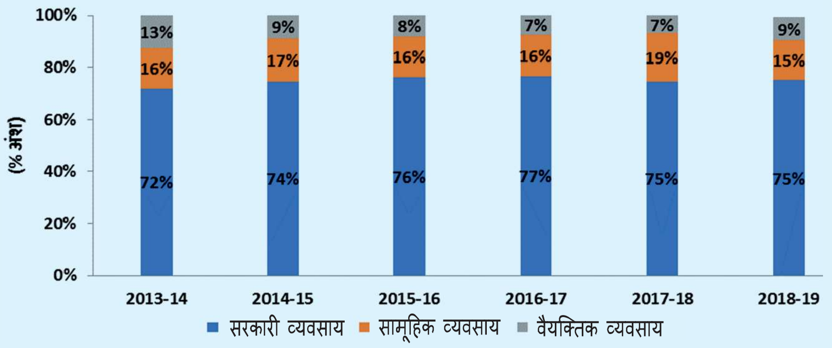

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर) के अंतर्गत निवल उपगत दावा अनुपात की प्रवृत्ति

I.4.5.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान स्वास्थ्य व्यवसाय के निवल उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) में पिछले वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में सुधार रहा है। यह पाया गया है कि सरकारी और सामूहिक व्यवसाय के आईसीआर में सीमांत रूप से कमी है। सामूहिक व्यवसाय (सरकारी व्यवसाय को छोड़कर) के निवल आईसीआर में 2017-18 के 107% से 2018-19 में 102% तक सुधार आया है।

सारणी I.57
स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत व्यवसाय का वर्ग-वार निवल उपगत दावा अनुपात
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

(प्रतिशत में)

व्यवसाय का वर्ग	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी व्यवसाय	87%	93%	108%	109%	122%	115%	113%
सामूहिक व्यवसाय	104%	110%	116%	120%	125%	107%	102%
वैयक्तिक व्यवसाय	83%	83%	81%	77%	76%	71%	72%
कुल जॉ	**94%**	**97%**	**101%**	**102%**	**106%**	**94%**	**91%**

चार्ट I.20: स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का निवल उपगत दावा अनुपात (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

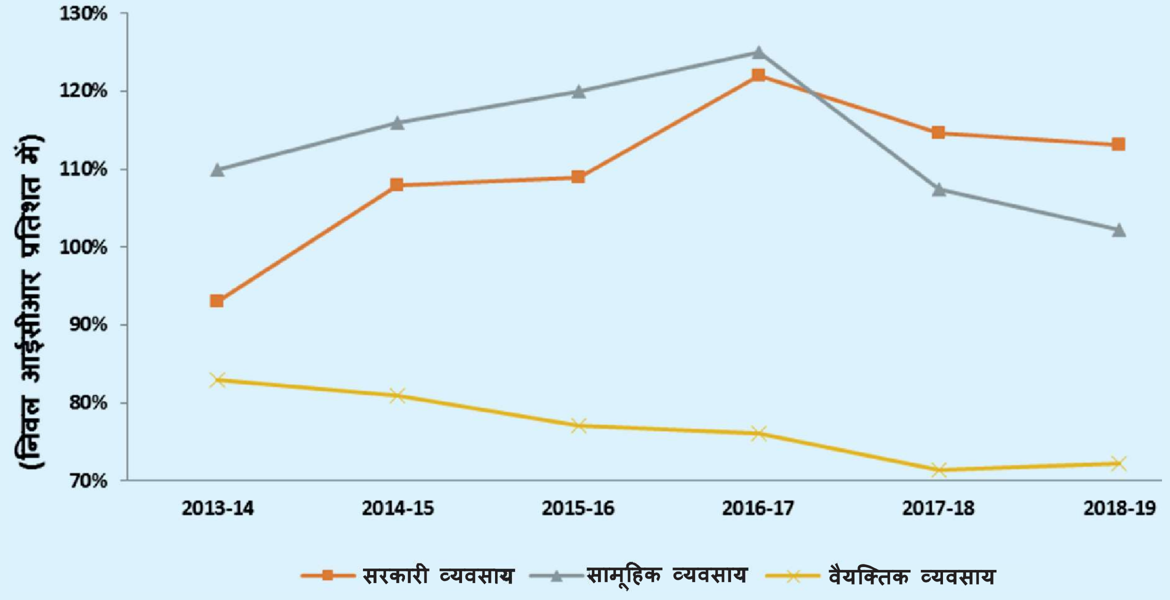

सारणी I.58
स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का क्षेत्र-वार निवल उपगत दावा अनुपात
(वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	112%	117%	122%	108%	105%
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	84%	81%	84%	80%	84%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	63%	58%	58%	62%	63%
उद्योग औसत	**101%**	**102%**	**106%**	**94%**	**91%**

क्षेत्र-वार निवल आईसीआर के तौर पर यह पाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं के अंतर्गत सूचित किये गये निवल आईसीआर में भी सुधार है जो 2017-18 के 108% से 2018-19 में 105% तक सुधार हो गया है।

वैयक्तिक दुर्घटना व्यवसायः

I.4.5.5 2018-19 के दौरान बीमा उद्योग ने वैयक्तिक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत कुल 120.75 करोड़ व्यक्तियों को सम्मिलित किया है। इसमें सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पीएमजेडीवाई) और ई-टिकट यात्रियों के लिए आईआरसीटीसी यात्रा बीमा के अंतर्गत सम्मिलित किये गये 94.71 करोड़ व्यक्ति शामिल हैं।

सारणी I.59
वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की क्षेत्र-वार संख्या

(लाख में)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	764	3609	6423	6983	6990
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	2437	826	2242	4619	4944
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	30	38	55	83	141
कुल उद्योग	**3231**	**4473**	**8720**	**11685**	**12075**

टिप्पणी: उक्त डेटा में आईआरसीटीसी, पीएमएसबीवाई और पीएमजेडीवाई व्यवसायों के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या शामिल है। इस डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

टिप्पणीः यह ध्यान रखना चाहिए कि आईआरसीटीसी योजना के अंतर्गत, वैयक्तिक दुर्घटना बीमारक्षा रेलवे यात्रियों को यात्री द्वारा की गई एक विनिर्दिष्ट यात्रा के लिए ही दी जाती है तथा एक व्यक्ति सूचित की गई अवधि के दौरान बहुविध यात्राएँ कर सकता है। किसी भी वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी/योजना में सम्मिलित व्यक्तियों के संबंध में संभव है कि एक व्यक्ति को कई बार सम्मिलित किया गया हो।

सारणी I.60
2018-19 के दौरान सरकार प्रायोजित कुछ प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या एवं सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम

योजना का नाम	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या लाख में	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम ₹ लाख
आईआरसीटीसी	3099	1566
पीएमजेडीवाई	5030	1505
पीएमएसबीवाई	1342	16103
उद्योग कुल	**9471**	**19174**

यह ध्यान रखना चाहिए कि आईआरसीटीसी योजना के अंतर्गत, वैयक्तिक दुर्घटना बीमारक्षा रेलवे यात्रियों को यात्री द्वारा की गई एक विनिर्दिष्ट यात्रा के लिए ही दी जाती है तथा एक व्यक्ति सूचित की गई अवधि के दौरान बहुविध यात्राएँ कर सकता है।

2018-19 के दौरान, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय रु. 5209 करोड़ थी, जहाँ वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 13.63 प्रतिशत थी। जबकि कुल प्रीमियम में निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने 57 प्रतिशत का अंशदान किया है, सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ताओं ने प्रीमियम के 32 प्रतिशत का अंशदान किया है तथा शेष 11 प्रतिशत का अंशदान स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया है। व्यवसाय की इस व्यवस्था के अंतर्गत आईसीआर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 72 प्रतिशत था।

सारणी I.61
क्षेत्र-वार वैयक्तिक दुर्घटना बीमा प्रीमियम

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	708 (33%)	879 (34%)	1508 (41%)	1765 (38%)	1688 (32%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	1351 (63%)	1561 (60%)	1918 (52%)	2424 (53%)	2960 (57%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	94 (4%)	170 (6%)	267 (7%)	395 (9%)	561 (11%)
कुल जोड़	**2,153**	**2,610**	**3,693**	**4,584**	**5,209**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल प्रीमियम में विभिन्न क्षेत्रों का बाजार अंश दर्शाते हैं। उक्त डेटा में विदेशों में किये गये वैयक्तिक व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

विदेश यात्रा बीमा

I.4.5.6 2018-19 के दौरान बीमा क्षेत्र ने 50.54 लाख व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 25.85 लाख विदेश यात्रा बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय रु.757 करोड़ थी। व्यवसाय की इस व्यवस्था के लिए उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 54 प्रतिशत था।

व्यवसाय की इस व्यवस्था में निजी साधारण बीमाकर्ता प्रमुख खिलाड़ी हैं, जिनका बाजार अंश सकल प्रीमियम में 81 प्रतिशत रहा है। सरकारी क्षेत्र के साधारण बीमाकर्ताओं और स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का अंश क्रमशः 4% और 15% था। शीर्षस्थ तीन बीमाकर्ताओं अर्थात् टाटा एआईजी (22 प्रतिशत), आईसीआईसीआई लोम्बार्ड (18 प्रतिशत) और बजाज अलायंज (17 प्रतिशत) ने कुल प्रीमियम का 57% अंशदान किया।

सारणी I.62
क्षेत्र-वार विदेश यात्रा बीमा प्रीमियम

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	41 (9%)	32 (6%)	35 (6%)	31 (5%)	31 (4%)
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	403 (86%)	467 (87%)	486 (84%)	523 (81%)	615 (81%)
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	21 (5%)	37 (7%)	59 (10%)	89 (14%)	111 (15%)
कुल जोड़	**465**	**536**	**580**	**643**	**757**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं। उक्त डेटा में विदेशों में किये गये विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

देशी यात्रा बीमा

I.4.5.7 देशी यात्रा बीमा व्यवसाय से सकल प्रीमियम आय 2018-19 के दौरान रु.116.24 करोड़ थी, जिसने पिछले वर्ष के रु.62 करोड़ के सकल प्रीमियम की तुलना में 88 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। 2018-19 के दौरान उद्योग ने 25.87 करोड़ व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 1.14 करोड़ बीमा पॉलिसियाँ जारी की हैं। व्यवसाय की इस व्यवस्था हेतु आईसीआर वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए 14 प्रतिशत था।

सारणी I.63
क्षेत्र-वार देशी यात्रा बीमा सकल प्रीमियम

(करोड़ ₹)

क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	0.01	0.002	0.0005	0	0
निजी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता	16.05	21.80	24.59	61.46	116.19
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता	0.0	0.00	0.01	0.21	0.05
कुल जोड़	**16.06**	**21.80**	**24.6**	**61.67**	**116.24**

विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

I.4.5.8 सरकारी क्षेत्र के केवल 3 साधारण बीमाकर्ताओं अर्थात् न्यू इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस और ओरियन्टल इंश्योरेंस ने विदेशों में स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय किया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन तीन बीमाकर्ताओं ने स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसायों सहित) से सकल प्रीमियम के रूप में कुल रु.205.80 करोड़ प्राप्त किये हैं तथा 40.45 लाख की कुल संख्या में व्यक्तियों को बीमारक्षा प्रदान की है। इन 3 बीमाकर्ताओं के बीच अकेले न्यू इंडिया एश्योरेंस ने ही विदेशों से कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 81% का अंशदान किया तथा विदेशों में सम्मिलित व्यक्तियों की कुल संख्या के 97% को बीमारक्षा प्रदान की। 2018-19 के दौरान भारत के बाहर किये गये व्यवसाय की इस व्यवस्था का आईसीआर 102% है।

सारणी I.64

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान विदेशों में किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय*

(पालिसियों की संख्या वास्तविक)(व्यक्तियों की संख्या '000 में)(उपगत दावा अनुपात % में)(राशि लाख □में)

बीमाकर्ता	जारी की गई पालिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रीमियम	निवल अर्जित प्रीमियम	उपगत दावे (निवल)	उपगत दावा अनुपात (निवल)
नेशनल	64	19	272.6	252	238	94%
न्यू इंडिया	13015	3909	16663	17558	17934	102%
ओरियन्टल	3701	116	3644	3309	3470	105%
सरकारी कुल	**16780**	**4045**	**20580**	**21119**	**21641**	**102%**

टिप्पणी: कोष्ठक में आंकड़े कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में बाजार अंश दर्शाते हैं। उक्त डेटा में विदेशों में किये गये विदेश यात्रा बीमा व्यवसाय का विवरण शामिल नहीं है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय का राज्य-वार वितरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.9 जबकि पाँच राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, दिल्ली यूटी और गुजरात ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 66 प्रतिशत का अंशदान किया, वहीं शेष 31 राज्यों / संघ-राज्य क्षेत्रों ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 34 प्रतिशत का अंशदान किया। अकेले महाराष्ट्र राज्य ने ही कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के रु.13708.44 करोड़ रुपये (31 प्रतिशत) का अंशदान किया।

चार्ट I.21 : कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 2018-19 में शीर्षस्थ 5 राज्यों का अंश

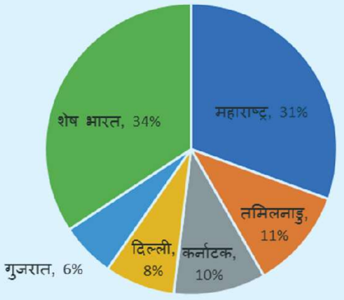

स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का माध्यम-वार वितरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

I.4.5.10 स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के वितरण के लिए विभिन्न माध्यमों के बीच "वैयक्तिक एजेंट" 31 प्रतिशत पर लगातार कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में एक बड़े अंश का योगदान करते हैं। वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में उनका अंश 73 प्रतिशत पर अभी भी उच्चतर रहा।

“प्रत्यक्ष विक्रय - ऑनलाइन को छोड़कर अन्य" स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए दूसरा प्रमुख माध्यम है। इस माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में 34 प्रतिशत का अंशदान किया है। सरकारी व्यवसाय से प्राप्त सकल प्रीमियम में 100 प्रतिशत अंश के बाद सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में इस माध्यम का अंश 38 प्रतिशत पर अधिक है।

स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय के वितरण के लिए तीसरा महत्वपूर्ण माध्यम दलाल हैं, जिन्होंने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 22 प्रतिशत का अंशदान किया। सामूहिक स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम में दलालों का अंश 43 प्रतिशत पर अधिक था।

"बैंकेश्युरेंस" माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 6 प्रतिशत का अंशदान किया तथा "ऑनलाइन विक्रय" माध्यम ने कुल स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम के 1 प्रतिशत का अंशदान किया।

सारणी I.65

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जारी की गई पालिसियों की संख्या एवं संगृहीत प्रीमियम की राशि में वितरण के विभिन्न माध्यमों का अंश

माध्यम का नाम	जारी की गई पालिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम	जारी की गई पालिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम	जारी की गई पालिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम	जारी की गई पालिसियों की संख्या	सकल प्रीमियम
दलाल	0%	0%	5%	43%	3%	4%	3%	22%
कारपोरेट एजेंट - बैंक	0%	0%	34%	10%	4%	2%	6%	6%
कारपोरेट एजेंट-बैंकों से इतर	0%	0%	24%	4%	12%	9%	12%	5%
प्रत्यक्ष विक्रय-आनलाइन	2%	0%	1%	0%	2%	2%	2%	1%
प्रत्यक्ष विक्रय-आनलाइन से इतर	98%	100%	26%	38%	24%	8%	24%	34%
वैयक्तिक एजेंट	0%	0%	5%	5%	54%	73%	51%	31%
सूक्ष्म बीमा एजेंट	0.000%	0.000%	0.577%	0.069%	0.000%	0.000%	0.031%	0.033%
वेब संग्राहक	0.000%	0.000%	0.039%	0.029%	1.356%	1.630%	1.287%	0.651%
बीमा विपणन फर्म	0.000%	0.000%	0.001%	0.004%	0.021%	0.033%	0.020%	0.015%
बिक्री केन्द्र	0.000%	0.000%	0.009%	0.006%	0.136%	0.133%	0.129%	0.055%
सामान्य सेवा केन्द्र	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%
अन्य	0%	0%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
सभी माध्यमों का योग	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

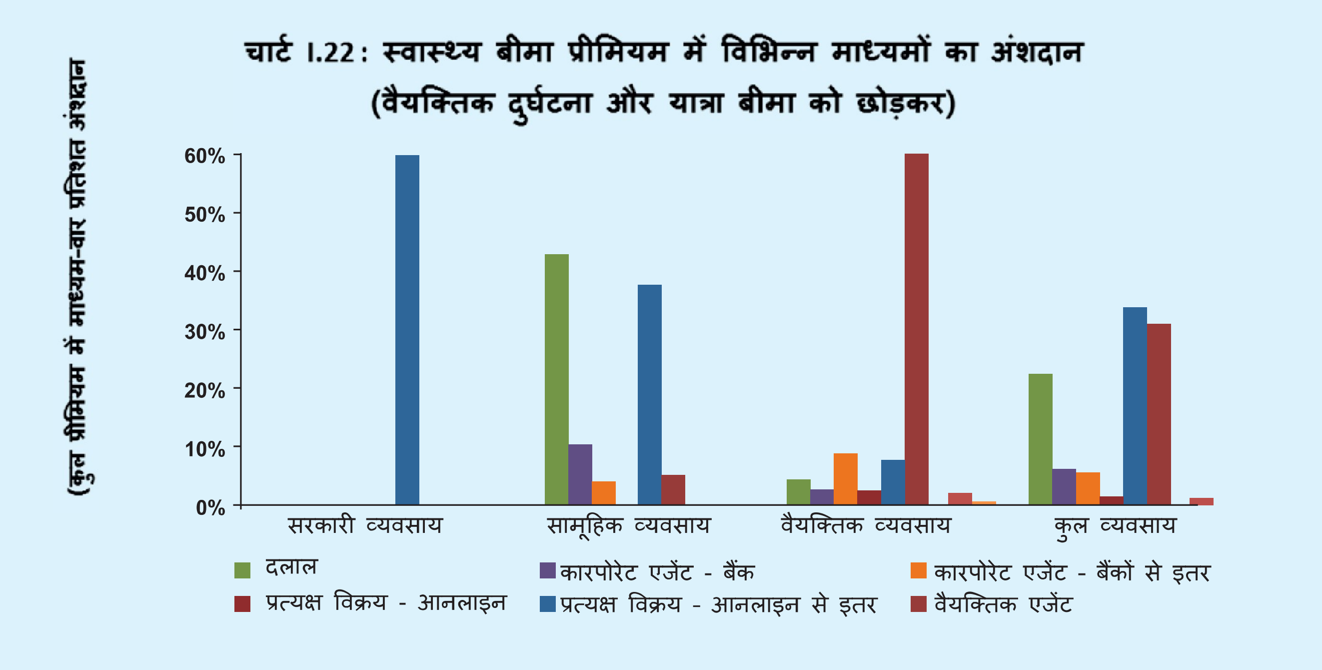

स्वास्थ्य बीमा - 2018-19 के दौरान दावा गतिविधि का विवरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा को छोड़कर)

सारणी I.66

अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	548674 58%	95641 49%	324648 34%	59800 30%	68989 7%	41172 21%	24 0%	10 0%	942335 100%	196623 100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	7317698 57%	1539911 56%	4701451 37%	904377 33%	767439 6%	296775 11%	1149 0%	396 0%	12787736 100%	2741459 100%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	6336363 56%	1305049 54%	4356366 38%	847897 35%	696294 6%	265149 11%	714 0%	220 0%	11389737 100%	2418315 100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	784033 59%	222268 59%	468139 35%	107831 29%	75057 6%	47403 13%	435 0%	166 0%	1327664 100%	377667 100%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	745976 74%	127840 59%	201594 20%	63100 29%	65077 6%	25396 12%	24 0%	20 0%	1012670 100%	216356 100%

सारणी I.67
बीमाकर्ताओं द्वारा सीधे संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	299535	44628	83134	62458	220	298	4593	11157	387482	118542
	77%	38%	21%	53%	0%	0%	1%	9%	100%	100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	2610194	795301	2514213	713798	17159	26230	36911	28114	5178477	1563443
	50%	51%	49%	46%	0%	2%	1%	2%	100%	100%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	2190475	562437	2288164	477941	15413	22731	28771	16859	4522823	1079968
	48%	52%	51%	44%	0%	2%	1%	2%	100%	100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	343382	112544	187128	82391	1611	805	6446	9960	538567	205701
	64%	55%	35%	40%	0%	0%	1%	5%	100%	100%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	375870	164948	122055	67412	355	2992	6287	12452	504567	247804
	74%	67%	24%	27%	0%	1%	1%	5%	100%	100%

सारणी I.68
दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से संभाले गये दावे

(संख्याएँ वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

विवरण	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	848209	140269	407782	122258	69209	41471	4617	11168	1329817	315165
	64%	45%	31%	39%	5%	13%	0%	4%	100%	100%
अवधि के दौरान पंजीकृत नये दावे	9927892	2335212	7215664	1618175	784598	323005	38060	28510	17966213	4304902
	55%	54%	40%	38%	4%	8%	0.21%	0.66%	100%	100%
अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	8526838	1867485	6644530	1325838	711707	287880	29485	17079	15912560	3498282
	54%	53%	42%	38%	4%	8%	0%	0%	100%	100%
अवधि के दौरान निराकृत दावे	1127415	334812	655267	190223	76668	48208	6881	10126	1866231	583368
	60%	57%	35%	33%	4%	8%	0%	2%	100%	100%
वर्ष के अंत में बकाया दावे	1121846	292788	323649	130512	65432	28388	6311	12473	1517237	464160
	74%	63%	21%	28%	4%	6%	0%	3%	100%	100%

टिप्पणी: 1. दावों का निपटान केवल नकदीरहित पद्धति के द्वारा किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान प्रतिपूर्ति के द्वारा नहीं किया गया।
2. दावों का निपटान केवल प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा नहीं किया गया।
3. दावे जिनका भुगतान दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति की पद्धतियों के माध्यम से किया गया।

सारणी I.66, I.67 और I.68 के संबंध में टिप्पणियाँ निम्नानुसार हैं।

- 2018-19 के दौरान साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने 1.59 करोड़ स्वास्थ्य बीमा दावों का निपटान किया है तथा स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान के लिए रु.34983 करोड़ का भुगतान किया है। प्रति दावा अदा की गई औसत राशि रु. 21984 थी।

- निपटाये गये दावों की संख्या के तौर पर 72 प्रतिशत दावे टीपीए के माध्यम से निपटाये गये तथा दावों के शेष 28 प्रतिशत का निपटान आंतरिक व्यवस्था के द्वारा किया गया।

- दावों के निपटान की पद्धति के तौर पर दावों की कुल संख्या के 54 प्रतिशत का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा किया गया तथा दावों के अन्य 42 प्रतिशत को प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा निपटाया गया। बीमाकर्ताओं ने अपने दावों के 4 प्रतिशत का निपटान "दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति पद्धति" के द्वारा किया है।

- 2018-19 के दौरान बीमाकर्ताओं ने अपनी बहियों में दर्ज दावों की कुल संख्या के 82 प्रतिशत का निपटान किया है तथा पंजीकृत दावों की कुल संख्या के 10 प्रतिशत का निराकरण किया है। पंजीकृत शेष 8 प्रतिशत दावे 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार निपटान के लिए लंबित थे।

स्वास्थ्य बीमा - 2018-19 के दौरान दावों की अवधि का विवरण (वैयक्तिक दुर्घटना और यात्रा बीमा व्यवसाय को छोड़कर)

सारणी I.69

अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण

(संख्या वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	5125194	834493	2722889	476183	590756	223985	689	211	8439528	1534871
	80.9%	63.9%	62.5%	56.2%	84.8%	84.5%	96.5%	95.7%	74.1%	63.5%
1 से 3 महीने	878217	335022	1259765	271204	71563	28570	25	10	2209570	634806
	13.9%	25.7%	28.9%	32.0%	10.3%	10.8%	3.5%	4.3%	19.4%	26.2%
3 से 6 महीने	268520	103356	328018	87261	25307	9345	0	0	621845	199962
	4.2%	7.9%	7.5%	10.3%	3.6%	3.5%	0.0%	0.0%	5.5%	8.3%
6 से 12 महीने	53732	34647	36039	11767	5858	2244	0	0	95629	48658
	0.8%	2.7%	0.8%	1.4%	0.8%	0.8%	0.0%	0.0%	0.8%	2.0%
1 से 2 वर्ष	8341	-2585	7642	1163	2808	1002	0	0	18791	-420
	0.1%	-0.2%	0.2%	0.1%	0.4%	0.4%	0.0%	0.0%	0.2%	0.0%
2 वर्ष से अधिक	2359	115	2013	319	2	3	0	0	4374	438
	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
कुल	**6336363**	**1305049**	**4356366**	**847897**	**696294**	**265149**	**714**	**220**	**11389737**	**2418315**
	100%	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**

सारणी I.70 आंतरिक रूप से निपटान के माध्यम से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण

(संख्या वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	2136250	518030	2032750	336404	14457	22226	25975	13986	4209432	890647
	97.5%	92.1%	88.8%	70.4%	93.8%	97.8%	90.3%	83.0%	93.1%	82.5%
1 से 3 महीने	37408	35593	164122	91538	904	484	2395	2080	204829	129694
	1.7%	6.3%	7.2%	19.2%	5.9%	2.1%	8.3%	12.3%	4.5%	12.0%
3 से 6 महीने	10449	4437	78036	18547	46	17	265	548	88796	23549
	0.5%	0.8%	3.4%	3.9%	0.3%	0.1%	0.9%	3.3%	2.0%	2.2%
6 से 12 महीने	5233	1758	12258	30108	5	4	96	164	17592	32034
	0.2%	0.3%	0.5%	6.3%	0.0%	0.0%	0.3%	1.0%	0.4%	3.0%
1 से 2 वर्ष	971	1014	763	689	0	0	20	67	1754	1770
	0.0%	0.2%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.4%	0.0%	0.2%
2 वर्ष से अधिक	164	1606	235	654	1	0	20	13	420	2273
	0.0%	0.3%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.2%
कुल	**2190475**	**562437**	**2288164**	**477941**	**15413**	**22731**	**28771**	**16859**	**4522823**	**1079967**
	100.0%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**

सारणी I.71 दोनों अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) के माध्यम से और आंतरिक रूप से बीमाकर्ताओं द्वारा अदा किये गये दावों की अवधि का विवरण

(संख्या वास्तविक) (राशि लाख ₹ में)

दावों का भुगतान निम्न अवधि में किया गया	केवल नकदीरहित (1)		केवल प्रतिपूर्ति (2)		दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति (3)		लाभ आधारित		कुल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
< 1 महीना	7261444	1352523	4755639	812587	605213	246211	26664	14197	12648960	2425518
	85.2%	72.4%	71.6%	61.3%	85.0%	85.5%	90.4%	83.1%	79.5%	69.3%
1 से 3 महीने	915625	370615	1423887	362742	72467	29054	2420	2090	2414399	764500
	10.7%	19.8%	21.4%	27.4%	10.2%	10.1%	8.2%	12.2%	15.2%	21.9%
3 से 6 महीने	278969	107793	406054	105809	25353	9362	265	548	710641	223511
	3.3%	5.8%	6.1%	8.0%	3.6%	3.3%	0.9%	3.2%	4.5%	6.4%
6 से 12 महीने	58965	36405	48297	41875	5863	2248	96	164	113221	80692
	0.7%	1.9%	0.7%	3.2%	0.8%	0.8%	0.3%	1.0%	0.7%	2.3%
1 से 2 वर्ष	9312	-1572	8405	1853	2808	1002	20	67	20545	1350
	0.1%	-0.1%	0.1%	0.1%	0.4%	0.3%	0.1%	0.4%	0.1%	0.0%
2 वर्ष से अधिक	2523	1721	2248	973	3	3	20	13	4794	2711
	0.0%	0.1%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.1%
कुल	**8526838**	**1867486**	**6644530**	**1325838**	**711707**	**287880**	**29485**	**17079**	**15912560**	**3498282**
	100.0%	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**	**100.0%**

टिप्पणी: 1. दावों का निपटान केवल नकदीरहित पद्धति के द्वारा किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान प्रतिपूर्ति के द्वारा नहीं किया गया। 2. दावों का निपटान केवल प्रतिपूर्ति की पद्धति के द्वारा किया गया। दावे के किसी भाग का निपटान नकदीरहित पद्धति के द्वारा नहीं किया गया। 3. दावे जिनका भुगतान दोनों नकदीरहित और प्रतिपूर्ति की पद्धतियों के द्वारा किया गया।

टिप्पणी: 2. प्रतिशत मे दिये गये मूल्य, निपटान की संबंधित पद्धति के अंतर्गत अदा किये गये कुल दावों की तुलना में एक विशिष्ट समय-सीमा के अंदर अदा किये गये दावों का अनुपात दर्शाते हैं।

I.4.5.11स्टौंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं (एसएएचआई) के कार्यालय

स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्यालयों की संख्या और वितरण (31 मार्च को)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या 883 थी, जबकि 31 मार्च 2018 को यह 775 थी। इन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों के भौगोलिक वितरण के अनुसार, यह पाया गया है कि इन बीमाकर्ताओं के 50% कार्यालय महानगरीय क्षेत्रों में स्थित हैं, जबकि 40% कार्यालय शहरी क्षेत्रों में और 10% कार्यालय अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इन बीमाकर्ताओं का कोई कार्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित नहीं है। इन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों के स्तर-वार वर्गीकरण के संबंध में यह पाया गया है कि 90% कार्यालय केवल स्तर-I नगरों में स्थित हैं, जबकि स्तर-II, स्तर-III और स्तर-IV शहरों में क्रमशः 4%, 5% और 1% कार्यालय हैं। स्तर-V और स्तर-VI शहरों में कोई कार्यालय नहीं हैं।

सारणी I.72
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या

(31मार्च को)

बीमाकर्ता	2016	2017	2018	2019
आदित्य बिड़ला	ला.न.	10	60	61
अपोलो म्यूनिख	101	110	158	186
सिगना टीटीके	16	19	19	23
मैक्स बूपा	27	28	30	40
रिलायंस हेल्थ	ला.न.	ला.न.	ला.न.	02
रेलिगेर	56	61	74	111
स्टार हेल्थ	320	367	434	460
कुल	**520**	**594**	**775**	**883**

चार्ट I.23
पिछले 4 वर्षों में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों की संख्या

सारणी I.73 स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

बीमाकर्ता	स्तर-वार वर्गीकरण							भौगोलिक वर्गीकरण				
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर IV	स्तर V	स्तर VI	कुल	महा-नगरीय	शहरी	अर्ध-शहरी	ग्रामीण	कुल
आदित्य बिड़ला	61	0	0	0	0	0	61	55	6	0	0	61
अपोलो म्यूनिख	181	3	2	0	0	0	186	91	90	5	0	186
सिगना टीटीके	23	0	0	0	0	0	23	18	5	0	0	23
मैक्स बूपा	40	0	0	0	0	0	40	34	6	0	0	40
रिलायंस हेल्थ	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	2
रेलिगेर	110	1	0	0	0	0	111	72	38	1	0	111
स्टार हेल्थ	376	35	43	6	0	0	460	167	209	84	0	460
कुल	**793**	**39**	**45**	**6**	**0**	**0**	**883**	**439**	**354**	**90**	**0**	**883**

स्तर I - जनसंख्या 1,00,000 और अधिक.
स्तर II - जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक
स्तर III - जनसंख्या 20,000 से 49,999 तक
स्तर IV - जनसंख्या 10,000 से 19,999 तक.
स्तर V - जनसंख्या 5,000 से 9,999 तक

स्तर VI - जनसंख्या 5,000 से कम
महानगरीय: 10,00,000 और अधिक;
शहरी: 1,00,000 से 9,99,999 तक;
अर्ध-शहरी: 10,000 से 99,999 तक;
ग्रामीण जनसंख्या 9999 तक।

चार्ट I.24
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का स्तर-वार वितरण

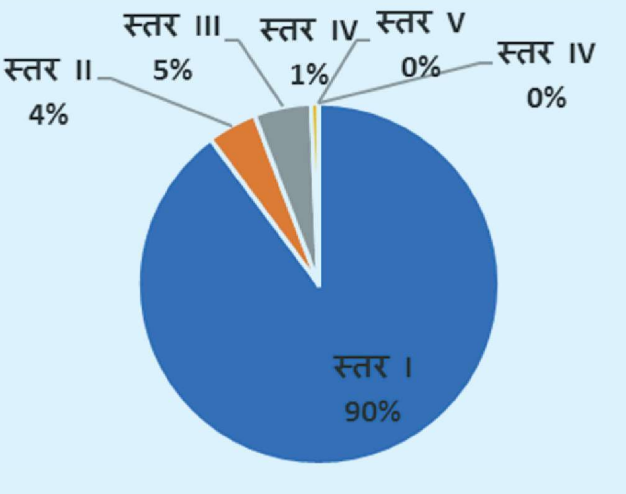

चार्ट I.25
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का भौगोलिक वर्गीकरण-वार वितरण

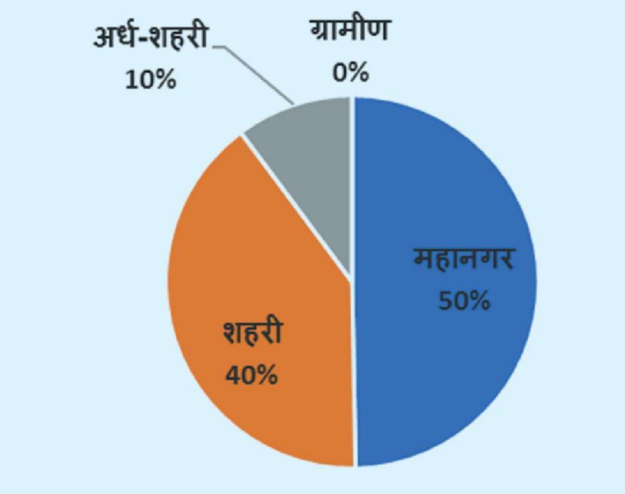

स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य और संघराज्य क्षेत्र वार वितरणः

स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल कार्यालयों में से 91% 15 राज्यों/संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त, 7 राज्य और संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ इस स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कोई कार्यालय नहीं है।

स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों से युक्त/रहित जिलों की राज्य-वार संख्याः

डेटा का जिला-वार विश्लेषण यह प्रकट करता है कि देश में 718 जिलों में से 245 जिलों में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय हैं। इस स्थिति के होते हुए, स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय देश में 34% जिलों में स्थित हैं। कुछ राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के मामले में जिलों के एक बड़े अनुपात में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालय हैं। वे हैं, केरल (14 में से 13), आंध्र प्रदेश (13 में से 11) और दिल्ली एनसीटी (11 में से 9)। दूसरी ओर, 7 राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, अंदमान व निकोबार, दादरा व नगर हवेली, दमण और दीव एवं लक्षद्वीप के 39 जिलों में स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कोई कार्यालय नहीं है।

सारणी I.74

स्टेंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों से युक्त / रहित जिलों की राज्य-वार संख्या

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	राज्य का नाम	जिलों की संख्या	कार्यालयों से युक्त जिलों की संख्या	कार्यालयों से रहित जिलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	13	11	2
2	अरुणाचल प्रदेश	20	0	20
3	असम	33	5	28
4	बिहार	38	5	33
5	छत्तीसगढ़	27	4	23
6	दिल्ली (एनसीटी)	11	9	2
7	गोवा	2	1	1
8	गुजरात	33	15	18
9	हरियाणा	22	14	8
10	हिमाचल प्रदेश	12	2	10
11	जम्मू व कश्मीर	22	1	21
12	झारखंड	24	5	19
13	कर्नाटक	30	17	13
14	केरल	14	13	1
15	मध्य प्रदेश	51	11	40
16	महाराष्ट्र	36	21	15
17	मणिपुर	16	1	15
18	मेघालय	11	1	10
19	मिजोरम	8	0	8
20	नगालैंड	11	1	10
21	ओडिशा	30	7	23
22	पंजाब	22	9	13
23	राजस्थान	33	11	22
24	सिक्किम	4	0	4
25	तमिलनाडु	32	26	6
26	तेलंगाना	31	12	19
27	त्रिपुरा	8	1	7
28	उत्तर प्रदेश	75	22	53
29	उत्तराखंड	13	4	9
30	पश्चिम बंगाल	23	14	9
31	अंदमान व निकोबार	3	0	3
32	चंडीगढ़	1	1	0
33	दादरा और नगर हवेली	1	0	1
34	दमण और दीव	2	0	2
35	लक्षद्वीप (संघ राज्यक्षेत्र)	1	0	1
36	पुदुचेरी	4	1	3
37	**कुल**	**718**	**245**	**473**

I.4.5.12 अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की कार्यपद्धतिः

01 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार 27 टीपीए आईआरडीएआई द्वारा पंजीकृत थे, जबकि 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 25 टीपीए थे। वर्ष 2018-19 के दौरान विज़न ई-मेडी सोल्यूशन्स इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड को पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया।

क. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ई-मेडीटेक इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र 11 जनवरी 2019 को निरस्त किया गया।

ख. मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लि. को मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के टीपीए व्यवसाय के अवपात (स्लम्प) विक्रय के अनुसरण में मेडीकेअर इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र 19 फरवरी 2019 क निरस्त किया गया।

ग. डेडिकेटेड हेल्थकेअर सर्विसेज़ टीपीए (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र 25 अप्रैल 2018 को समाप्त हो गया है। इस संस्था का विलय मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड के साथ हो गया है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के पास पंजीकृत टीपीए की सूची सारणी I.75 में दी गई है, 2018-19 के दौरान प्राधिकरण द्वारा नवीकृत टीपीए पंजीकरणों की सूची सारणी I.76 में दी गई है, टीपीए ने अपने नेटवर्कों में नये अस्पतालों को जोड़ने के द्वारा अस्पतालों के नेटवर्क का विस्तार किया है जैसा कि सारणी I.77 में विनिर्दिष्ट किया गया है।

सारणी I.75 - अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की सूची

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम.सं.	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) का नाम	पंजीकरण संख्या	पंजीकरण प्रमाणपत्र- कब तक विधिमान्य
1	युनाइटेड हेल्थ केयर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लि.	2	20.03.2020
2	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	3	20.03.2020
3	एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5	20.03.2020
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.	6	20.03.2020
5	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	8	20.03.2020
6	फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड**	10	20.03.2020
7	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	13	20.03.2020
8	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	15	31.03.2020
9	वाइडल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	16	15.05.2020
10	अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड	17	15.05.2020
11	ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	18	15.05.2020
12	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	19	14.05.2020
13	जेन्निस इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	20	10.06.2020
14	अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	21	17.11.2020
15	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	22	17.11.2020
16	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	23	26.01.2021
17	विपुल मेडीकार्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	24	28.02.2022
18	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	25	27.09.2022
19	सेफ़वे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	26	19.07.2020
20	अनमोल मेडीकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	27	26.10.2020
21	ग्रैन्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	29	15.05.2021
22	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	30	15.07.2022
23	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	35	17.12.2021
24	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए आफ इंडिया लिमिटेड	36	05.06.2020
25	विज़न ई-मेडी सोल्यूशन्स इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लि.	37	24.06.2021

****टिप्पणी:** फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) आदेश संदर्भः आईआरडीएआई/ एचएलटी/ विविध/ ओआरडी/ 115/07/2019 दिनांक 12 जुलाई 2019 के अनुसार निरस्त किया गया है।

सारणी I.76
अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) की सूची जिनके पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण 2018-19 के दौरान किया गया

क्रम.सं.	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) का नाम	पंजीकरण संख्या
1	विपुल मेडीकार्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	24
2	ग्रैन्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	29
3	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	35

सारणी I.77
अन्य पक्ष प्रबंधकों (टीपीए) द्वारा सूचीबद्ध नेटवर्क अस्पतालों संबंधी सूचना 2018-19

क्रम. सं.	अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) का नाम	*वर्ष के प्रारंभ में नेटवर्क में अस्पतालों की संख्या	*वर्ष के दौरान नेटवर्क में जोड़े गये अस्पतालों की संख्या	*वर्ष के दौरान नेटवर्क से वापस लिये गये/ हटाये गये अस्पतालों की संख्या	*वर्ष के अंत में नेटवर्क में अस्पतालों की कुल संख्या
1	युनाइटेड हेल्थ केयर पारेख इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लि.	4806	517	23	5300
2	मेडी असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	7590	1129	1847	6872
3	एमडीइंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	10691	1423	1325	10789
4	पैरमाउन्ट हेल्थ सर्विसेज़ एण्ड इंश्योरेंस टीपीए प्रा. लि.	15401	1876	1880	15397
5	हेरिटेज हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6373	1521	737	7157
6	फोकस हेल्थ इंश्योरेंस (टीपीए) प्राइवेट लिमिटेड**	**टीपीए कंपनी द्वारा डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया			
7	फैमिली हेल्थ प्लान इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	7270	5579	389	12460
8	रक्षा हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	2475	654	90	3039
9	वाइडल हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	6478	2432	1209	7701
10	अन्युता इंश्योरेंस टीपीए इन हेल्थ केयर प्राइवेट लि.	931	0	146	1077
11	ईस्ट वेस्ट असिस्ट इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5022	172	6	5188
12	मेडसेव हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	6497	2378	20	8855
13	जेन्निस इंडिया इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4504	341	47	4798
14	अलंकित इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	4759	310	2	5067
15	हेल्थ इंडिया इंश्योरेंस टीपीए सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड	5535	1046	341	6240
16	गुड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	5442	754	341	5855
17	विपुल मेडीकार्प इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	9180	0	185	9479
18	पार्क मेडीक्लेम इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5722	3813	0	9535
19	सेफ़वे इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	5170	1044	838	5376
20	अनमोल मेडीकेयर इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	472	37	0	509
21	ग्रैन्ड इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	1954	2131	0	4085
22	रोथशील्ड इंश्योरेंस टीपीए लिमिटेड	3486	205	0	3691
23	एरिक्सन इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	4251	1340	0	5591
24	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए आफ इंडिया लिमिटेड	2040	289	12	2317
25	विज़न ई-मेडी सोल्यूशन्स इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड	0	3982	0	3982

टिप्पणी: *अस्पतालों की सहबद्धता एक से अधिक टीपीए के साथ हो सकती है।

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा किया गया स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय

पॉलिसियाँ और प्रीमियम

I.4.5.13 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने विभिन्न स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से रु.827 करोड़ का कुल प्रीमियम प्राप्त किया। जबकि नवीकरण प्रीमियम ने कुल प्रीमियम के 66% (रु.544 करोड़) का अंशदान किया, शेष 34% (रु.236 करोड़) का अंशदान नये व्यवसाय ने किया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 15.58 लाख जीवनों को बीमारक्षा प्रदान करते हुए 4.95 लाख नई पॉलिसियाँ जारी कीं, जबकि उन्होंने 10.80 लाख जीवनों को सम्मिलित करते हुए 6.79 लाख पॉलिसियों का नवीकरण किया।

सारणी I.78
नये व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय
(नियमित और एकल प्रीमियम पालिसियों से प्रथम वर्ष प्रीमियम)
(पालिसियों और जीवनों की संख्या वास्तविक है तथा प्रीमियम करोड़ ₹ में)

व्यवसाय का प्रकार	जारी की गई नई पालिसियों की संख्या	समाविष्ट नये जीवनों की संख्या	नये व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	256	1015953	52.69
वैयक्तिक व्यवसाय	495270	542426	230.05
कुल	**495526**	**1558379**	**282.73**

सारणी I.79
नवीकरण व्यवसाय से जीवन बीमाकर्ताओं का स्वास्थ्य व्यवसाय
(नियमित प्रीमियम पालिसियों से नवीकरण प्रीमियम)
(पालिसियों और जीवनों की संख्या वास्तविक है तथा प्रीमियम करोड़ ₹ में)

व्यवसाय का प्रकार	नवीकृत पालिसियों की संख्या	नवीकृत पालिसियों के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या	नवीकरण व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	3	335	0.09
वैयक्तिक व्यवसाय	679053	1079795	544.22
कुल	**679056**	**1080130**	**544.31**

I.4.5.14 जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में

अनुवृद्धियाँ जो मूल उत्पादों के साथ संबद्ध की जाती हैं, पॉलिसीधारकों को एक मूल्य संवर्धन के रूप में दी जाती हैं। जीवन बीमा पॉलिसियों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों के माध्यम से रु.232 करोड़ का प्रीमियम प्राप्त किया गया। इन अनुवृद्धियों से प्राप्त कुल प्रीमियम में से नवीकरण 46% (रु.106 करोड़) रहे जबकि शेष 54% (रु.125 करोड़) का अंशदान नये व्यवसाय द्वारा किया गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 14.09 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए नये जीवन बीमा मूल उत्पादों के साथ 4.72 लाख स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियाँ जारी की गईं। इसी अवधि के दौरान 16.63 लाख जीवनों को समाविष्ट करते हुए जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध 9.86 लाख अनुवृद्धियों का नवीकरण किया गया।

सारणी I.80

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नया व्यवसाय

(राइडरों और जीवनों की संख्या वास्तविक है) (राशि करोड़ ₹ में)

व्यवसाय का प्रकार	जारी की गई नई अनुवृद्धियों (राइडरों) की संख्या	स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडरों) के अंतर्गत समाविष्ट नये जीवनों की संख्या	नये व्यवसाय से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	256	936438	83.05
वैयक्तिक व्यवसाय	472346	473074	42.27
कुल	**472602**	**1409512**	**125.32**

सारणी I.81

जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में नवीकरण व्यवसाय

(राइडरों और जीवनों की संख्या वास्तविक है)(राशि करोड़ ₹ में)

व्यवसाय का प्रकार	जीवन बीमा उत्पादों के भाग के रूप में नवीकृत राइडरों की संख्या	ऐसी अनुवृद्धियों (राइडरों) के अंतर्गत समाविष्ट जीवनों की संख्या	नवीकृत अनुवृद्धियों (राइडरों) से सकल प्रीमियम
सरकार प्रायोजित योजनाएँ	0	0	0
सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	421	693456	19.10
वैयक्तिक व्यवसाय	986035	969965	87.34
कुल	**986456**	**1663421**	**106.44**

जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से संबंधित दावों का विवरण

I.4.5.15 जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों से संबंधित दावे

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं ने 39939 दावों के निपटान के लिए दावों के रूप में रु.182 करोड़ अदा किये हैं। स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा पंजीकृत दावों की कुल संख्या में से बीमाकर्ताओं ने 77 प्रतिशत दावों का भुगतान किया, जबकि 22 प्रतिशत दावों को निराकृत अथवा अस्वीकृत किया गया।

सारणी I.82

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा संभाले गये दावों का विवरण

(दावों की संख्या वास्तविक है तथा राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	यूनिट	सरकार प्रायोजित योजनाएँ	सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1 अप्रैल 2018 को बकाया दावों का विवरण	संख्या	0	0	1037	1037
	राशि	0	0	22.6	22.6
वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित दावों का विवरण	संख्या	0	78	51069	51147
	राशि	0	325	246.0	249.2
वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किये गये दावों का विवरण	संख्या	0	25	39914	39939
	राशि	0	108	180.8	181.9
वित्तीय वर्ष के दौरान निराकृत/ अस्वीकृत दावों का विवरण	संख्या	0	0	52	11665
	राशि	0	0	214	77.2
31 मार्च 2019 को बकाया दावों का विवरण	संख्या	0	1	527	528
	राशि	0	3	10.6	10.7

I.4.5.16 जीवन बीमा उत्पादों के साथ संबद्ध स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) से संबंधित दावे

अनुवृद्धियों (राइडर्स) संबंधी दावों के संबंध में पंजीकृत दावों में से 83 प्रतिशत दावों का भुगतान किया गया, जबकि 16 प्रतिशत दावों को निराकृत अथवा अस्वीकृत किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुवृद्धियों के संबंध में 1719 दावों के निपटान के लिए जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा रु.28.21 करोड़ की दावा राशि का भुगतान किया गया।

सारणी I.83

स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धियों (राइडर्स) के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा संभाले गये दावों का विवरण

(दावों की संख्या वास्तविक है तथा राशि करोड़ ₹ में)

विवरण	यूनिट	सरकार प्रायोजित योजनाएँ	सामूहिक व्यवसाय सरकार प्रायोजित योजनाओं को छोड़कर	वैयक्तिक व्यवसाय	कुल
1 अप्रैल 2018 को बकाया दावों का विवरण	संख्या	0	0	57	57
	राशि	0	0	0.9	0.9
वित्तीय वर्ष के दौरान सूचित दावों का विवरण	संख्या	0	292	1710	2002
	राशि	0	13.2	25	38.2
वित्तीय वर्ष के दौरान अदा किये गये दावों का विवरण	संख्या	0	149	1570	1719
	राशि	0	8.8	19.4	28.2
वित्तीय वर्ष के दौरान निराकृत/ अस्वीकृत दावों का विवरण	संख्या	0	143	190	333
	राशि	0	4.4	6.1	10.5
31 मार्च 2018 को बकाया दावों का विवरण	संख्या	0	0	7	7
	राशि	0	0	0.4	0.4

I.4.6 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों में व्यवसाय

I.4.6.1 वर्तमान विनियमों का सारांशः

आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ने वार्षिक आधार पर बीमाकर्ताओं द्वारा पूरे किये जानेवाले लक्ष्य निर्धारित किये हैं। इन विनियमों के अनुसार बीमाकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे (i) कुल व्यवसाय में से सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत जीवनों के प्रतिशत के तौर पर; तथा (ii) जीवन बीमाकर्ताओं के लिए सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से जोखिम-अंकन की जानेवाली पॉलिसियों की संख्या के प्रतिशत के तौर पर, जब कि साधारण और स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के लिए अंकित कुल सकल प्रीमियम आय के प्रतिशत के रूप में निर्धारित वर्ष-वार लक्ष्य पूरे करें। उक्त विनियम बीमाकर्ताओं से यह अपेक्षा करते हैं कि वे इन खंडों में व्यवसाय का जोखिम-अंकन अपने परिचालनों के प्रारंभ के वर्ष के आधार पर करें तथा लागू लक्ष्य प्रत्येक बीमाकर्ता के परिचालनों के वर्ष के साथ संबद्ध किये गये हैं। इन दायित्वों को पूरा करने के लिए, उक्त विनियमों में आगे यह भी व्यवस्था है कि यदि कोई बीमा कंपनी अपने परिचालन वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में प्रारंभ करती है और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है तो (i) उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण अथवा सामाजिक लक्ष्य लागू नहीं होंगे; तथा (ii) विनियमों में निर्दिष्ट किये गये रूप में वार्षिक दायित्व

अगले वित्तीय वर्ष से गणना में लिये जाएँगे जो अनुपालन के प्रयोजन के लिए परिचालनों के पहले वर्ष के रूप में माना जाएगा। उन मामलों में जहाँ कोई बीमा कंपनी वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करती है, वहाँ पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए इन विनियमों में विनिर्दिष्ट दायित्वों का 50 प्रतिशत होंगे तथा सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे।

2018-19 के दौरान जीवन बीमाकर्ताओं के दायित्वों की पूर्ति

जीवन बीमाकर्ताओं के ग्रामीण क्षेत्र दायित्व

I.4.6.2 2018-19 के दौरान निजी क्षेत्र की बाईस* जीवन बीमा कंपनियों ने अपने ग्रामीण क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया था। वर्ष 20187-19 में जोखिम-अंकित कुल पॉलिसियों के प्रतिशत के रूप में ग्रामीण क्षेत्र में उनके द्वारा जोखिम-अंकित पॉलिसियों की संख्या उनके लिए लागू दायित्वों के अनुसार थी।

सरकारी क्षेत्र का एकमात्र बीमाकर्ता, भारतीय जीवन बीमा निगम भी 2018-19 के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपने दायित्वों का अनुपालनकर्ता रहा।

I.4.6.3 जीवन बीमाकर्ताओं ने ग्रामीण क्षेत्र में 66.37 लाख पॉलिसियों का जोखिम-अंकन किया अर्थात् 2018-19 में उनके द्वारा जोखिम-अंकित नई वैयक्तिक पॉलिसियों (286.48 लाख पॉलिसियों) के 23.2 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया गया।

I.4.6.4 एलआईसी ने नई पॉलिसियों के 22.3 प्रतिशत का एवं निजी बीमाकर्ताओं ने अपनी नई वैयक्तिक पॉलिसियों के 25.8 प्रतिशत का जोखिम-अंकन ग्रामीण क्षेत्र में किया।

जीवन बीमाकर्ताओं के सामाजिक क्षेत्र दायित्व

I.4.6.5 2018-19 के दौरान बाईस* निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने और सरकारी क्षेत्र के भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है। सामाजिक क्षेत्र में उनके द्वारा बीमारक्षा प्रदान किये गये जीवनों की संख्या आईआरडीएआई (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 में निर्धारित शर्तों से अधिक थी।

I.4.6.6 *सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. को बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 52 बी (2) के अधीन आईआरडीएआई के आदेश संदर्भ आईआरडीएआई/एफएण्डए/ओआर/एफए/148/06/2017 के द्वारा 24 जून 2017 से किसी प्रकार के नये व्यवसाय का जोखिम-अंकन नहीं करने के लिए निर्देश दिया गया। अतः सहारा इंडिया लाइफ के संबंध में उक्त ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों के लिए विचार नहीं किया गया है।

साधारण बीमाकर्ताओं के दायित्व

I.4.6.7 सभी सरकारी और निजी क्षेत्र के बीमार्ताओं (स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं को छोड़कर) ने वर्ष 2018-19 के लिए ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों का अनुपालन किया।

स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के दायित्व

I.4.6.8 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सभी स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं ने अपने ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र दायित्वों को पूरा किया है। इन छह बीमाकर्ताओं के लक्ष्यों और उपलब्धियों का विवरण नीचे दिया गया है।

I.4.7 वित्तीय सूचना-प्रणाली और बीमांकिक मानक

नियुक्त बीमांकक प्रणाली

I.4.7.1 नियुक्त बीमांकक प्रणाली भारतीय बीमा उद्योग में एक दशक से भी अधिक समय से विद्यमान है। प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह एक बीमांकक की नियुक्ति करे जो नियुक्त बीमांकक के रूप में जाना जाता है।

नियुक्त बीमांकक बीमाकर्ता के प्रबंधक-वर्ग को बीमांकिक परामर्श देने के लिए उत्तरदायी है, विशेष रूप से उत्पाद अभिकल्पन और कीमत-निर्धारण, बीमा संविदा शब्दावली और अभिव्यक्तियों, निवेश और पुनर्बीमा; कंपनी की शोधक्षमता को सुनिश्चित करने और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अनुपालन करने के क्षेत्रों में।

नियुक्त बीमांकक को बीमाकर्ता के कब्जे में अथवा उसके नियंत्रण के अंतर्गत विद्यमान समस्त सूचना अथवा सभी दस्तावेजों तक पहुँच होती है, यदि नियुक्त बीमांकक के कार्यों और कर्तव्यों के उचित और प्रभावी कार्यनिष्पादन के लिए ऐसी पहुँच आवश्यक हो।

I.4.8 धन-शोधन निवारण / आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/सीएफटी) कार्यक्रम

एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.8.1 धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) और उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीमा क्षेत्र को एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश (दिशानिर्देश) सर्वप्रथम मार्च 2006 में जारी किये गये थे। तब से बीमा क्षेत्र भारत में एक प्रभावी एएमएल/सीएफटी व्यवस्था की दिशा में कार्य करता रहा है। ये दिशानिर्देश पीएमएलए के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ग्राहक के संबंध में उचित सावधानी की प्रक्रियाओं, सूचना देने के दायित्वों और अभिलेख-पालन की आवश्यकताओं के महत्व पर बल देते हैं।

I.4.8.2 बीमाकर्ताओं ने लेखा-परीक्षा समिति के माध्यम से अपने बोर्ड के विस्तृत पर्यवेक्षण के अधीन विभिन्न अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की दिशा में प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ स्थापित की हैं। बीमाकर्ता के आंतरिक लेखा-परीक्षा/निरीक्षण विभागों के माध्यम से प्रणालियों की प्रभावात्मकता की नियमित समीक्षा की जाती है। उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की भी निगरानी आईआरडीएआई द्वारा दोनों प्रत्यक्ष (ऑन-साइट) और परोक्ष (ऑफ़-साइट) प्रक्रियाओं के माध्यम से की जाती है।

नकदी स्वीकरण का प्रारंभ

I.4.8.3 बीमा क्षेत्र बहुत कुछ बैंकिंग क्षेत्र के समान है जहाँ दोनों ही देश में जनता के बीच बचत को प्रोत्साहित करने के लिए माध्यम और सहायक साधन हैं। देश में बीमा संबंधी कानूनों के अनुसार भी यह अनिवार्य है कि प्रत्येक कंपनी के व्यवसाय का कुछ अनुपात अवश्य ग्रामीण क्षेत्र से उत्पन्न हो। भारत में गाँवों की विपुल संख्या के होते हुए, जिसकी तुलना में बैंकों की व्याप्ति सीमित है, नकदी की स्वीकृति के संबंध में प्रतिबंधों के द्वारा उत्पन्न की गई बाधाओं को हटाने के लिए आईआरडीएआई ने बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित रूप में ही निर्धारित शर्त को पंक्तिबद्ध किया था। इसका उद्देश्य प्रभावी ढंग से ग्रामीण व्यवसाय प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियों को प्रोत्साहित करना भी था और इसके परिणामस्वरूप सुधार लाना था।

I.4.8.4 यह अपेक्षा 26 मई 2011 की सीबीडीटी अधिसूचना एस.ओ. 1214 (ई) के भी अनुरूप थी जो आय-कर नियम, 1962 के नियम 114बी को संशोधित करती है

और खंड (क्यू) को निविष्ट करती है जो प्रत्येक व्यक्ति से अपेक्षा करता है कि वह उन सभी लेनदेनों से संबंधित दस्तावेजों में अपनी स्थायी खाता संख्या (पैन) को उद्धृत करे जहाँ किसी बीमाकर्ता को जीवन बीमा प्रीमियम के रूप में एक वर्ष में कुल पचास हजार रुपये या उससे अधिक राशि का भुगतान निहित हो, जैसा कि बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) में परिभाषित है।

I.4.8.5 `नकदी में प्रीमियम के स्वीकरण' के संबंध में अधिक सख्त नियंत्रण रखने के लिए आईआरडीएआई ने कठोर नियंत्रणों को अनिवार्य कर दिया है, जैसे ग्राहक से प्राप्त किये जानेवाले पैन संख्या के सत्यापन की आवश्यकता। बीमाकर्ताओं के लिए यह भी आवश्यक है कि वे पैन विवरण के प्रकटीकरण से बचने के लिए किसी भी प्रकार के प्रयास को रोकने के लिए उपयुक्त व्यवस्था निर्धारित करें। बीमाकर्ताओं को निदेश दिया गया है कि इन अपेक्षाओं के संबंध में धोखा देने के संभव प्रयासों की स्थिति में वे इसकी सूचना संदिग्ध गतिविधि के रूप में वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) को दें।

साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देश

I.4.8.6 इस तथ्य पर विचार करते हुए कि साधारण बीमा कंपनियों के लिए लागू एएमएल/सीएफटी अपेक्षाएँ जीवन बीमा कंपनियों पर लागू अपेक्षाओं से भिन्न हैं, उक्त दिशानिर्देशों का आशोधन किया गया है ताकि वे साधारण बीमा व्यवसाय के विशिष्ट लक्षणों के सूक्ष्म भेदों के अनुरूप हो सकें। विभिन्न संबंधित पहलुओं पर साधारण बीमा परिषद के माध्यम से सभी साधारण बीमा कंपनियों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। साधारण बीमा कंपनियों पर यथाप्रयोज्य एएमएल/ सीएफटी ढाँचे की विभिन्न शर्तों/ अपेक्षाओं पर एक समेकित परिपत्र फरवरी 2013 में जारी किया गया। इस परिपत्र के द्वारा बीमाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वे प्रत्येक उत्पाद की प्रोफाइल के अपने जोखिम-निर्धारण के आधार पर एएमएल/ सीएफटी अपेक्षाओं को लागू करें। स्टैंडअलोन मेडिकल और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के संबंध में पूर्व में दी गई छूट अब समाप्त की गई है।

जीवन बीमाकर्ताओं के लिए एएमएल/ सीएफटी दिशानिर्देशों का संशोधन

I.4.8.7 केन्द्र सरकार द्वारा 2013 में पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में किये गये संशोधन के अनुसरण में जीवन बीमाकर्ताओं के लिए 2010 में जारी किये गये आईआरडीएआई के एएमएल/ सीएफटी संबंधी मास्टर परिपत्र में उक्त संशोधनों के अनुरूप संशोधन किया गया। संशोधित मास्टर परिपत्र का प्रारूप अभिमतों के लिए जीवन बीमा परिषद, और एफआईयू-आईएनडी को परिचालित किया गया। प्राप्त अभिमतों के आधार पर मास्टर परिपत्र के प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। उक्त मास्टर परिपत्र 28 सितंबर 2015 को जारी किया गया।

विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ समन्वय

I.4.8.8 आईआरडीएआई भारत में एएमएल/सीएफटी व्यवस्था के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों / विभागों के साथ सक्रिय रूप से समन्वय कर रहा है तथा यह राजस्व विभाग द्वारा गठित एएमएल/ सीएफटी संबंधी राष्ट्रीय जोखिम निर्धारण (एनआरए) के लिए कार्यदल का भाग है। एफएटीएफ की संशोधित सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए आर्थिक कार्य

विभाग (एफएटीएफ कक्ष) द्वारा गठित कोर कार्य दल (सीडब्ल्यूजी) का भी आईआरडीएआई एक हिस्सा है।

1.4.8.9 इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई धन-शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने संबंधी यूरेशियन समूह (ईएजी), जो एक एफएटीएफ शैली का क्षेत्रीय निकाय है, के साथ भी सक्रिय रूप से संबद्ध है।

I.4.8.10 आईआरडीएआई ने वित्तीय आसूचना यूनिट-इंडिया (एफआईयू-आईएनडी) के साथ नियमित इंटरऐक्शन प्रारंभ किया है तथा `बीमा क्षेत्र के लिए लाल झंडा संकेतकों' पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के संबंध में उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ गठित कार्य दल में सक्रिय रूप से भाग लिया है। आईआरडीएआई केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री निर्मित करने की वित्तीय सेवाएँ विभाग की पहल का भी भाग है।

I.4.8.11 धन-शोधन निवारण अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समन्वित प्रयासों के भाग के रूप में आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी ने 29 जनवरी 2014 को परस्पर सहयोग संबंधी एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं।

उक्त एमओयू के अनुसार, आईआरडीएआई और एफआईयू-आईएनडी निम्नलिखित सहित परस्पर हित के क्षेत्रों में एक दूसरे का सहयोग करेंगेः

क) उनके संबंधित डेटाबेसों में उपलब्ध आसूचना और जानकारी की साझेदारी करना।

ख) वह कार्यविधि और तरीका निर्धारित करना जिसमें सूचना देनेवाली संस्थाएँ पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत एफआईयू-आईएनडी को सूचना देंगी।

ग) सूचना देनेवाली संस्थाओं के लिए लोकसंपर्क और प्रशिक्षण संचालित करना।

घ) आईआरडीएआई द्वारा विनियमित सूचना देनेवाली संस्थाओं के एएमएल/ सीएफटी कौशल का दर्जा बढ़ाना।

ङ) बीमा क्षेत्र में धन-शोधन निवारण/ आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला (एएमएल/ सीएफटी) संबंधी जोखिमों और असुरक्षितताओं का निर्धारण।

च) बीमा क्षेत्र में संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टों (एसटीआर) के लिए लाल झंडा संकेतकों का अभिनिर्धारण।

छ) पीएमएलए के अंतर्गत सूचना देनेवाली संस्थाओं के दायित्वों के साथ उनके अनुपालन का पर्यवेक्षण और निगरानी।

ज) संबंधित अंतरराष्ट्रीय मानकों के अंतर्गत एक दूसरे के दायित्वों का अनुपालन।

केन्द्रीय केवाईसी अभिलेख रजिस्ट्री का परिचालन

I.4.8.12 ग्राहकों की केवाईसी संबंधी सूचना के विषय में बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए जिससे ग्राहक द्वारा किसी वित्तीय उत्पाद/ सेवा का उपयोग किये जाने के प्रत्येक समय बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं द्वारा केवाईसी संबंधी कार्रवाई की बहुलता से बचा जा सके, माननीय वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 2012-13 में घोषित किया कि केवाईसी डेटा के पंजीकरण की बहुलता से बचने के लिए एक `केन्द्रीय अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) भंडार' (डिपॉजिटरी) को विकसित किया जाएगा।

I.4.8.13 पीएमएल (अभिलेखों का रखरखाव) नियम, 2005 में 2015 के संशोधन के अनुसार, सूचना देनेवाली

प्रत्येक संस्था ग्राहक आधारित संबंध स्थापित करने के तीन दिन के अंदर ग्राहक के केवाईसी अभिलेखों की इलेक्ट्रॉनिक प्रति केन्द्रीय अभिलेख रजिस्ट्री ("सीकेवाईसीआर") के पास दाखिल करेगी।

I.4.8.14 आईआरडीएआई ने दिनांक 12 जुलाई 2016 के परिपत्र के अनुसार बीमाकर्ताओं को वैयक्तिक पॉलिसीधारकों के केवाईसी अभिलेख केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री को अपलोड करने के लिए सूचित किया।

ई-केवाईसी के लिए दिशानिर्देश

I.4.8.15 यूआईडीएआई ने अन्य बातों के साथ-साथ आधार संख्या के ई-केवाईसी प्रमाणीकरण के लिए क्रियाविधि निर्धारित करते हुए आधार (अधिप्रमाणन) विनियम, 2016 जारी किये। तदनुसार, आईआरडीएआई ने परिपत्र दिनांक 31 अगस्त 2017 के जरिये बीमाकर्ताओं को यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई "ई-केवाईसी अधिप्रमाणन सुविधा" के माध्यम से ग्राहक का सत्यापन निष्पादित करने के लिए सूचित किया।

I.4.8.16 माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिट याचिका (सिविल) सं. 494/2012 में दिनांक 26.09.2018 के आदेश के अनुसार आधार अधिनियम की संवैधानिक विधिमान्यता और आधार के सहवर्ती अधिप्रमाणन को मान्य ठहराया। तथापि, पीएमएल संशोधन नियम, 2017 द्वारा पीएमएल (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 (बीमा सहित वित्तीय सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आधार और पैन/फार्म 60 को अनिवार्य बनाते हुए) में संशोधन को असंवैधानिक माना गया है।

तदुपरांत, यूआईडीएआई ने भारत के सुविज्ञ महान्यायवादी के अभिमत के आधार पर स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की भौतिक प्रति एवं ई-आधार, आच्छादित आधार और यूआईडीएआई द्वारा प्रदत्त आफ़लाइन इलेक्ट्रानिक एक्सएमएल (यदि ग्राहक द्वारा स्वैच्छिक रूप से दिया गया हो) को केवाईसी के प्रयोजन के लिए आधिकारिक तौर पर विधिमान्य दस्तावेजों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है।

तदनुसार, आईआरडीएआई ने केवाईसी के भाग के रूप में प्रस्तावक/पालिसीधारक से आधार और फार्म/60 की माँग अधिदेशात्मक तौर पर न करने के लिए बीमाकर्ताओं को सूचित करते हुए 29 जनवरी 2019 को एक परिपत्र जारी किया है। तथापि, बीमाकर्ता निम्नलिखित शर्तों के अधीन केवाईसी प्रयोजन के लिए प्रस्तावक/पालिसीधारक की पहचान और/या पते को प्रमाणित करने के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार को स्वीकार कर सकते हैं :

- प्रस्तावक/पालिसीधारक केवाईसी प्रयोजन के लिए एक दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड स्वेच्छा से प्रस्तुत करता है। इसमें ई-आधार की भौतिक प्रति, आच्छादित (मास्क्ड) आधार और आफ़लाइन आधार एक्सएमएल शामिल हैं। तथापि, बीमाकर्ता किसी भी परिस्थिति में ई-केवाईसी सुविधा अथवा यूआईडीएआई की हाँ/ नहीं प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करते हुए उक्त प्रमाणीकरण नहीं करेंगे।
- बीमाकर्ता यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या के प्रथम 8 अंक उचित रूप से/ उपयुक्त रूप से आच्छादित (मास्क्ड) हों।
- किसी भी समय किसी भी व्यक्ति की आधार संख्या के अंतिम 4 अंक से अधिक बीमाकर्ताओं द्वारा भौतिक अथवा डिजिटल रूप में नहीं रखे जाने चाहिए।

इस संबंध में, राजस्व विभाग/ वित्त मंत्रालय ने “धनशोधन

निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) संशोधन नियम, 2019” दिनांक 13 फरवरी 2019 अधिसूचित किये हैं जो विनिर्दिष्ट करते हैं कि सूचना देनेवाली प्रत्येक संस्था, जहाँ उसका ग्राहक अपनी आधार संख्या प्रस्तुत करता है, सुनिश्चित करेगी कि ऐसा ग्राहक वहाँ पर उपयुक्त साधन से अपनी आधार संख्या संपादित (रिडैक्ट) करे अथवा ढक दे, जहाँ आधार संख्या आवश्यक नहीं है।

तत्पश्चात् विधि और न्याय मंत्रालय ने 2 मार्च 2019 को “आधार और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2019” अधिसूचित किया है जिसके द्वारा केवल बैंकिंग कंपनियों और टेलीकाम उद्योगों के द्वारा आधार के आनलाइन अधिप्रमाणन तथा आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडियों, लाभों और सेवाओं का लक्ष्यीकृत वितरण) अधिनियम, 2016 के अधीन बीमाकर्ताओं के लिए आफ़लाइन सत्यापन की अनुमति दी गई है।

I.4.9 प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)

प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के लिए संशोधित परिचालनगत दिशानिर्देशों के अंतर्गत मुख्य उपबंध

1. जागरूकता और प्रचार

- जागरूकता निर्माण और सामाजिक संघटन के अंतर्गत पहलों को मजबूत करने के लिए व्यवस्था
- प्रचार और जागरूकता के लिए प्रति कंपनी प्रति मौसम सकल प्रीमियम का 0.05% निश्चित किया गया। उपयोग न करने/ कम उपयोग करने की स्थिति में राशि भारत सरकार की प्रौद्योगिकी निधि में वापस अंतरित की जाएगी।

2. व्याप्ति और किसानों का नामांकन

- नामांकन के लिए अंतिम तारीख निर्धारित करने के लिए जिला-वार फ़सल-वार कैलेंडर (प्रमुख फ़सल के लिए)।
- दोहराव से बचने के लिए किसानों के लिए अनिवार्य (मैंडेटरी) आधार नामांकन।
- बीमा कंपनियों को कवरेज का लक्ष्य, विशेष रूप से गैर-ऋणी किसानों के संबंध में (10% वृद्धिशील)।
- गैर-ऋणी किसानों के समावेश को बढ़ाने के लिए सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) की बुनियादी संरचना और डाक-घरों के नेटवर्क का उपयोग।
- इस योजना को अपनाने/कार्यान्वित करने के लिए उत्तर-पूर्व के राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों (यूटी) पर ध्यान-संकेन्द्रण।
- इस योजना को कार्यान्वित करनेवाली बीमा कंपनियों द्वारा आबंटित जिलों में पर्याप्त श्रमशक्ति की उपलब्धता।

3. जोखिम का कवरेज

- पीएमएफबीवाई के दायरे के अंतर्गत बारहमासी फ़सल का समावेश (प्रायोगिक आधार पर)।
- स्पष्टता और उचित कवरेज के लिए प्रमुख फ़सलों, बेमौसमी वर्षा और बाढ़ की परिभाषा सम्मिलित।
- स्थानीयकृत दावों में मेघ-विस्फोट और प्राकृतिक अग्नि का परिवर्धन, फ़सल कटाई के बाद की हानियों में एक जोखिम के रूप में ओलावृष्टि को जोड़ा गया।

- नामांकन की अंतिम तारीख से दो कार्य-दिवसों तक किसानों के द्वारा फ़सल को बदलने के लिए समय-सीमा घटाई गई।
- पीएमएफबीवाई के अंतर्गत जंगली जानवरों के द्वारा फ़सल की क्षति के कवरेज के लिए एवं बारहमासी फ़सलों के कवरेज के लिए प्रयोग।

4. सब्सीडी का निर्मोचन

- राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा सब्सिडी के निर्मोचन का बेहतर अनुपालन।
- प्रीमियम निर्मोचन प्रक्रिया का युक्तियुक्तकरण शामिल किया गया - अनुमोदित व्यावसायिक सांख्यिकी और समूचे कवरेज डेटा के अंतिम समाधान के आधार पर दो किस्तों के बाद, प्रारंभ में पिछले मौसम के निर्मोचन से तदनुरूपी सब्सिडी के 80% का 50%।

5. फ़सल हानि का निर्धारण

- वैयक्तिक दावे सूचित करने के लिए किसानों को अधिक समय - हितधारकों के माध्यम से और पोर्टल पर सीधे 72 घंटे (48 घंटे के बदले)।
- औसत पैदावार का निर्धारण - सात में से सर्वोत्तम पाँच।
- मौसम के बीच प्रतिकूलता, निवारित/ असफल बुआई, फ़सल कटाई के बाद हानि और स्थानीयकृत दावों के संबंध में दावा निर्धारण हेतु विस्तृत एसओपी।
- उपज डेटा/ फ़सल हानि के संबंध में विवाद के लिए विस्तृत एसओपी।

6. दावों का निपटान

- निर्धारित अंतिम तारीखों के बाद किसान के आवेदन के स्वतः अनुमोदन तथा दावों के स्वतः परिकलन का प्रावधान।
- बैंकों और बीमा कंपनियों से डेटा का बेहतर समाधान।
- पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय पोर्टल पर दावों का स्वतः परिकलन।
- राज्यों, आईसी और बैंक के लिए अर्थदंडों/प्रोत्साहनों का प्रावधान, अर्थात् दावों के निपटान में निर्धारित अंतिम (कट-आफ़) तारीख से दो महीने से अधिक विलंब के लिए किसानों को बीमा कंपनी के द्वारा 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
- निर्धारित अंतिम (कट-आफ़) तारीख/ बीमा कंपनियों द्वारा माँग की प्रस्तुति के बाद सब्सिडी के राज्य अंश के निर्मोचन (रिलीज) के लिए तीन महीने से अधिक विलंब के लिए राज्य सरकार द्वारा 12% की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
- अंतिम सब्सिडी की प्रतीक्षा के बिना दावों (निवारित बुआई/मौसम के बीच प्रतिकूलता के कारण/स्थानीयकृत दावों) का निपटान।
- किसानों को उनके बैंक खाते में डीबीटी/इलेक्ट्रानिक अंतरण के माध्यम से दावों का समय पर संवितरण।

7. तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण

- केन्द्र और राज्यों में तकनीकी सहायता यूनिट का

निर्माण तथा प्रशासनिक व्ययों के लिए प्रावधानीकरण।

- राज्य के बजट के निर्धारित 2% का उपयोग प्रशासनिक व्ययों, प्रचार, प्रौद्योगिकी अंगीकरण, राज्य टीएसयू की स्थापना के लिए करना।

- पीएमएफबीवाई कार्यान्वयन में लगे हुए विभिन्न हितधारकों का व्यावहारिक (हैंड्स आन) प्रशिक्षण।

8. प्रौद्योगिकी का उपयोग

- पीएमएफबीवाई के राष्ट्रीय पोर्टल पर तत्काल डेटा संग्रहण तथा सभी हितधारकों का संघटन।

- कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकीगत मध्यस्थता का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी निधि का निर्माण।

- प्रौद्योगिकी का उपयोग - क्षेत्र विसंगति के समाधान, उपज डेटा विश्लेषण, उपज अनुमान, सीसीई के युक्तियुक्तकरण, जोखिमों के वर्गीकरण आदि के लिए दूरस्थ बोधयुक्त प्रौद्योगिकी की मध्यस्थताओं और उपग्रह के डेटा का उपयोग।

- कृषि-ऐप के माध्यम से 100% सीसीई के लिए बढ़ावा - केन्द्र सरकार स्मार्टफोन जैसे प्रौद्योगिकीगत साधनों की लागत के 50% की प्रतिपूर्ति करेगी; बीमा कंपनियों की सहभागिता सुनिश्चित करेगी।

9. योजना की निगरानी

- ऋतुनिष्ठता अनुशासन में विभिन्न गतिविधियों का दूरवीक्षण।

- किसानों को रसीद और प्राप्तिसूचना का वितरण।

- बीमा कंपनियों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए विस्तृत एसओपी तथा उन्हें पैनल से हटाना।

- कार्यनिष्पादन के विभिन्न मानदंडों पर बीमा कंपनियों और राज्य का स्थान-निर्धारण।

- निजी बीमाकर्ताओं के लिए सीएजी लेखा-परीक्षा का प्रावधान।

10. शिकायत निवारण

- राष्ट्रीय पोर्टल पर हेल्पलाइन संख्या।

- राज्य शिकायत निवारण समिति और जिला शिकायत निवारण समिति (डीजीआरसी) का निर्माण।

- जिला-स्तरीय शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति।

I.4.10 सूक्ष्म बीमा

I.4.10.1 जनसाधारण के निम्नतर आय खंडों तक बीमा के व्यापन को सुसाध्य बनाने के लिए आईआरडीएआई ने 2005 में सूक्ष्म बीमा विनियम अधिसूचित किये थे। उक्त विनियम ग्रामीण और शहरी निर्धन वर्ग के लिए वहनीय बीमा उत्पाद वितरित करने के लिए तथा सूक्ष्म बीमा को वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका अदा करने में समर्थ बनाने के लिए एक मंच उपलब्ध कराते हैं।

I.4.10.2 सूक्ष्म बीमा विनियम मुख्य रूप से निम्न आय वाले लोगों को बीमारक्षा, प्रीमियम और लाभ के मानकों के कुछ स्तरों का पालन करते हुए मानकीकृत लोकप्रिय बीमा उत्पादों के साथ सामान्य जोखिमों का सामना करने और उनसे निरापद होने में सहायता करने के लिए वहनीय बीमा उत्पादों के साथ संरक्षण देने पर बल देते हैं। ये विनियम सूक्ष्म बीमा उत्पादों का विपणन करने में बीमा कंपनियों के

लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वयं-सहायता समूहों (एसएचजी) को अनुमति देते हैं तथा दोनों जीवन और गैर-जीवन बीमाकर्ताओं को कॉम्बी-सूक्ष्म बीमा उत्पादों (व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं का संयोजन) को बढ़ावा देने के लिए भी अनुमति देते हैं।

I.4.10.3 प्राधिकरण ने व्यापक तौर पर सूक्ष्म बीमा विनियम, 2005 की समीक्षा की। इस संबंध में प्राधिकरण ने 13 मार्च 2015 को संशोधित विनियम अधिसूचित किये हैं जिनमें इसने सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के बेहतर व्यापन को सुसाध्य बनाते हुए सूक्ष्म बीमा एजेंटों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के व्यवसाय प्रतिनिधियों सहित और भी अनेक संस्थाओं, जैसे जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अनुमति प्रदान की है तथा पॉलिसीधारकों के संरक्षण के लिए अतिरिक्त उपायों को शामिल किया है।

जीवन बीमा क्षेत्र

I.4.10.4 जबकि वर्ष 2018-19 के लिए सूक्ष्म बीमा खंड के अंतर्गत वैयक्तिक नया व्यवसाय रु.32.10 करोड़ के प्रीमियम के साथ 8.65 लाख नई पॉलिसियों पर रहा, सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत समाविष्ट जीवन 12.13 करोड़ थे जहाँ प्रीमियम रु.3205.74 करोड़ का था। एलआईसी ने इस संविभाग में प्राप्त व्यवसाय के प्रति 6.18 लाख वैयक्तिक पॉलिसियाँ और रु. 20.91 करोड़ का प्रीमियम संगृहीत करने के द्वारा अंशदान किया तथा सामूहिक व्यवसाय में एलआईसी का कोई व्यवसाय नहीं है।

I.4.10.5 निजी क्षेत्र ने वैयक्तिक व्यवसाय में शेष 2.47 लाख पॉलिसियों और रु. 11.18 करोड़ प्रीमियम का अंशदान किया तथा सामूहिक सूक्ष्म व्यवसाय में 12.13 करोड़ जीवनों और रु. 3205.73 करोड़ के प्रीमियम का अंशदान किया।

I.4.10.6 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 72857 रही; जिसमें से 19926 एजेंट एलआईसी से संबंधित थे तथा शेष 52931 एजेंट निजी क्षेत्र के जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित थे। जीवन बीमा उद्योग के कुल 72,857 सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंटों में से गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 9% बनाते हैं, स्वयं-सहायता समूह (एसएचजी) 0.5%, सूक्ष्म वित्त संस्थाएँ (एमएफआई) 0.4%, व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) 0.2% तथा अन्य सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट 90% बनाते हैं।

I.4.10.7 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 16 जीवन बीमाकर्ताओं के 44 सूक्ष्म बीमा उत्पाद विक्रय के लिए बाजार में उपलब्ध थे। इन 44 उत्पादों में से 24 वैयक्तिक उत्पाद हैं और शेष 20 सामूहिक उत्पाद हैं।

सारणी I.84
2018-19 के लिए सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत नया व्यवसाय

(प्रीमियम लाख ₹ में)

बीमाकर्ता	वैयक्तिक		सामूहिक		
	पालिसियाँ	प्रीमियम	योजनाएँ	प्रीमियम	समाविष्ट जीवन
निजी कुल	247444	1118.44	931	320573.78	121307855
एलआईसी	617653	2091.43195	0	0.00	0
उद्योग कुल	**865097**	**3209.87**	**931**	**320573.78**	**121307855**

टिप्पणी: नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

सारणी I.85
जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंटों का विवरण 2018-19

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2019 को
निजी कुल	33724	19633	426	52,931
एलआईसी	19183	1649	906	19,926
उद्योग कुल	**52907**	**21282**	**1332**	**72,857**

टिप्पणी: नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।

सारणी I.86
सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत वैयक्तिक मृत्यु दावे - 2018-19

(लाभ राशि लाख ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	कुल दावे		अदा किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ राशि
निजी कुल	2709	304.34	2688	295.16	20	9.08	0	0.00	0	0.00	1	0.10
	100%	100%	99.22%	96.98%	0.74%	2.98%					0.04%	0.03%
एलआईसी	6741	1193.29	6707	1181.40	10	1.61	0	0.00	15	2.80	9	7.47
	100%	100%	99.50%	99.00%	0.15%	0.13%			0.22%	0.23%	0.13%	0.63%
उद्योग कुल	**9450**	**1497.63**	**9395**	**1476.56**	**30**	**10.69**	**0**	**0.00**	**15**	**2.80**	**10**	**7.57**
	100%	**100%**	**99.42%**	**98.59%**	**0.32%**	**0.71%**			**0.16%**	**0.19%**	**0.11%**	**0.51%**

टिप्पणी: प्रतिशत कुल दावों की तुलना में संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सारणी I.87
सूक्ष्म बीमा संविभाग के अंतर्गत सामूहिक मृत्यु दावे 2018-19

(लाभ राशि लाख ₹ में)

जीवन बीमा कर्ता	कुल दावे		अदा किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी दावे		वर्ष के अंत में लंबित दावे	
	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि	जीवनों की संख्या	लाभ राशि
निजी	301976	88389.46	299451	87501.62	837	460.56	49	20.94	0	0.00	1639	406.34
कुल	100%	100%	99.16%	99.00%	0.28%	0.52%	0.02%	0.02%	-	-	0.54%	0.46%
एल	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
आईसी	0%	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उद्योग	**301976**	**88389.46**	**299451**	**87501.62**	**837**	**460.56**	**49**	**20.94**	**0**	**0.00**	**1639**	**406.34**
कुल	**100%**	**100%**	**99.16%**	**99.00%**	**0.28%**	**0.52%**	**0.02%**	**0.02%**	**-**	**-**	**0.54%**	**0.46%**

टिप्पणी: प्रतिशत कुल दावों की तुलना में संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सारणी I.88
सूक्ष्म बीमा वैयक्तिक श्रेणी में अदा किये गये मृत्यु दावों का विवरण 2018-19

(पालिसियों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	1 से 30 दिन	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	निपटाये गये कुल दावे
निजी कुल	2613	73	2	0	0	2688
	97.21%	2.72%	0.07%	0.00%	0.00%	100.00%
एलआईसी	6629	76	2	0	0	6707
	98.84%	1.13%	0.03%	0.00%	0.00%	100.00%
उद्योग कुल	**9242**	**149**	**4**	**0**	**0**	**9395**
	98.37%	**1.59%**	**0.04%**	**0.00%**	**0.00%**	**100.00%**

टिप्पणी: प्रतिशत निपटाये गये कुल दावों की तुलना में संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सारणी I.89
सूक्ष्म बीमा सामूहिक श्रेणी में अदा किये गये मृत्यु दावों का अवधि-वार विवरण -- 2018-19

(जीवनों की संख्या)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि					
	1 से 30 दिन	31 से 90 दिन	91 से 180 दिन	181 दिन से 1 वर्ष	1 वर्ष से अधिक	निपटाये गये कुल दावे
निजी कुल	281318	12591	3859	1676	7	299451
	93.94%	4.20%	1.29%	0.56%	0.00%	100.00%
एलआईसी	0	0	0	0	0	0
	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.	ला.न.
उद्योग कुल	**281318**	**12591**	**3859**	**1676**	**7**	**299451**
	93.94%	**4.20%**	**1.29%**	**0.56%**	**0.00%**	**100.00%**

टिप्पणी: प्रतिशत निपटाये गये कुल दावों की तुलना में संबंधित दावों का अंश दर्शाते हैं।

सूक्ष्म बीमा - साधारण बीमा क्षेत्र

I.4.10.8 साधारण सूक्ष्म बीमा उत्पाद स्वास्थ्य बीमा, संपत्ति और सामान, जैसे झोंपड़ी, पशुधन अथवा साधनों अथवा उपकरणों तथा वैयक्तिक दुर्घटना की बीमारक्षा को सम्मिलित करते हैं जो वैयक्तिक अथवा सामूहिक आधार पर रुपये एक लाख की अधिकतम राशि की बीमारक्षा एवं एक वर्ष की अवधि से युक्त हैं।

I.4.10.9 जनसाधारण के निम्न आय खंड को लक्ष्यीकृत करते हुए पंजीकृत साधारण बीमा कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये उत्पाद हैं, मवेशी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, किसान कृषि पंपसेट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, जनता वैयक्तिक दुर्घटना सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, रेशम-कीट सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, भेड़ और बकरी सूक्ष्म बीमा पॉलिसी, संपूर्ण गृह सुरक्षा पॉलिसी आदि। प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015 के अधीन सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा अपेक्षा और विपणन किये जाने के लिए गैर-ऋणी किसानों को सम्मिलित करते हुए प्रधान मंत्री फ़सल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को अनुमति प्रदान की है।

I.4.10.10 इसके अलावा, साधारण बीमा व्यवसाय की विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में वर्गीकृत रूप में सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यमों को जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियाँ भी प्रति एमएसएम उद्यम 10,000 रुपये प्रीमियम प्रति वर्ष तक साधारण सूक्ष्म बीमा व्यवसाय के रूप में अर्हता प्राप्त करेंगी।

I.4.10.11 सूक्ष्म बीमा एक कम कीमत और उच्च परिमाण वाला व्यवसाय है, इसलिए इसकी सफलता और धारणीयता मुख्य रूप से इसके लेनदेनों की लागतों को कम रखने पर निर्भर हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 32बी और 32सी तथा आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के संबंध में बीमाकर्ताओं के लिए दायित्व निर्धारित करते हैं, जिन्होंने भी भारत में सूक्ष्म बीमा उत्पादों के विकास और संवर्धन में बहुत कुछ अंशदान किया है।

I.4.10.12 वर्ष 2018-19 में सूक्ष्म बीमा एजेंटों द्वारा जारी की गई साधारण बीमा पॉलिसियों की कुल संख्या निम्नानुसार हैः

माध्यम	निजी	सरकारी	कुल*
सूक्ष्म बीमा एजेंट	6,168	7,956	14124

*इसमें स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा बीमाकर्ताओं द्वारा जारी की गई सूक्ष्म बीमा पॉलिसियाँ शामिल नहीं हैं।

सूक्ष्म बीमा - स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा एजेंट

I.4.10.13 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म बीमा एजेंटों की संख्या 8 थी, जिनमें से सभी रेलिगेर हेल्थ से संबंधित हैं।

I.4.11 प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश, आदेश और विनियम

I.4.11.1 प्राधिकरण ने 2018-19 के दौरान कई परिपत्र, निर्देश और आदेश जारी किये। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान जारी किये गये ऐसे सभी परिपत्रों, निर्देशों और आदेशों की सूची अनुबंध 8 में दी गई है। इसके अतिरिकत, 31 मार्च 2019 तक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित सभी विनियमों का विवरण अनुबंध 9 पर रखा गया है।

I.4.12 सूचना अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005

वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण ने नीचे की सारणी में दर्शाये गये अधिकारियों को आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अनुसार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया।

इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार प्राधिकरण द्वारा श्री दीपक खन्ना, उप महाप्रबंधक को अपने दिल्ली कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया तथा श्री विकास राणे, सहायक प्रबंधक को अपने मुंबई कार्यालय के लिए केन्द्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया। इसके अलावा, इसी अवधि के दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अनुसार सौंपे गये कार्यों का निर्वहण करने के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 की उपर्युक्त धारा के अनुसार श्री सुरेश माथुर, कार्यकारी निदेशक को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया गया।

वर्ष के दौरान, कर्तव्यों और दायित्वों के प्रभावी निर्वहण के लिए आरटीआई अधिनियम, 2005 के उपबंधों पर केन्द्रीय जनसूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) तथा अपील प्राधिकारी के लिए 16.04.2018 को एक एक-दिवसीय सुग्राहीकरण (सेन्सिटाइजेशन) कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका आयोजन करने के लिए सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबंधन संस्थान (आईएसटीएम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली ने एक संसाधन व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया।

I.4.13 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान

विनियमों/दिशानिर्देशों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियाँ

प्राधिकरण की 103वीं बैठक दिनांक 21.12.2018 एवं 104वीं बैठक दिनांक 28.03.2019 परिचालन क्षमता में सुधार के उद्देश्य से, कुछ शक्तियों और कार्यों को प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष, पूर्णकालिक सदस्यों, और प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को निम्नलिखित नियमों / दिशानिर्देशों के तहत सौंप दिया गया है।

- आईआरडीएआई (वेब संग्राहक) विनियम, 2017
- बीमा भंडारों (रिपोजिटरीज़) और बीमा पालिसियों के इलेक्ट्रानिक निर्गम संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 29.05.2015
- बीमाई-कामर्स संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 09.03.2017
- आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
- आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
- आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
- आईआरडीएआई (वैयक्तिक एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016

सारणी I.90
केन्द्रीय जन सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) की सूची

क्रम सं.	सीपीआईओ का नाम और पदनाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	विभाग
1	एम. पुल्ला राव, कार्यकारी निदेशक (सामान्य)	लेखा, प्रशासन, भवन, आंतरिक लेखा-परीक्षा, कारपोरेट सेवाएँ, मानव संसाधन एवं राजभाषा कार्यान्वयन (21.05.2018 तक)
	दीपक गायकवाड, उप महाप्रबंधक (सामान्य)	लेखा, प्रशासन, भवन, आंतरिक लेखा-परीक्षा, कारपोरेट सेवाएँ, मानव संसाधन एवं राजभाषा कार्यान्वयन (22.05.2018 से)
2	एस. पी. चक्रवर्ती, महाप्रबंधक	बीमांकिक
3	टी. एस. नाईक, महाप्रबंधक	एजेंसी वितरण और उपभोक्ता कार्य
4	के. जी. पी. एल. रमादेवी, महाप्रबंधक	संचार स्कंध और आईएमएफ
5	पी. के.. मैती, महाप्रबंधक	प्रवर्तन
6	ए. रमणा राव, महाप्रबंधक	एफ एण्ड ए (जीवन)
7	आर. के. शर्मा, महाप्रबंधक	एफ एण्ड ए (गैर-जीवन)
8	डी. वी. एस. रमेश, महाप्रबंधक	स्वास्थ्य
9	एस. एन. जयसिंहन, महाप्रबंधक	निवेश
10	ए. आर. नित्यानंदम, मुख्य महाप्रबंधक	सूचना प्रौद्योगिकी
11	जे. मीनाकुमारी, मुख्य महाप्रबंधक	निरीक्षण
12	रणदीप सिंह जगपाल, मुख्य महाप्रबंधक	मध्यवर्ती - दलाल
13	निमिषा श्रीवास्तव, उप महाप्रबंधक	मध्यवर्ती - सर्वेक्षक
14	मारिमुत्तु, पी., सहायक प्रबंधक	न्यायनिर्णयन
15	एच. अनंतकृष्णन, मुख्य महाप्रबंधक	विधि
16	वी. जयंत कुमार, मुख्य महाप्रबंधक	जीवन
17	यज्ञप्रिया भरत, मुख्य महाप्रबंधक	गैर-जीवन
18	एन. एम. बेहेरा, उप महाप्रबंधक	पुनर्बीमा
19.	ए. वेंकटेश्वर राव, महाप्रबंधक	क्षेत्रीय विकास एवं सतर्कता

I.5 बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अनुसंधान और विकास के कार्यकलाप

अनुसंधान गतिविधियाँ [जैसा कि बीमाकर्ताओं द्वारा प्रतिवेदित है]:

क. एडेलवेइस टोकियो लाइफ: उक्त कंपनी ने 15 नगरों के 100 ट्यूमर विशेषज्ञों (आन्कालोजिस्टों) के बीच एक राष्ट्रव्यापी अध्ययन विषय "बिग सी - कैंसर चिकित्सा के वित्तीय संकट पर एक अध्ययन" शीर्षक रिपोर्ट प्रकाशित की है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है:

- 96% ट्यूमर विशेषज्ञ अगले 5 वर्षों में कैंसर के मामलों में 23% वृद्धि देखते हैं।
- कैंसर के अन्य प्रकारों की तुलना में इन मामलों में स्तन, फेफड़े, मौखिक और ग्रीवा के कैंसरों का अनुपात अत्यधिक है।
- शीर्षस्थ 5 कैंसर प्रकारों में, 3 महिलाओं को प्रभावित करते हैं - स्तन, ग्रीवा संबंधी और अंडाशय संबंधी कैंसर
- स्तन, मुख और ग्रीवा संबंधी कैंसर के केवल 26-34% मामलों का ही पता प्रारंभिक स्तरों पर चलता है।
- 95% ट्यूमर विशेषज्ञ (आन्कालोजिस्ट) विश्वास करते हैं कि विलंबित रोगनिदान भारत में अल्प कैंसर उत्तरजीविता के लिए प्रमुख कारण है।
- 92% ट्यूमर विशेषज्ञ (आन्कालोजिस्ट) विश्वास करते हैं कि अधिकांश रोगी खर्च वहन न कर पाने के कारण चिकित्सा बीच में बंद करते हैं।
- 70% से अधिक कैंसर रोगी या तो अपर्याप्त रूप से बीमाकृत हैं अथवा चिकित्सा व्ययों का ध्यान रखने के लिए अबीमाकृत हैं।

ख. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी: उक्त कंपनी ने जीवन लक्ष्यों पर भारत का सर्वप्रथम व्यापक अध्ययन संचालित किया है। यह सर्वेक्षण भारत के जीवन लक्ष्यों एवं आकांक्षाओं की पहचान करने और यह जानने के लिए कि भारतवासी उन्हें पूरा करने के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं, 2019 के प्रारंभ में संचालित किया गया।

भारत के विशाल भूगोल और जनसांख्यिकी की विविधता को ध्यान में रखते हुए, एक बहु-चरणीय अनुसंधान के दृष्टिकोण को अपनाकर यह अनुसंधान तथ्यान्वेषण करने और जीवन लक्ष्यों के संबंध में सांख्यिकीय रूप से विधिमान्य परिणाम उत्पन्न करने के लिए 1600+ के एक सुदृढ़ नमूना आकार का उपयोग करते हुए 4 अंचलों में संचालित किया गया।

उक्त सर्वेक्षण ने विभिन्न आयु समूहों के वेतनभोगी व्यवसायियों और व्यवसाय मालिकों के साथ चर्चा करते हुए महानगरों एवं स्तर 1 और स्तर 2 बाजारों सहित प्रमुख शहरों को सम्मिलित किया। इस सर्वेक्षण में समाविष्ट स्थानों में शामिल हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नै, बंगलूर, सूरत, अमरावती, लुधियाना, बरेली, पटना, भुवनेश्वर, मदुरै और गुंटूर।

सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण निष्कर्ष निम्नलिखित है:

- 44% भारतीयों के पास सेवानिवृत्ति संबंधी जीवन लक्ष्य हैं।
- उद्यमशीलता भारत में एक वर्धमान आकांक्षा है। 10 में से 1 भारतीय एक नया उद्यम प्रारंभ करना चाहता है, 10 में से 1 भारतीय एक समांतर कैरियर

का अनुसरण करना चाहता है।

- 4 में से 1 भारतीय यात्रा को एक जीवन लक्ष्य के रूप में रखता है, 21% इसे एक प्राथमिकता-प्राप्त जीवन लक्ष्य के रूप में मानते हैं।
- 3 भारतीयों में से 1 स्वास्थ्य और स्वस्थता (फिटनेस) पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता है, 24% भारतीय इसे अपना प्राथमिकता-प्राप्त जीवन लक्ष्य मानते हैं।
- जीवन लक्ष्य तय करने में सहस्राब्दी की नई पीढ़ी (मिलीनियल्स) के प्रत्येक 3 में से 1 व्यक्ति के लिए सोशल मीडिया एक प्रमुख प्रभावकारक है। जीवन लक्ष्यों पर सोशल मीडिया का प्रभाव गैर-मिलीनियल्स के बजाय मिलीनियल्स के लिए 20% अधिक है।
- भारतवासी अपने जीवन के 60% से अधिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आस्वशत हैं। तथापि, उन्होंने अपने जीवन लक्ष्यों में आधे से अधिक के लिए पर्याप्त वित्तीय योजना (प्लानिंग) नहीं की है।

जीवन लक्ष्यों के लिए तैयारी का सूचकांक भारत के लिए 53 है। यह विश्वास और ज्ञान का कार्य है तथा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप में अपने जीवन लक्ष्यों के लिए वित्तीय आयोजना के प्रति की गई कार्रवाई है। महानगरों में रहनेवाले भारतीय अपने जीवन लक्ष्यों के प्रति कम तैयार हैं जिनका स्कोर 51 है जबकि इनकी तुलना में गैर-महानगरों के निवासी भारतीयों का स्कोर 55 है।

उक्त अनुसंधान ने जीवन बीमा के लिए एक बहुत बड़ा अवसर निर्दिष्ट किया है क्योंकि यह 60% जीवन लक्ष्यों के लिए भारतीयों में सर्वाधिक वरीयता-प्राप्त निवेश विकल्प के रूप में उभरता है। विशेष रूप से सेवानिवृत्ति लक्ष्यों के लिए, जीवन बीमा का आकर्षण 80% तक बढ़ जाता है।

यद्यपि पारंपरिक लक्ष्य जैसे `बच्चों की शिक्षा के लिए व्यय', `घर खरीदना/घर का मालिक बनना' अभी भी एक प्राथमिकता हैं, तथापि नई पीढ़ी के, अनेक अपारंपरिक जीवन लक्ष्य, जैसे स्वास्थ्य, यात्रा, उद्यमशीलता आदि हैं जो उभर रहे हैं।

डिजिटल सेवाओं का बीमा सेवा में प्रयोग [जैसा कि बीमा कंपनियों द्वारा प्रतिवेदित है]

ग. एक्को जनरल इंश्योरेंस कंपनीः उक्त कंपनी ने अपने तकनीकी ज्ञान से युक्त ग्राहकों के लिए एक अबाध प्रक्रिया विकसित की है जो खरीद से लेकर दावों और नवीकरणों तक कागजी कार्यवाही के बिना, आफ़लाइन संबंधी किसी झंझट से रहित सुविधाजनक प्लेटफार्म है।

ई-कामर्स खिलाड़ियों के साथ अपनी कई सहभागिताओं के माध्यम से एक्को ने प्रथमतः बाजार के लिए प्रासंगिक अनेक उत्पाद प्रारंभ किये हैं, जो ग्राहक को धनराशि के लिए मूल्य प्रदान करते हुए उच्च आवृत्ति वाले उपयोग के मामलों का समाधान करते हैं। उदाहरण के लिए- ऐसे उत्पाद हैं, छूटी फ्लाइट का कवर, स्क्रीन क्षति संरक्षण, बस और होटल निरसन का कवर।

एक्को ने मशीन शिक्षण माडल भी विकसित किये हैं जो दावा अनुमान और भुगतान का स्वचलन करते हैं। यह तीव्रतर गति से परिवर्तन (टर्नअराउंड) और झंझट-रहित कागज-रहित प्रक्रियाओं के संबंध में ई-कामर्स उपभोक्ताओ की प्रत्याशाओं के अनुकूल स्थिति प्राप्त करने में सहायक है।

घ. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी: उक्त कंपनी ने

मोबाइल ऐप व्यवस्था प्रारंभ की है। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से बीमा पोलिसियाँ तत्काल जारी की जाती हैं

मोबाइल ऐप के साथ ही, एसजीआई ने आनलाइन प्लेटफार्म की पद्धति के उपयोग को प्रचारित किया है। इसने बीमा पालिसियों की सर्विसिंग/ नवीकरण/ खरीद की प्रक्रिया को झंझट-रहित बनाया है तथा इसे सहस्राब्दी की नई पीढ़ी के लिए सुविधाजनक कर दिया है।

इसी प्रकार स्वास्थ्य आधारित कैशलेस दावों अनुमोदन प्रक्रिया के लिए एसजीआई द्वारा ऐआई आधारित तकनीक इस्तेमाल करते हुए स्वास्थ्य दावा अनुमोदन को भी आसान बना दिया है। उससे शिघ्रतम कैशलेस अनुमोदन का लाभ कई बीमाधारकों को अस्पताल के इलाज हेतु मिला है।

च. आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस: उक्त कंपनी ने कृत्रिम बुद्धि (आरटिफीशियल इंटेलिजेंस) "एआई" के साथ एक जोखिम-अंकन प्रक्रिया विकसित की है। चिकित्सा के सभी मामले एक एआई इंजन के माध्यम से भेजे जाते हैं जो ग्राहक द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा का विश्लेषण करता है और तदनुसार निर्गम के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

गहन ज्ञान से युक्त अल्गोरिथमों के द्वारा सशक्तीकृत फलक प्रतिचित्रण (फेशियल मैपिंग) प्रौद्योगिकी का प्रयोग ग्राहक को अधिप्रमाणित करने के लिए उनके आधिकारिक तौर पर विधिमान्य दस्तावेजों पर उपलब्ध फोटोग्राफों की तुलना करते हुए किया जाता है। यह समाधान जोखिम-अंकन संबंधी जोखिम कम करने और धोखाधड़ीपूर्ण लेनदेनों को घटाने में सहायता करता है।

इस कंपनी ने "लाइगो" (लाइफ इंश्योरेंस आन दी गो) नामक एक चाटबोट को भी विकसित किया है, जो वेबसाइट पर एक संवादात्मक बोट है। लाइगो ने स्वयं ग्राहकों के 1 मिलियन से अधिक प्रश्नों का समाधान किया है तथा ग्राहकों के साथ प्रत्येक एकल अनुभव के साथ अधिक सही बनता जा रहा है।

छ. आदित्य बिड़ला हेल्थ: उक्त कंपनी ने ग्राहकों से प्राप्त प्रतिसूचना (फीडबैक) और विलक्षण व्यावसायिक प्रस्ताव के आधार पर, आदित्य बिड़ला हेल्थ (एबीएचआई) ने वाट्सअप पर कुछ सेवाएँ अर्थात् पालिसी का निर्गम और नवीकरण के लिए अन्य संदेश-प्रेषण आदि प्रारंभ की हैं।

इसके अलावा, स्वास्थ्य बीमा संबंधी सेवाओं के संबंध में कार्रवाई करने के लिए एक हेल्थ ऐप का भी विकास किया गया है। यह हेल्दी हार्ट स्कोर टीएम (एचएचएस), जो एक स्वस्थ हृदय का संकेत देता है, की जानकारी प्राप्त करने में पालिसीधारकों की सहायता करता है।

ज. आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी: उक्त कंपनी ने मोटर दावा निरीक्षणों के लिए कृत्रिम बुद्धि (एआई) आधारित ब्रेक-इन निरीक्षण सेवा विकसित की गई है, जहाँ ग्राहक अपने वाहन का फोटो ले सकते हैं तथा हमारी समूह-आधारित (क्लाउड-बेस्ड) एआई कलन-विधियाँ (अल्गोरिथम्स) निर्णय ले सकती हैं कि क्या पालिसी के प्रस्ताव को स्वीकार किया जा सकता है अथवा उसके संबंध में आगे और सत्यापन के लिए सिफारिश की जा सकती है, यदि अल्गोरिथम द्वारा आकलन की गई क्षति के आधार पर आवश्यक हो। उक्त अल्गोरिथम में गहन ज्ञान कंप्यूटर दृष्टि अल्गोरिथम निहित हैं जिहें क्लाउड प्लेटफार्म पर जीपीयू समर्थित गुणकारी सर्वरों पर अभिनियोजित किया गया है। यह ब्रेक-इन मोटर पालिसियों के नवीकरण के लिए 24/7 और तात्कालिक सेवा में परिणत हुआ है।

बाक्स मद 1

जीवन बीमा में महिलाओं की सहभागिता पर एक संक्षिप्त अध्ययन

महिलाएँ भारत की कुल जनसंख्या में लगभग 48% हैं। देश की आर्थिक गतिविधि में उनका अंशदान महत्वपूर्ण है और प्रति वर्ष इसमें वृद्धि हो रही है। इस संदर्भ में, जीवन बीमा व्यवसाय में महिलाओं के अंश पर एक संक्षिप्त अध्ययन किया गया है। इस प्रयोजन के लिए केवल वैयक्तिक नये व्यवसाय डेटा - वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए पालिसियों की संख्या और प्रथम वर्ष प्रीमियम पर विचार किया गया है।

1. वर्ष 2018-19 में बेची गई पालिसियों की कुल संख्या 2.86 करोड़ है, जहाँ प्रथम वर्ष प्रीमियम (एफवाईपी) रु. 97,690 करोड़ का है। कुल व्यवसाय में पुरुषों और महिलाओं का अंशदान निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है।

2. वित्तीय वर्ष 2018-19 में महिलाओं का अंश पालिसियों की संख्या में 36% तक और प्रथम वर्ष प्रीमियम में 37% तक बढ़ गया है, जबकि इसकी तुलना में वित्तीय वर्ष 2017-18 में दोनों ही के संबंध में स्थिति 32% थी।

वैयक्तिक प्रथम वर्ष प्रीमियम (एफवाईपी)

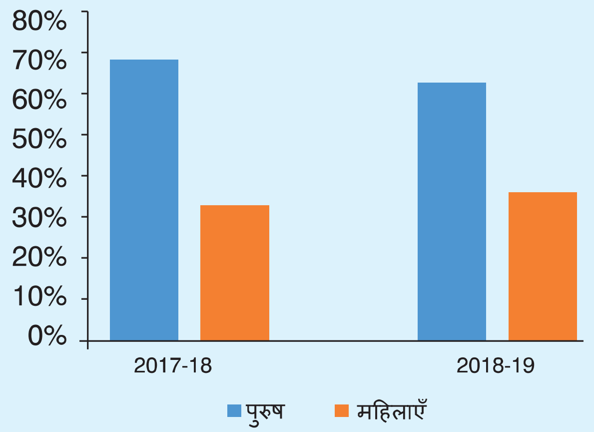

3. महिलाओं के द्वारा खरीदी गई 103 लाख पालिसियों में से, एक-तिहाई से अधिक पालिसियाँ तीन राज्यों, पश्चिम बंगाल (16.51%), उत्तर प्रदेश (10.53%) और महाराष्ट्र (10.16%) से हैं। इसी प्रकार, महिलाओं के द्वारा अंशदान किये गये रु. 36525 करोड़ के प्रथम वर्ष प्रीमियम में से, एक-तिहाई से थोड़ा अधिक तीन राज्यों से प्राप्त हुआ है, अर्थात् महाराष्ट्र (15.74%), पश्चिम बंगाल (10.05%) और उत्तर प्रदेश (9.55%)।

4. निजी जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में महिला पालिसियों का अनुपात 27% है तथा एलआईसी के मामले में यह अनुपात 39% है।

एलआईसी बनाम निजी बीमाकर्ता

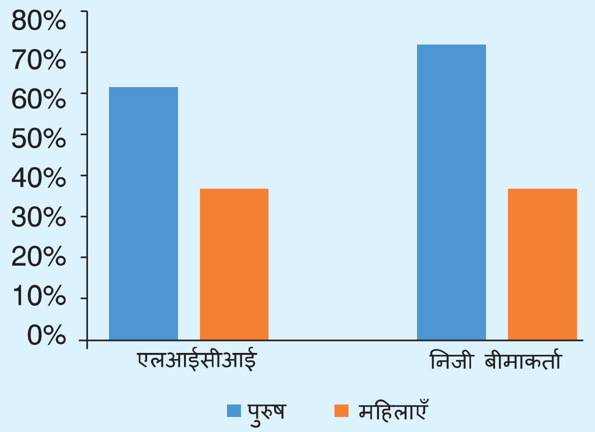

5. 17 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में, कुल पालिसियों में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या का अंश, 36% के अखिल भारतीय औसत से अधिक है। नीचे दी गई सारणी में शीर्षस्थ और निम्नतम पाँच राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में बेची गई कुल पालिसियों की तुलना में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या के अंश के तौर पर उक्त राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों का डेटा दिया गया है।

संबंधित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में बेची गई पालिसियों की कुल संख्या की तुलना में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या में अधिकतम अंश से युक्त शीर्षस्थ 5 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	
राज्य	**प्रतिशत**
पश्चिम बंगाल	59%
मेघालय	49%
मणिपुर	46%
असम	46%
अरुणाचल प्रदेश	44%
अखिल भारतीय औसत	36%

संबंधित राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों में बेची गई पालिसियों की कुल संख्या की तुलना में महिलाओं द्वारा खरीदी गई पालिसियों की संख्या में न्यूनतम अंश से युक्त निम्नतम 5 राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	
राज्य	**प्रतिशत**
सिक्किम	11%
दादरा व नगर हवेली	19%
पंजाब	22%
गुजरात	23%
तमिलनाडु	27%
अखिल भारतीय औसत	36%

जनसंख्या का पुरुष-महिला अनुपात विश्लेषण एवं वैयक्तिक जीवन बीमा नया व्यवसाय 2018-19

विवरण	कुल (करोड़)	पुरुष (करोड़)	महिला (करोड़)	पुरुष%	महिला%
जनसंख्या	134	69	65	52%	48%
पालिसियों की संख्या	2.86	1.83	1.03	64%	36%
प्रथम वर्ष प्रीमियम	**97,690**	**61,120**	**36,525**	**63%**	**37%**

#ट्रान्सजेन्डर - पालिसियों की संख्या-1286 तथा प्रथम वर्ष प्रीमियम-45 करोड़

*प्रीमियम करोड़ रु. में। *जनसंख्या का अनुमान 2018 की स्थिति के अनुसार यूआईडीएआई वेबसाइट से।

जीवन बीमा विपणन में महिलाओं की सहभागिता

क.जीवन बीमा उद्योग में 6,03,208 महिलाएँ एजेंटों के रूप में कार्य कर रही हैं, जो 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार कुल वैयक्तिक एजेंसी बल का 27.5% है। इनमें से निजी जीवन बीमाकर्ताओं का अनुपात 52% और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का अनुपात 48% है।

ख.निजी जीवन बीमाकर्ताओं में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के पास 45% पर महिला एजेंटों का उच्चतम प्रतिशत है, जिसके बाद 41.2% पर आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का एवं 35.9% पर स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का स्थान है।

बाक्स मद 2

बीमा उद्योग को प्रभावित करनेवाले मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 में परिवर्तन एक नजर में

1. **स्वर्णिम समय (गोल्डन अवर) की संकल्पना**

   क. स्वर्णिम समय (गोल्डन अवर) से क्षतिकारक घाव होने के बाद के एक घंटे की समयावधि अभिप्रेत है जिसके दौरान तत्काल चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के द्वारा मृत्यु को रोकने की अधिकतम संभावना है।

   ख. उक्त स्वर्णिम समय के दौरान नकदीरहित चिकित्सा के लिए भारत सरकार द्वारा एक योजना अभिकल्पित की जाएगी।

2. **दावा निपटान प्रक्रियाः**

   क. बीमाकर्ता दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर एक अधिकारी को पदनामित करेगा।

   ख. पदनामित अधिकारी दावेदार को 30 दिन के अंदर दावा न्यायाधिकरण के समक्ष निपटान के लिए प्रस्ताव करेगा।

   ग. स्वीकृति के बाद, दावा न्यायाधिकरण ऐसे निपटान को दर्ज करेगा तथा दावेदार को अभिलेखन (रिकार्डिंग) की तारीख से 30 दिन के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए।

3. **बढ़े हुए दंड और अर्थदंड** - सड़कों पर चलनेवाले वाहनों के द्वारा किये गये विभिन्न अपराधों पर
4. **ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए नियम सख्त बनाये गये हैं**
5. **आधार प्रीमियम और देयता की अधिसूचनाः** केन्द्र सरकार आईआरडीएआई के साथ परामर्श करने के बाद बीमा पालिसी के लिए आधार प्रीमियम और ऐसे प्रीमियम के संबंध में बीमाकर्ता की देयता निर्धारित करेगी।
6. **पुलिस तीन महीने की अवधि के अंदर विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट तैयार करेगी**
7. **सहमति के माध्यम से गहरे घाव के लिए 2.5 लाख और मृत्यु दावों के लिए 5 लाख की क्षतिपूर्तिः**

   क. उक्त संशोधन मृत्यु होने की स्थिति में 5 लाख रुपये और गहरा घाव होने की स्थिति में 2.5 लाख रुपये के एक नियत और निश्चित भुगतान का प्रस्ताव करता है।

   ख. ऐसे मामलों में दावेदार से यह वकालत करने अथवा साबित करने की अपेक्षा नहीं होगी कि मृत्यु अथवा गहरा घाव जिसके संबंध में दावा किया गया है, वाहन के मालिक अथवा संबंधित वाहन अथवा किसी अन्य व्यक्ति के किसी अनुचित कार्य अथवा उपेक्षा अथवा चूक के कारण था।

   ग. ऐसी क्षतिपूर्ति की स्वीकृति का परिणाम दावा न्यायाधिकरण के अंतर्गत दावा याचिका के व्यपगमन (लैप्स) के रूप में होगा।

8. **नये मामले दाखिल करने की समय-सीमा का निर्धारणः** क्षतिपूर्ति के लिए किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक वह दुर्घटना के घटित होने से छह महीने के अंदर प्रस्तुत नहीं किया जाता।
9. **`अन्य पक्ष' (थर्ड पार्टी) की परिभाषा अब व्यापक बनाई गई** जिससे न केवल सरकार, बल्कि चालक और परिवहन वाहन पर स्थित किसी अन्य सहकर्मी को भी शामिल किया जा सके।
10. **टकराकर भाग जाने (हिट एण्ड रन) के मामलों में क्षतिपूर्त बढ़ाई गई है** जोकि मृत्यु होने की स्थिति में रु. 25,000 से बढ़ाकर रु. 2 लाख तथा गहरा घाव होने की स्थिति में रु. 12,5000 से बढ़ाकर रु. 50,000 कर दी गई है।
11. **कवर नोट पर किसी दावे का भुगतान नहीं किया जाताः** यदि बीमे की पालिसी कवर नोट की विधिमान्यता की समाप्ति से 7 दिन के अंदर जारी नहीं की जाती तथा बीमाकर्ता इसकी सूचना पंजीकरण प्राधिकारी को देता है।
12. **प्रीमियम प्राप्त न होनाः** बीमाकर्ता इस आधार पर भार-मुक्ति की अपेक्षा कर सकता है।

भाग - II
कार्यप्रणाली और परिचालनों की समीक्षा

II.1 बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों का विनियमन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने बीमा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के प्रयोजन के लिए विनियामक शर्तों में उल्लेखनीय परिवर्तन किये हैं। महत्वपूर्ण विनियामक परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं :

II.1.1 पुनर्बीमा विनियम

वर्ष 2018 में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित पुनर्बीमा विनियम बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2(9) में यथापरिभाषित बीमाकर्ताओं, आईएफएससी बीमा कार्यालय (आईआईओ) और अधिनियम की धारा 118(सी) के अंतर्गत यथापरिभाषित छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं पर लागू हैं। उक्त विनियम प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षा करते हैं कि उसके पास देश के अंदर प्रतिधारण को अधिकतम बनाने, पर्याप्त तकनीकी क्षमता और वित्तीय क्षमता विकसित करने तथा एक उचित लागत पर पालिसीधारकों, अध्यर्पकों और प्रति-अध्यर्पकों के हितों का संरक्षण करने के लिए इष्टतम पुनर्बीमा कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्यों से युक्त एक व्यापक और कुशल पुनर्बीमा कार्यक्रम हो। उक्त विनियम निर्धारित करते हैं कि विनिर्दिष्ट समय-सीमाओं के अंदर पुनर्बीमा व्यवस्थाओं के संपूर्ण साक्ष्य के साथ बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनर्बीमा कार्यक्रम प्राधिकरण के पास फाइल किया जाए। उक्त विनियम पुनर्बीमाकर्ताओं/ प्रति-अध्यर्पणग्राहियों के पास व्यवसाय के स्थापन हेतु अध्यर्पकों/प्रति-अध्यर्पकों के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करते हैं। पुनर्बीमाकर्ताओं की क्रेडिट रेटिंग, दावा भुगतान क्षमता, तकनीकी ज्ञान, विनियमों के द्वारा निर्धारित कुछ महत्वपूर्ण न्यूनतम मानदंड (बेंचमार्क) हैं।

बीमा कंपनी की ऋण-शोधन क्षमता की स्थिति का आकलन एक "पुनर्बीमा को घटाने" के आधार पर किया जाता है।

II.1.2 आईआरडीएआई (बीमा दलाल)(पहला संशोधन) विनियम, 2018

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018 अधिसूचित किये हैं। उक्त संशोधन के अनुसारः

अनुसूची II - फार्म आर (विनियम 20(2) देखें) - विदेशी निवेशकों द्वारा धारित ईक्विटी पूँजी के परिकलन की विधि - खंड (1)(ख)(ii)(ii) में "स्पष्टीकरण" के अंतर्गत निम्नलिखित परंतुक निविष्ट किया गया है-

"बशर्ते कि अध्यक्ष, आईआरडीएआई पालिसीधारकों के हित एवं बीमा क्षेत्र की समग्र वृद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए, गुण-दोष के अधीन भारतीय प्रवर्तक जो कंपनी अधिनियम, 2013 की उपर्युक्त धारा में यथापरिभाषित एक सहायक कंपनी नहीं है, को उक्त शर्त से छूट दे सकता है।"

II.2 बीमा व्यवसाय से संबद्ध वैयक्तिक एजेंट

जीवन बीमाकर्ता

II.2.1 वैयक्तिक एजेंटों की संख्या 31 मार्च 2018 को विद्यमान 20.83 लाख की तुलना में 31 मार्च 2019 को

21.95 थी। जबकि निजी जीवन बीमाकर्ताओं ने 8.04% की वृद्धि दर्ज की, वहीं एलआईसी ने 2.58% की वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2018-19 के अंत में जबकि एलआईसी के पास एजेंटों की संख्या 11.79 लाख थी, निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं की तदनुरूपी संख्या 10.16 लाख रही।

II.2.2 वर्ष 2018-198 के दौरान जीवन उद्योग में नियुक्त एजेंटों की कुल संख्या 6.46 लाख थी तथा सेवासमाप्त एजेंटों की संख्या 5.34 लाख थी। एक ओर जहाँ निजी बीमाकर्ताओं ने 3.82 लाख एजेंटों की नियुक्ति की और 3.00 लाख एजेंटों की सेवासमाप्ति की, वहीं दूसरी ओर एलआईसी ने 2.64 लाख एजेंटों को नियुक्त किया और 2.33 लाख की सेवा समाप्त की।

II.2.3 जीवन बीमा उद्योग के कुल 21.95 लाख वैयक्तिक एजेंटों में से पुरुष वैयक्तिक एजेंट 72.5% थे और महिला वैयक्तिक एजेंट 27.5% थीं। एलआईसी के लिए पुरुष और महिला वैयक्तिक एजेंटों का अनुपात 76% और 24% पर था। निजी कुल के विषय में पुरुष और महिला अनुपात 69% और 31% पर रहा।

सारणी II.1
जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण -- 2018-19

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2019 को
निजी कुल	933856	381851	300189	1015518
एलआईसी	1148811	263894	233476	1179229
उद्योग कुल	**2082667**	**645745**	**533665**	**2194747**

सारणी II.2
जीवन बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का लिंगानुपात विवरण - 2018-19

एजेंट	निजी कुल	एल आईसी	उद्योग कुल
कुल वैयक्तिक एजेंट	**1015518**	**1179229**	**2194747**
पुरुष	696777	894762	1591539
महिलाएँ	318741	284467	603208

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता

II.2.4 वैयक्तिक एजेंटों की संख्या 31 मार्च 2018 को विद्यमान 4.06 लाख की तुलना में 31 मार्च 2019 को 5.21 लाख थी। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार स्टार हेल्थ ने 2.84 लाख वैयक्तिक एजेंटों के साथ स्टैंडअलोन बीमाकर्ताओं के कुल वैयक्तिक एजेंटो के 55% का अंशदान किया । वर्ष 2018-19 के दौरान स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं द्वारा नियुक्त एजेंटों की कुल संख्या 1.30 लाख थी तथा सेवासमाप्त एजेंटों की संख्या 15,58 हजार थी। स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कुल वैयक्तिक एजेंटों में से 73% पुरुष थे और 27% महिलाएँ थीं।

सारणी II.3
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का विवरण 2018-19

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2018 को	परिवर्धन	विलोपन	31 मार्च 2019
आदित्य बिड़ला	15825	9186	6200	18811
अपोलो म्यूनिख	49481	24242	976	72747
सिगना टीटीके	21490	6314	149	27655
रिलायंस हेल्थ	0	524	0	524
रेलिगेर	55520	30635	611	85544
मैक्स बूपा	25368	6396	224	31540
स्टार हेल्थ	238240	53014	7425	283829
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का कुल योग	**405924**	**130311**	**15585**	**520650**

सारणी II.4
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के वैयक्तिक एजेंटों का लिंगानुपात विवरण 2018-19

बीमाकर्ता	पुरुष	महिलाएँ	कुल
आदित्य बिड़ला	12824	5987	18811
अपोलो म्यूनिख	54274	18473	72747
सिगना टीटीके	19110	8545	27655
रिलायंस हेल्थ	390	134	524
रेलिगेर	61275	24269	85544
मैक्स बूपा	20168	11372	31540
स्टार हेल्थ	211621	72208	283829
कुल योग	**379662**	**140988**	**520650**

कॉरपोरेट एजेंट

II.2.4 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 के अधीन 606 कॉरपोरेट एजेंटों को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किये हैं। 606 कॉरपोरेट एजेंटों में से 254 बैंक हैं तथा 352 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी)/ सहकारी सोसाइटियाँ/सीमित देयता भागीदारी फर्म (एलएलपी) और अन्य पात्र फर्म हैं।

सारणी II.5
कारपोरेट एजेंटों का विवरण 2018-19

विवरण	बैंक	एनबीएफसी और अन्य	कुल
कारपोरेट एजेंटों की संख्या	254	352	606
श्रेणी - जीवन	20	52	72
श्रेणी - साधारण	17	45	62
श्रेणी - स्वास्थ्य	0	1	1
श्रेणी - सम्मिश्र	217	254	471
खुली संरचना से युक्त कारपोरेट एजेंट	147	198	345

माध्यम-वार नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन

II.2.5 वैयक्तिक नया व्यवसाय - जीवन

वैयक्तिक नये व्यवसाय (एनबी) प्रीमियम के प्रति वैयक्तिक एजेंटों का अंशदान 2017-18 के 65.93% की तुलना में घटकर वर्ष 2018-19 के दौरान 65.93% रहा है।

एलआईसी ने वैयक्तिक एजेंटों के माध्यम से अपने वैयक्तिक एनबी प्रीमियम का 95.81% प्राप्त किया जबकि निजी क्षेत्र के लिए वैयक्तिक एजेंटों का अंश 25.58% था।

कॉरपोरेट एजेंटों का अंश जो 2017-18 के दौरान 26.50% पर था, वर्ष 2018-19 में बढ़कर 28.45% हो गया है। निजी जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा प्राप्त नये व्यवसाय प्रीमियम में कॉरपोरेट एजेंटों का अंश 2018-19 में 56.75 प्रतिशत पर उल्लेखनीय था (2017-18 में 57.07 प्रतिशत)। दूसरी ओर, एलआईसी का केवल 2.58 प्रतिशत ही था।

बैंकों और अन्य कॉरपोरेट एजेंसी माध्यमों के बीच, कुल नये व्यवसाय में बैंकों का अंश 2017-18 में विद्यमान 25.19% से बढ़कर 2018-19 में 27.03% रहा।

बीमाकर्ताओं के प्रत्यक्ष विक्रय माध्यम का अंश 2017-18 के 5.60% से बढ़कर 2018-19 में 6.42% हुआ। जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने अपने नये व्यवसाय प्रीमियम का 12.08% प्रत्यक्ष विक्रय के माध्यम से प्राप्त किया, एलआईसी ने अपने नये व्यवसाय का 1.24% इस माध्यम से प्राप्त किया। आनलाइन विक्रय प्रीमियम ने वर्ष 2018-19 में 1.13% पर अंशदान किया जो 2017-18 में विद्यमान 0.54% के प्रतिशत अंशदान से दुगुना है। निजी बीमाकर्ताओं ने ऑनलाइन विक्रय के माध्यम से अपने नये व्यवसाय प्रीमियम का 2.07% प्राप्त किया, वहीं एलआईसी ने इसके माध्यम से 0.27% प्राप्त किया।

वैयक्तिक व्यवसाय के अंतर्गत जीवन बीमा उद्योग एनबी प्रीमियम के प्रति दलाल माध्यम, वेब संग्राहकों, आईएमएफ माध्यम, बिक्री केन्द्र, सूक्ष्म बीमा (एमआई) एजेंट माध्यम तथा सामान्य सेवा केन्द्रों (सीएससी) का अंशदान क्रमशः 1.42%, 0.17%, 0.06%, 0.06%, 0.02% और 0.002% है।

सारणी II.6
2018-19 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन --- माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कारपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय दलाल	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आईएमएफ	आनलाइन	बिक्री केन्द्र	कुल वैयक्तिक नया व्यवसाय	रिफ़रल
		बैंक	अन्य*										
निजी कुल	25.58	53.88	2.87	2.94	12.08	0.002	0.00	0.35	0.11	2.07	0.118	100.00	0.06
एलआईसी#	95.81	2.49	0.09	0.04	1.24	0.04	0.00	0.00	0.02	0.27	0.00	100.00	0.00
उद्योगकुल	**62.26**	**27.03**	**1.42**	**1.42**	**6.42**	**0.02**	**0.002**	**0.17**	**0.06**	**1.13**	**0.056**	**100.00**	**0.03**

*बैंकों को छोड़कर परंतु कारपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंसप्राप्त कोई अन्य संस्था।.
इसमें इसका विदेश में किये गये नये व्यवसाय का प्रीमियम शामिल नहीं है।.
टिप्पणी: 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।.
2) रिफ़रल व्यवस्थाओं के माध्यम से प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।.

चार्ट II.1 निजी जीवन बीमाकर्ताओं का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

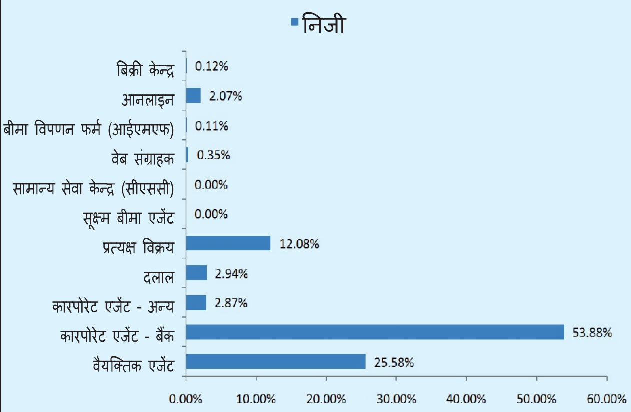

चार्ट II.2 एलआईसी का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

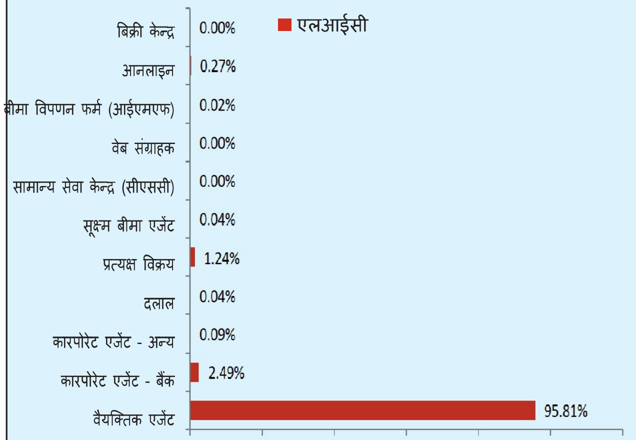

चार्ट II.3 जीवन उद्योग का वैयक्तिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

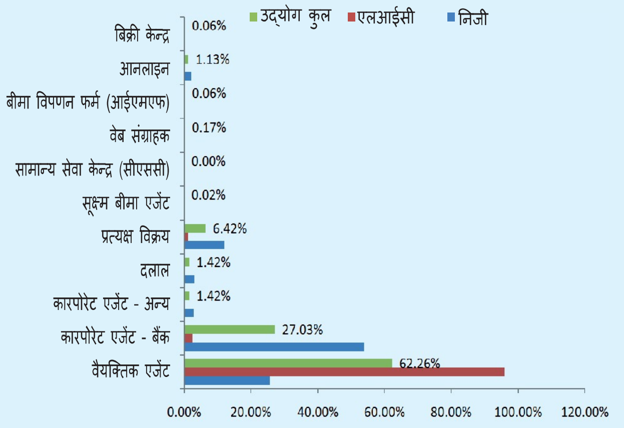

II.2.6 सामूहिक नया व्यवसाय

प्रत्यक्ष विक्रय का सामूहिक व्यवसाय के लिए वितरण का प्रबल माध्यम रहना निरंतर जारी है, जहाँ 2018-19 के दौरान प्रीमियम का इसका अंश 90.78% रहा। पिछले वर्ष में तदनुरूपी अंश 94.38 प्रतिशत था। इस माध्यम ने निजी और सरकारी क्षेत्रों के सामूहिक नये व्यवसाय (एनबी) प्रीमियम के क्रमशः 66.13% और 97.76% का अंशदान किया।

निजी बीमाकर्ताओं के सामूहिक व्यवसाय का एक और महत्वपूर्ण वितरण माध्यम बैंक थे। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंकों ने निजी बीमाकर्ताओं के मामले में कुल सामूहिक नये व्यवसाय प्रीमियम के 19.03% का अंशदान किया जबकि पिछले वर्ष में यह 12.57% था।

एलआईसी ने अपने पारंपरिक माध्यम वैयक्तिक एजेंसी बल के जरिये सामूहिक व्यवसाय प्रीमियम का 2.18% प्राप्त किया जबकि निजी बीमाकर्ताओं ने इस माध्यम के द्वारा 0.87% प्राप्त किया।

सामूहिक व्यवसाय के अंतर्गत उद्योग के एनबी प्रीमियम के प्रति दलाल माध्यम का अंशदान 0.95% था।

सारणी II.7
2018-19 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन --- माध्यम-वार

(आंकड़े प्रीमियम के प्रतिशत में)

जीवन बीमाकर्ता	वैयक्तिक एजेंट	कारपोरेट एजेंट		दलाल	प्रत्यक्ष विक्रय	सूक्ष्म बीमा एजेंट	सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी)	वेब संग्राहक	आईएमएफ	आनलाइन	बिक्री केन्द्र	कुल सामूहिक नया व्यवसाय	रिफरल
		बैंक	अन्य*										
निजी कुल	0.87	19.03	9.24	4.25	66.13	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
एलआईसी#	2.18	0.032	0.00	0.02	97.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
उद्योगकुल	**1.90**	**4.22**	**2.04**	**0.95**	**90.78**	**0.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100.00**	**0.00**

*बैंकों को छोड़कर परंतु कारपोरेट एजेंट के रूप में लाइसेंसप्राप्त कोई अन्य संस्था। .
इसमें इसका विदेशों में किया गया नया व्यवसाय प्रीमियम शामिल नहीं है।.
टिप्पणी: 1) नये व्यवसाय प्रीमियम में प्रथम वर्ष प्रीमियम और एकल प्रीमियम शामिल हैं।.
2) रिफ़रल व्यवस्थाओं के जरिये प्राप्त अग्रताएँ संबंधित माध्यमों में शामिल की गई हैं।.

चार्ट II.4 निजी जीवन बीमाकर्ताओं का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

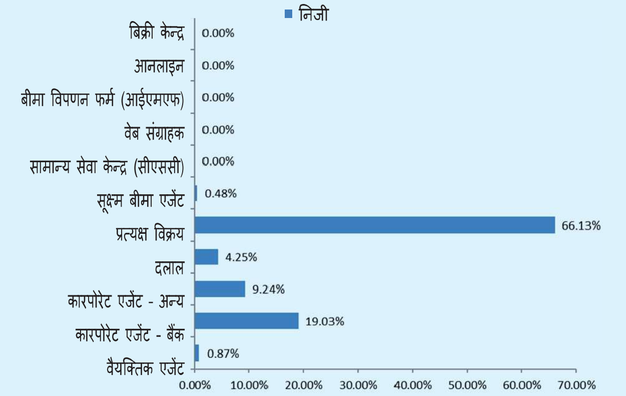

चार्ट II.5 एलआईसी का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

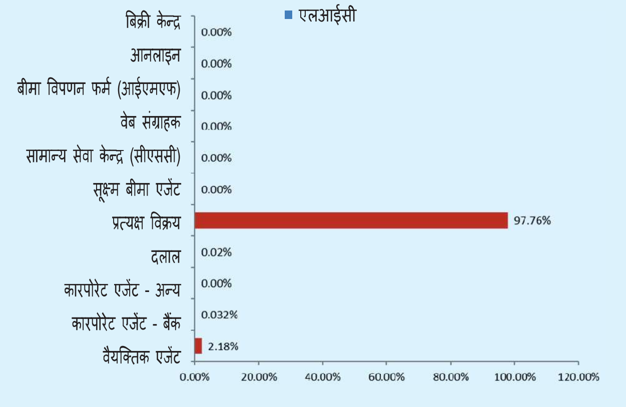

II.6 जीवन उद्योग का सामूहिक नया व्यवसाय कार्यनिष्पादन 2018-19 माध्यम-वार

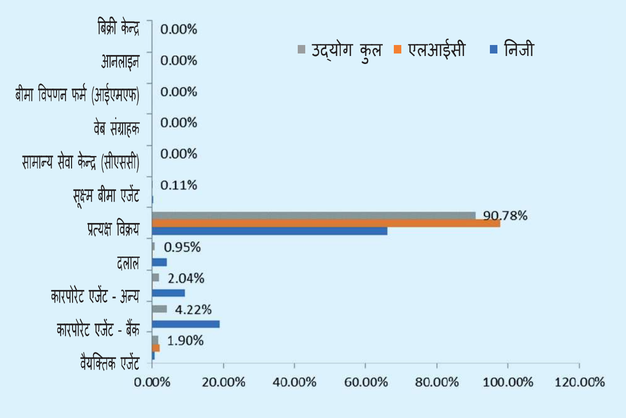

II.3 बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध मध्यवर्ती

बीमा विपणन फर्म

II.3.1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ) एक बीमा मध्यवर्ती है जो प्राधिकरण द्वारा 2015 में प्रारंभ किया गया है। आईएमएफ का पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म) विनियम, 2015 (आईएमएफ विनियम) के अधीन किया जाता है तथा यह पंजीकरण जिला-वार है। आईएमएफ खुली संरचना का अनुसरण करते हैं, जिसमें उन्हें किसी भी समय अधिकतम दो जीवन, दो साधारण और दो स्वास्थ्य बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों की अपेक्षा करने और प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। आईएमएफ को सभी प्रकार के जीवन बीमा उत्पाद प्राप्त करने की अनुमति है, जबकि साधारण बीमा के संबंध में केवल बीमा उत्पादों की खुदरा व्यवस्थाओं की ही अनुमति दी गई है। आईएमएफ भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, पीएफआरडीए, डाक विभाग आदि के द्वारा अनुमत रूप में अन्य वित्तीय उत्पादों का भी वितरण ऐसे प्राधिकारियों से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद कर सकते हैं। यह एक वन स्टॉप शॉप के रूप में परिकल्पित है जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न चरणों पर अपेक्षित वित्तीय उत्पाद उपलब्ध कराता है।

प्राधिकरण कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास एक निजी लिमिटेड कंपनी अथवा एक एलएलपी के रुप में आवेदक के के पंजीकरण के लिए `अनापत्ति प्रमाणपत्र' (एनओसी) जारी करता है। इसके बाद आईएमएफ विभाग आईएमएफ के रूप में पंजीकरण प्रदान करने के लिए आनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत आवेदनों का प्रसंस्करण करता है। एनओसी/पंजीकरण के लिए आवेदन ऑनलाइन पोर्टल

www.imf.irda.gov.in के माध्यम से प्राप्त किये जाते हैं।

II.3.2 प्राधिकरण ने मई 2018 में आईएमएफ के लिए तीन कार्यशालाएँ चंडीगढ़, अहमदाबाद और हैदराबाद में आयोजित की हैं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य आईएमएफ के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना तथा वर्तमान आईएमएफ को अनुपालन की अपेक्षाओं से सुग्राही बनाना रहा है। उक्त आईएमएफ से परिचालनात्मक प्रतिसूचना (फीडबैक) प्राप्त की गई है।

II.3.3 प्राधिकरण ने 15 जून 2018 को आईएमएफ विनियमों की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है जिससे समाज के सभी स्तरों के लिए बीमा रक्षा (कवरेज) के व्यापन के उद्देश्य को विकसित करने और उसे पूरा करने में इस माध्यम को समर्थ बनाया जा सके। इस समिति के लिए अधिदेश (मैंडेट) में आईएमएफ विनियमों का पुनरीक्षण करना; उन क्षेत्रों के संबंध में दिशानिर्देश जारी करने के लिए सिफारिशें करना जिन पर विनियम अनभिव्यक्त हैं; तथा इस माध्यम को आगे और मजबूत करने के संबंध में सिफारिशें करना। उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को 9 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

समिति की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर विचार किया गया हैः

क. परिचालन क्षेत्र और आईएसपी के निवासस्थान संबंधी मानदंड पर प्रतिबंध

ख. निवल मालियत (नेट वर्थ) की अपेक्षा का संशोधन

ग. उत्पाद के संबंध में प्रतिबंध

घ. बीमा कंपनियों द्वारा आईएमएफ को देय पारिश्रमिक

ङ. प्रधान अधिकारी के लिए पात्रता मानदंड

च. प्रधान अधिकारी को बदलने के लिए अपनाई जानेवाली प्रक्रिया

छ. प्रत्येक जिले में प्रधान अधिकारी की नियुक्ति

ज. आईएसपी के त्यागपत्र पर कार्रवाई करने के लिए क्रियाविधि

झ. आईएसपी की अंतरपरिवर्तनीयता

ञ. आईएसपी को मासिक पारिश्रमिक

ट. आईएमएफ शेयरधारिता के स्वरूप से संबंधित विषय

ठ. बीमा कंपनी के साथ तालमेल (टाई-अप) में परिवर्तन

ड. भारतीय स्टेट बैंक के पास अनिवार्य (मैंडेटरी) खाता तथा

ढ. अभिलेख अनुरक्षण और बहीखाता पद्धति

समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विपणन फर्म) (संशोधन) विनियम, 2019, 24 जुलाई 2019 को अधिसूचित किये गये हैं।

उक्त संशोधित विनियमों में भारत सरकार के आकांक्षी जिला कार्यक्रम को शामिल किया गया है जिसका उद्देश्य अभिसरण (केन्द्र और राज्य का), सहयोग (जनता और प्रशासन का) और प्रतिस्पर्धा (जिलों के बीच) के माध्यम से 28 राज्यों में से 117 जिलों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में शीघ्रतापूर्वक सुधार लाना है।

इसके अलावा, उक्त संशोधित विनियम ने अनुमति दी है कि 2 साधारण बीमाकर्ताओं के अतिरिक्त आईएमएफ के पास कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) और निर्यात ऋण गारंटी

निगम लि. (ईसीजीसी) के साथ वचनबद्ध होने का विकल्प है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, अब आईएमएफ गैर-ऋणी किसानों के लिए फ़सल बीमा और काम्बी उत्पादों, संपत्ति, सामूहिक वैयक्तिक दुर्घटना, सामूहिक स्वास्थ्य, तथा सूक्ष्म, छोटे और मझौले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए जीएसएलआई और मीयादी बीमा पालिसियों सहित वैयक्तिक और/ या खुदरा आधार पर बेचे जानेवाले सभी प्रकार के उत्पादों की अपेक्षा कर सकते हैं और उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। (आईएमएफ को, एमएसएमई को छोड़कर किसी भी अन्य खंड के लिए व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं की अपेक्षा और बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

II.3.4 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण के द्वारा 386 अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किये गये हैं तथा 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार जारी किये गये एनओसी की संचयी संख्या 1376 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण ने 60 आईएमएफ पंजीकरण जारी किये हैं तथा 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार पंजीकरणों की संचयी संख्या 272 है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्नांकित (जीवन, सामान्य, स्वास्थ्य) व्यवसाय आईएमएफ द्वारा किये गए है:

कुल पोलिसियाँ -27998

कुलमियम आय -37.95 करोड़ रूपये

कुलरिनिउवल प्रीमियम - 28.04 करोड़ रूपये

II.3.5 31.03.2018 को और 31.03.2019 को यथाविद्यमान आईएमएफ की राज्य-वार उपस्थिति सारणी II.8 में दर्शाई गई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात राज्यों ने अधिकतम संख्या में पंजीकृत आईएमएफ का साक्षात्कार किया।

सारणी II.8
बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ) की राज्य-वार स्थिति

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईएमएफ की संख्या (31.03.2018 की स्थिति)	आईएमएफ की संख्या (31.03.2019 की स्थिति)
1	आंध्र प्रदेश	6	7
2	बिहार	5	6
3	चंडीगढ़	5	6
4	दिल्ली	31	36
5	छत्तीसगढ़	2	2
6	गुजरात	20	26
7	हरियाणा	8	10
8	हिमाचल प्रदेश	2	2
9	जम्मू व कश्मीर	2	4
10	झारखंड	1	1
11	कर्नाटक	5	5
12	केरल	5	10
13	मध्य प्रदेश	2	3
14	महाराष्ट्र	38	48
15	ओडिशा	1	3
16	पंजाब	12	13
17	राजस्थान	3	7
18	तमिलनाडु	5	7
19	तेलंगाना	16	18
20	उत्तर प्रदेश	32	40
21	उत्तराखंड	2	5
22	पश्चिम बंगाल	9	13
	कुल	**212**	**272**

सर्वेक्षक और हानि निर्धारक

II.3.6 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक साधारण बीमा पॉलिसियों से संबंधित मूल्यांकन और निपटान की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम में यह व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक वह आईआरडीएआई द्वारा जारी किया गया एक विधिमान्य लाइसेंस धारित नहीं करता। ऐसी हानि के संबंध में कोई भी दावा जो भारत में घटित हुई हो और किसी बीमाकर्ता के संबंध में उत्पन्न हो गई हो अथवा उसको सूचित की गई हो, जिसके लिए बीमा की किसी पॉलिसी पर मूल्य में प्राधिकरण द्वारा विनियमों में विनिर्दिष्ट राशि के समान अथवा उससे अधिक राशि का भारत में भुगतान अथवा निपटान किया जाना अपेक्षित हो तब तक बीमाकर्ता द्वारा भुगतान के लिए स्वीकृत नहीं किया जाएगा और उसका निपटान नहीं किया जाएगा जब तक सर्वेक्षक अथवा हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस धारण करनेवाले किसी व्यक्ति से घटित हानि के संबंध में एक रिपोर्ट प्राप्त नहीं की जाती। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 यूएम के अनुसार प्राधिकरण के द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शैक्षणिक योग्यता और भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारिक संस्थान (आईआईआई एसएलए) की सदस्यता सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में कार्य करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए सांविधिक अपेक्षाएँ हैं।

सारणी II.9
सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किये गये लाइसेंस

	2017-18	2018-19
नये लाइसेंस		
वैयक्तिक	285	512
कारपोरेट	9	27
उप जोड़	**294**	**539**
नवीकरण		
वैयक्तिक	1444	2423
कारपोरेट	24	53
उप जोड़	**1468**	**2476**
प्रशिक्षणार्थी नामांकन	1291	1320

बीमा दलाल

II.3.7 प्राधिकरण ने बीमा दलालों को भारतीय बाजार में परिचालन करने के लिए 2003 से अनुमति दी तथा आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अनुसरण में सर्वप्रथम दलाल लाइसेंस 30 जनवरी 2003 को जारी किया गया। वर्ष 2013-14 में इन विनियमों का अधिक्रमण आईआरडीए (बीमा दलाल) 2013 द्वारा किया गया। इसके बाद आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का अधिक्रमण वर्ष 2017-18 में आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 द्वारा किया गया। उक्त विनियमों ने प्रत्यक्ष बीमा दलालों के लिए 75 लाख रुपये, पुनर्बीमा दलालों के लिए 400 लाख रुपये तथा सम्मिश्र बीमा दलालों के लिए 500 लाख रुपये की पूँजीगत अपेक्षा निर्धारित की। बीमा दलाली निरंतर लोकप्रिय हो रही है तथा पंजीकरणों की संख्या 2003 से बढ़ते हुए 562 हो गई है (31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)।

II.3.8 पंजीकृत दलालों की 562 की कुल संख्या में से 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार विधिमान्य दलाल 437 हैं तथा 125 ऐसे हैं जो प्रचलन में नहीं हैं। उक्त 437 विधिमान्य दलालों में से 371 प्रत्यक्ष दलाल हैं, 61 सम्मिश्र दलाल और 5 पुनर्बीमा दलाल हैं। प्राधिकरण ने 1

अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक की अवधि के दौरान 27 नये लाइसेंस जारी किये हैं तथा ये सभी प्रत्यक्ष दलाल की श्रेणी में हैं।

II.3.9 उक्त अवधि के दौरान प्राधिकरण ने 138 बीमा दलाल पंजीकरणों का नवीकरण किया है। विनियमों के अनुसार, बीमा दलाल अपने लाइसेंस की समाप्ति से 90 दिन पहले अग्रिम रूप से नवीकरण के लिए आवेदन कर सकता है। बीमा दलालों के अनुपालन स्तरों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण कदम उठाता रहा है। इनमें से कुछ के अंतर्गत शामिल हैं कार्यशालाओं का संचालन, भारतीय बीमा दलाल संघ के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता, आदि।

कागज रहित परिवेश की दिशा में अग्रसर होने के लिए एक प्रारंभिक कदम के तौर पर विभाग ने 1 जनवरी 2016 से व्यवसाय विश्लेषण-विज्ञान परियोजना (बीएपी) को कार्यान्वित किया है। बीमा दलाल के पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए नये आवेदनों का प्रसंस्करण, बीमा दलाल पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण तथा कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मामलों से संबंधित कार्रवाई

बीएपी मॉड्यूल के माध्यम से की जा रही है।

सारणी II.10

31-03-2019 की स्थिति के अनुसार बीमा दलालों के पंजीकृत कार्यालय राज्य-वार

राज्य का नाम	पंजीकृत कार्यालयों की संख्या	प्रत्यक्ष दलाल	सम्मिश्र दलाल	पुनर्बीमा दलाल
आंध्र प्रदेश	1	1	0	0
बिहार	1	1	0	0
चंडीगढ़	6	6	0	0
गुजरात	23	21	2	0
हरियाणा	11	10	1	0
झारखंड	1	1	0	0
कर्नाटक	19	17	2	0
केरल	13	12	1	0
महाराष्ट्र	129	92	33	4
मध्य प्रदेश	5	5	0	0
नई दिल्ली	79	70	9	0
ओडिशा	2	2	0	0
पंजाब	11	11	0	0
राजस्थान	7	7	0	0
तमिलनाडु	39	35	4	0
तेलंगाना	38	34	4	0
उत्तर प्रदेश	23	19	3	1
पश्चिम बंगाल	29	27	2	0
कुल	**437**	**371**	**61**	**5**

वेब संग्राहक

II.3.10 प्राधिकरण ने बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन तुलना और वितरण करने के लिए वेब संग्राहक के रूप में ज्ञात एक बीमा वितरण माध्यम का प्रवरतन किया है। बीमा वेब संग्राहक का उद्देश्य विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की कीमत की तुलना के लिए संभावित बीमा ग्राहकों को इंटरफेस और अन्य संबंधित विषयों की सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक वेबसाइट का अनुरक्षण करना है। यह पहल ई-कामर्स के माध्यम से बीमा व्यापन में वृद्धि करने एवं भारत सरकार की डिजिटल इंडिया की पहल में अंशदान करने के लिए की गई।

बीमा वेब संग्राहकों का पर्यवेक्षण और निगरानी करने के उद्देश्य से 13 अप्रैल 2017 को आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017 अधिसूचित किये किये गये। वर्तमान में प्रमाणित बीमा वेब संग्राहकों की संख्या 27 है।

सामान्य लोक सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी)

II.3.11 सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किये गये हैं तथा इनका कार्यान्वयन सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्राधिकरण ने 5 अक्तूबर 2015 को भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015 अधिसूचित किये हैं। सीएससी विनियमों की मुख्य-मुख्य विशेषताएँ निम्नानुसार हैं :

1. सीएससी-एसपीवी बीमा उत्पादों का विपणन करेंगे तथा उन बीमा कंपनियों के सीएससी नेटवर्क के माध्यम से अन्य बीमा संबंधी सेवाएँ भी प्रदान करेंगे जिन्होंने सीएससी-एसपीवी के साथ करार किया है।

2. सीएससी-एसपीवी सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ लिमिटेड, विशेष प्रयोजन माध्यम है जो सीएससी नेटवर्क के माध्यम से भारत के नागरिकों को सरकारी, निजी और सामाजिक क्षेत्र सेवाओं के वितरण को सुसाध्य बनाने के लिए संस्थापित है।

3. ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आरएपी) ग्राम-स्तरीय उद्यमी (वीएलई) व्यक्ति होगा जो बीमा उत्पादों का विपणन करने और बीमे से संबंधित सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामान्य सेवा केन्द्र का परिचालन और प्रबंध करने के लिए पंजीकृत और सीएससी- एसपीवी द्वारा प्राधिकृत हो। उसे 20 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, एनआईईएलआईटी द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए तथा उसके पास 10वीं कक्षा या उसकी समकक्ष न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए।

4. निम्नलिखित के लिए न्यूनतम पात्रता शर्तें, शैक्षिक योग्यताएँ और प्रशिक्षण की अपेक्षा विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई है

क. सीएससी-एसपीवी का प्रधान अधिकारी

ख. सीएससी-एसपीवी का आरएपी।

5. सीएससी-एसपीवी के प्रधान अधिकारी की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए योग्य और उचित (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंड प्रस्तावित किया गया है।

6. सीएससी-एसपीवी को पंजीकरण, विधिमान्यता प्रदान करने और पंजीकरण के नवीकरण की प्रक्रिया भी विनिर्दिष्ट की गई है।

7. सीएससी ढाँचे के अंदर सेवा भागीदार एजेंसी हैं जिसमें राज्य द्वारा पदनामित एजेंसी अथवा सेवा केन्द्र एजेंसी अथवा सीएससी योजना के अंतर्गत अन्य कोई एजेंसी शामिल है जो ग्राम-स्तरीय

उद्यमी (वीएलई) को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करेगी।

8. उक्त विनियमों में प्रधान अधिकारी, आरएपी, सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ताओं के लिए आचरण-संहिता तथा कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किये गये हैं। इन विनियमों में ग्राहकों की शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई है।

9. सीएससी-एसपीवी, सेवा भागीदार एजेंसी और आरएपी के बीच पारिश्रमिक, प्रदत्त कमीशन के क्रमशः 8% से अनधिक, 12% से अनधिक और 80% से अन्यून अनुपात में विनिर्दिष्ट किया गया है। तथापि, आरएपी द्वारा प्रदान की जानेवाली बीमा संबंधी सेवाओं के संबंध में निर्णय करना सीएससी-एसपीवी और बीमाकर्ता के बीच छोड़ दिया गया है।

10. प्रति बीमाकर्ता `20 लाख रुपये के ऑन-बोर्डिंग प्रभार, जो एक निलंब (एस्क्रो) खाते में अदा किये जाते हैं, सीएससी-एसपीवी द्वारा बीमाकर्ताओं पर प्रभारित करने की अनुमति दी गई है ताकि आरएपी स्तर पर बॉयो-मेट्रिक और आई आर आई एस उपस्कर की बुनियादी संरचना को सुसाध्य बनाया जा सके, जिसे सक्रिय होने के समय निर्मुक्त किया जाता है।

11. सीएससी-एसपीवी इस माध्यम के अंतर्गत एकमात्र उत्पादों का विपणन करेंगे जिनके संबंध में शब्द "सीएससी" प्रारंभ में होंगे। मोटर बीमा के अंतर्गत बीमित राशि को छोड़कर इन पॉलिसियों में अधिकतम अनुमत बीमित राशि `2 लाख रुपये है। वर्तमान में फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जीवन बीमाकर्ताओं के नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त लाभरहित असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद एवं नियमित प्रीमियम भुगतान से युक्त विशुद्ध सावधि बीमा उत्पाद अनुमोदित किये गये हैं। इसी प्रकार, मोटर बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, मवेशी/पशुधन बीमा, किसान की पैकेज पॉलिसी तथा साधारण बीमा का अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिमपूर्ण निवास बीमा को प्राधिकरण ने अनुमोदन प्रदान किया है।

12. सीएससी-एसपीवी और आरएपी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के लिए क्रियाविधि भी प्रस्तावित विनियमों में विनिर्दिष्ट की गई है।

13. उक्त विनियमों में बीमाकर्ताओं और सीएससी-एसपीवी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत की जानेवारी रिपोर्टें भी विनिर्दिष्ट की गई हैं।

14. सीएससी-एसपीवी माध्यम के संबंध में सांख्यिकी 1.4.2018 से 31.3.2019 तक की अवधि के लिए निम्नानुसार हैः

क. उन आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें प्रारंभ से लेकर प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं - 54249

ख. उन आरएपी की संख्या जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और परीक्षा उत्तीर्ण की है तथा जिन्हें वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रमाणपत्र जारी किये गये हैं - 15725

ग. प्राप्त कुल नया बीमा प्रीमियम - रु.107.35 करोड़

घ. प्राप्त कुल नया साधारण बीमा प्रीमियम - रु.104.66 करोड़

ङ. प्राप्त कुल नया जीवन बीमा प्रीमियम - रु. 2.69 करोड़

च. संगृहीत कुल नवीकरण प्रीमियम - रु. 675.59 करोड़

छ. संगृहीत कुल प्रीमियम (नया और नवीकरण) - रु. 782.94 करोड़

ज. बीमाकर्ताओं की संख्या जिनके साथ करार हस्ताक्षरित किये गये हैं : साधारण-18; स्वास्थ्य - 3; जीवन - 19

झ. बेची गई पालिसियों की संख्या - i) मोटर अन्य पक्ष - 483698 ii) मोटर पैकेज - 129032 iii) वैयक्तिक दुर्घटना - 25072 iv) जीवन बीमा (नया) - 28657 v) और अन्य - 981

बिक्री केंद्र विक्रेता - जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

II.3.12 पीओएस-जीवन बीमाकर्ता

नियामक के विकास जनादेश के हिसाब के रूप में बड़े पैमाने पर लोगों को जीवन बीमा उत्पादों तक आसानी से पहुँच प्रदान करने के और बिमा प्रवेश और घनत्व बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त फिलिप देने के लिए,प्राधिकरण ने जीवन बीमाकर्ताओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी किए हैं।

पीओएस -जीवन बीमा उत्पाद की कुछ मुख्य विशेषताएं

- परिभाषित पीओएस उत्पाद सरल सादे वेनिला प्रकार के उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है और बिक्री के समय स्पष्ट रूप से खुलासा किया जाता है और समझने के लिए बहुत सरल है
- उत्पादों की श्रेणियों को निर्धारित किया गया है जिन्हें मापदंडों को निर्दिष्ट करते वाले पीओएस उत्पाद के रूप में पेश किया जा सकता है
- पीओएस उत्पाद के तहत केवल गैर-जुड़ेऔर व्यक्तिगत उत्पादों की पेशकश की अनुमति है
- पीओएस उत्पाद के लिए एक मुख्य विशेषता दस्तावेज़ - सह - प्रस्ताव फार्म निर्धारित है
- निर्धारित चैनल जो पीओएस उत्पादोंको मांगसकते हैं
- पीओएस उत्पाद व्यवसाय पर प्राधिकरण को छमाही रिटर्न जमाकरना

पीओएस व्यक्तियोंकी कुछ प्रमुख विशेषताएं - जीवन बीमा

- परिभाषित पीओएस व्यक्तिजो न्यूनतम योग्यता रखने वाले व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण ले चुके हैऔर दिशानिर्देश और अनुरोधोंमें निर्दिष्ट परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके है औरप्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट उत्पादों को केवल बाजारों में निर्दिष्ट करते है।
- प्रशिक्षण, परीक्षा, पीओएस व्यक्तियों की नियुक्ति पर निर्धारितप्रावधान
- उन उत्पादों को निर्दिष्ट कियाजिन्हें पीओएस व्यक्तियोंद्वाराअनुरोधकिया जा सकता है।

II.3.13 पीओएस - साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता

प्राधिकरण ने पाया कि ऐसे कई व्यक्ति हैं जो बीमा पॉलिसियों की अपेक्षा और विपणन से संबंधित सरल और नेमी कार्यकलापों से संबद्ध हैं। उदाहरण के लिए मोटर

बीमा, यात्रा बीमा, वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, आदि में अधिकांश उत्पादों के लिए बहुत कम जोखिम-अंकन अपेक्षित है। ये अधिकांश तौर पर पहले से जोखिम अंकित होते हैं जिनमें संभावित ग्राहक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर प्रणाली द्वारा बीमा पॉलिसी स्वचालित रूप से उत्पन्न की जाती है। ऐसे उत्पाद के लिए आवश्यक हस्तक्षेप अल्पतम है तथा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा न्यूनतर परिमाण की हो सकती है।

देश में बीमा व्यवसाय की वृद्धि को सुसाध्य बनाने तथा बीमा व्यापन और बीमा सघनता को बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने अपनी विकासात्मक कार्यसूची के भाग के रूप में "बिक्री केंद्र विक्रेताओं" संबंधी निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किये।

उक्त दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. "बिक्री केंद्र विक्रेता" जो केवल प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कुछ पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की ही अपेक्षा और विपणन कर सकते हैं।
2. प्रत्येक "बिक्री केंद्र विक्रेता" उसके पैन कार्ड द्वारा पहचाना जाएगा।
3. प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसे पहले से जोखिम-अंकित उत्पादों की अपेक्षा और विपणन करनेवाले व्यक्ति "बिक्री केंद्र विक्रेता" कहलाएँगे।
4. उक्त "बिक्री केंद्र विक्रेता" कम से कम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होगा।
5. स्टैंड-अलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता सहित साधारण बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती जो बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस पर्सन) की नियुक्ति करने का प्रस्ताव करता हैः

क. बीमा सूचना केन्द्र (आईआईबी), हैदराबाद में रखे गये डेटाबेस के साथ पुनः जाँच (क्रॉस-चेकिंग) करने के द्वारा यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती के पास नियुक्त नहीं है।

ख. उम्मीदवार के लिए पंद्रह (15) घंटे का आंतरिक प्रशिक्षण आयोजित करेगा।

ग. प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद परीक्षा का संचालन करेगा।

घ. परीक्षा उत्तीर्ण करनेवाले उम्मीदवार को परिपत्र के साथ संलग्न फार्मेट में एक प्रमाणपत्र जारी करेगा।

ङ. शर्तें विनिर्दिष्ट करते हुए एक लिखित करार निष्पादित करने के द्वारा सफल उम्मीदवार को बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस पर्सन) के रूप में नियुक्त करेगा।

च. दिन की समाप्ति पर आईआईबी डेटाबेस में विवरण अपलोड करेगा।

छ. प्रशिक्षण और परीक्षा का उचित अभिलेख उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से जिसमें इनका आयोजन किया गया हो, कम से कम पाँच (5) वर्ष के लिए रखेगा जो प्रत्यक्ष (ऑनसाइट) निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण के निरीक्षण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. एक "बिक्री केन्द्र विक्रेता" किसी बीमा कंपनी अथवा बीमा मध्यवर्ती का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
7. उक्त "बिक्री केंद्र विक्रेता" केवल निम्नलिखित पूर्व-जोखिम-अंकित उत्पाद ही बेच सकता है।

क्रम सं.	उत्पाद की श्रेणी	बिक्री केन्द्र विक्रेता (पीओएस) द्वारा विपणन किये गये साधारण बीमा उत्पाद के लिए बीमित राशि की अधिकतम सीमा
i.	मोटर पैकेज (दुपहिया वाहन, निजी कार और वाणिज्यिक वाहन)	रु. 50 लाख प्रति जोखिम
ii.	मोटर अन्य पक्ष (दुपहिया वाहन, निजी कार और वाणिज्यिक वाहन)	कोई सीमा नहीं
iii.	वैयक्तिक दुर्घटना	रु. 50 लाख प्रति जीवन
iv.	यात्रा	रु. 3 करोड़ प्रति जीवन/ जोखिम अथवा विदेशी मुद्रा में समतुल्य राशि
v.	गृह	रु. 50 लाख प्रति जोखिम
vi.	अग्नि (फायर) और संबद्ध जोखिम (निवास)	रु. 50 लाख प्रति जोखिम
vii.	अस्पताल हेतु नकदी	रु. 1 लाख प्रति व्यक्ति
viii.	गंभीर अस्वस्थता	रु. 3 लाख प्रति व्यक्ति
ix.	स्वास्थ्य क्षतिपूर्ति	रु. 5 लाख प्रति व्यक्ति
x.	मवेशी/पशुधन	रु. 1.5 लाख प्रति जोखिम
xi.	कृषि पम्प-सेट	रु. 1.5 लाख प्रति जोखिम
xii.	पीएमएफबीवाई/डब्ल्यूबीसीआईएस/सीपीआईएस/पीएमएसबीवाई/ सरकारी योजनाएँ	कोई सीमा नहीं
xiii.	फ़सल बीमा सरकारी योजनाओं को छोड़कर योजनाओं को छोड़कर	रु. 1 लाख प्रति एकड़
xiv.	जीवन, साधारण और स्वास्थ्य बीमा के सूक्ष्म बीमा उत्पाद	

8. इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि पालिसी के अंतर्गत अधिकतम बीमित राशि पालिसीधारक के लिए उपचित होनेवाले नो क्लेम बोनस के कारण सीमा से अधिक हो जाती है, तो पीओस के प्रति यह अनुचित होगा कि उसके द्वारा स्रोतीकृत की गई पालिसी पर उसका शुल्क अदा करने से मना किया जाए। अतः प्रवर्तक संस्था को इस बात की अनुमति दी गई है कि वह पीओएस द्वारा स्रोतीकृत की जा रही ऐसी पालिसियों की पहचान करे और पीओएस को फीस का भुगतान करे, जब तक यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जा सके कि अधिक बीमित राशि केवल नो क्लेम बोनस के कारण ही है।

9. प्रत्येक प्रस्ताव फार्म चाहे वह कागज पर हो अथवा कागज-रहित रूप में हो, बीमा पॉलिसी और अन्य संबंधित दस्तावेज पैन कार्ड संख्या को दर्ज करने के लिए व्यवस्था से युक्त होंगे जिससे पॉलिसी को "बिक्री केंद्र विक्रेता" के साथ संबद्ध किया जा सके जो उपर्युक्त पॉलिसी को बेच रहा है।

10. प्रस्ताव फार्म और बीमा पॉलिसी में "बिक्री केंद्र विक्रेता" की पैन कार्ड संख्या को दर्ज करने के लिए बीमा कंपनी उत्तरदायी होगी। बीमा कंपनी "बिक्री केंद्र विक्रेता" के आचरण के लिए जिम्मेदार होगी जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है।

11. बीमा मध्यवर्ती के माध्यम से किये जानेवाले विक्रय के लिए बीमा मध्यवर्ती प्रस्ताव फार्म में "बिक्री केंद्र विक्रेता" की पैन कार्ड संख्या को दर्ज करेगा और बीमा पॉलिसी में ऐसा ही करने के लिए बीमा कंपनी से अपेक्षा करेगा। बीमा मध्यवर्ती अपने द्वारा नियुक्त "बिक्री केंद्र विक्रेता" के आचरण के लिए जिम्मेदार होगा तथा बिक्री केंद्र विक्रेता की ओर से कोई भी कदाचार उसे अधिनियम के अनुसार दंड के लिए भागी बनायेगा।

12. बीमा मध्यवर्ती के पंजीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण करते समय जिन कारकों पर विचार किया जाएगा उनमें से एक बीमा मध्यवर्ती के रजिस्टरों में विद्यमान "बिक्री केंद्र विक्रेता" का आचरण होगा।

13. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

14. पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या - 270971

15. प्रवर्तक एजेंसियों की संख्या - i) बीमाकर्ता - 32; ii) बीमा दलाल - 75; iii) कॉरपोरेट एजेंट - 18

16. प्रवर्तक एजेंसियों के पीओएस की संख्या - i) बीमाकर्ता - 100797; ii) बीमा दलाल - 124254; iii) कॉरपोरेट एजेंट - 45920

II.3.14 मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)

दिशानिर्देशों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :

1. उद्देश्यः इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य मोटर बीमा पॉलिसियों का वितरण और उनकी सर्विसिंग करने में ऑटोमोटिव व्यापारी की भूमिका की पहचान करनी है ताकि बीमा से संबंधित उनके कार्यकलापों का विनियामक पर्यवेक्षण किया जा सके।

2. "ऑटोमोबाइल व्यापारी", "ऑटोमोबाइल विनिर्माता", "वितरण शुल्क" और "मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)" की परिभाषा दी गई है।

3. उक्त दिशानिर्देश किसी ऑटोमोबाइल व्यापारी के रूप में एमआईएसपी की नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें उपलब्ध कराते हैं, जो बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42 में निर्धारित रूप में किसी भी अनर्हता से ग्रस्त नहीं है।

4. एमआईएसपी अपने उद्देश्यों में अथवा अपने विलेख (डीड) अथवा इसी प्रकार के किसी अन्य दस्तावेज में, ऐड-ऑन्स सहित मोटर बीमा पॉलिसियों के वितरण और उनकी सर्विसिंग को शामिल करेगा।

5. एमआईएसपी या तो बीमाकर्ता(ओं) द्वारा या बीमा मध्यवर्ती द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा।

6. एमआईएसपी की भूल-चूक के सभी कृत्यों के लिए प्रवर्तन करनेवाली संस्था/ संस्थाएँ उत्तरदायी होंगी।

7. एमआईएसपी एक पदनामित व्यक्ति को नियुक्त करेगा तथा मोटर बीमा पॉलिसियों का वितरण करनेवाले सभी व्यक्ति कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होंगे तथा बिक्री केन्द्र विक्रेता के लिए निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे।

8. उनकी आधार संख्या के आधार पर उन्हें विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) दी जाएगी।

9. एमआईएसपी की नियुक्ति सामान्यतः बीमाकर्ताओं के मामले में तब तक विधिमान्य होगी, जब तक कि निरस्त नहीं की जाती तथा बीमा मध्यवर्तियों के मामले में तब तक विधिमान्य होगी जब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र विधिमान्य है।

10. एमआईएसपी द्वारा स्थापित नियंत्रणों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं, और रक्षोपायों की आवधिक समीक्षा कम से कम वर्ष में एक बार प्रवर्तक संस्था / संस्थाओं द्वारा की जाएगी।

11. एमआईएसपी की विस्तृत आचरण-संहिता और प्रवर्तक संस्था / संस्थाओं के दायित्व निर्धारित किये गये हैं।

12. दूसरा भाग परिचालन संबंधी विषयों से संबंधित है।

13. एमआईएसपी सुनिश्चित करेगा कि हर समय निम्नलिखित न्यूनतम शर्तों का पालन किया जाता है।

क. एमआईएसपी के माध्यम से मोटर बीमा पॉलिसियों का वितरण बीमाकर्ता अथवा बीमा मध्यवर्ती और मोटर बीमा सेवा प्रदाता, जैसी स्थिति हो, के बीच किये गये करार के आधार पर होगा।

ख. एमआईएसपी केवल ऐड-ऑन्स सहित मोटर बीमा पॉलिसियों का वितरण और/ या सर्विसिंग करेगा।

ग. एमआईएसपी को देय अधिकतम वितरण शुल्क निम्नानुसार होगाः

	एमआईएसपी को देय अधिकतम वितरण शुल्क	बीमाकर्ता द्वारा बीमा मध्यवर्ती को देय अधिकतम पारिश्रमिक और प्रतिफल*
दुपहिया ऑटोमोटिव वाहन	ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 22.5%	ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 22.5%
दुपहिया ऑटोमोटिव वाहन को छोड़कर अन्य	ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 19.5%	ऑटोमोटिव वाहन के ओडी अंश का 19.5%

टिप्पणीः *बीमाकर्ता एक ही मोटर बीमा पॉलिसी पर दोनों पारिश्रमिक और प्रतिफल एवं वितरण शुल्क का भुगतान नहीं करेगा।

घ. एमआईएसपी अथवा उसकी कोई सहयोगी कंपनी बीमाकर्ता से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कोई शुल्क, प्रभार, बुनियादी संरचना व्यय, विज्ञापन व्यय, प्रलेखीकरण प्रभार, कानूनी शुल्क, परामर्श शुल्क, अथवा कोई अन्य भुगतान प्राप्त नहीं करेगी चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए तथा बीमाकर्ता प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एमआईएसपी अथवा उसकी सहयोगी कंपनी को उपर्युक्त का भुगतान नहीं करेगा, चाहे वह किसी भी नाम से कहलाए।

ङ. एमआईएसपी ई-बीमा खाता के निर्माण एवं ई-बीमा पॉलिसियों के निर्गम में सहायता प्रदान करेगा।

च. एमआईएसपी की प्रवर्तक संस्था/ संस्थाएँ और एमआईएसपी के पास पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए एक व्यवस्था उपलब्ध होगी।

छ. यदि एमआईएसपी के एक से अधिक प्रवर्तक बीमाकर्ता हों, तो सभी ऐसे बीमाकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग एमआईएसपी के कार्यों के लिए बाध्य होंगे तथा दंड के लिए भागी होंगे।

ज. बीमा मध्यवर्ती लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र धारित करनेवाले ऑटोमोटिव व्यापारियों को मोटर बीमा पॉलिसियाँ वितरित करने और उनकी सर्विसिंग करने की अनुमति नहीं होगी।

झ. मोटर बीमा पॉलिसियाँ वितरित करने और सर्विसिंग करने के लिए वे वर्तमान लाइसेंस / पंजीकरण प्रमाणपत्र अभ्यर्पित करेंगे तथा आवश्यक रूप से मोटर बीमा सेवा प्रदाता बनेंगे।

14. इन दिशनिर्देशों के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख 1 नवंबर 2017 थी।

15. 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नानुसार हैः

क) पंजीकृत एमआईएसपी की संख्या - 19466

ख) प्रवर्तक एजेंसियों की संख्या - i)बीमाकर्ता - 18; ii)बीमा दलाल - 21; iii) कॉरपोरेट एजेंट - 4

ग) प्रवर्तक एजेंसियों के एमआईएसपी की संख्या - i) बीमाकर्ता - 8763; ii) बीमा दलाल - 10611; iii) कॉरपोरेट एजेंट - 92.

II.4 बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थान

II.4.1 भारतीय बीमा क्षेत्र ने बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए माँग में वृद्धि देखी है। इस स्थिति के होते हुए प्राधिकरण भारत में और विदेशों में बीमा शिक्षण से संबद्ध व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क में रहता है।

II.4.2 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम): आईआईआरएम एक ऐसा संस्थान है जो एक संयुक्त उद्‌यम के रूप में आईआरडीएआई और तेलंगाना सरकार द्‌वारा स्थापित है। यह संस्थान जिसका निर्माण श्रेष्ठता से युक्त एक अंतरराष्ट्रीय विद्‌यालय के रूप में किया गया है, अब एक प्रमुख बी-स्कूल के रूप में भी कार्य कर रहा है तथा यह हैदराबाद नगर और तेलंगाना राज्य का गौरव है।

यह संस्थान विभिन्न स्नातकोत्तर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र कार्यक्रम/ पाठ्‌यक्रम संचालित करता है, जो सभी, वित्तीय सेवाएँ, बीमा, जोखिम प्रबंध, स्वास्थ्य बीमा, विपणन, बीमांकिक विज्ञान, विश्लेषण-विज्ञान आदि उक्त संस्थान जीवन बीमा, साधारण बीमा और जोखिम प्रबंध में दूरस्थ शिक्षण पाठ्‌यक्रम भी उपलब्ध कराता है। संस्थान के छात्र और संकाय समस्त भारत से हैं। इस संस्था को बीमा कंपनियों, बैंकों, आईटी और परामर्शी कंपनियों, अनुसंधान फर्मों और अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्‌वारा भलीभांति स्वीकार किया गया है तथा इसका एक अच्छा स्थापन इतिहास (प्लेसमेंट रिकार्ड) है।

आईआईआरएम एक विश्लेषण-विज्ञान के विद्‌यालय (पाठ्‌यक्रम में विभिन्न विश्लेषणात्मक साधन शामिल हैं) एवं मशीन शिक्षण, एआई आदि जैसे विषयों से भी युक्त बीमा शिक्षण उपलब्ध कराता रहा है। बीमा उद्‌योग के लिए आईटी, बीमा, बीमांकिक विज्ञान और विश्लेषण-विज्ञान की जानकारी से युक्त प्रबंधकों और कार्यकारी प्रशासकों की आवश्यकता है तथा इस संस्थान ने उद्‌यमशीलता के साथ इस खंड की आवश्यकता पूरी करने के लिए योजना बनाई है।

अतीत में, इस संस्थान ने बीमा में एक वर्ष के कंपनी-विशिष्ट पाठ्‌यक्रम संचालित किये हैं जिनमें लगभग 200 छात्र उत्तीर्ण हो चुके हैं तथा वे अब देश में विभिन्न बीमा कंपनियों में नियोजित हैं। संस्थान विभिन्न कंपनियों के कार्यकारी प्रशासकों के लिए बीमा और जोखिम प्रबंध में प्रमाणपत्र कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। हाल ही में आईआईआरएम ने नये परिसर में स्थानांतरण किया है जहाँ कई अधिक सुविधाएँ हैं तथा यह आशा है कि यह संस्थान वित्तीय सेवाओं, वित्त, बीमा, जोखिम प्रबंध, बीमांकिक विज्ञान और विश्लेषण-विज्ञान के क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर सकेगा तथा आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान भी संचालित कर सकेगा जो उद्‌योग के अधिक व्यापक हितों के लिए अनुकूल है।

II.4.3 भारतीय बीमा संस्थानः भारतीय बीमा संस्थान (संस्थान) की स्थापना बीमा शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के प्रयोजन से वर्ष 1955 में की गई थी। संस्थान की अर्हताओं को उद्‌योग द्‌वारा न केवल भारत में बल्कि पड़ोस के सार्क देशों, अफ्रीका, मध्य-पूर्व और आसियान (एएसईएएन) क्षेत्र में भी अत्यधिक सम्मान के साथ देखा जाता है। एक अग्रणी शिक्षण और प्रशिक्षण प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका में यह संस्थान बीमाकर्ताओं, बीमा परिषदों, मध्यवर्तियों और विनियमनकर्ता प्राधिकरणों सहित बीमा उद्‌योग के विभिन्न खंडों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है।

उक्त संस्थान लाइसेंसिएट, एसोसिएटशिप और फेलोशिप परीक्षाओं का अयोजन देश में 120 केन्द्रों में और विदेशों में 17 स्थानों पर करता है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार, संस्थान के 56,005 एसोसिएट सदस्यों और 32,405 फेलो सदस्यों सहित 3,36,634 सदस्य थे। संस्थान को विनियमनकर्ता द्वारा बीमा एजेंटों के लिए भर्ती-पूर्व परीक्षा और सर्वेक्षकों के लिए लाइसेंसीकरण-पूर्व परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम सामग्री विकसित करने तथा परीक्षा आयोजित करने का अधिदेश (मैंडेट) दिया गया है। संस्थान के पास एक प्रशिक्षण केन्द्र भी है जहाँ दलालों, बीमा विपणन फर्मों (आईएमएफ), कारपोरेट एजेंटों के लिए पंजीकरण-पूर्व / नवीकरण-पूर्व प्रशिक्षण के लिए एवं कारपोरेट एजेंटों के प्रधान अधिकारियों / विनिर्दिष्ट अधिकारियों हेतु परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यवस्था है।

संस्थान वैश्विक बीमा शिक्षण संस्थान (आईजीआईई) का सदस्य है तथा कई सुप्रतिष्ठित वैश्विक संस्थानों तथा जोखिम प्रबंध, बीमा, आपदा प्रबंधन और प्रशिक्षण के क्षेत्र में सक्रिय संघों के साथ इसका पुराना संबंध है। यह संस्थान अंतरराष्ट्रीय बीमा सोसाइटी (आईआईएस) का सदस्य है तथा भारत और सार्क क्षेत्र के लिए आईआईएस राजदूत के रूप में कार्य करता है। सार्क और आसियान देशों, अफ्रीका एवं मध्य-पूर्व के देशों में स्थित प्रशिक्षण संस्थानों के साथ इस संस्थान के व्यावसायिक संबंध हैं।

उक्त संस्थान विविधतापूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान करता है, जैसे सूक्ष्म बीमा, पारस्परिक (म्युचुअल) बीमा, संपत्ति बीमा, प्राकृतिक विपत्तियाँ, पुनर्बीमा और विनियमन आदि जो न केवल बीमा उद्योग की ओर से, बल्कि आवास, यातायात प्रबंध, आपदा न्यूनीकरण आदि क्षेत्रों के संबंधित उद्योग सहभागियों के लिए भी किया जाता है।

उक्त संस्थान अपने सदस्यों को जोखिम प्रबंध, बीमा, वित्त, प्रौद्योगिकी और बीमा उद्योग के लिए ऐसे अन्य संगत विषयों के क्षेत्रों में अनुसंधान और उन्नत अध्ययन में लिप्त होने के लिए प्रोत्साहित करता है। संस्थान निबंध और तकनीकी-पत्र लेखन प्रतियोगिताओं के माध्यम से अपने सदस्यों को समकालीन हित और महत्व के विषयों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन देता है तथा नकद पुरस्कार एवं संस्थान के जर्नल में आलेख प्रकाशित करने के द्वारा विजेता सहयोगियों को मान्यता प्रदान करता है।

बीमा महाविद्यालय उक्त संस्थान का प्रशिक्षण स्कंध है जिसे भारत में बीमा के एक उच्चतर शिक्षण संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह कालेज प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा अपने मुंबई और कोलकाता परिसर से सेमिनारों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करता है। उक्त कालेज अत्याधुनिक शिक्षण सुविधाओं एवं सहभागियों के लिए छात्रावास कक्षों, पुस्तकालय और व्यायामशाला से युक्त है। 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान मुंबई और कोलकाता में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 3000 सहभागियों ने भाग लिया।

बीमा जागरूकता और कौशल विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से संस्थान महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में जाकर बीमा की आवश्यकता और उपयोगिता एवं बीमा क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार और अन्य अवसरों का प्रचार करता है।

उक्त संस्थान का नियंत्रण एक परिषद के द्वारा किया जाता है जिसमें भारतीय सरकारी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं और देश भर में व्याप्त संबद्ध संस्थानों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कारपोरेट सदस्य हैं। प्रशासन समिति संस्थान के कार्यकलापों के लिए निर्देश और मार्गदर्शन देता है।

भारतीय बीमा संस्थान (आईआईआई) वेब संग्राहकों, कारपोरेट एजेंटों और बीमा विपणन फर्मों के लिए दोनों प्रशिक्षण निकाय और परीक्षा निकाय है। यह दलालों के लिए भी प्रशिक्षण निकाय है तथा एजेंटों की भर्ती-पूर्व परीक्षाओं के लिए परीक्षा निकाय है। साथ ही, यह संस्थान विभिन्न सर्वेक्षक परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम विषय-वस्तु तैयार करता रहा है तथा सर्वेक्षकों की परीक्षाओं का भी यह आयोजन करता है। इस संस्थान ने सामान्य सेवा केन्द्र दिशानिर्देशों के अंतर्गत ग्राम-स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के लिए भी एक पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है।

II.4.4 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थानः भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित और स्थापित तथा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित एक संस्थान है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए इस संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। यह संस्थान एक स्व-नियंत्रित निकाय के रूप में कार्य करता है।

II.4.5 भारतीय बीमांकक संस्थान (आईएआई) की परिषद में प्राधिकरण का भी सांविधिक प्रतिनिधित्व है, जो भारत में बीमांककों के व्यवसाय के विनियमन के लिए एक सांविधिक और व्यावसायिक निकाय है। इसके उद्देश्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बीमांकक के व्यवसाय के सदस्यों द्वारा किये जानेवाले व्यवहार को विनियमित करना भी शामिल है। बीमा शिक्षण से संबंधित एक और उल्लेखनीय समन्वित प्रबंध विद्यालय राष्ट्रीय बीमा अकादमी (एनआईए), पुणे है जो संस्थागत और वैयक्तिक आधार पर अनुसंधान और परामर्श संबंधी कार्यकलापों का संवर्धन, विकास और पोषण करता है।

II.5 वाद, अपीलें और न्यायालयों के निर्णय

II.5.1 2018-19 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय, विभिन्न उच्च न्यायालयों, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी), सिविल अदालतों, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरणों (एमएसीटी), और लोक अदालतों के समक्ष दायर किये गये मामलों के तौर पर वादों एवं निपटाये गये / खारिज किये गये मामलों का भी विवरण सारणी II.11 और II.12 में दिया गया है।

सारणी II.11
दायर किये गये मामलों का विवरण (2018-19)

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का ब्योरा	जीवन	गैर-जीवन	स्वास्थ्य	मध्यवर्ती	एचआर	सीएडी	कुल
1.	सर्वोच्च न्यायालय	1	0	1	1	0	0	3
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाएँ	5	11	11	13	1	17	58
3.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	0	0	0	0	0	0	0
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपीलें, एलपीए	1	0	0	0	0	0	1
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समीक्षा/पुनःस्थापन याचकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में दायर अवमानना याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
7.	उपभोक्ता मामलें (डीसीएफ+ एससीडीआरसी+ एनसीडीआरसी)	0	0	0	0	0	21	21
8.	दीवानी व लोक अदालत मामले	0	0	0	1	0	1	2
9.	एमएसीटी मामले	0	0	0	0	0	1	1
10.	जनहित वाद	1	1	1	0	1	0	4
11.	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**8**	**12**	**13**	**15**	**2**	**40**	**90**

सारणी II.12
2018-19 के दौरान निपटाये गये/ खारिज किये गये मामलों का विवरण

क्रम सं.	दायर किये गये मामलों का ब्योरा	जीवन		गैर-जीवन		स्वास्थ्य		मध्यवर्ती		एचआर		सीएडी		कुल	
		क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1.	सर्वोच्च न्यायालय	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट याचिकाएँ	0	1	0	4	0	3	4	7	0	0	0	4	4	19
3.	प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	2
4.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर रिट अपीलें, एलपीए	0	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	4
5.	विभिन्न उच्च न्यायालयों में दायर समीक्षा/पुनःस्थापन याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	उच्च न्यायालयों में दायरअवमानना याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	उपभोक्ता मामले (डीसीएफ+ एसडीआरसी+एनसीडीआरसी)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8.	दीवानी और लोक अदालत मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
9.	एमएसीटी मामले	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	जनहित वाद	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
11.	आपराधिक याचिकाएँ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल	**0**	**3**	**0**	**5**	**1**	**4**	**4**	**8**	**0**	**3**	**0**	**7**	**5**	**30**
	वर्ष में कुल निपटाये गये	35													

टिप्पणी: क- आईआऱडीएआई को निर्देश सहित ख- आईआरडीएआई को निर्देश के बिना

II.6 बीमा में अंतरराष्ट्रीय सहयोग

II.6.1 आईआरडीएआई घरेलू तौर पर विनियामक उपाय प्रारंभ करने और उन्हें कार्यान्वित करने के साथ ही अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने के महत्व को स्वीकार करता है। इस संदर्भ में और अपने विनियामक उद्देश्यों को बढ़ावा देते हुए आईआरडीएआई विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों, फोरमों और विदेशी विनियमनकर्ताओं के साथ संबंध बनाया हुआ है। आईआरडीएआई वित्तीय वर्ष 2018-19 में भी अंतरराष्ट्रीय कार्यक्षेत्र में निरंतर चल रही गतिविधियों में सक्रिय रहा है और योगदान कर रहा है।

अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के साथ आईआरडीएआई के संबंध में जारी है, जो बीमा क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए सिद्धांत, मानक और अन्य सहायक सामग्री विकसित करने और उनके कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार एक अंतरराष्ट्रीय मानक निर्धारक निकाय है। आईएआईएस सदस्यों के लिए अपने अनुभवों की साझेदारी करने तथा बीमा पर्यवेक्षण और बीमा बाजारों को समझने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। आईआरडीएआई आईएआईएस समिति की विभिन्न बैठकों में सहभागिता कर रहा है तथा मानक निर्धारण और कार्यान्वयन संबंधी गतिविधियों में योगदान दे रहा है।

आईआरडीएआई वित्त मंत्रालय को वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) के बीमा क्षेत्र संबंधी मामलों में चालू कार्य के संबंध में निरंतर विचार और निविष्टियाँ उपलब्ध कराता रहा है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड ऐसा अंतरराष्ट्रीय निकाय है जिसे विश्व में वित्तीय क्षेत्र विनियामक सुधारों के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने का दायित्व जी20 द्वारा अधिदेशात्मक तौर पर सौंपा गया है।

बीमा क्षेत्र के विनियमनकर्ता के रूप में अपनी अन्य परिवर्ती प्रतिबद्धताओं के भाग के रूप में आईआरडीएआई ने अंतरराष्ट्रीय विषयों/संधियों और वित्तीय क्षेत्र संबंधी अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार को निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं।

बीमा क्षेत्र में विनिमय और सहयोग को मजबूत करने के लिए आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों और कार्यशालाओं में भी भाग लेता है।

आईएआईएस के साथ संबंधः

II.6.2 1994 में स्थापित अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) लगभग 140 देशों का निरूपण करनेवाले प्रायः 200 अधिकार-क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षक प्राधिकरणों का प्रतिनिधित्व करता है।

आईएआईएस वैश्विक बीमा सिद्धांत, मानक और मार्गदर्शी पत्र जारी करता है, बीमा पर्यवेक्षण से संबंधित विषयों पर प्रशिक्षण और समर्थन प्रदान करता है तथा बीमा पर्यवेक्षकों के लिए बैंठकें और सेमिनार आयोजित करता है। आईएआईएस वित्तीय क्षेत्र के अन्य मानक निर्धारक निकायों एवं वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ घनिष्ठतापूर्वक कार्य करता है। यह एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है जहाँ पर्यवेक्षक, उद्योग के प्रतिनिधि और अन्य व्यवसायी बीमा क्षेत्र की गतिविधियों और बीमा विनियमन को प्रभावित करनेवाले विषयों पर विचार-विमर्श करते हैं।

एक कार्यकारिणी समिति जिसके सदस्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आईएआईएस का नेतृत्व करती है। एशियाई क्षेत्र से उक्त कार्यकारिणी समिति में सात सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्यक्ष, आईआरडीएआई एशियाई क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करनेवाले सदस्यों में से एक हैं तथा अन्य सदस्य चीन, जापान, कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, हांगकांग और सिंगापुर के बीमा विनियमनकर्ता हैं।

आईएआईएस समितियाँ / कार्यदल

II.6.3 आईआरडीएआई की दो प्रमुख समितियों अर्थात् नीति विकास समिति एवं कार्यान्वयन और मूल्यांकन समिति में सहभागिता है। ये समितियाँ वित्तीय स्थिरता और कार्यान्वयन एवं आईएआईएस पर्यवेक्षी सामग्री आदि के मूल्यांकन के क्षेत्र में मानक निर्धारण कार्यकलापों की निगरानी करती हैं।

आईएआईएस समिति की प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक समिति ने अपने कर्तव्यों के निर्वाह में सहायता के लिए विभिन्न कार्यदलों / कार्यबलों की स्थापना की है। आईआरडीएआई की सहभागिता वित्तीय समावेशन, कॉरपोरेट अभिशासन, बाजार व्यवहार, समष्टि विवेकपूर्ण नीति और निगरानी तथा पूँजी विकास के पहलुओं की जाँच करनेवाले आईएआईएस कार्य दलों में है।

आईआरडीएआई आईएआईएस के कार्य में व्यक्तियों की उपस्थिति के द्वारा आयोजित समितियों/ कार्यदल/ कार्यबलों की बैठकों में और टेली-कान्फ्रेंस के माध्यम से सक्रिय सहभागिता करते हुए योगदान करता है। उक्त विचार-विमर्श एवं जानकारी का आदान-प्रदान वैश्विक बीमा मानकों के निर्माण और अंगीकरण के रूप में परिवर्तित होते हैं। आईएआईएस की समितियों/ कार्यदलों/ कार्यबलों की बैठकों में सहभागिता ने अत्यंत उपयोगी निविष्टियाँ उपलब्ध कराई हैं तथा वे आईआरडीएआई के अपने घरेलू विनियम-निर्माण में बहुत उपयोगी रही हैं।

एफआईओ, यूएसए और आईआरडीएआई के बीच एमओयू के लिए मंत्रिमंडल का अनुमोदन

II.6.4 अंतरराष्ट्रीय सहयोग/ सूचना की साझेदारी

मई 2013 से आईआरडीएआई अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) के बहुराष्ट्रीय सहमति ज्ञापन (एमएमओयू) का एक हस्ताक्षरकर्ता है जो सहयोग और सूचना की साझेदारी के लिए एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, आईआरडीएआई (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2013 प्रचलित हैं जिनमें इस बात की व्यवस्था है कि गोपनीय सूचना की साझेदारी किस तरीके से अन्य विनियामक निकायों के साथ की जा सकती है।

अभी तक आईआरडीएआई ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ दिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किये है।

II.6.5 एफआईओ, यूएसए और आईआरडीएआई के बीच एमओयू का केंद्रीय मंत्रिमंडल दवारा अनुमोदन

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) और फेडरल इंश्योरेंस कार्यालय, संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) के बीच एक सहमति-ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया है जिसमें बीमा क्षेत्र के सभी पहलुओं की निगरानी करने एवं अंतरराष्ट्रीय बीमा के विवेकपूर्ण पहलुओं पर यूएसए का प्रतिनिधित्व करने का प्राधिकार निहित है। एमओयू पर अगस्त 2019 तक हस्ताक्षर हो चुके है।

उक्त एमओयू प्रस्ताव प्रत्येक प्राधिकरण के पर्यवेक्षण और अन्य विधिसम्मत दायित्वों के संबंध में सूचना और अनुसंधान सहायता के आदान-प्रदान सहित, सहयोग एवं समन्वय के लिए एक ढाँचे की व्यवस्था करता है। उक्त करार के अंतर्गत, दोनों देश विभिन्न विनियामक कार्यों के संबंध में अपने अनुभवों का साझा करने तथा प्रशिक्षण गतिविधियों सहित, परस्पर सहायता उपलब्ध कराने का उद्देश्य रखते हैं। भारत और अमेरिका ने बीमा क्षेत्र के सुदृढ़ विवेकपूर्ण विनियमन के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय मानक-

निर्धारण गतिविधियों, वित्तीय स्थिरता तथा उपभोक्ता संरक्षण के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में सहयोग को सुसाध्य बनाना जारी रखने के लिए भी सहमति दी है।

बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम

II.6.6 बीमा विनियमनकर्ताओं का एशियाई फोरम (एएफआईआर) एशिया और ओशनिया क्षेत्रों के बीमा पर्यवेक्षकों का एक मंच है जिसकी स्थापना 2005 में क्षेत्रीय बीमा विनियमन सहयोग पर बीजिंग घोषणा के आधार पर की गई थी। एएफआईआर का मिशन क्षमता निर्माण को मजबूत बनाना, बीमा विनियामक क्षमता को सुसाध्य बनाना तथा एशिया और ओशनिया क्षेत्रों में विनियामक सहयोग को बढ़ावा देना है।

एएफआईआर के अंतर्गत बीमा विनियामक और पर्यवेक्षी प्राधिकरण हैं जो एशिया - ओशिनिया के क्षेत्र के स्तर पर सामान्य लक्ष्य प्राप्त करने तथा बीमा उद्योग और विनियमन से संबंधित विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से परस्पर जुड़ गये हैं। एएफआईआर में वर्तमान में 21 सदस्य हैं।

एएफआईआर के सदस्य वार्षिक तौर पर बैठक करते रहे हैं जहाँ प्रत्येक सहभागी अधिकार-क्षेत्र बारी-बारी से मेजबान आयोजक है। सर्वप्रथम एएफआईआर सम्मेलन बीजिंग में 2006 में आयोजित किया गया और उसके उपरांत सिओल (2007), सिंगापुर (2008), चीनी-ताईपेई (2009), जापान (2010), थाईलैंड (2011), मकाऊ (2012), हैदराबाद, भारत (2013), बीजिंग (2014), कोलंबो (2015), ताईपेई (2016), सिंगापुर (2017) और हांगकांग (2018) में इसके सम्मेलन आयोजित किये गये।

अन्य वचनबद्धताएँ :

II.6.7 जी20/ वित्तीय स्थिरता बोर्ड : वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो वित्तीय प्रणाली की असुरक्षितताओं का समाधान करने तथा वित्तीय स्थिरता के हित में सुदृढ़ विनियामक, पर्यवेक्षी और अन्य नीतियों के विकास और कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। एफएसबी का एक मुख्य अधिदेश है वित्तीय विनियमन पर जी20 की नीतिगत घोषणाओं को कार्यान्वित करना। एफएसबी में भारत का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्रालय (एमओएफ), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा किया जाता है।

एफएसबी की बैठकों में चर्चित बीमा संबंधी विषयों पर अपने विचार और अभिमत वित्त मंत्रालय को उपलब्ध कराने के द्वारा आईआरडीएआई एफएसबी के कार्य में अंशदान करता है। आईआरडीएआई बीमा के लिए संगत एफएसबी के सर्वेक्षणों / प्रश्नावलियों / समीक्षाओं के लिए प्रतिक्रियाएँ भी देता है।

वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रमः

II.6.8 वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (एफएसएपी) जो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व बैंक (डब्ल्यूबी) का एक संयुक्त कार्यक्रम है, किसी भी देश के वित्तीय क्षेत्र का एक व्यापक और गहन मूल्यांकन है। विकासशील और उभरते बाजार वाले देशों में एफएसएपी मूल्यांकन आईएमएफ और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से संचालित किये जाते हैं तथा इसमें दो घटक होते हैं : अर्थात् वित्तीय स्थिरता का मूल्यांकन (आईएमएफ का मुख्य दायित्व) तथा वित्तीय विकास का मूल्यांकन (विश्व बैंक का मुख्य दायित्व)। एफएसएपी 29 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण अधिकार-क्षेत्रों के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए अधिदेशात्मक (मैंडेटरी) हैं। भारत के लिए पिछला एफएसएपी 2011-12 में संचालित किया गया था और रिपोर्ट आईएमएफ द्वारा 29 अगस्त 2013 को प्रकाशित

की गई थी।

एफएसएपी मिशन आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम द्वारा दिसंबर 2016 में प्रारंभ किया गया था तथा उसके बाद दो और विजिट मार्च और जून-जुलाई 2017 में किये गये थे। संयुक्त आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम ने विभिन्न संबंधित मंत्रालयों / विभागों / एजेंसियों और सभी वित्तीय विनियमनकर्ताओं अर्थात् आरबीआई, सेबी, आईआरडीएआई और पीएफआरडीए तथा कुछ चयनित बीमा कंपनियों और अन्य हितधारकों अर्थात् भारतीय बीमांकक संस्थान और बीमा लोकपाल के अधिकारियों के साथ संपर्क किया। तदुपरांत, आईएमएफ और डब्ल्यूबी ने भारत के लिए क्रमशः वित्तीय प्रणाली स्थिरता मूल्यांकन (एफएसएसए) और वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन (एफएसए) रिपोर्टें 21 दिसंबर 2017 को जारी कीं।

भारत 2017 एफएसएपी के भाग के रूप में, आईएमएफ ने "बीमा क्षेत्र विनियमन और पर्यवेक्षण" पर एक तकनीकी नोट भी प्रकाशित किया। यह तकनीकी नोट भारतीय बीमा क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण के हाल के विकास का मूल्यांकन उपलब्ध कराता है। इस नोट ने पिछले एफएसएपी (2011) के बाद बीमा क्षेत्र के विनियमन और पर्यवेक्षण की अनेक मुख्य गतिविधियों पर ध्यान दिया है तथा उस सीमा का मूल्यांकन किया है जहाँ तक 2011 भारत एफएसएपी की सिफारिशों का समाधान किया गया है। इस रिपोर्ट में संयुक्त आईएमएफ-डब्ल्यूबी टीम ने भी भारतीय बीमा बाजार के लिए सिफारिशें की हैं। उक्त रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि बीमा विनियमन संबंधी अधिकांश 2011 एफएसएपी सिफारिशों का समाधान किया गया है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 2011 में केवल अंशतः पाये गये (पीओ) रूप में रेटिंग दिये गये चार आईसीपी के संबंध में संबंधित सभी सिफारिशों का समाधान विधायी परिवर्तन करने, गैर-जीवन आरक्षण आवश्यकताओं का सशक्तीकरण करने, तथा बीमा धोखाधड़ी के संबंध में अपेक्षाओं का सेट प्रारंभ करने के द्वारा किया गया है।

मंत्रालय संदर्भः विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों और वार्ताओं के प्रति अंशदान

II.6.9 2018-19 के दौरान आईआरडीएआई ने बीमा सेक्टर से संबंधित क्षेत्रों में विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं के संबंध में भारत सरकार के साथ एक प्रभावी और उपयोगी संयोजन के प्रति योगदान करना जारी रखा।

II.7 सार्वजनिक शिकायतें

समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस)

II.7.1 बीमाकर्ताओं की शिकायत निवारण नीति की निगरानी के द्वारा आईआरडीएआई पालिसीधारकों की शिकायतों के समाधान को सुसाध्य बनाता है तथा बीमा ग्राहकों के हितों के संरक्षण के लिए कई पहलें करता है। पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण विनियम, 2017 में शिकायत निवारण प्रक्रिया निर्धारित की गई है जिसके अनुसार आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि उनके पास एक शिकायत निवारण नीति विद्यमान हो, वे प्रधान कार्यालय/कारपोरेट कार्यालय/मुख्य कार्यालय में एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित करें और प्रत्येक अन्य कार्यालय में भी एक शिकायत निवारण अधिकारी को पदनामित किया जाए। उक्त विनियम शिकायतों और उनके निवारण से संबंधित रिपोर्टें प्राप्त करने और उनका विश्लेषण करने के लिए जारी किये गये कारपोरेट अभिशासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार बीमाकर्ताओं के लिए एक पालिसीधारक संरक्षण समिति गठित करने के लिए उपबंध निर्धारित करते हैं।

II.7.2 बीमाकर्ताओं के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने के लिए आईआरडीएआई ने आईआरडीएआई शिकायत काल सेंटर (आईजीसीसी) स्थापित किया है जो एक निःशुल्क (टोल फ्री) टेलीफोन संख्या और ई-मेल के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है तथा शिकायतें पंजीकृत करता है और साथ ही, उनके समाधान की स्थिति प्रस्तुत करता है। आईआरडीएआई ने शिकायत प्रबंध के लिए एक आनलाइन प्रणाली के रूप में समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली (आईजीएमएस) भी स्थापित की है जो न केवल आनलाइन शिकायतें पंजीकृत करने और उनकी स्थिति का पता लगाने के लिए एक प्रवेश-द्वार (गेटवे) है, बल्कि बीमा कंपनियों द्वारा शिकायतों के निपटान की निगरानी करने के लिए आईआरडीएआई के लिए एक उद्योग-व्यापी शिकायत भंडार (रिपोजिटरी) के रूप में भी कार्य करती है। आईजीसीसी का आईजीएमएस के साथ एक इंटरफेस है; तथा आईजीएमएस के माध्यम से सभी बीमाकर्ताओं की शिकायत प्रणालियों के साथ आईआरडीएआई का इंटरफेस है।

शिकायतों की स्थिति - आईजीएमएस के अनुसार

जीवन बीमाकर्ता

II.7.3 2018-19 के दौरान बीमा कंपनियों ने अपने द्वारा सँभाली गई शिकायतों में से 99.95 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया। निजी जीवन बीमाकर्ताओ ने सूचित की गई शिकायतों के 99.86 प्रतिशत का समाधान किया, जबकि एलआईसी ने 100 प्रतिशत शिकायतों का समाधान किया, जिसके परिणामस्वरूप 31.3.2019 को एलआईसी के पास कोई लंबित शिकायतें नहीं थीं।

जैसा कि चार्ट II.7 से देखा जा सकता है, शिकायत निवारण दिशानिर्देशों के तौर पर आईजीएमएस के अनुसार वर्गीकरण निर्दिष्ट करता है कि 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान अनुचित व्यवसाय प्रथाओं के अंतर्गत शिकायतों में 5% की पर्याप्त कमी तथा प्रस्ताव प्रसंस्करण के अंतर्गत शिकायतों में 2% की सीमांत कमी आई है; वर्ष 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-198 के दौरान दावों के अंतर्गत शिकायतों में 3% की वृद्धि तथा पालिसी सर्विसिंग और अन्य के अंतर्गत शिकायतों में 2% की वृद्धि हुई है। यूलिप से संबंधित के अंतर्गत शिकायतों ने पिछले 2 वर्षों के दौरान कुल शिकायतों में से वही अंश बनाये रखा है।

सारणी II.13
शिकायतों की स्थिति (आईजीएमएस के अनुसार) - जीवन बीमाकर्ता 2018-19

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2018 को बकाया	2018-19के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2018-19 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2019 को बकाया
एलआईसी	0	102127	102127	0
निजी	201	61137	61254	84
कुल	**201**	**163264**	**163381**	**84**

चार्ट II.7 पिछले दो वर्षों के लिए जीवन शिकायतों का वर्गीकरण

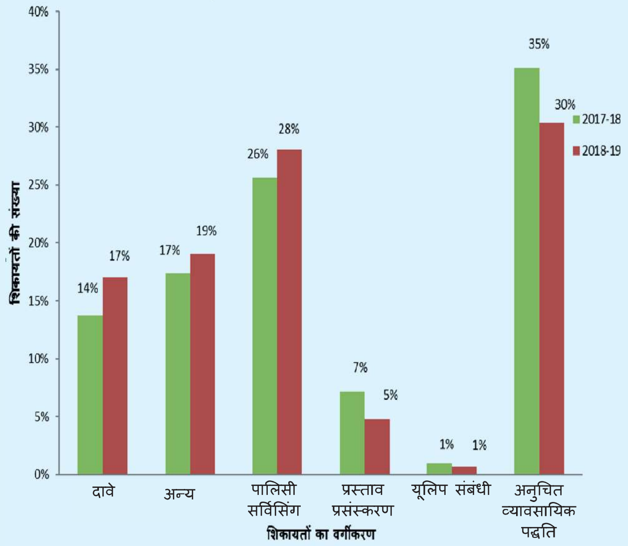

साधारण बीमाकर्ता

II.7.4 वर्ष 2018-19 के दौरान साधारण बीमा कंपनियों ने सँभाली गई शिकायतों के 98.65 प्रतिशत का समाधान किया। निजी साधारण बीमाकर्ताओं ने अपने द्वारा सँभाली गई शिकायतों के 98.82 प्रतिशत का समाधान किया तथा सरकारी साधारण बीमा कंपनियों ने 98.48 प्रतिशत का समाधान किया। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समाधान के लिए कुल 600 शिकायतें लंबित थीं, जिनमें से 261 निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से तथा 339 सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनियों से संबंधित थीं।

जैसा कि चार्ट II.8 से देखा जा सकता है, पॉलिसी संबंधी शिकायतों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 4% कमी है। 2017-18 की तुलना में वर्ष 2018-19 के दौरान दावों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों में 4% की वृद्धि है। अन्य सभी श्रेणियों के अंतर्गत सूचित की गई शिकायतों ने पिछले वर्ष के ही अंश को बनाये रखा है।

सारणी II.14
शिकायतों की स्थिति (आईजीएमएस के अनुसार) - साधारण बीमाकर्ता 2018-19

बीमाकर्ता	1 अप्रैल 2018 को बकाया	2018-19 के दौरान सूचित की गई शिकायतें	2018-19 के दौरान समाधान की गई	31 मार्च 2019 को बकाया
सरकारी	1302	20968	21931	339
निजी	344	42761	43807	261
कुल	**1646**	**42761**	**43807**	**600**

चार्ट II.8 : पिछले 2 वर्षों के लिए साधारण बीमा शिकायतों का वर्गीकरण

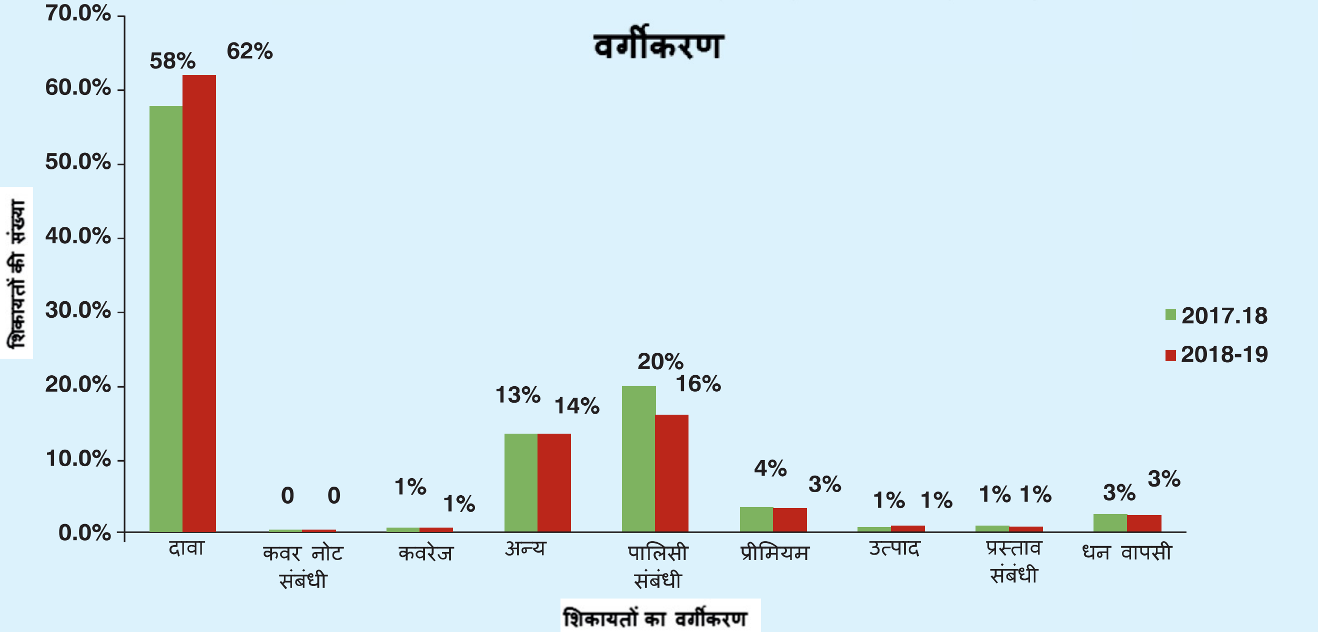

शिकायतें - 2017-18 की तुलना में 2018-19 की स्थिति

II.7.5 जीवन बीमा उद्योग - सूचित की गई शिकायतों की संख्या में वर्ष 2018-19 में लगभग 6% की वृद्धि रही है (2017-18 की 154367 की तुलना में 2018-19 में 163264)। 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार लंबित शिकायतों का जहाँ तक संबंध है, यह पाया गया है कि 31.3.20187 की 201 की तुलना में 84 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.15
शिकायतों की गति - जीवन बीमाकर्ता

क्रम सं.	बीमा प्रकार	2017-18			2018-19			
		वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
(I)	सरकारी बीमाकर्ता कुल (प्रा.शे.-0)	77184	77184	0	0	102127	102127	0
(ii)	निजी बीमाकर्ता कुल (प्रा.शे.-247)	77183	77229	201	201	61137	61254	84
	कुल जोड़: (i+ii) (प्रा.शे.-247)	**154367**	**154413**	**201**	**201**	**163264**	**163381**	**84**

टिप्पणी: प्रा.शे. = प्रारंभिक शेष

II.7.6 साधारण बीमा उद्योग - सूचित की गई शिकायतों की संख्या में, 2017-18 में सूचित की गई संख्या की तुलना में वर्ष 2018-19 में 3% की कमी रही है (2017-18 की 43995 की तुलना में 2018-19 में 42761)। जहाँ तक लंबित शिकायतों का संबंध है, 31.3.2018 को लंबित 1646 की तुलना में 31.3.2019 को यह संख्या 600 है।

सारणी II.16
शिकायतों की गति - साधारण बीमाकर्ता

क्रम सं.	बीमा प्रकार	2017-18			2018-19			
		वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
(I)	सरकारी बीमाकर्ता कुल (प्रा.शे.-518)	22568	21784	1302	1302	20968	21931	339
(ii)	निजी बीमाकर्ता							
कुल (प्रा.शे.-268)		21427	21351	344	344	21793	21876	261
कुल जोड़ [(i)+(ii)] (प्रा.शे.-786)		**43995**	**43135**	**1646**	**1646**	**42761**	**43807**	**600**

टिप्पणी: प्रा.शे. = प्रारंभिक शेष

II.7.7 उद्योग - वर्ष 2018-19 में उद्योग ने 7663 शिकायतों की वृद्धि देखी है। वर्ष 2017-18 की 198362 शिकायतों की तुलना में वर्ष 2018-19 में कुल 206025 शिकायतें सूचित की गईं। शिकायतों की संख्या में प्रतिशत के तौर पर अभिव्यक्त वृद्धि लगभग 4% है।

सारणी II.17
शिकायतों की गति - उद्योग

बीमाकर्ता प्रकार	2017-18			2018-19			
	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान सूचित की गई	वर्ष के दौरान कार्रवाई की गई	वर्ष के अंत में लंबित
उद्योग (जीवन + साधारण) (प्रा.शे.-1033)	198362	197548	1847	1847	206025	207188	684

टिप्पणी: प्रा.शे.= प्रारंभिक शेष

II.7.8 वर्ष के दौरान डीएआरपीजी पोर्टल में पंजीकृत शिकायतों में से आईआरडीएआई को 4615 शिकायतें भेजी गई हैं। वर्ष के दौरान कुल 4619 शिकायतें निपटाई गई हैं। 31.3.2019 की स्थिति के अनुसार 153 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.18
01.04.2018 से 31.03.2019 तक डीएआरपीजी पोर्टल में दर्ज और आईआरडीएआई को प्रेषित शिकायतों की प्राप्ति और निपटान

शिकायत का स्रोत	प्रारंभिक शेष	अवधि के दौरान प्राप्त	कुल प्राप्तियाँ	अवधि के दौरान निपटाये गये मामले	31/03/2019 को अंतिम शेष
डीएआरपीजी	15	267	282	272	10
डीपीजी	21	324	345	342	3
स्थानीय/इंटरनेट	51	1555	1606	1554	52
पेंशन	0	6	6	6	0
पीएमओ	70	2421	2491	2404	87
राष्ट्रपति सचिवालय	0	42	42	41	1
कुल	**157**	**4615**	**4772**	**4619**	**153**

सारणी II.19
आईआरडीएआई को प्रेषित शिकायतें - 31.03.2019 को लंबित

संस्था का नाम	01/04/2018 को आगे लाया गया	प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई शिकायतें	31/03/2019 को लंबित	0 से 15 दिन तक लंबित	16 से 30 दिन तक लंबित	31 से 60 दिन तक लंबित	60 दिन से अधिक लंबित
आईआरडीऐआई	157	4615	4619	153	96	41	14	3

II.7.9 31.3.2019 को लंबित 153 शिकायतों में से समाधान के लिए 3 शिकायतें 60 दिन से अधिक लंबित थीं।

II.8 बीमा संघ और बीमा परिषदें

II.8.1 जीवन बीमा परिषद

2018-19 में जीवन बीमा (एलआई) परिषद द्वारा किये गये कार्यकलापों की संक्षिप्त रूपरेखा

- **जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय-**

  बीमा अधिनियम, 1938 ("अधिनियम") की धारा 64के(1) के अनुसार जीवन बीमा परिषद ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 (के) के अनुसार सीमाएँ निर्धारित करने में आईआरडीएआई को सिफारिशें करने के लिए प्रबंधन व्ययों (ईओएम) के संबंध में जीवन बीमाकर्ताओं की एक समिति गठित की थी। समिति द्वारा सभी मुद्दों पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई तथा समिति ने अंतिम रूप से ईओएम पर एक रिपोर्ट तैयार की जिसे 12 मार्च 2019 को आयोजित ईसी बैठक में प्रस्तुत किया गया। ईसी बैठक में उक्त समिति की रिपोर्ट पर चर्चा की गई और अंततः यह निर्णय किया गया कि जीवन बीमा परिषद द्वारा उक्त रिपोर्ट आईआरडीएआई को भेजी जाएगी।

- **जीवन बीमा परिषद के अंतर्गत कार्यरत निम्नलिखित समितियों/उप समितियां प्राधिकरण को बहुमूल्य सुझाव देने हेतु कार्यरत है**

क. आईआरडीएआई को प्रतिवेदन देने हेतु सामान्य न्यूनतम मानक निर्धारण हेतु उप समिति

ख. धोखाधड़ी निगरानी ढांचा की समीक्षा हेतु उप समिति

ग. इंड ए एस के लागू करने हेतु कार्य- दल

घ. विधि एवं अनुपालन हेतु उप समिति

च. आईएसपी / आईएमएफ के त्यागपत्र संबंधी कारणों की समीक्षा हेतु उप समिति

छ. बीमा जागरूकता बढ़ाने हेतु उप समिति

ज. स्वास्थ्य विनियमन की समीक्षा हेतु समिति

- **प्राधिकार को जीएसटी से संबंधित ज्ञापन**

  सचिव, जीवन बीमा परिषद ने जीवन बीमा उद्योग के लिए जीएसटी से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य (एफएण्डआई), आईआरडीएआई से भेंट करने हेतु सदस्य कंपनियों के कर-प्रमुखों का एक प्रतिनिधि मंडल ले गये। सदस्यों ने आईआरडीएआई के समक्ष एक प्रस्तुतीकरण किया और जीएसटी संबंधी मद्दों पर एक विस्तृत चर्चा की। आईआरडीएआई के अधिकारियों ने बीमाकर्ताओं द्वारा उठाई गई समस्याओं पर विचार करने और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ इन्हें भारत सरकार के समक्ष उठाने के लिए सहमति दी।

- **बीमाकर्ताओं की कार्यकारी परिषद (ईसीओआई) को जीवन बीमा परिषद का अंशदान-**

  माह अक्तूबर 2018 में जीवन बीमा परिषद ने ईसीओआई से एक पत्र प्राप्त किया जिसमें कहा गया कि ईसीओआई के बजट अंशदान का साझा क्रमशः जीवन बीमा और साधारण बीमा (जीआई) परिषद द्वारा किये जाने की आवश्यकता है। जीवन बीमा परिषद द्वारा उपलब्ध कराये गये पत्रों

के आधार पर सदस्यों ने विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया तथा निम्नानुसार सर्वसम्मति से सहमति दी गई।

- **बीमांकिक अध्ययन**

आईआरडीएआई की सलाह पर जीवन बीमा परिषद एवं सामान्य बीमा परिषद ने संयुक्त रूप से एचआईवी / एड्स विषय पर बीमा किक अध्ययन करने पर 25 मार्च 2019 को आयोजित अपनी आठवीं बैठक में सहमति जताई है।

- **आंकड़ों का अद्‌यतन:**

- **प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)-**

पीएमजेजेबीवाई के संबंध में समाधान किये गये दावों के विवरण पर विशेष बल देते हुए परिषद वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को साप्ताहिक डेटा प्रस्तुत करती है। साथ ही, पीएमजेजेबीवाई योजना के संबंध में डीएफएस, वित्त मंत्रालय और आईआरडीएआई से अपने द्‌वारा प्राप्त किसी भी सूचना पर परिषद अपने सदस्यों को नियमित रूप से अद्‌यतन जानकारी देती है।

- **सीएससी संबंधी अद्‌यतन स्थिति-**

मेसर्स सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज़ इंडिया लि., एक विशेष प्रयोजन माध्यम (सीएससी- एसपीवी) 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, जीवन बीमा परिषद को सीएससी-एसपीवी द्‌वारा उपलब्ध कराई गई सक्रियकृत ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्तियों (आरएपी) की सूची 8860 पर स्थित है जोकि पिछले वर्ष 31 मार्च 2018 की स्थिति से अपरिवर्तित है।

- **परिषद की वेबसाइट** सांख्यिकीय आंकड़े, नवीनतम समाचार और अन्य सूचना निरंतर प्रकाशित कर रही है। इसके अभिकल्प (डिजाइन) को अपग्रेड करने और इसे आईआरडीएआई और अन्य सभी जीवन बीमाकर्ताओं की वेबसाइटो के साथ अंतरसंबद्ध (इंटरलिंकिंग) करने के बाद विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों - राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय - से हिटों की संख्या में उल्लेखनीय रूप में वृद्धि हुई है।

  आईआरडीए के निर्देश के अनुसार, नवंबर 2011 से जीवन परिषद की वेबसाइट अपने सभी सदस्यों की निधियों के दैनिक एनएवी को स्थान देती है।

जीवन परिषद ने आईआरडीएआई और भारत सरकार को अनेक अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं तथा कुछ मुख्य अभ्यावेदन निम्नानुसार हैं :

- o बीमा नियम, 1939 में संशोधन
- o जीवन बीमा परिषद द्‌वारा एफएटीसीए / सीआरएस पर स्पष्टीकरण माँगे गये।
- o एचएनआई कराधान संबंधी समिति
- o वित्त मंत्रालय को नई प्रत्यक्ष कर विधि
- o चिकित्सा के दौरान अस्पताल में अपनी मृत्यु होने की स्थिति में शरीर के अंग दान देने के लिए सहमत होनेवाले पालिसीधारको के लिए प्रीमियम में छूट
- o पीएमजेजेबीवाई योजना

- पेंशन और सामूहिक निधि में अन्य निवेश
- "विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के संबंध में जीएसटी के दायरे से पुनर्बीमा योजनाओं की छूट" पर आईआरडीएआई परिपत्र
- अनिवासी भारतीय (एनआरआई) द्वारा खरीदी गई बीमा पालिसियों पर बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित आय पर स्पष्टीकरण
- जीवन बीमा क्षेत्र के लिए जीएसटी के अंतर्गत प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित विषयों पर अभ्यावेदन
- आईएमएफ विनियमों की समीक्षा
- पीओएस उत्पाद निर्गम के लिए टीएटी
- लैबोरेटरी रिपोर्टों में अधिदेशात्मक प्रति हस्ताक्षर पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय
- भारत में बीमा मध्यवर्तियों के लिए 100% एफडीआई की अपेक्षा करना
- आधार आधारित अधिप्रमाणन सेवाओं के निष्क्रियकरण के लिए समय-सीमा बढ़ाने की अपेक्षा करना
- जीवन बीमाकर्ताओ के पेंशन उत्पादों को एनपीएस के समकक्ष मानना
- टाटा सन्स लि. में जीवन बीमाकर्ताओं द्वारा निवेश

II.8.2 साधारण बीमा परिषद

साधारण बीमा परिषद (जीआई काउंसिल) आईआरडीएआई के पास पंजीकृत स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, विशेषीकृत बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं (एफआरबी) और लायड्स इंडिया सहित साधारण बीमाकर्ताओं का एक प्रतिनिधि निकाय है। इसका गठन बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64सी के अधीन तथा 2001 से भारतीय बीमा विनयामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा किया गया है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 45 साधारण बीमा, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा और विशेषीकृत बीमा कंपनियाँ हैं जो साधारण बीमा परिषद के सदस्य हैं।

साधारण बीमा परिषद की कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित व्यक्ति हैं, अर्थात् -

(क) सदस्यों द्वारा अपनी वैयक्तिक क्षमता में चुने गये साधारण बीमा परिषद के सदस्यों के चार प्रतिनिधि;

(ख) आईआरडीएआई द्वारा नामित एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जो बीमा व्यवसाय से संबद्ध नहीं है;

(ग) क्रमशः बीमा एजेंटों, अन्य पक्ष प्रबंधकों, सर्वेक्षकओं और हानि निर्धारकों तथा पालिसीधारकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार व्यक्ति जैसे कि आईआरडीएआई द्वारा नामित किये जा सकते हैं।

उल्लिखित रूप में चुने गये प्रतिनिधियो में से एक प्रतिनिधि को साधारण बीमा परिषद की कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है।

बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64एल(1) के अनुसार साधारण बीमा परिषद के पास निम्नलिखित कार्य हैं :

(क) आचरण और विवेकपूर्ण व्यवहार के मानक

निर्धारित करने के विषय में तथा साधारण बीमा की पालिसियों के धारकों को कुशल सेवा प्रदान करने के विषय में साधारण बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं को सहायता और परामर्श देना;

(ख)कमीशन और अन्य व्ययों के मामले में भारत में व्यवसाय करनेवाले ऐसे बीमाकर्ताओं के व्ययों का नियंत्रण करने के विषय में आईआरडीएआई को परामर्श देना;

(ग) सामान्य बीमा पालिसियों के धारकों के हितों के लिए हानिकर तरीके से कार्य करनेवाले किसी ऐसे बीमाकर्ता का मामला आईआरडीएआई की जानकारी में लाना;

(घ) खंड (क) से (ग) तक में विनिर्दिष्ट किसी भी विषय के लिए प्रासंगिक और सहायक किसी भी मामले में आईआरडीएआई के अनुमोदन से युक्त रूप में कार्य करना तथा उसे साधारण बीमा परिषद द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया जा सकता है।

II.9 बीमा लोकपाल

II.9.1 बीमा लोकपाल की संस्था का निर्माण भारत सरकार द्वारा बीमा लोकपाल नियम, 2017 के अधीन किया गया था। प्रत्येक बीमा कंपनी (जीवन, साधारण और स्वास्थ्य) से एक प्रतिनिधि से युक्त बीमाकर्ताओं की कार्यकारिणी परिषद (ईसीआईओ) बीमा लोकपालों की नियुक्ति करती है जो लोक सेवा, न्यायपालिका और बीमा उद्योग से लिये जाते हैं। यह संस्था असंतुष्ट पालिसीधारकों के लिए बनाई गई है जिससे वे न्यायालय प्रणाली के बाहर एक किफायती, निष्पक्ष और त्वरित पद्धति से अपनी शिकायतों का निपटान करा सकें। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 17 बीमा लोकपाल हैं तथा किसी बीमाकर्ता के विरुद्ध शिकायत रखनेवाला कोई भी व्यक्ति बीमा लोकपाल को स्वयं अथवा अपने विधिक उत्तराधिकारियों, नामिती अथवा समनुदेशिती के माध्यम से लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है जिसके प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र में उस बीमाकर्ता की शाखा अथवा कार्यालय स्थित है जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है अथवा शिकायतकर्ता का आवासीय पता अथवा निवास स्थान स्थित है।

II.9.2 विधि जिसमें शिकायत की जानी चाहिए

(1) किसी बीमाकर्ता के विरुद्ध शिकायत रखनेवाला कोई भी व्यक्ति बीमा लोकपाल को स्वयं अथवा अपने विधिक उत्तराधिकारियों, नामिती अथवा समनुदेशिती के माध्यम से लिखित में शिकायत प्रस्तुत कर सकता है जिसके प्रादेशिक अधिकार-क्षेत्र में उस बीमाकर्ता की शाखा अथवा कार्यालय स्थित है जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है अथवा शिकायतकर्ता का आवासीय पता अथवा निवास स्थान स्थित है।

(2) शिकायत लिखित में होनी चाहिए तथा उसपर शिकायतकर्ता द्वारा स्वयं हस्ताक्षर किये जाने चाहिए जो उसके द्वारा स्वयं अथवा उसके विधिक वारिसों, नामिती अथवा समनुदेशिती के माध्यम से प्रस्तुत की जानी चाहिए तथा उसमें शिकायतकर्ता का नाम और पता स्पष्ट रूप से उल्लिखित होना चाहिए, उस बीमाकर्ता की शाखा अथवा कार्यालय का नाम दिया जाना चाहिए जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, शिकायत के उत्पन्न होने के लिए कारणभूत तथ्य दिये जाने चाहिए जो

दस्तावेजों के द्वारा समर्थित हों, शिकायतकर्ता को हुई हानि के स्वरूप और सीमा तथा बीमा लोकपाल से अपेक्षित राहत व्यक्त की जानी चाहिए।

(3) बीमा लोकपाल को प्रस्तुत किसी भी शिकायत पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा, जब तक--

(क) शिकायतकर्ता शिकायत में उल्लिखित बीमाकर्ता को लिखित में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं करता तथा--

(i) या तो बीमाकर्ता ने शिकायत को अस्वीकार किया है; अथवा

(ii) शिकायतकर्ता का अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद बीमाकर्ता से एक महीने की

अवधि के अंदर शिकायतकर्ता ने कोई उत्तर प्राप्त नहीं किया है; अथवा

(iii) बीमाकर्ता द्वारा दिये गये उत्तर से शिकायतकर्ता संतुष्ट नहीं है।

(ख) शिकायत एक वर्ष के अंदर प्रस्तुत की जाती है–

(i) अभ्यावेदन को अस्वीकार करते हुए बीमाकर्ता का आदेश प्राप्त होने के बाद; अथवा

(ii) बीमाकर्ता का निर्णय प्राप्त होने के बाद जो शिकायतकर्ता के संतोष के अनुरूप नहीं है; अथवा

(iii) बीमाकर्ता को लिखित में अभ्यावेदन भेजने की तारीख से एक महीने की अवधि समाप्त होने के बाद यदि उल्लिखित बीमाकर्ता शिकायतकर्ता को उत्तर नहीं देता।

(4) लोकपाल ऐसे मामलों में विलंब से छूट देने (कंडोन करने) के लिए सशक्त है, जो आवश्यक समझे गये रूप में प्रस्तावित छूट (कंडोनेशन) के विरुद्ध बीमाकर्ता की आपत्तियाँ मँगाने के बाद तथा विलंब से छूट देने के लिए कारण दर्ज करने के बाद एवं यदि विलंब से छूट दी जाती है, तो विलंब से छूट देने की तारीख लोकपाल के नियमों के अंतर्गत आगे कार्यवाही करने के लिए शिकायत दाखिल करने की तारीख के रूप में माना जाता है।

(5) एक ही विषय-वस्तु पर बीमा लोकपाल के समक्ष कोई शिकायत संधारण-योग्य नहीं है जिसपर किसी न्यायालय अथवा उपभोक्ता मंच अथवा विवाचक (आर्बिट्रेटर) के समक्ष कार्यवाही लंबित है अथवा उसका निपटान किया जा चुका है।

II.9.3 बीमा लोकपाल के कर्तव्य और दायित्वः

(1) लोकपाल निम्नलिखित से संबंधित शिकायतें अथवा विवाद प्राप्त करता है अथवा उनपर विचार करता है---

(क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में विनिर्दिष्ट समय से अधिक, दावों के निपटान में विलंब;

(ख) जीवन बीमाकर्ता, साधारण बीमाकर्ता अथवा स्वास्थ्य बीमाकर्ता द्वारा दावों का कोई आंशिक अथवा पूर्ण निराकरण;

(ग) बीमा पालिसी की शर्तों के अनुसार प्रदत्त अथवा देय प्रीमियम पर विवाद;

(घ) पालिसी दस्तावेज अथवा पालिसी संविदा में किसी भी समय पालिसी की शर्तों का गलत विवरण;

(ङ) बीमा पालिसियों की कानूनी व्याख्या जहाँ तक विवाद दावे से संबंधित है;

(च) बीमाकर्ताओं तथा उनके एजेंटों और मध्यवर्तियों के विरुद्ध पालिसी सर्विसिंग संबंधी शिकायतें;

(छ) जीवन बीमा पालिसी, स्वास्थ्य बीमा पालिसी सहित साधारण बीमा पालिसी का निर्गम जो प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव फार्म के अनुरूप नही है;

(ज) जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा में प्रीमियम की प्राप्ति के बाद बीमा पालिसी जारी न करना; तथा

(झ) बीमा अधिनियम, 1938 अथवा समय-समय पर आईआरडीएआई द्वारा जारी किये गये विनियमों, परिपत्रों, दिशानिर्देशों अथवा अनुदेशों के उपबंधों के उल्लंघन से उत्पन्न होनेवाले किसी अन्य विषय अथवा पालिसी संविदा की शर्तें, जहाँ तक वे खंड (क) से (च) तक उल्लिखित विषयों से संबंधित हैं।

II.9.3 बीमा लोकपाल द्वारा की गई सिफारिशें

(1) लोकपाल किसी शिकायत का समाधान करने में मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। जहाँ शिकायत का निपटान मध्यस्थता के द्वारा किया जाता है, वहाँ लोकपाल ऐसी मध्यस्थता के लिए पारस्परिक लिखित सहमति की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के अंदर एक सिफारिश करता है जो वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझता है तथा उक्त सिफारिश की प्रतियाँ शिकायतकर्ता और संबंधित बीमाकर्ता को भेजी जाएँगी।

(2) यदि लोकपाल की सिफारिश शिकायतकर्ता के लिए स्वीकर्य है, तो उसे यह स्पष्ट रूप से कहते हुए कि वह उक्त निपटान को पूर्ण और अंतिम के रूप में स्वीकार करता है, उक्त सिफारिश की प्राप्ति से पंद्रह दिन के अंदर लिखित में एक सूचना भेजनी चाहिए।

(3) लोकपाल शिकायतकर्ता से प्राप्त स्वीकृति पत्र के साथ अपनी सिफारिश की एक प्रति बीमाकर्ता को भेजता है तथा बीमाकर्ता को चाहिए कि वह तदुपरांत तत्काल परंतु ऐसी सिफारिश की प्राप्ति से पंद्रह दिन के अंदर उक्त सिफारिश की शर्तों का अनुपालन करे और अपने अनुपालन की सूचना लोकपाल को दे।

II.9.4 अधिनिर्णय

(1) जहाँ शिकायत का निपटान ऊपर उल्लिखित रूप में नहीं होता, वहाँ लोकपाल वकालतों और अभिलेख के रूप में लाये गये साक्ष्य के आधार पर एक अधिनिर्णय (अवार्ड) पारित करता है।

(2) उक्त अधिनिर्णय लिखित में होगा तथा उसमें वे कारण बताये जाएँगे जिनपर अधिनिर्णय आधारित है।

(3) जहाँ अधिनिर्णय शिकायतकर्ता के पक्ष में है, वहाँ पहले ही उक्त अधिनिर्णय से अदा की गई राशि, यदि कोई हो, घटाने के बाद शिकायतकर्ता को प्रदान की गई क्षतिपूर्ति की राशि उसमें बताई जाती है।

बशर्ते कि लोकपाल

- कार्रवाई के कारण के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में शिकायतकर्ता द्वारा उठाई गई हानि से अधिक

कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करता; अथवा

- तीस लाख रुपये (संबंधित व्यय, यदि कोई हों, सहित) से अधिक कोई क्षतिपूर्ति प्रदान नहीं करता।

(4) लोकपाल शिकायतकर्ता से सभी आवश्यकताओं की प्राप्ति से लेकर तीन महीने की अवधि के अंदर अपने निष्कर्षों को अंतिम रूप देता है और एक अधिनिर्णय पारित करता है।

(5) अधिनिर्णय की प्रति शिकायतकर्ता और शिकायत में उल्लिखित बीमाकर्ता को भेजी जाएगी।

(6) बीमाकर्ता को अधिनिर्णय की प्राप्ति से तीस दिन के अंदर अधिनिर्णय का अनुपालन करना चाहिए और उसके अनुपालन की सूचना लोकपाल को देनी चाहिए।

(7) शिकायतकर्ता बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक ब्याज-दर से उस तारीख से जब विनियमों के अंतर्गत दावे का निपटान किया जाना चाहिए, लोकपाल द्वारा प्रदान की गई राशि के भुगतान की तारीख तक ब्याज के लिए हकदार है।

(8) बीमा लोकपाल का अधिनिर्णय बीमाकर्ताओं पर बाध्यकारी होगा।

II.9.5 बीमा लोकपालों की बैठकः

बीमा लोकपालों की एक बैठक 18 सितंबर 2018 को आईआरडीएआई कार्यालय, हैदराबाद में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष, आईआरडीएआई ने की तथा लोकपाल तथा ईसीओआई और आईआरडीएआई के अधिकारी बैठक में उपस्थित रहे। उक्त बैठक में चर्चित संबंधित विषय नीचे दिये जाते हैं।

क) लोक हित का संरक्षण करते समय लोकपालों को चाहिए कि वे तटस्थता और न्यायसंगति भी बनाये रखें। उनके निष्पक्ष अधिनिर्णयों से संबद्ध दोनों पक्षकारों को न्याय के लिए लोकपाल से संपर्क करने के कारण संतोष का अनुभव होना चाहिए।

ख) इस सुझाव पर सहमति बनी कि शिकायतों के लिए एक मानक फार्मेट की आवश्यकता है, ताकि शिकायत की जाँच करने के लिए समस्त आवश्यक सूचना सुनिश्चित की जा सके जो बीमा लोकपाल नियम, 2017 के नियम 14 (1) और (2) के अनुरूप सरलीकृत और मानकीकृत हो।

ग) लोकपाल निर्धारित समय-सीमा का पालन करते हुए उत्तर देने के लिए बीमा कंपनियों को दो अवसर देने के बाद, एकपक्षीय तर्कसंगत आदेश पारित कर सकते हैं।

घ) बीमा कंपनियां अपनी पॉलिसी दस्तावेज में शिकायतों के लिए एक समर्पित निःशुल्क (टोल-फ्री) नंबर तथा अपने शाखा कार्यालय प्रधान कार्यालय एवं शिकायत निवारण अधिकारी का दूरभाष नंबर उपलब्ध करवाएंगे।

ङ) सभी बीमा कंपनियां अपने कार्यालय में बीमा लोकपाल से सीधे संपर्क स्थापित करने हेतु एक नोडल अधिकारी नामित करेंगे।

च) बीमा लोकपाल द्वारा जारी अवार्ड का बीमा कंपनियों द्वारा अनुपालन करने संबंधी समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

छ) बीमा लोकपालों द्वारा मामलों के निपटान की समीक्षा मासिक आधार पर ईसीआईओ करेगा और अपने वेबसाइट पर प्रकाशित एवं अद्यतन करता रहेगा

II.9.6 2018-19 के दौरान सारे भारत में मौजुद सत्रह लोकपाल केन्द्रों ने कुल 22664 शिकायतें प्राप्त की हैं। जबकि 11859 शिकायतें (लगभग 52 प्रतिशत) जीवन बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं, शेष 10805 शिकायतें (लगभग 48 प्रतिशत) साधारण बीमाकर्ताओं से संबंधित हैं। यह मार्च 2018 के अंत में लोकपालों के विभिन्न कार्यालयों के पास लंबित 10583 शिकायतों के अतिरिक्त है।

II.9.7 2018-19 के दौरान लोकपालों ने 21967 शिकायतों का निपटान किया है। इन शिकायतों में से लोकपालों ने 49.59 प्रतिशत शिकायतों को अस्वीकार्य / विचार करने के लिए अयोग्य के रूप में घोषित किया। कुल शिकायतों के 30.29 प्रतिशत के लिए अधिनिर्णय / सिफारिशें जारी की गईं। इसके अलावा, 7.69 प्रतिशत शिकायतें वापस ली गईं/ निपटाई गईं, जबकि लगभग 12.43 प्रतिशत शिकायतें खारिज की गईं। 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार 11280 शिकायतें लंबित थीं।

सारणी II.20
2018-19 के दौरान बीमा लोकपालों के द्वारा शिकायतों का निपटान

बीमाकर्ता	01.04.18 को बकाया	2018-19 के दौरान प्राप्त	कुल	2018-19 के दौरान निपटाई गई	निम्नलिखित के द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या						31.03.19 को बकाया
					(I)	(II)	(III)	(IV)	(V)	(VI)	
जीवन	5320	11859	17179	12103	501 [4.14%]	2980 [24.62%]	744 [6.15%]	0 [0%]	1392 [11.50%]	6486 [53.59%]	5076
साधारण	5263	10805	16068	9864	328 [3.33%]	2845 [28.84%]	945 [9.58%]	0 [0%]	1338 [13.56%]	4408 [44.69%]	6204
संयुक्त	10583	22664	33247	21967	829 [3.77%]	5825 [26.52%]	1689 [7.69%]	0 [0%]	2730 [12.43%]	10894 [49.59%]	11280

टिप्पणी: (I) सिफारिशें (II) अधिनिर्णय (III) वापस लेना (IV) अस्वीकरण
(V) बीमा कंपनी के पक्ष में खारिज करना. (VI) विचार करने योग्य नहीं
प्रकोष्ठ में दिए गए आंकड़े कुल 2018-19 के दौरान निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत है।

II.10 सलाहकार समिति का कामकाज

बीमा सलाहकार समिति में वाणिज्य, उद्योग, परिवहन, कृषि, उपभोक्ता मंचों, सर्वेक्षणकर्ताओं, एजेंटों, मध्यस्थों, सुरक्षा और हानि निवारण, अनुसंधान निकायों और बीमा क्षेत्र में कर्मचारी संघ से जुड़े संगठनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पच्चीस सदस्य होते हैं। । अध्यक्ष और प्राधिकरण के सदस्य बीमा सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होते हैं। बीमा सलाहकार समिति का उद्देश्य प्राधिकरणों को विनियम बनाने से संबंधित मामलों पर सलाह देना है। बीमा सलाहकार समिति प्राधिकरण को ऐसे अन्य मामलों पर सलाह दे सकती है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीमा सलाहकार समिति की तीन बैठकें बुलाई गईं। विवरण इसके नीचे दिया जाता हैः

बीमा सलाहकार समिति की बैठकें :

i. बीमा सलाहकार समिति की 36वीं बैठक 13 जून 2018 को आयोजित की गई।

ii. बीमा सलाहकार समिति की 37वीं बैठक 20 सितंबर 2018 को आयोजित की गई।

iii. बीमा सलाहकार समिति की 38वीं बैठक 19 मार्च 2019 को आयोजित की गई।

भाग - III
प्राधिकरण के सांविधिक और विकासात्मक कार्य

आईआरडीए अधिनियम, 1999 (आईआरडीए अधिनियम) की धारा 14 बीमा व्यवसाय और पुनर्बीमा व्यवसाय का विनियमन करने, संवर्धन करने तथा उनकी सुव्यवस्थित वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण के कर्तव्य निर्धारित करती है। उपर्युक्त धारा की उप-धारा (2) में प्राधिकरण की शक्तियाँ और कार्य निर्धारित किये गये हैं। वार्षिक रिपोर्ट के भाग III में प्राधिकरण द्वारा अपने कार्यों का निर्वहण एवं अपने को दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2018-19 में संपन्न की गई प्राधिकरण की गतिविधियों को समाविष्ट किया गया है।

III.1 आवेदक को पंजीकरण प्रमाणपत्र का निर्गम, ऐसे पंजीकरण का नवीकरण, आशोधन, प्रत्याहरण, निलंबन अथवा निरसन

III.1.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, निम्नलिखित एक नई कंपनी को भारत में स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमा कंपनी के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया है।

- रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (पंजीकरण का दिनांकः 03.10.2018)

इस पंजीकरण के साथ, प्राधिकरण के पास पंजीकृत स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की कुल संख्या सात हो गई है।

III.1.2 विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ और लायड्स इंडियाः

2018-19 के दौरान जिन विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं को भारत में अपने पुनर्बीमा शाखा कार्यालयों के माध्यम से पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) प्रदान किया गया, उनकी सूची सारणी III.1 में दी गई है।

सारणी III.1
2018-19 के दौरान पंजीकृत विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं/लायड्स इंडिया के व्यवसाय संघों (सिंडिकेट) और सेवा कंपनियों की सूची

1	अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशाल्टी एसई, भारत शाखा (पंजीकरण जारी करने की तारीख 06.08.2018)
2	मार्केल सर्विसेज़ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पंजीकरण जारी करने की तारीख 01.06.2018)

इस प्रकार, प्राधिकरण ने भारत में परिचालन करने के लिए नौ विदेशी पुनर्बीमाकर्ता शाखाओं को अनुमति दी है तथा लायड्स इंडिया दो सिंडिकेटों के साथ परिचालन कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, प्राधिकरण ने पुनर्बीमा व्यवसाय करने हेतु अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केन्द्र, गुजरात-विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) में अपने कार्यालय खोलने के लिए भी बीमाकर्ताओं/ पुनर्बीमाकर्ताओं को अनुमति दी है।

III.2 पॉलिसी के समनुदेशन, पॉलिसीधारकों द्वारा नामांकन, बीमायोग्य हित, बीमा दावे के निपटान, पॉलिसी के अभ्यर्पित मूल्य और बीमा संविदाओं की अन्य शर्तों से संबंधित मामलों में पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण।

III.2.1 प्राधिकरण ने विक्रय स्थल, दावे के स्थान, आदि

पर बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए विभिन्न कर्तव्य और अकर्तव्य (डूज़ एण्ड डोंट्ज़) की हिदायतें देते हुए आईआरडीएआई (पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017 जारी किये हैं। प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं के लिए पॉलिसीधारकों के संरक्षण हेतु बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति प्रचलित रखने के लिए भी शर्त निर्धारित की है जिसमें उपर्युक्त विनियमों के अंतर्गत पॉलिसीधारकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए विभिन्न सेवा मानदंड और समय-सीमाएँ (टर्नअराउंड टाइम) भी शामिल होंगी। इसके अतिरिक्त, उक्त विनियम पॉलिसीधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए बीमाकर्ताओं को एक प्रभावी व्यवस्था स्थापित करने का भी अधिदेश देते हैं। प्राधिकरण ने अपने उपभोक्ता कार्य विभाग (सीएडी) के माध्यम से जीवन और साधारण बीमा कंपनियों के पॉलिसीधारकों के लिए एक "शिकायत कक्ष" एवं "शिकायत कॉल सेंटर" स्थापित किया है जिससे एक त्वरित, किफायती और प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराई जा सके। यह प्रणाली शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवाने और उनकी स्थिति का पता लगाने में समर्थ बनाती है। निर्धारित समय के अंदर बीमाकर्ताओं द्वारा अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए पॉलिसीधारकों की मदद करने में एक सहायक भूमिका अदा करने के अलावा, प्राधिकरण एक निरंतर आधार पर उन अंतर्निहित समस्याओं की जाँच करता है जो शिकायतों के लिए कारण बनती हैं तथा संबद्ध प्रणालीगत समस्याओं को ठीक करने की दिशा में कार्य करता है। प्राधिकरण ने सभी बीमाकर्ताओं को यह भी अधिदेश दिया है कि वे कॉरपोरेट अभिशासन के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित रूप में एक पॉलिसीधारक संरक्षण समिति गठित करें। उक्त विनियम शिकायत निवारण प्रक्रिया भी निर्धारित करते हैं तथा इनमें वे परिस्थितियाँ भी निर्धारित हैं जिनमें शिकायत को समाप्त समझा जाता है। बीमा क्षेत्र में विश्वास और भरोसे को बढ़ाने के लिए गंभीरता, तत्परता और समानुभूति के साथ पॉलिसीधारकों की शिकायतों पर कार्रवाई करने के संबंध में न केवल फ्रंटलाइन स्टाफ को, बल्कि संगठन के सभी स्तरों पर ग्राहक सेवा स्टाफ/ अधिकारियों को भी सुग्राही बनाने के लिए विद्यमान प्रणालियों की समीक्षा करने की आवश्यकता के बारे में भी बल दिया गया है।

III.2.2 प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को सूचित किया है कि वे अपरिहार्य परिस्थितियों के अंतर्गत, पॉलिसी में विनिर्दिष्ट समय के बाद सूचित किये गये अथवा प्रस्तुत किये गये वास्तविक दावों को अस्वीकार न करें। सूचना अथवा दस्तावेज प्रस्तुत करने में विलंब के कारण किसी दावे को अस्वीकार करने का बीमाकर्ता का निर्णय सुदृढ़ तर्क अथवा विधिमान्य कारणों पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि सूचना देने की समय-सीमा का खंड न तो संपूर्ण है और न ही इसे अलग रूप से देखा जा सकता है। इस स्थिति के होते हुए बीमाकर्ता किसी दावे को तब तक अस्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि विलंब के लिए कारणों का विशिष्ट रूप से पता नहीं लगाया जाता, उन्हें अभिलिखित नहीं किया जाता और बीमाकर्ता स्वयं इस बात से संतुष्ट न हों कि उन दावों को अन्य प्रकार से भी अस्वीकृत किया जाता भले ही उन्हें समय पर क्यों न सूचित किया गया हो।

III.2.3 अदावी राशियों से संबंधित विभिन्न समस्याओं का समाधान निम्नानुसार परिपत्रों के माध्यम से किया गया है:

क) अदावी राशियों की परिभाषा दी गई - "अदावी राशि के अंतर्गत मृत्यु दावा, परिपक्वता दावा, उत्तरजीविता लाभ, वापसी के लिए देय प्रीमियम,

प्रीमियम के लिए समायोजित नहीं की गई प्रीमियम जमाराशि और क्षतिपूर्ति दावों आदि के रूप में पॉलिसीधारक को देय कोई भी राशि शामिल है जो दावा राशि के निपटान के लिए नियत तारीख से छह महीने से अधिक अदावाकृत रही हो।"

ख) अदावी राशियों का अनुरक्षण मुद्रा बाजार लिखतों और/ या अनुसूचित बैंकों की मीयादी जमाराशियों में अधिदेशित निवेश के साथ एक एकल वियोजित (सेग्रिगेटेड) निधि के रूप में करने की आवश्यकता है। व्ययों की वसूली के लिए 20 आधार अंकों पर उच्चतम सीमा रखी गई है। अदावी राशियों संबंधी सूचना का प्रकटीकरण वेबसाइट पर करना आवश्यक है और बैंक खाते को सभी नई पॉलिसियों के लिए संबद्ध करना अधिदेशात्मक कर दिया गया है। पॉलिसीधारकों को सूचना देना अधिदेशात्मक किया गया है तथा समयावधि (एजिंग) की सूचना देने के लिए एक फार्मेट निर्धारित किया गया है। किसी विनियोजन अथवा प्रतिलेखन (राइट बैक) की अनुमति नहीं दी गई है।

ग) अदावी राशियों की गणना शोधक्षमता मार्जिन के लिए नहीं की जाएगी तथा अदावी राशियों और लेखा-टिप्पणियों में प्रकटीकरणों के लिए समयावधि (एजिंग) के संबंध में सूचना-प्रणाली (रिपोर्टिंग) निर्धारित की गई है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर आगे के लिए, अर्जित की गई निवेश आय को अदावी राशि निधि में आबंटित करना अधिदेशात्मक किया गया है। यह भी निर्धारित किया गया कि बीमाकर्ता बीमाकृत व्यक्तियों/पॉलिसीधारकों/ दावेदारों को इस प्रकार जमा की गई निवेश आय के साथ ही, अभिनिर्धारित अदावी राशि का भुगतान करे। न्यायालय सहित किसी सांविधिक निकाय द्वारा दिये गये किसी अधिनिर्णय/ आदेश की स्थिति में, जिसमें ब्याज का कोई घटक सम्मिलित हो, उसपर आगे कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

III.2.4 सड़क दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा मोटर अन्य पक्ष बीमा के दावेदारों की सहायता करने की दृष्टि से मोटर वाहनों की बीमा स्थिति से संबंधित डेटा तक पहुँच हेतु समर्थ बनाने के लिए प्राधिकरण ने भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो के माध्यम से एक वेब आधारित सुविधा उपलब्ध कराई है। इस सुविधा के अंतर्गत उपयोगकर्ताओं को वाहन, बीमा की स्थिति और पॉलिसी जारी करनेवाले कार्यालय के पते का विवरण उपलब्ध कराया जाता है।

III.2.5 जीवन बीमा पॉलिसियों की सर्विसिंग में बीमा एजेंटों के निर्गम द्वारा निर्मित अंतराल को ध्यान में रखते हुए तथा बीमा पॉलिसियों की निरंतरता को बढ़ावा देने के लिए भी, प्राधिकरण ने यह निर्धारित किया है कि बीमा कंपनियाँ व्यपगत देखभाल-रहित (ऑर्फ़न) जीवन बीमा पॉलिसियों का आबंटन ऐसे वैयक्तिक बीमा एजेंटों को करें जिनका पंजीकरण प्रचलन में हो। आबंटित एजेंट का विवरण बीमाकर्ता द्वारा संबंधित पॉलिसीधारक को सूचित किया जाएगा।

III.2.6 यह देखने के बाद कि आस्थगित वार्षिकी योजनाओं में, निहित तारीख से पहले पॉलिसीधारकों से वार्षिकी विकल्प प्राप्त न होने के कारण निहित तारीख पर वार्षिकी के प्रारंभ में विलंब हो रहा है तथा वार्षिकीग्राहियों को असुविधा/ हानि हो रही है, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आस्थगित पेंशन/ वार्षिकी योजनाओं के संबंध में जहाँ सभी वार्षिकियाँ 1 अप्रैल 2016 से देय होनेवाली हैं, निम्नानुसार अधिदेश लागू किया है।

- बीमाकर्ता प्रस्ताव के समय ही प्रस्तावक द्वारा विधिवत् प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त करेगा। प्रस्ताव फार्मों में आवश्यक व्यवस्था की जाएगी। इसे प्रस्ताव/ पॉलिसी अभिलेख में लिया जाएगा।

- उन सभी आस्थगित वार्षिकी पॉलिसियों में जहाँ जीवन बीमाकर्ता ने प्रस्ताव के स्तर पर प्रस्तावक द्वारा प्रयुक्त वार्षिकी विकल्प प्राप्त नहीं किया है, वहाँ वह आगे और समय की हानि के बिना प्राप्त किया जा सकता है और पॉलिसी अभिलेखों में लिया जा सकता है।

- निहित तारीख से कम से कम 6 महीने पहले बीमाकर्ता उपलब्ध विभिन्न विकल्पों के अंतर्गत वार्षिकी राशि और चयनित विकल्प की सूचना देते हुए पॉलिसीधारक को एक सूचना-पत्र भेजेगा। बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को नवीनतम सूचना के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करने और पूर्व में अपने द्वारा चयनित किये गये विकल्प के बजाय किसी अन्य वार्षिकी विकल्प का चयन करने के लिए एक अवसर प्रदान करेगा। उस सूचना-पत्र में बीमाकर्ता पॉलिसीधारक को एक विशिष्ट तारीख देते हुए स्पष्ट रूप से सूचित करेगा कि संशोधित विकल्प, यदि कोई हो, प्राप्त करने के लिए अंतिम तारिख निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले हो।

- यदि निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले कोई संशोधित विकल्प प्राप्त नहीं होता है, तो बीमाकर्ता बिन्दु 2 पर बताये गये रूप में प्रस्ताव के स्तर पर प्रयुक्त/ बाद में संगृहीत मूल विकल्प के अनुसार आगे बढ़ सकता है और वार्षिकी भुगतानों के लिए कार्रवाई कर सकता है। यदि पॉलिसीधारक द्वारा किसी संशोधित विकल्प का प्रयोग किया जाता है जो बीमाकर्ता द्वारा निहित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले प्राप्त किया जाता है, तो वार्षिकी भुगतानों के संबंध में कार्रवाई की जानी चाहिए तथा संशोधित विकल्प के अनुसार भुगतान किया जाना चाहिए।

III.2.7 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राधिकरण ने निम्नलिखित बाढ़ और चक्रवात के कारण जान और माल की हानि से उत्पन्न होने वाले बीमा दावों पर कार्रवाई करने के लिए बिमाकर्ताओ को खास निर्देश दिए है:

- केरल और कर्नाटक में बाढ़ (अगस्त 2018)
- तमिलनाडु में चक्रवात गाजा (नवंबर 2018)
- आंध्र प्रदेश में क्रमशः अक्तूबर 2018 और दिसंबर 2018 में चक्रवात तितली और पेथाई

प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को सूचित किया कि वे त्वरित पंजीकरण और दावों के निपटान के लिए निम्नानुसार कार्रवाई प्रारंभ करें -

क. प्रभावित राज्यों के लिए एक नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कंपनी स्तर पर एक वरिष्ठ अधिकारी को नामित करें।

ख. यदि कोई मृत्यु दावे हों और शरीर न मिलने आदि के कारण मृत्यु प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो, तो जम्मू व कश्मीर की बाढ़ के मामले में अनुसरण की गई प्रक्रिया (गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. 1/12/2014. वीएस (सीआरएस) दिनांक 12.09.2014 का पालन किया जाए।

ग. उक्त प्रयोजन के लिए स्थापित कार्यालयों/ विशेष कैंपों का ब्योरा और अन्य संबंधित विवरण

बीमाकर्ता की वेबसाइट के माध्यम से तथा मीडिया और राज्य सरकार के माध्यमों से प्रचारित किया जाए ताकि दावे फाइल किये जा सकें।

घ. दावों का सर्वेक्षण तत्काल किया जाए तथा दावा भुगतान/लेखागत अदायगियाँ शीघ्रातिशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में निर्धारित समय-सीमा के अंदर की जाएँ।

ङ. प्रभावित क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में सर्वेक्षक तत्काल नियुक्त किये जाएँ।

च. बीमाकर्ताओं से यह भी अनुरोध किया गया कि वे अपने द्वारा उठाये गये कदमों पर विधिवत् विशेष बल देते हुए प्रभावित राज्यों में व्यापक जागरूकता अभियान चलाएँ।

III.2.8 इसके अतिरिक्त, 2019-20 में भी, प्राधिकरण ने बीमाकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में हाल में आये चक्रवात (फ़ानी) एवं महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और गुजरात में हाल में आई बाढ़ (अगस्त 2019) के संबंध में उपर्युक्त इन्हीं व्यवस्थाओं का विस्तार करें।

III.3 मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों और एजेंटों के लिए आवश्यक योग्यताएँ, आचरण-संहिता और व्यावहारिक प्रशिक्षण विनिर्दिष्ट करना

III.3.1 बीमा व्यवसाय में सभी मध्यवर्तियों के लिए लाइसेंसीकरण और आचरण-संहिता को आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियमों में बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक (लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण संहिता) विनियम, 2015, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2018, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016 और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (कॉरपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015 द्वारा स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया गया है।

III.3.2 विनियामक पर्यवेक्षण को आगे और मजबूत करने के लिए प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित विनियामक ढाँचा निर्धारित किया गया है। वितरण के विभिन्न माध्यमों के लिए प्रशिक्षण और परीक्षा की अपेक्षाओं की सुव्यवस्था के संबंध में परिपत्र सं. आईआरडीए/ आईएनटी/सीआईआर/टीएण्डई/136/07/2016 जारी किया गया।

III.4 सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लिए आचरण संहिता विनिर्दिष्ट करना

III.4.1 सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के कर्तव्य और दायित्व आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के अध्याय IV में विनिर्दिष्ट किये गये हैं। विनियम 13 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें कही गई हैं किः

- यह प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का कर्तव्य होगा कि वह किसी भी आकस्मिकता से उत्पन्न होनेवाली हानियों (चाहे बीमाकृत हों अथवा नहीं) का अन्वेषण, प्रबंध, परिमाण निर्धारण, प्रमाणीकरण और निपटारा करे तथा उसके संबंध में बीमाकर्ता अथवा बीमाकृत व्यक्ति को सूचित करे।

- सभी लाइसेंसप्राप्त सर्वेक्षक और हानि निर्धारक उपर्युक्त कार्य सक्षमता, वस्तुनिष्ठता और व्यावसायिक सत्यनिष्ठता के साथ करेंगे तथा आईआरडीएआई सर्वेक्षक विनियम, 2015 में निर्धारित रूप में आचरण-संहिता का कड़ाई से पालन करेंगे।

III.4.2 उनके व्यावसायिक कार्य के आचरण के लिए व्यावसायिक और नीतिपरक आवश्यकताओं के संबंध में आचरण-संहिता विनियमों के अध्याय VI में विनिर्दिष्ट की गई है। विनियम 16 उक्त संहिता के संबंध में विस्तार से प्रतिपादित करता है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारकः

- व्यावसायिक कामकाज में नीतिपरक ढंग से और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
- व्यावसायिक और कारोबार के निर्णयन में वस्तुनिष्ठता के लिए प्रयास करेगा;
- बीमाकर्ता से प्राप्त अनुदेशों पर उस बीमाकर्ता द्वारा जारी की गई पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के दावे के संबंध में कार्य करते समय निष्पक्ष ढंग से कार्य करेगा;
- अपने कार्य की प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों के साथ वह संपर्क में आता है, उन सभी लोगों के साथ शिष्टता और सम्मान के साथ आचरण करेगा;
- उन क्षेत्रों में सर्वेक्षण कार्य स्वीकार नहीं करेगा अथवा निष्पादित नहीं करेगा जिसके लिए उसके पास लाइसेंस नहीं हो;
- अपना व्यावसायिक कार्य उचित सावधानी, अनुरक्षण कौशल तथा उससे प्रत्याशित किये जानेवाले तकनीकी और व्यावसायिक मानकों के उचित ध्यान के साथ करेगा;
- बीमा व्यवसाय में केवल सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के रूप में ही कार्य करेगा तथा कोई व्यावसायिक सलाहकारी अथवा परामर्श सेवा अथवा कार्य नहीं करेगा जो हित का संघर्ष उत्पन्न कर सकता है;
- प्राधिकरण के बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) दिशानिर्देशों के द्वारा अनुमत गतिविधियों को छोड़कर कोई अन्य बाह्यस्रोतीकरण कार्य निष्पादित नहीं करेगा;
- प्रत्येक सर्वेक्षक और हानि निर्धारक जो किसी बीमाकर्ता का कर्मचारी है, केवल सर्वेक्षण और हानि का निर्धारण ही करेगा तथा दावों के निपटान में स्वयं को संबद्ध नहीं करेगा।

III.4.3 इसके अलावा, पॉलिसीधारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (पॉलिसी धारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2017 अधिसूचित किये हैं जो आईआरडीए (पालिसीधारकों के हित का संरक्षण) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करते हैं। उपर्युक्त विनियम के विनियम 15 के अंतर्गत साधारण बीमा पॉलिसी के संबंध में दावों के निपटान पर कार्रवाई करते समय सर्वेक्षकों और हानि-निर्धारकों द्वारा आचरण-संहिता का पालन करने पर अतिरिक्त रूप से बल दिया गया है।

III.4.4 वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राधिकरण ने सर्वेक्षकों से संबंधित निम्नलिखित परिपत्र/ आदेश जारी किये हैं :

III.4.4.1 आदेश सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/ विविध/ 118/08/2018 दिनांक 3 अगस्त 2018 के अनुसार प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 13(1)(ख) के अंतर्गत योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के अधीन प्रकटीकरण आवश्यकताएँ निर्धारित की हैं जिनके द्वारा सभी बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों से अपेक्षित है कि वे यह सूचना/विवरण प्रस्तुत करें कि क्या वह किसी जाँच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहा है/रही है अथवा किसी विनियामक प्राधिकारी द्वारा उसे

चेतावनी या फटकार दी गई है; और/या सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आग्रह पर उसके संबंध में जाँच की गई है; और/या सीमा-शुल्क/ उत्पाद-शुल्क/ आय-कर/ विदेशी मुद्रा/ अन्य राजस्व प्राधिकरणों द्वारा नियमों/ विनियमों/ वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए उसे दोषी पाया गया है।

III.4.4.2 भारतीय बीमा क्षेत्र की तुलना में सर्वेक्षक और हानि निर्धारक के व्यवसाय के गति-विज्ञान की प्रासंगिकता के साथ विनियामक ढाँचे के सुयोजन और सुस्पष्टता को सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकरण ने आदेश संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एसयूआरवी/ओआरडी/विविध/121/08/2018 दिनांक 9 अगस्त 2018 के अनुसार सुधार और संशोधन हेतु वर्तमान आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 और अनुवर्ती आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक)(पहला संशोधन) विनियम, 2017 का पुनरीक्षण करने के लिए एक कार्य-दल गठित किया है।

III.4.4.3 परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/एसयूआर/सीआईआर/विविध/192/11/2018 दिनांक 13 नवंबर 2018 के अनुसार प्राधिकरण ने आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक)(पहला संशोधन) विनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 6(3)(क)(v) के अधीन उपबंधों का स्पष्टीकरण सभी सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों को जारी किया जो श्रेणीकृत विभागों में कार्य करने के लिए अर्हता के एक प्रमाण के रूप में आईआरडीए/आदेश/एसएलए/30/3/2002 दिनांक 30 मार्च 2002 के अनुसार किये गये श्रेणीकरण के अनुसार पात्र विभाग निर्दिष्ट करते हुए प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये श्रेणीकरण पत्र को मान्यता देता है।

III.5 बीमा व्यवसाय के संचालन में कार्यक्षमता का संवर्धन

बीमा भंडार (रिपोज़िटरीज़)

III.5.1 बीमा रिपोज़िटरी प्रणाली बीमा पॉलिसियों को अमूर्तीकृत (डीमेटीरियलाइज़) करने के लिए प्राधिकरण की एक पहल है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्राधिकरण ने अप्रैल 2011 में बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम के संबंध में दिशानिर्देश जारी किये।

III.5.2 इसके उपरांत, मई 2015 में प्राधिकरण ने "बीमा रिपोजिटरियों और बीमा पॉलिसियों के इलैक्ट्रॉनिक निर्गम संबंधी संशोधित दिशानिर्देश" जारी किये हैं। वर्तमान में कुल 39.58 लाख ईआईए खाते निर्मित किये गये हैं तथा कुल 36.04 लाख पॉलिसियों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति में परिवर्तित किया गया है (अप्रैल 2011 से)। कुल 23.58 लाख ईआईए खाते निर्मित किये गये हैं तथा कुल 35.65 लाख पालिसियों को इलेक्ट्रानिक पद्धति में परिवर्तित किया गया है (वर्ष 2018-19 में)।

III.5.3 सेवाओं और दायित्वों का निर्वहण करने के लिए बीमा भंडार (रिपोजिटरी) आईआरडीएआई की पूर्व-अनुमति के अधीन पालिसाधारकों के समक्ष उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी संख्या में अनुमोदित व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। ईआईए खोलने के लिए अनुरोध सीधे बीमा रिपोजिटरी (आईआर) को अथवा प्राधिकृत अनुमोदित व्यक्तियों के माध्यम से अथवा बीमाकर्ताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है। बीमा रिपोजिटरियों के साथ संबद्ध कुल 311 सक्रिय अनुमोदित व्यक्ति हैं।

III.5.4 आइट्रेक्स एक केन्द्रीय सूचकांक सर्वर है जो दोहराव को दूर करने (डीडूप्लिकेशन) की सेवाएँ प्रदान करता है तथा ईआईए निर्मित करनेवाली संस्थाओं, इलेक्ट्रानिक पालिसियों और उनकी सर्विसिंग के बीच एक संदेश-केन्द्र

(हब) के रूप में कार्य करता है। आईट्रेक्स एक केवाईसी रिपोजिटरी, संदेश-प्रेषण और दोहराव को दूर करने के हब के रूप में कार्य करेगा। दोहराव को दूर करने, अधिक गति से प्रसंस्करण करने और डेटा की साझेदारी की कुशलताओं में सुधार लाने के लिए प्राधिकरण बीमाकर्ताओं/बीमा रिपोजिटरियों (आईआर) से अतिरिक्त सूचना माँगते हुए आईट्रेक्स में डेटाबेस की व्याप्ति में विस्तार कर सकता है।

अनुमोदित बीमा रिपोजिटरियो की सूची सारणी III.2 में दी गई है।

सारणी III.2
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बीमा भंडार (रिपोजिटरीज़)
(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

क्रम सं.	नाम
1	नेशनल इंश्योरेंस-पालिसी रिपोजिटरी (एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड)
2	सीडीएसएल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड
3	सीएएमएस रिपोजिटरी सर्विसेज़ लिमिटेड
4	कार्वी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड

डेटा मानक

III.5.5 बीमा क्षेत्र में बहुविध संस्थाओं की आईटी प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग को सुसाध्य बनाने के लिए प्राधिकरण ने डेटा मानकों के संकलन का कार्य प्रारंभ किया था। सूचना के आदान-प्रदान के लिए डेटा मानक सामान्य परिभाषाएँ उत्पन्न करते हैं। यह संगठन के अंदर और बाहर दोनों ही जगह बहुविध प्रणालियों के सरल इंटरफेसिंग में सहायता करता है।

III.5.6 बीमा रिपोजिटरी प्रणाली का समर्थन करने के लिए मानक विस्तार्य मार्कअप भाषा (एक्सएमएल) योजना (स्कीमा), जिसमें क्षेत्र परिभाषाएँ, क्षेत्र की विशेषताएँ और संदेश की विषय-वस्तु निहित हैं, का पूर्व में जीवन खंड के लिए बहुविध खिलाड़ियों के बीच डेटा के विनिमय के लिए साझा किया गया था। इसी प्रकार, `स्वास्थ्य', `मोटर' और "व्यवसाय की अन्य व्यवस्थाओं", "कारपोरेट" और "सामूहिक" की आवश्यकताओं को समर्थन देने के लिए योजनाओं (स्कीमाओं) को अंतिम रूप दिया गया है। ये योजनाएँ (स्कीमाज़) बीमा रिपोजिटरी प्रणाली में जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा लेनदेनों की `वैयक्तिक और सामूहिक व्यवस्थाओं' का समर्थन करेंगी।

बीमा ई-कॉमर्स

III.5.7 ई-कॉमर्स के माध्यम से बीमा व्यापन में वृद्धि करने का प्रयास करते हुए प्राधिकरण ने परिपत्र सं. आईआरडीए/आईएनटी/जीडीएल/ईसीएम/055/03/2017 दिनांक 09 मार्च 2017 द्वारा बीमा ई-कॉमर्स संबंधी दिशानिर्देश जारी किये हैं।

बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म (आईएसएनपी) से प्राधिकरण की अनुमति से किसी आवेदक द्वारा स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म अभिप्रेत है।

किसी वैयक्तिक एजेंट को अलग बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म स्थापित करने की अनुमति नहीं है, इसके बजाय वह संबंधित बीमाकर्ता के प्लेटफार्म, यदि उपलब्ध हो, का उपयोग कर सकता है।

बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म संबंधी बाजार सहभागियों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बीमाकर्ता
- प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत बीमा मध्यवर्ती
- प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति

प्राधिकरण ने ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए 11 अप्रैल 2017 को आईएसएनपी ऑनलाइन पोर्टल (isnp.irda.gov.in) प्रारंभ किया है।

आईएसएनपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बीमाकर्ता और मध्यवर्ती निम्नलिखित कार्य कर सकते हैं :

- पंजीकरण के लिए एक लॉग-इन क्रेडेन्शियल निर्मित कर सकते हैं।
- आईएसएनपी आवेदन फार्म ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकते हैं।
- पहले से भरे हुए समस्त विवरण के साथ आवेदन फार्म का एक प्रिंट वर्शन उत्पन्न कर सकते हैं।
- ई-कॉमर्स संबंधी दिशानिर्देश डाउनलोड कर सकते हैं।
- आईएसएनपी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अकसर पूछे जानेवाले प्रश्नों (एफएक्यू) का खंड पढ़ सकते हैं।
- स्थिति की खोज कर सकते हैं और आईआरडीएआई से की गई महत्वपूर्ण घोषणाएँ पढ़ सकते हैं।

बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों से प्राप्त आईएसएनपी संचयी आवेदन संख्या की स्थिति नीचे दी गई है।

विवरण	संख्या
बीमाकर्ता	49
दलाल	91
वेब संग्राहक	22
कॉरपोरेट एजेंट	26
कुल	188

III.6 बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करना

भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए)

III.6.1 भारतीय बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक संस्थान (आईआईआईएसएलए) एक ऐसा संस्थान है जो प्राधिकरण द्वारा स्थापित है एवं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अधीन निगमित है। सर्वेक्षक का लाइसेंस प्रदान करने के लिए उक्त संस्थान की सदस्यता अनिवार्य है। उक्त संस्थान एक स्व-विनियमित निकाय के रूप में कार्य करने की अपेक्षा करता है।

भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी)

III.6.2 धारा 14(2)(च) बीमा और पुनर्बीमा व्यवसाय के साथ जुड़े हुए व्यावसायिक संगठनों का संवर्धन और विनियमन करने के लिए प्राधिकरण को शक्ति देती है। तदनुसार, प्राधिकरण ने एक क्षेत्र-स्तरीय डेटा रिपोजिटरी और विश्लेषण-विज्ञान (एनलिटिक्स) की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारतीय बीमा सूचना ब्यूरो (आईआईबी) की स्थापना की जो सही, सामयिक, विश्वसनीय बीमा डेटा और विश्लेषण की व्यवस्था के माध्यम से हितधारकों को सशक्त बनाता है।

बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम)

III.6.3 बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान (आईआईआरएम) आईआरडीएआई और पूर्व की आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित एक व्यावसायिक निकाय है जो बीमा शिक्षण के संवर्धन के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शिक्षण और अनुसंधान संगठन के रूप में कार्यरत है। यह संस्थान कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन एक धारा 25 कंपनी के रूप में पंजीकृत है। आईआईआरएम के समग्र

कार्यचालन का पर्यवेक्षण आईआरडीएआई के अध्यक्ष की अध्यक्षता में निदेशक बोर्ड द्वारा किया जाता है।

भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई)

III.6.5 इसी प्रकार, प्राधिकरण द्वारा पंजीकृत दलालों से अपेक्षित है कि वे आवश्यक रूप से भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) के सदस्य हों।

III.7 अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिए शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही

III.7.1 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों के लिए वर्तमान शुल्क की संरचना अनुबंध 2 में निर्दिष्ट की गई है।

III.8 बीमाकर्ताओं, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय से संबद्ध अन्य संगठनों की लेखा-परीक्षा सहित उनसे सूचना माँगना, उनका निरीक्षण करना, उनकी जाँच और अन्वेषण का संचालन करनाः

III.8.1 प्राधिकरण, विनियमित संस्थाओं द्वारा संबंधित अधिनियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों/ परिपत्रों, निदेशों, मानकों, आदि के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में उनका स्थान-पर (ऑन-साइट) पर्यवेक्षण करता है।

III.8.2 बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 33 और आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) बीमा कंपनियों, मध्यवर्तियों, बीमा मध्यवर्तियों और बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अन्य संगठनों की जाँच सहित, उनसे सूचना माँगने और उनका स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण करने के लिए सांविधिक उपबंध निर्धारित करती हैं। पर्यवेक्षी निरीक्षण कम से कम एक दो-मुखी दृष्टिकोण - अर्थात् परोक्ष (ऑफ़-साइट) जाँच और स्थान पर (ऑन-साइट) निरीक्षण, को संबद्ध करता है। नमूना आधार पर संबंधित अभिलेखों, लेखा-बहियों और व्यावसायिक कार्यकलापों की जाँच के द्वारा विनियमित संस्थाओं की कार्यपद्धति के मूल्यांकन के लिए स्थान पर उनके सामान्य, संकेन्द्रित (फोकस्) और विषयपरक (थिमैटिक) निरीक्षण किये जाते हैं। विभिन्न विनियामक उपबंधों एवं विनियमित संस्थाओं की वित्तीय स्थिति, बाजार व्यवहार, कंपनी अभिशासन और समग्र जोखिम प्रोफाइल आदि से संबंधित अन्य प्रयोज्य विधियों के अनुपालन का मूल्यांकन करने के लिए निरीक्षण संबंधी मानक नियम-पुस्तकें (मैनुअल) उपयुक्त रूप में आवश्यकतानुसार तैयार की गई हैं।

III.8.3 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, प्राधिकरण ने 128 स्थान पर (ऑनसाइट) विनियामक निरीक्षण किये हैं। इनका विवरण निम्नानुसार हैः

क) सामान्य निरीक्षण - 69

- 6 जीवन बीमा कंपनियाँ
- 5 साधारण बीमा कंपनियाँ
- 3 स्वास्थ्य बीमा कंपनियाँ
- 19 बीमा दलाल
- 16 कारपोरेट एजेंट
- 8 विदेशी पुनर्बीमा शाखाएँ (एफआरबी)
- 12 अन्य पक्ष प्रबंधक (टीपीए) कंपनियाँ

ख)संकेन्द्रत निरीक्षण - 47

- 1 जीवन बीमा कंपनी
- 18 साधारण बीमा कंपनियाँ
- 1 स्वास्थ्य बीमा कंपनी
- 3 कारपोरेट एजेंट
- 7 बीमा दलाल

- 14 मोटर बीमा सेवा प्रदाता (एमआईएसपी)
- 1 बीमा विपणन फर्म (आईएमएफ)
- 1 वेब संग्राहक
- अन्य - 1 (बीमा कंपनी का संबंधित पक्षकार)

ग) विषयपरक (थिमैटिक) निरीक्षण - 12

- 5 जीवन बीमा कंपनियाँ
- 7 साधारण बीमा कंपनियाँ

III.8.4 निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अंतिम रिपोर्ट, निरीक्षित संस्थाओं से प्रत्युत्तर/अनुपालन प्राप्त होने के बाद, प्राधिकरण सामान्यतः नैसर्गिक न्याय के तौर पर निरीक्षित संस्था को एक वैयक्तिक सुनवाई का अवसर देता है। इसके अलावा, सभी बिन्दुओं पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण उचित विनियामकीय कार्यवाई करता है

उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ मामलों में जहाँ उल्लंघन बिलकुल गंभीर हैं जिनके लिए पंजीकरण/ लाइसेंस आदि के निरसन की आवश्यकता होती है, वहाँ प्राधिकरण अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए उचित प्रक्रिया का अनुसरण करने हेतु निरीक्षित संस्था को नया व्यवसाय नहीं करने अथवा उसके पंजीकरण/लाइसेंस निरस्त करने जैसा आदेश पारित कर सकता है

III.8.5 प्राधिकरण द्वारा की जानेवाली विनियामक कार्रवाइयों में संबद्ध उपर्युक्त कार्यपद्धतियों/ प्रक्रिया के अलावा, विनियामक कार्रवाइयों का एक और पहलू अर्थात् न्यायनिर्णयन प्रक्रिया है। उक्त प्रक्रिया के अनुसार बीमा अधिनियम की कुछ विनिर्दिष्ट धाराओं के उल्लंघन के संबंध में न्यायनिर्णयन प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जाती है।

III.8.6 आईआरडीएआई द्वारा पारित सभी आदेशों के संबंध में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (एसएटी) में अपील की जा सकती है।

III.8.7 प्राधिकरण द्वारा लगाये गये मौद्रिक अर्थदंडों का विवरण अनुबंध 10 में दिया गया है।

III.9 साधारण बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा प्रस्तावित की जानेवाली उन दरों, लाभों, निबंधनों और शर्तों का बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) के अधीन नियंत्रण और विनियमन करना जिनका नियंत्रण और विनियमन प्रशुल्क (टैरिफ़) सलाहकार समिति द्वारा इस प्रकार नहीं किया जाता

III.9.1 मोटर अन्य पक्ष व्यवसाय को छोड़कर प्रशुल्क-युक्त साधारण बीमा व्यवसाय के अन्य सभी वर्गों को 1 जनवरी 2007 से प्रशुल्क-मुक्त किया गया था। चूँकि मोटर अन्य पक्ष कवर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के उपबंधों के अंतर्गत एक सांविधिक बीमा रक्षा है, अतः प्राधिकरण ने उक्त दरों, निबंधनों और शर्तों को निर्धारित करने की शक्तियाँ आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(i) के अंतर्गत अपने पास रखीं। प्राधिकरण ने सर्वप्रथम मोटर अन्य पक्ष दरें आदेश सं. “043/आईआरडीए/डी-टैरिफ़/जन-07” के द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2007 को अधिसूचित कीं जो 1 जनवरी 2007 से लागू हो गईं। तदुपरांत, प्राधिकरण ने आदेश सं. “आईआरडीए/एनएल/एनटीएफएन/एमओटीपी/066/04/2011” दिनांक 15 अप्रैल 2011 के द्वारा दरें अधिसूचित कीं तथा यह स्पष्ट किया कि उक्त दरों की समीक्षा और अधिसूचना वार्षिक तौर पर की जाएगी। तब से लेकर मोटर अन्य पक्ष प्रीमियम दरें प्रत्येक वर्ष अधिसूचित की जाती रही हैं तथा वर्ष 2019-20 के लिए दरें 04 जून 2019 को अधिसूचित की गईं।

III.10 उस रूप और तरीके को विनिर्दिष्ट करना जिसमें बीमाकर्ताओं और अन्य बीमा मध्यवर्तियों द्वारा लेखा-बहियाँ रखी जाएँगी तथा लेखा-विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे

III.10.1 बीमाकर्ताओं के वित्तीय विवरण समय-समय पर यथासशोधित आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002 और समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों और दिशानिर्देशों के अंतर्गत भी निर्धारित रूप और तरीके से तैयार किये जाते हैं। लेखा-बहियाँ इन विनियमों के अंतर्गत अपेक्षित रूप में विभिन्न व्यवस्थाओं से संबंधित मदें प्रस्तुत करने के लिए रखी जाती हैं।

मध्यवर्तियों के मामले में अपेक्षित है कि लेखा-बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव संबंधित विनियमों/ परिपत्रों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत निर्धारित रूप में और तरीके से किया जाएगा।

जहाँ कहीं भी प्राधिकरण ने वह रूप और तरीका निर्धारित नहीं किया है जिसमें लेखा-बहियों का अनुरक्षण किया जाना चाहिए, वहाँ कंपनी अधिनियम/ नियम और अन्य प्रयोज्य अधिनियमों/ नियमों के उपबंध लागू होंगे।

III.11 बीमा कंपनियों द्वारा निधियों के निवेश का विनियमनः

III.11.1 मास्टर परिपत्र और समय-समय पर संशोधित दिशानिर्देशों के साथ पठित आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016 बीमाकर्ताओं के निवेशों का विनियमन करते हैं।

III.12 शोधक्षमता मार्जिन के अनुरक्षण का विनियमनः

III.12.1 प्रत्येक बीमाकर्ता से अपेक्षित है कि वह बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीए के अनुसार अपेक्षित शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन का अनुरक्षण करे। प्रत्येक बीमाकर्ता आईआरडीएआई द्वारा निर्धारित राशि से अन्यून देयताओं की राशि की तुलना में आस्तियों के मूल्य के आधिक्य का अनुरक्षण करेगा, जो अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन के रूप में जाना जाता है। आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 में साधारण बीमाकर्ताओं, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन की संगणना की पद्धति का विस्तार से वर्णन किया गया है।

इसी प्रकार, आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016 जीवन बीमाकर्ताओं के संबंध में इस विषय में समाधान करता है।

III.12.2 जीवन बीमाकर्ताओं के मामले में, न्यूनतम अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन पचास करोड़ रुपये (पुनर्बीमाकर्ता के मामले में एक सौ करोड़ रुपये) है तथा इसे प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से गणना कर प्राप्त किया जाएगा। बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 में शोधक्षमता के नियंत्रण स्तर के रूप में कहलानेवाले शोधक्षमता मार्जिन का स्तर विनिर्दिष्ट किया गया है, जिसका उल्लंघन करने पर, प्राधिकरण बीमाकर्ता को छह महीने से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के अंदर कमी को सुधारने के लिए कार्रवाई की योजना निर्दिष्ट करते हुए एक वित्तीय योजना प्रस्तुत करने के लिए निदेश देगा।

साधारण बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं और विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के मामले में, अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता अथवा विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं के लिए न्यूनतम

पूँजीगत अपेक्षा/ समनुदेशित पूँजीगत अपेक्षा के पचास प्रतिशत का अधिकतम; अथवा निम्नानुसार अलग से प्रत्येक व्यवसाय की व्यवस्था के लिए संगणित आरएसएम-1 और आरएसएम-2 का उच्चतर होगाः

- आरएसएम-1 से अभिप्रेत है, निवल प्रीमियमों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के बीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक ए और निवल प्रीमियमों द्वारा गुणा किये गये सकल प्रीमियमों का उच्चतर है। आरएसएम1 के परिकलन के प्रयोजन के लिए `पिछले 12 महीनों के प्रीमियम' को हिसाब में लिया जाएगा।

- आरएसएम-2 से अभिप्रेत है, निवल उपगत दावों पर आधारित अपेक्षित शोधक्षमता मार्जिन, तथा यह उस राशि के तीस प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा जो कारक बी और निवल उपगत दावों के द्वारा गुणा किये गये सकल उपगत दावों का उच्चतर है। आरएसएम2 के परिकलन के प्रयोजन के लिए `पिछले 12 महीनों के दावों' और `3 से विभाजित पिछले 36 महीनों के दावों' के अधिकतम के रूप में दावों को हिसाब में लिया जाएगा।

III.13 बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों अथवा बीमा मध्यवर्तियों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन

III.13.1 आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 59(2) के अनुसार, किसी बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उसकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाला कोई भी विवाद इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण को संदर्भित किया जाएगा; तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण उस शिकायत की जाँच कर सकता है एवं यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए अग्रसर हो सकता है।

III.14 III.6 में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं के वित्तपोषण हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.14.1 प्राधिकरण ने पैरा (6) में उल्लिखित व्यावसायिक संगठनों के संवर्धन और विनियमन के लिए योजनाओं का वित्तपोषण करने हेतु बीमाकर्ता की प्रीमियम आय का कोई प्रतिशत निर्धारित नहीं किया है।

III.15 ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र में बीमाकर्ताओं द्वारा किये जानेवाले जीवन बीमा व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना

III.15.1 आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015, 24 अगस्त 2015 को अधिसूचित किये गये हैं तथा ये आईआरडीए (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे। इन विनियमों में उल्लिखित दायित्व वित्तीय वर्ष 2016-17 से लागू होंगे।

विनियामक उपबंधों के अनुसार बीमाकर्ताओं के दायित्व निम्नानुसार हैं :

III.15.2 ग्रामीण क्षेत्र

(क) **जीवन बीमाकर्ता के** संबंध में संबंधित वर्षों में अंकित पॉलिसियों की कुल संख्या के निम्नलिखित प्रतिशत इसके नीचे दर्शाये गये हैं :-

क्रम संख्या	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	पॉलिसियों की संख्या का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	7
2	दूसरा वर्ष	9
3	तीसरा वर्ष	12
4	चौथा वर्ष	14
5	पाँचवाँ वर्ष	16
6	छठवाँ और सातवाँ वर्ष	18
7	आठवाँ और नौवाँ वर्ष	19
8	दसवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	20

(ख) **साधारण बीमाकर्ता के** संबंध में संबंधित वर्षों में प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया हैः-

क्रम संख्या	प्रारंभ से वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष रूप से अंकित सकल प्रीमियम आय का प्रतिशत
1	पहला वर्ष	2
2	दूसरा वर्ष	3
3	तीसरे वर्ष से सातवें वर्ष तक	5
4	आठवाँ वर्ष	6
5	नौवाँ वर्ष और उसके बाद प्रत्येक वर्ष	7

(ग) **स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के** संबंध में साधारण बीमाकर्ताओं के लिए निर्धारित दायित्वों का 50%.

III.15.3 सामाजिक क्षेत्र

सभी बीमाकर्ताओं के संबंध में (जीवन, साधारण, स्टैंडअलोन स्वास्थ्य) :-

वर्षों में बीमाकर्ता का कार्यकाल (एज)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल व्यवसाय** पर संगणित सामाजिक क्षेत्र जीवनों का प्रतिशत
1	0.5
2	1.0
3	1.5
4	2.0
5	2.5
6	3.0
7	3.5
8	4.0
9	4.5
10 और उससे अधिक	5.0

**इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए कुल व्यवसाय वैयक्तिक बीमा के मामले में जारी की गई पॉलिसियों की कुल संख्या तथा सामूहिक बीमा के मामले में समाविष्ट जीवनों की संख्या है। पारिवारिक सदस्यों के जीवनों को सम्मिलित करनेवाली वैयक्तिक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के मामले में ऐसी पॉलिसी के अंतर्गत समाविष्ट जीवन, लक्ष्य के निर्धारण और वास्तविक कार्यनिष्पादन -- दोनों में गणना में लिये जा सकते हैं।

उस स्थिति में जहाँ बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष की दूसरी छमाही में परिचालन प्रारंभ करता है तथा संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को छह महीने से कम अवधि के लिए परिचालन में है,

- उपर्युक्त अवधि के लिए कोई ग्रामीण और सामाजिक दायित्व लागू नहीं होंगे, और
- जहाँ बीमाकर्ता वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में परिचालन प्रारंभ करता है, वहाँ उसे पहले वर्ष के परिचालनों के रूप में माना जाएगा तथा पहले वर्ष के लिए लागू दायित्व सामाजिक क्षेत्र के लिए 2500 जीवन होंगे। इसी प्रकार, ग्रामीण क्षेत्र के लिए दायित्व पहले वर्ष के लिए निर्धारित प्रतिशत के आधे होंगे।

भाग IV
संगठनात्मक विषय

IV.1 संगठन

IV.1.1 भारत सरकार ने डा. सुभाष सी. खुंटिआ, आईएएस (सेवानिवृत्त) को बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 4 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया। सुश्री पौर्णिमा गुप्ते, पूर्णकालिक सदस्य (बीमांकक), श्री प्रवीण कुटुंबे, पूर्णकालिक सदस्य (वित्त और निवेश) तथा श्री सुजय बनर्जी, पूर्णकालिक सदस्य (वितरण) वर्ष के दौरान प्राधिकरण में जारी रहे।

श्री पी. जे. जोसेफ, पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) और श्री नीलेश भास्कर साठे, पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) क्रमशः 13 जनवरी 2019 और 30 अप्रैल 2019 को 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपने पदों पर रहे।

श्रीमती टी. एल. अलमेलु, भूतपूर्व अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, कृषि बीमा कंपनी, को 1 जुलाई 2019 से पूर्णकालिक सदस्य (गैर-जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया। श्री के. गणेश, भूतपूर्व कार्यकारी निदेशक, भारतीय जीवन बीमा निगम, को 31 जुलाई 2019 से पूर्णकालिक सदस्य (जीवन) के रूप में नियुक्त किया गया।

IV.1.2 श्री देवाशीष पंडा, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को 06.04.2018 से प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। सुश्री सुषमा नाथ, भूतपूर्व वित्त सचिव, वर्ष के दौरान प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहीं। सीए प्रफुल्ल पी. छाजेड, अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, 12 फरवरी 2019 से सीए नवीन एन डी गुप्ता जो 11 फरवरी 2019 तक प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्य के रूप में जारी रहे, के स्थान पर प्राधिकरण का अंशकालिक सदस्य बन गये।

IV.2 प्राधिकरण की बैठकें

IV.2.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण की चार बैठकें आयोजित की गईं। विवरण इसके नीचे दिया जाता हैः

प्राधिकरण की बैठकें :

i. प्राधिकरण की 101वीं बैठक 29 जून 2018 को आयोजित की गई।

ii. प्राधिकरण की 102वीं बैठक 28 सितंबर 2018 को आयोजित की गई।

iii. प्राधिकरण की 103वीं बैठक 21 दिसंबर 2018 को आयोजित की गई।

iv. प्राधिकरण की 104वीं बैठक 28 मार्च 2019 को आयोजित की गई।

IV.3 मानव संसाधन

IV.3.1 स्टाफ संख्या और अतिरिक्त श्रमशक्ति की आवश्यकता की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। स्टाफ संख्या की पिछली बार समीक्षा मई 2017 में की गई। 31-03-2019 की स्थिति के अनुसार स्वीकृत और वास्तविक स्टाफ संख्या की स्थिति निम्नानुसार हैः

क्रमसं.	श्रेणी	31-03-2018 को		31-03-2019 को	
		स्वीकृत	वास्तविक	स्वीकृत	वास्तविक
1	I	224	196	224	202
2	III और IV	22	17	22	16

- वर्ष 2018-19 के दौरान, सहायक प्रबंधक के ग्रेड में 1 कर्मचारी ने, प्रबंधक के ग्रेड में 3 कर्मचारियों ने, सहायक महाप्रबंधक के ग्रेड में 1 कर्मचारी ने और उप महाप्रबंधक के ग्रेड में 2 कर्मचारियों ने तथा महाप्रबंधक के ग्रेड में 1 कर्मचारी ने कार्यग्रहण किया।

- सहायक और सहायक प्रबंधक के ग्रेडों में से प्रत्येक ग्रेड में एक-एक कर्मचारी ने त्यागपत्र दिया।

- सहायक महाप्रबंधक के ग्रेड में एक कर्मचारी का निधन हुआ।

श्रेणी-वारस्टाफसंख्या

श्रेणी	श्रेणी-वार स्टाफ संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत			
	कुल संख्या		अ.जा.		अ.ज.जा.		अ.जा.		अ.ज.जा.	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
श्रेणी - I	196	202	23	22	7	7	11.73%	10.89%	3.57%	3.46%
श्रेणी– III एवं IV	17	16	2	2	1	1	11.76%	12.5%	5.88%	6.25%
कुल	**213**	**218**	**25**	**24**	**8**	**8**	**11.74%**	**11%**	**3.75%**	**3.67%**

- एनएआईसी अंतरराष्ट्रीय फेलोस कार्यक्रम, अमेरिका के लिए, बीमा आयोग, थाईलैंड के कार्यालय द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय बीमा विनियमन और पर्यवेक्षण संबंधी सेमिनार के लिए तथा एशियाई विकास बैंक, मनीला द्वारा आयोजित सेमिनार के लिए एक-एक कर्मचारी को नामित किया गया।

- 29 सहायक प्रबंधकों को जनवरी-फरवरी 2019 के दौरान राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में दो सप्ताह के लिए पुनश्चर्या (रिफ्रेशर) प्रशिक्षण दिया गया।

- प्रबंधक से महाप्रबंधक तक के ग्रेडों के 10 कर्मचारियों को माह फरवरी 2019 में राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे में प्रवेश (इंडक्शन) प्रशिक्षण दिया गया।

IV.4 महिला कर्मचारियों के लिए आंतरिक समिति

IV.4.1 `कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतिकार) अधिनियम, 2013' के उपबंधों के अनुसार इस संबंध में शिकायतों का निवारण करने एवं उक्त अधिनियम में निर्धारित विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से 28-08-2017 के कार्यालय आदेश संदर्भ आई आर डीए/ एच आर/ ओ आर डी/ पी ई आर / 200/08/2017 द्वारा आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का पुनर्गठन किया गया है।

IV.4.2 शिकायतों का विवरण निचे सारणी में दिया गया है

वर्ष 2018-19 में प्राप्त शिकायतों की संख्या	0
वर्ष 2018-19 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	0
90 दिन से अधिक अवधि के लिए लंबित मामलों की संख्या	लागू नहीं
नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई का स्वरूप	लागू नहीं

IV.5 राजभाषा का संवर्धन

IV.5.1 भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने कार्यालय के कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने एवं राजभाषा अधिनियम, 1963 और उसके अधीन बनाये गये राजभाषा नियम, 1976 के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपने संगठित प्रयास करना जारी रखा।

IV.5.2 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक) हैदराबाद (टॉलिक) द्वारा आईआरडीएआई को राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। सात कर्मचारियों ने न.रा.का.स. (टॉलिक) के तत्वावधान में आयोजित विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं।

IV.5.3 राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न उपबंधों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक अलग राजभाषा कार्यान्वयन विभाग (ओएलआई) कार्यरत है। संसद के पटल पर रखे जानेवाले सभी दस्तावेज द्विभाषिक रूप में तैयार किये गये। वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976, हिन्दी के प्रयोग के लिए भारत सरकार द्वारा दिये गये वार्षिक कार्यक्रम तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी किये गये आदेशों सहित भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित संघ की राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किये गये। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए हिन्दी में प्राप्त पत्रों/अभ्यावेदनों/अपीलों/आरटीआई आवेदनों का उत्तर हिन्दी में दिया गया। उपर्युक्त नियमों के नियम 11 का कार्यान्वयन भी सुनिश्चित किया गया।

IV.5.4 राजभाषा विभाग ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्धारित फार्मेट में आईआरडीएआई के सभी विभागों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट से संबंधित डेटा का संग्रहण किया। समेकित डेटा निर्धारित समयावधि में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया। तिमाही प्रगति रिपोर्ट के अलावा, छमाही प्रगति रिपोर्ट, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्टें भी तैयार की गईं और उपर्युकत विभागों को प्रस्तुत की गईं। राजभाषा विभाग ने विभागों द्वारा जब भी अपेक्षा की गई तब हिन्दी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद की व्यवस्था की। इसने सभी कर्मचारियों को अपने दैनंदिन पत्र-व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया, प्राधिकरण की बैठकों की कार्यसूची और उनके कार्यवृत्त हिन्दी में तैयार करने में तथा द्विभाषिक रूप में रजिस्टर रखने में सहायता की एवं कार्यालयीन टिप्पण (नोटिंग्स) और दस्तावेजों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित किया। हिन्दी पत्राचार और हिन्दी टिप्पण 55% और 30% की अपेक्षा की तुलना में क्रमशः 63.18% पर और 78.87% पर रहे।

IV.5.5 राजभाषा विभाग ने कर्मचारियों की हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान के अनुसार विवरण दर्ज करने के द्वारा उनके हिन्दी ज्ञान के रोस्टर को अद्यतन किया। विशेष रूप से इसका उपयोग कर्मचारियों को हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ और पारंगत के प्रशिक्षण हेतु कर्मचारियों को नामित करने के लिए किया गया। 2018-19 के दौरान 19 कर्मचारियों को प्रबोध, प्राज्ञ और पारंगत हिन्दी ज्ञान प्रशिक्षण दिया गया तथा 3 कर्मचारियों को हिन्दी टंकण में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

IV.5.6 सभी विभाग-प्रमुखों को सदस्यों के रूप में लेते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति का पुनर्गठन किया गया है तथा प्रत्येक तिमाही में बैठकों का आयोजन नियमित रूप से किया गया है। राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ नई दिल्ली कार्यालय (एनडीआरओ) और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) में भी गठित की गई हैं। कर्मचारियों को हिन्दी से संबंधित नियमों से परिचित कराने एवं अपने दैनंदिन कामकाज में हिन्दी का अधिक व्यापक प्रयोग करने के लिए यूनिकोड की सहायता से हिन्दी टंकण और सुगमतापूर्वक प्रयोग की जानेवाली अन्य पद्धतियों का उनसे अभ्यास कराने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का संचालन किया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हैदराबाद स्थित प्रधान कार्यालय के 129 कर्मचारियों ने इन कार्यशालाओं में भाग लिया। हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय में भी किया गया तथा इनमें क्रमशः 17 और 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान हिन्दी संबंधी नियमों, हिन्दी के प्रयोग के लिए वार्षिक कार्यक्रम और सामान्य हिन्दी टिप्पण (नोटिंग्स) की सामग्री वितरित की गई। हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए पुस्तकालय में प्रमुख लेखकों के द्वारा लिखी गई 72 हिन्दी पुस्तकें सम्मिलित की गईं।

IV.5.7 शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों की सहभागिता के साथ आईआरडीएआई ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), हैदराबाद (टॉलिक) की छमाही बैठकों में भाग लिया। आईआरडीएआई ने वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा 06 जुलाई 2018 को पटना में आयोजित तृतीय राजभाषा कार्यान्वयन समीक्षा बैठक में भाग लिया। आईआरडीएआई ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा 14 फरवरी 2019 को कोच्चि में दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रों के लिए आयोजित क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन में सहभागिता की। 18 से 20 अगस्त 2018 तक मारिशस में आयोजित 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन में भी राजभाषा विभाग के एक कर्मचारी ने भाग लिया।

IV.5.8 राजभाषा विभाग, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय ने राजभाषा कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए 03 अप्रैल 2018 को प्रधान कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण किया।

IV.5.9 14 से 28 सितंबर 2018 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसका उद्घाटन अध्यक्ष महोदय के द्वारा किया गया। इस उत्सव के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं, जैसे निबंध लेखन, अनुवाद, टिप्पण और प्रारूप-लेखन, आशुभाषण, नारा/विज्ञापन लेखन और अंताक्षरी। पखवाड़े का समापन-उत्सव एक सांस्कृतिक समारोह के रूप में आयोजित किया गया जिसमें सभी कर्मचारी उपस्थित थे। अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न वर्गों (हिन्दी भाषी और अहिन्दी भाषी) के अंतर्गत 53 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये। हिन्दी पखवाड़ा नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय (एनडीआरओ) और मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय (एमआरओ) में भी मनाया गया जिनमें क्रमशः 18 और 6 कर्मचारियों को पुरस्कार दिये गये।

IV.5.10 राजभाषा विभाग ने 4 सितंबर 2018 को मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय तथा 11 मार्च 2019 को नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण संचालित किया। साथ ही, मार्च 2019 में प्रधान कार्यालय के सभी विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन का निरीक्षण संचालित किया गया। राजभाषा विभाग हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपभोक्ता जागरूकता सामग्री प्रकाशित करने के लिए आईआरडीएआई के संचार विभाग के साथ नियमित रूप से परस्पर सक्रियता सहित संपर्क में रहा।

IV.6 सूचना प्रौद्योगिकी की स्थिति

प्रौद्योगिकी को निरंतर अपग्रेड करना आईआरडीएआई के विभिन्न विभागों के प्रभावी और कार्यकुशल परिचालन के लिए अत्यावश्यक है। अतः वर्ष के दौरान प्रौद्योगिकी को अपग्रेड करने के अनेक कार्यकलाप संपन्न किये गये हैं।

IV.6.1 व्यावसायिक विश्लेषण-पद्धति परियोजना (बीएपी):

बीएपी का अभिकल्पन विशेष रूप से विनियमित संस्थाओं के परोक्ष (ऑफ़साइट) पर्यवेक्षण के लिए किया गया था। यह परिचालन विभागों को विभिन्न बीमाकर्ताओं/मध्यवर्तियों से प्राप्त डेटा का विश्लेषण करने में समर्थ बनाती है तथा आवधिक आधार पर आईआरडीएआई को डेटा/ विवरणियाँ प्रस्तुत करने में भी विनियमित संस्थाओं को समर्थ बनाती है। चूँकि बीएपी एक विनियामक साधन है, अतः इस साधन को विनियामक परिवर्तनों के साथ अद्यतन रखना अत्यंत आवश्यक है, जिससे परोक्ष (आफ़-लाइन) निगरानी प्रणाली को आईआरडीएआई की वर्तमान विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप रखना सुनिश्चित किया जा सके। इस संबंध में करार में निर्धारित परिवर्तन प्रबंध कार्यपद्धति के अनुसार बीएपी के विभिन्न माड्यूलों में परिवर्तनों के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2018-19 के दौरान 1.16 करोड़ की राशि व्यय की गई। इसके अतिरिक्त, बीएपी - वार्षिक रखरखाव, होस्टिंग और एसएपी वार्षिक तकनीकी सहायता के लिए 1.70 करोड़ की राशि व्यय की गई। संविदा की वैधता अवधि भी 30 नवंबर 2019 तक बढ़ाई गई तथा परियोजना लागत में 32.57 करोड़ तक संशोधन किया गया।

बीएपी मॉड्यूल के उपयोग की स्थितिः

बीएपी में पोर्टल के निम्नलिखित मॉड्यूलों का व्यापक रूप से उपयोग किया गयाः

क) निवेश मॉड्यूल (विवरणियों की ऑनलाइन फाइलिंग)

ख) जीवन मॉड्यूल (विवरणियों की ऑनलाइन फाइलिंग)

ग) विज्ञापन (जीवन/साधारण/स्वास्थ्य)

घ) दलाल मॉड्यूल (पंजीकरण और ऑनलाइन फाइलिंग)

ङ) सर्वेक्षक (पंजीकरण और ऑनलाइन फाइलिंग)

च) उत्पाद फाइलिंग (जीवन और गैर-जीवन)

छ) कार्यालय फाइलिंग (जीवन/साधारण/स्वास्थ्य)

ज) एफएण्डए (जीवन और गैर-जीवन)

झ) टीपीए (पंजीकरण और आनलाइन फाइलिंग)

विनियमों/दिशानिर्देशों में संशोधनों के कारण निम्नलिखित मॉड्यूलों में बड़े संशोधन किये जा रहे हैं :

क) पुनर्बीमा माड्यूल (विवरणियों की आनलाइन फाइलिंग)

ख) स्वास्थ्य (पंजीकरण और ऑनलाइन फाइलिंग)

ग) एफएण्डए (जीवन और गैर-जीवन)

घ) बीमाकर्ता पंजीकरण

ङ) बीएपी में बीमा कंपनियों का विलय।

बीएपी में अन्य प्रमुख गतिविधियाँ

- सर्वेक्षक और दलाल माड्यूल के लिए बीएपी में एसएमएस एकीकरण प्रगति पर है।
- बीएपी में पे-गव. बहुविध भुगतान इंटरफेस एकीकरण प्रगति पर है।
- विदेशी पुनर्बीमा शाखाओं और नये बीमाकर्ताओं को बीएपी का भाग बनाया गया है।

IV.6.2 नेटवर्किंग और सुरक्षा

- प्राथमिक इंटरनेट लीज्ड लाइन को 100एमबीपीएस तक तथा लीज्ड बैकअप इंटरनेट को 60एमबीपीएस तक अपग्रेड किया गया है।

- हैदराबाद प्रधान कार्यालय तथा मुंबई और नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच एमपीएलएस संबद्धता को 20एमपीबीएस तक अपग्रेड किया गया है तथा 20एमपीबीएस एमपीएलएस संबद्धता के चौथे नोड के रूप में बीएपी डेटा सेंटर का परिवर्धन हुआ है।

IV.6.3 हार्डवेयर और सहायता

- 2018-19 के लिए आईटी आस्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन पूरा किया गया।

- हैदराबाद में सभी प्रयोक्ताओं के लिए 9 बड़े एमएफपी प्रिंटरों की ई-निविदा एवं खरीद पूरी की गई।

- नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और आईआरडीएआई प्रधान कार्यालय के लिए हार्डवेयर हेतु एएमसी संविदाओं का नवीकरण किया गया।

IV.6.4 आंतरिक अनुप्रयोग

- सीमापार पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए उत्पन्न की गई यूआईएन को देखने की सुविधा सम्मिश्र और पुनर्बीमा दलालों के लिए विस्तारित की गई।

- नवीकरण आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए बीमा विपणन निधि (आईएमएफ) वेब पोर्टल को अपग्रेड किया गया।

- सभी आईटी संबंधी आस्तियों का प्रबंध/खोज करने के लिए आस्ति प्रबंध साफ्टवेयर कार्यान्वित किया गया।

- प्रवर्तन विभाग के लिए बेहतर रिपोर्टिंग और निरीक्षण रिपोर्टों की खोज करने के लिए आंतरिक उपयोगिताओं का विकास।

- विनियामक कार्रवाई रिपोजिटरी प्रणाली का विकास।

IV.6.5 ईआरपी

- समूचे परिदृश्य (विकास, गुणवत्ता और उत्पादन) में ईएचपी 4 से ईएचपी 8 तक एसएपी वर्शन का कोटि-उन्नयन।

- आईआरडीएआई कर्मचारियों के सभी पदों के लिए आनलाइन वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) माड्यूल का कार्यान्वयन।

IV.6.6 साइबर सुरक्षा

- सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बीमा कंपनियों - जीवन, गैर-जीवन, स्वास्थ्य और पुनर्बीमा - की समीक्षा की गई।

- बीमा क्षेत्र में असुरक्षितताओं और अंतरालों के संबंध में आसूचना एजेंसियों और मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियों पर कार्रवाई की गई।

- आईआरडीएआई की आईसीटी बुनियादी संरचना के लिए साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा और सुरक्षा कार्यकलापों के संचालन हेतु आईआरडीएआई की सूचना और साइबर सुरक्षा संबंधी लेखा-परीक्षाओं

और सेवाओं के लिए निविदा जारी की गई।

- बीमा क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य से वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 के संबंध में प्रतिसूचना (फीडबैक) इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं वित्तीय सेवाएँ विभाग (डीएफएस), वित्त मंत्रालय को प्रस्तुत की गई।

- महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना (सीआईआई) की पहचान के लिए अभिनिर्धारित बीमाकर्ताओं को राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी संरचना संरक्षण केन्द्र (एनसीआईआईपीसी) के दिशानिर्देशों तथा मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुसरण करने के लिए सूचित किया गया।

IV.7 लेखा

IV.7.1 वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए प्राधिकरण के लेखे भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएण्डएजी) को लेखा-परीक्षा और प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किये गये हैं।

आईआरडीएआई अधिनियम, 1999 की धारा 17 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए लेखा-परीक्षित लेखे लोकसभा के समक्ष 08 फरवरी 2019 को तथा राज्यसभा के समक्ष 12 फरवरी 2019 को प्रस्तुत किये गये।

IV.8 आईआरडीएआई जर्नल

IV.8.1 आईआरडीएआई वर्ष 2002 से अपना जर्नल प्रकाशित कर रहा है जो भारतीय और वैश्विक बीमा क्षेत्र के विकास के बारे में बीमा उद्योग के विभिन्न हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए एक शैक्षिक साधन के रूप में काम आता है। इसमें प्रकाशित लेख उच्च अधिकार से युक्त ज्ञान और उद्योग का व्यापक अनुभव रखनेवाले उद्योग के मंजे हुए विशेषज्ञों से प्राप्त किये जाते हैं। निस्संदेह ये लेख जर्नल के लिए शक्ति के प्रमुख स्रोत रहे हैं जो उनकी बौद्धिक संपत्ति से अत्यधिक लाभ पहुँचाने के लिए उपलब्ध है। आईआरडीएआई जर्नल अपने पाठकगण के लिए बीमा से संबंधित सूचना और समाचारों का संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार करने का निरंतर प्रयास करता है तथा अपने पाठकों के लिए उत्कृष्ट स्तर की रचनाएँ प्रकाशित करना इसका उद्देश्य है। भारतीय बीमा उद्योग की एक विहंगम दृष्टि उपलब्ध कराने के लिए जर्नल में जीवन, गैर-जीवन और स्वास्थ्य बीमा क्षेत्रों से संबंधित डेटा भी प्रकाशित किया जाता है। जर्नल की वेब प्रति लगातार सूचना का स्रोत बनी हुई है तथा इसमें विभिन्न हितधारकों के लिए अनेक सामयिक विषय समाविष्ट किये जाते हैं।

IV.8.2 इस तिमाही जर्नल का प्रत्येक अंक बीमा उद्योग के लिए संगत एक प्रासंगिक विषय पर आधारित है। जर्नल के प्रारंभ से लेकर उद्योग की गतिशीलता को प्रतिबिंबित करनेवाले विभिन्न विषयों के विस्तार में सम्मिलित ग्राहक सेवा, स्वास्थ्य बीमा, पुनर्बीमा, आपदा प्रबंधन, जोखिम न्यूनीकरण में बीमा की भूमिका, बीमा उद्योग में शिकायत निवारण, फसल बीमा, बीमा उद्योग में मध्यवर्तियों की भूमिका, बीमा उद्योग में सीएसआर कार्यकलापों की भूमिका, सूक्ष्म बीमा, मोटर बीमा, बीमा उद्योग में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका, आदि विषय जर्नल द्वारा अत्यंत सावधानीपूर्वक ग्रहण किये गये हैं जिससे पाठकगण को एक आकर्षक और विचारोत्तेजक अनुभव प्रदान किया जा सके। इसके अलावा, यह जर्नल जनसाधारण के हित के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट पर निःशुल्क उपलब्ध कराया गया है।

IV.9 आभार

IV.9.1 आईआरडीएआई प्राधिकरण के सदस्यों, बीमा सलाहकार समिति के सदस्यों, पुनर्बीमा सलाहकार समिति, वित्तीय सेवाएँ विभाग (वित्त मंत्रालय), सभी बीमाकर्ताओं और मध्यवर्तियों को अपने समुचित कार्यसंचालन में उनके अमूल्य मार्गदर्शन एवं सहयोग के लिए; तथा आईआरडीएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुसंबद्ध टीम को उनके कर्तव्यों के कुशल निर्वहण के लिए अपनी सराहना और हार्दिक कृतज्ञता को अभिलेखबद्ध करना चाहता है। प्राधिकरण जनसाधारण के सदस्यों, प्रेस, सभी व्यावसायिक निकायों और अंतरराष्ट्रीय बीमा पर्यवेक्षक संघ (आईएआईएस) सहित अपनी परिषदों के माध्यम से बीमा व्यवसाय के साथ संबद्ध अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों को भी समय-समय पर दिये गये उनके मूल्यवान सहयोग के लिए अपने विशेष आभार अभिलिखित करता है।

विवरण

विवरण 1

बीमा व्यापन की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(प्रतिशत में)

देश	2017**			2018**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	5.81	2.33	3.48	5.58	2.13	3.46
ब्राजील	4.05	2.28	1.77	3.9	2.1	1.8
फ्रांस	8.95	5.77	3.18	8.89	5.75	3.14
जर्मनी	6.04	2.63	3.41	6.03	2.41	3.62
रूस	1.4	0.36	1.04	1.53	0.47	1.06
दक्षिण अफ्रीका	13.75	11.02	2.74	12.89	10.27	2.62
स्विट्जरलैंड	8.53	4.41	4.12	8.42	4.32	4.1
युनाइटेड किंगडम	9.58	7.22	2.36	10.61	8.32	2.29
संयुक्त राज्य अमेरिका	7.1	2.82	4.28	7.14	2.88	4.26
एशियाई देश						
हांगकांग	17.94	14.58	3.36	18.16	16.81	1.35
भारत#	**3.69**	**2.76**	**0.93**	**3.7**	**2.74**	**0.97**
जापान#	8.59	6.26	2.34	8.86	6.72	2.14
मलेशिया#	4.77	3.32	1.44	4.77	3.32	1.45
पाकिस्तान	0.86	0.6	0.26	0.93	0.68	0.25
पीआर चीन	4.57	2.68	1.89	4.22	2.3	1.92
सिंगापुर	8.23	6.64	1.58	7.82	6.22	1.6
दक्षिण कोरिया#	11.57	6.56	5	11.16	6.12	5.05
श्रीलंका	1.16	0.54	0.62	1.15	0.54	0.62
ताइवान	21.32	17.89	3.42	20.88	17.48	3.4
थाईलैंड	5.29	3.59	1.69	5.27	3.59	1.68
विश्व	**6.13**	**3.33**	**2.8**	**6.09**	**3.31**	**2.78**

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2018 और 3/2019

* बीमा व्यापन का मापन जीडीपी (अमेरिकी डालर में) की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है। Insurance penetration is measured as ratio of premium (in US Dollars) to GDP (in US Dollars)

** डेटा कैलेंडर वर्ष 2017 और 2018 से संबंधित है।

डेटा वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित है।

विवरण 2

बीमा सघनता की अंतरराष्ट्रीय तुलना*

(अमेरिकी डालर में)

देश	2017**			2018**		
	कुल	जीवन	गैर-जीवन	कुल	जीवन	गैर-जीवन
आस्ट्रेलिया	3247	1304	1942	3160	1203	1957
ब्राजील	398	224	174	345	186	159
फ्रांस	3446	2222	1224	3667	2370	1296
जर्मनी	2687	1169	1519	2908	1161	1747
रूस	152	39	113	164	50	114
दक्षिण अफ्रीका	842	674	167	840	669	170
स्विट्जरलैंड	6811	3522	3289	6934	3555	3379
युनाइटेड किंगडम	3810	2873	938	4503	3532	971
संयुक्त राज्य अमेरिका	4216	1674	2542	4481	1810	2672
एशियाई देश						
हांगकांग	8313	6756	1557	8863	8204	659
भारत#	**73**	**55**	**18**	**74**	**55**	**19**
जापान#	3312	2411	901	3466	2629	837
मलेशिया#	486	339	147	518	361	157
पाकिस्तान	13	9	4	14	10	4
पीआर चीन	384	225	159	406	221	185
सिंगापुर	4749	3835	915	4958	3944	1014
दक्षिण कोरिया#	3522	1999	1523	3465	1898	1567
श्रीलंका	47	22	25	49	23	26
ताइवान	4997	4195	803	5161	4320	841
थाईलैंड	348	237	112	385	262	123
विश्व	**650**	**353**	**297**	**682**	**370**	**312**

स्रोत: स्विस आरई, सिगमा खंड 3/2018 और 3/2019

* बीमा सघनता का मापन कुल जनसंख्या की तुलना में प्रीमियम (अमेरिकी डालर में) के अनुपात के रूप में किया जाता है।

** डेटा कैलेंडर वर्ष 2017 और 2018 से संबंधित है।

डेटा वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित है।

विवरण 3

नया व्यवसाय प्रीमियम (एकल प्रीमियम सहित)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एइगान लाइफ	--	--	--	--	--	--	--	--	31.21	150.37	274.87	207.65	135.90	147.22	207.50	136.33	99.57	147.05	117.63
अवीवा	--	--	13.47	76.96	192.29	407.12	721.35	1053.98	724.56	798.37	745.39	801.86	687.40	593.76	556.89	320.80	243.91	325.57	283.82
बजाज अलायंज़	--	7.14	63.39	179.55	857.45	2716.77	4302.74	6674.48	4491.43	4451.10	3465.82	2717.31	2987.90	2592.03	2702.10	2884.52	3290.26	4291.14	4922.83
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	113.24	292.93	437.43	347.78	224.59	248.92	375.61	474.20	539.49	608.61	730.86	911.02
आदित्य बिड़ला सनलाइफ	0.32	28.11	129.57	449.86	621.31	678.12	882.72	1965.01	2820.85	2960.01	2080.30	1926.17	1836.51	1697.49	1937.94	2220.31	2534.26	2662.80	3917.07
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	622.62	817.29	687.10	606.72	608.07	476.98	859.18	982.97	1227.74	1460.49
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	37.38	74.15	103.16	140.01	172.95	579.59	727.02	873.93	1455.68	1221.06
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	47.33	80.72	122.42	183.59	227.99	342.46	455.88
एक्साइड लाइफ	--	4.19	17.66	72.10	282.42	283.98	467.66	704.44	688.95	642.43	660.49	638.14	638.20	567.81	644.75	632.85	862.76	759.90	802.20
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	149.97	486.08	448.61	345.03	240.43	224.90	252.41	255.59	399.87	582.35	714.94
एचडीएफसी	0.002	32.78	129.31	209.33	486.15	1042.65	1648.85	2685.37	2651.11	3257.51	4059.33	3857.47	4436.07	4038.93	5492.10	6487.22	8696.36	11349.61	14971.45
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	5.97	113.33	364.11	750.84	1584.34	2602.50	5162.13	8034.75	6811.83	6333.92	7862.14	4441.09	4808.62	3759.59	5332.13	6765.75	7863.30	9211.75	10364.36
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	316.78	400.56	444.95	311.01	345.14	315.69	484.50	588.40	793.55	833.03	806.62
इंडियाफर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.59	704.77	982.31	1316.42	1681.36	1538.67	1478.10	1670.85	1496.97	2072.64
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	35.21	125.51	373.99	396.06	614.94	1106.62	1343.03	1333.98	1253.14	1164.27	1188.10	1271.81	1540.18	2209.66	2849.74	3404.21	3977.11
मैक्स लाइफ	0.16	38.80	67.31	137.28	233.63	471.36	912.11	1597.83	1842.91	1849.08	2061.39	1901.72	1899.34	2261.60	2572.60	2881.71	3666.35	4348.59	5160.41
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.70	23.41	57.52	148.53	340.44	825.35	1144.70	1061.85	706.22	1076.97	840.08	675.89	829.06	1003.17	1148.78	1427.08	1681.90
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.32	27.21	91.33	193.56	932.11	2751.05	3513.98	3920.78	3034.94	1809.29	1376.57	1933.99	2069.69	1558.33	1051.58	915.62	1067.00
सहारा	--	--	--	--	1.74	26.34	43.00	122.12	134.01	124.83	91.83	71.14	61.43	65.09	38.44	43.43	44.64	4.17	0.07
एसबीआई लाइफ	--	14.69	71.88	207.05	484.85	827.82	2563.84	4792.82	5386.64	7040.74	7589.58	6531.32	5182.88	5065.48	5529.16	7106.58	10143.86	10966.14	13791.98
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	181.17	309.99	314.47	419.50	571.99	390.99	420.65	389.83	498.52	693.79	733.89	810.33	813.58
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	519.87	758.69	964.77	744.80	562.85	629.93	557.88	700.11	700.72	676.51
टाटा एआईए	--	21.14	59.77	181.59	297.55	464.53	644.82	964.51	1142.67	1322.01	1332.21	939.55	560.16	433.76	312.05	740.79	1132.19	1488.42	2476.52
निजी कुल	**6.45**	**268.51**	**965.69**	**2440.71**	**5564.57**	**10269.67**	**19425.65**	**33715.95**	**34152.00**	**38372.01**	**39385.84**	**32103.78**	**30749.58**	**29516.43**	**34821.81**	**40874.48**	**50619.37**	**59482.21**	**72667.08**
		(4061.70)	**(259.65)**	**(152.74)**	**(127.99)**	**(84.55)**	**(89.16)**	**(73.56)**	**(1.29)**	**(12.36)**	**(2.64)**	**(-18.49)**	**(-4.22)**	**(-4.01)**	**(17.97)**	**(17.38)**	**(23.84)**	**(17.51)**	**(22.17)**
एलआईसी	9700.98	19588.77	15976.76	17347.62	20653.06	28515.87	56223.56	59996.57	53179.08	71521.90	87012.35	81862.25	76611.50	90808.79	78507.72	97891.5096	124583.31	134671.70	142335.958
		(101.93)	(-18.44)	(8.58)	(19.05)	(38.07)	(97.17)	(6.71)	(-11.36)	(34.49)	(21.66)	(-5.92)	(-6.41)	(18.53)	(-13.55)	(24.69)	(27.27)	(8.10)	(5.69)
उद्योग कुल	**9707.43**	**19857.28**	**16942.45**	**19788.32**	**26217.64**	**38785.54**	**75649.21**	**93712.52**	**87331.08**	**109893.91**	**126398.18**	**113966.03**	**107361.08**	**120325.22**	**113329.52**	**138765.99**	**175202.68**	**194153.90**	**215003.04**
		(104.56)	**(-14.68)**	**(16.80)**	**(32.49)**	**(47.94)**	**(95.04)**	**(23.88)**	**(-6.81)**	**(25.84)**	**(15.02)**	**(-9.84)**	**(-5.80)**	**(12.08)**	**(-5.82)**	**(22.44)**	**(26.26)**	**(10.82)**	**(10.74)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

2) -- द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।

3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 4

कुल जीवन बीमा प्रीमियम

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
एगान लाइफ	---	---	---	---	---	---	---	---	31.21	165.65	388.61	457.32	430.50	453.00	559.20	501.60	450.72	531.21	568.88
अवीवा	--	--	13.47	81.50	253.42	600.27	1147.23	1891.88	1992.87	2378.01	2345.17	2415.87	2140.67	1878.10	1796.25	1493.15	1336.51	1344.22	1264.94
बजाज अलायंज़	--	7.14	69.17	220.80	1001.68	3133.58	5345.24	9725.31	10624.52	11419.71	9609.95	7483.80	6892.70	5843.14	6017.30	5897.31	6183.32	7578.37	8857.16
भारती अक्सा	--	--	--	--	--	--	7.78	118.41	360.41	669.73	792.02	774.16	744.52	872.65	1053.32	1208.33	1396.50	1684.39	2075.50
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	0.32	28.26	143.92	537.54	915.47	1259.68	1776.71	3272.19	4571.80	5505.66	5677.07	5885.36	5216.30	4833.05	5233.22	5579.71	5723.96	5903.00	7511.26
केनरा एचएसबीसी	--	--	--	--	--	--	--	--	296.41	842.45	1531.86	1861.08	1912.15	1823.42	1657.02	2059.96	2294.71	2781.06	3490.74
डीएचएफएल प्रामेरिका	--	--	--	--	--	--	--	--	3.37	38.44	95.04	167.01	236.79	305.86	735.10	920.21	1142.10	1844.46	1816.86
एडेलवेइस टोकियो	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10.88	54.83	110.90	193.08	310.07	441.33	638.26	919.31
एक्साइड लाइफ	--	4.19	21.16	88.51	338.86	425.38	707.20	1158.87	1442.28	1642.65	1708.95	1679.98	1742.36	1830.67	2027.48	2046.99	2408.58	2531.89	2886.20
फ्यूचर जनराली	--	--	--	--	--	--	--	2.49	152.60	541.51	726.16	779.58	678.29	634.16	604.25	592.50	739.85	992.29	1243.16
एचडीएफसी	0.002	33.46	148.83	297.76	686.63	1569.91	2855.87	4858.56	5564.69	7005.10	9004.17	10202.40	11322.68	12062.90	14829.90	16312.98	19445.49	23564.41	29186.02
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	5.97	116.38	417.62	989.28	2363.82	4261.05	7912.99	13561.06	15356.22	16528.75	17880.63	14021.58	13538.24	12428.65	15306.62	19164.39	22354.00	27068.77	30929.77
आईडीबीआई फेडरल	--	--	--	--	--	--	--	11.90	318.97	571.12	811.00	736.70	804.68	826.25	1069.62	1239.67	1565.19	1783.24	1932.52
इंडिया फर्स्ट	--	--	--	--	--	--	--	--	--	201.60	798.43	1297.93	1690.08	2143.36	2034.11	1967.40	2265.17	2309.01	3212.55
कोटक महिन्द्रा	--	7.58	40.32	150.72	466.16	621.85	971.51	1691.14	2343.19	2868.05	2975.51	2937.43	2777.78	2700.79	3038.05	3971.68	5139.55	6598.67	8168.29
मैक्स लाइफ	0.16	38.95	96.59	215.25	413.43	788.13	1500.28	2714.60	3857.26	4860.54	5812.63	6390.53	6638.70	7278.54	8171.62	9216.16	10780.40	12500.89	14575.23
पीएनबी मेटलाइफ	--	0.48	7.91	28.73	81.53	205.99	492.71	1159.54	1996.64	2536.01	2508.17	2677.50	2429.52	2240.59	2461.19	2827.83	3236.08	3953.51	4777.20
रिलायंस निप्पोन	--	0.28	6.47	31.06	106.55	224.21	1004.66	3225.44	4932.54	6604.90	6571.15	5497.62	4045.39	4283.40	4621.08	4398.12	4026.82	4069.37	4357.93
सहारा	--	--	--	--	1.74	27.66	51.00	143.49	206.47	250.59	243.41	225.95	205.38	204.63	166.86	157.05	153.94	112.03	100.71
एसबीआई लाइफ	--	14.69	72.39	225.67	601.18	1075.32	2928.49	5622.14	7212.10	10104.03	12945.29	13133.74	10450.03	10738.60	12867.11	15825.36	21015.13	25354.19	32989.42
श्रीराम लाइफ	--	--	--	--	--	10.33	184.16	358.05	436.17	611.27	821.52	644.16	618.07	594.24	734.66	1022.11	1207.94	1497.04	1699.46
स्टार यूनियन दाई-ईची	--	--	--	--	--	--	--	--	50.19	530.37	933.31	1271.95	1068.80	948.75	1134.68	1307.47	1510.88	1783.01	1994.07
टाटा एआईए	--	21.14	81.21	253.53	497.04	880.19	1367.18	2046.35	2747.50	3493.78	3985.22	3630.30	2760.43	2323.70	2122.66	2478.96	3171.08	4162.95	6069.76
निजी कुल	**6.45**	**272.55**	**1119.06**	**3120.33**	**7727.51**	**15083.54**	**28253.00**	**51561.42**	**64497.43**	**79369.94**	**88165.24**	**84182.83**	**78398.91**	**77359.36**	**88434.35**	**100499.03**	**117989.25**	**140586.23**	**170626.96**
		(4124.31)	**(310.59)**	**(178.83)**	**(147.65)**	**(95.19)**	**(87.31)**	**(82.50)**	**(25.09)**	**(23.06)**	**(11.08)**	**(-4.52)**	**(-6.87)**	**(-1.33)**	**14.32**	**(13.64)**	**(17.40)**	**(19.15)**	**(21.37)**
एलआईसी	34892.02	49821.91	54628.49	63533.43	75127.29	90792.22	127822.84	149789.99	157288.04	186077.31	203473.40	202889.28	208803.58	236942.30	239667.65	266444.21	300487.36	318223.21	337505.07
		(42.79)	(9.65)	(16.30)	(18.25)	(20.85)	(40.79)	(17.19)	(5.01)	(18.30)	(9.35)	(-0.29)	(2.92)	(13.48)	(1.15)	(11.17)	(12.78)	(5.90)	(6.06)
उद्योग कुल	**34898.47**	**50094.46**	**55747.55**	**66653.75**	**82854.80**	**105875.76**	**156075.84**	**201351.41**	**221785.47**	**265447.25**	**291638.64**	**287072.11**	**287202.49**	**314301.66**	**328102.01**	**366943.23**	**418476.61**	**458809.44**	**508132.03**
		(43.54)	**(11.28)**	**(19.56)**	**(24.31)**	**(27.78)**	**(47.41)**	**(29.01)**	**(10.15)**	**(19.69)**	**(9.87)**	**(-1.57)**	**(0.05)**	**(9.44)**	**(4.39)**	**(11.84)**	**(14.04)**	**(9.64)**	**(10.75)**

टिप्पणी: 1) कोष्ठक में आंकड़े प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाते हैं।

2) --द्योतित करता है कि व्यवसाय प्रारंभ नहीं किया गया है।

3) पिछले वर्ष के आंकड़े बीमाकर्ताओं द्वारा संशोधित किये गये हैं।

विवरण 4ए

2018-19 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम

संबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

(₹ करोड़)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वास्थ्य	-0.07	0.01	223.00	222.94	0.00	0.00	0.00	0.00	222.94	0.29
जीवन	21296.08	4362.11	44955.78	70613.98	0.00	0.00	1.23	1.22	70615.20	92.73
पेंशन	1375.44	367.49	3571.99	5314.92	0.00	0.00	0.09	0.09	5315.01	6.98
परिवर्ती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**22671.46**	**4729.61**	**48750.78**	**76151.84**	**0.00**	**0.00**	**1.31**	**1.31**	**76153.15**	**100.00**

असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	27676.69	4.63	27681.31	0.00	5124.13	4.87	5129.01	32810.32	7.60
स्वास्थ्य	217.61	52.86	397.13	667.60	0.00	0.00	0.00	0.00	667.60	0.15
जीवन	12593.81	50972.74	24055.27	87621.82	34304.06	8873.59	214535.87	257713.52	345335.34	79.94
पेंशन	2419.93	39959.73	3122.36	45502.02	240.52	64.76	1380.62	1685.90	47187.92	10.92
परिवर्ती	453.64	3913.32	160.61	4527.57	312.21	422.38	715.54	1450.13	5977.70	1.38
कुल	**15684.99**	**122575.33**	**27740.00**	**166000.31**	**34856.79**	**14484.87**	**216636.91**	**265978.57**	**431978.88**	**100.00**

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	27676.69	4.63	27681.31	0.00	5124.13	4.87	5129.01	32810.32	6.46
स्वास्थ्य	217.55	52.86	620.13	890.54	0.00	0.00	0.00	0.00	890.54	0.18
जीवन	33889.89	55334.85	69011.05	158235.80	34304.05	8873.59	214537.10	257714.75	415950.54	81.86
पेंशन	3795.37	40327.22	6694.36	50816.94	240.52	64.76	1380.70	1685.99	52502.93	10.33
परिवर्ती	453.64	3913.32	160.61	4527.57	312.21	422.38	715.54	1450.13	5977.70	1.18
कुल	**38356.45**	**127304.94**	**76490.78**	**242152.16**	**34856.79**	**14484.87**	**216638.22**	**265979.88**	**508132.03**	**100.00**

विवरण 4ए

2017-18 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का खंड-वार कुल प्रीमियम

संबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

(₹ करोड़)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स्वास्थ्य	-0.06	0.00	250.83	250.77	0.00	0.00	0.00	0.00	250.77	0.39
जीवन	19760.65	4725.25	35253.74	59739.65	0.00	0.00	1.73	1.73	59741.38	92.12
पेंशन	1309.66	344.03	3204.92	4858.60	0.00	0.00	0.15	0.15	4858.75	7.49
परिवर्ती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	**21070.25**	**5069.28**	**38709.49**	**64849.02**	**0.00**	**0.00**	**1.88**	**1.88**	**64850.90**	**100.00**

असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	23267.34	5.37	23272.71	0.00	5013.80	5.55	5019.35	28292.07	7.18
स्वास्थ्य	201.78	13.13	334.16	549.07	0.00	0.00	0.00	0.00	549.07	0.14
जीवन	8063.08	35811.40	20384.48	64258.96	33294.93	8936.86	199963.73	242195.53	306454.49	77.79
पेंशन	2117.15	46437.99	3263.21	51818.36	273.37	61.54	1264.91	1599.81	53418.17	13.56
परिवर्ती	359.78	3298.61	186.59	3844.99	347.39	516.22	536.15	1399.76	5244.75	1.33
कुल	**10741.79**	**108828.48**	**24173.82**	**143744.09**	**33915.69**	**14528.42**	**201770.35**	**250214.45**	**393958.54**	**100.00**

संबद्ध और असंबद्ध (वैयक्तिक और सामूहिक)

प्रकार	लाभरहित				सहभागी				दोनों	
	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नवीकरण	कुल	कुल जोड़	प्रतिशत
वार्षिकी	0.00	23267.34	5.37	23272.71	0.00	5013.80	5.55	5019.35	28292.07	6.17
स्वास्थ्य	201.72	13.13	584.98	799.83	0.00	0.00	0.00	0.00	799.83	0.17
जीवन	27823.73	40536.65	55638.23	123998.61	33294.93	8936.86	199965.47	242197.26	366195.87	79.81
पेंशन	3426.81	46782.02	6468.13	56676.96	273.37	61.54	1265.06	1599.96	58276.92	12.70
परिवर्ती	359.78	3298.61	186.59	3844.99	347.39	516.22	536.15	1399.76	5244.75	1.14
कुल	**31812.02**	**113897.62**	**62879.54**	**208593.10**	**33915.69**	**14528.41**	**201772.23**	**250216.34**	**458809.44**	**100.00**

विवरण 5

2018-19 के लिए जीवन बीमाकर्ताओं का संबद्ध और असंबद्ध प्रीमियम

(प्रीमियम ₹ करोड़ में)

बीमाकर्ता	कुल प्रीमियम					संबद्ध प्रीमियम					असंबद्ध प्रीमियम				
	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय	नवीकरण	कुल	प्रथम वर्ष	एकल	नया व्यवसाय	नवीकरण	कुल
आदित्य बिड़ला सनलाइफ	1803.86	2113.21	3917.07	3594.19	7511.26	624.44	878.12	1502.56	1417.99	2920.55	1179.42	1235.09	2414.51	2176.20	4590.71
एइगान लाइफ	112.19	5.45	117.63	451.25	568.88	43.06	4.70	47.76	122.80	170.56	69.13	0.74	69.87	328.45	398.32
अवीवा	272.47	11.34	283.82	981.12	1264.94	98.23	1.32	99.55	268.78	368.33	174.24	10.02	184.26	712.35	896.61
बजाज अलायंज़	1736.96	3185.88	4922.83	3934.33	8857.16	1046.86	435.25	1482.11	1886.40	3368.51	690.09	2750.62	3440.72	2047.94	5488.65
भारती अक्सा	577.65	333.36	911.02	1164.49	2075.50	23.97	68.83	92.80	65.59	158.39	553.69	264.53	818.22	1098.90	1917.12
केनरा एचएसबीसी	916.29	544.20	1460.49	2030.26	3490.74	384.59	11.97	396.55	1360.21	1756.77	531.70	532.23	1063.93	670.04	1733.98
डीएचएफएल प्रामेरिका	297.38	923.68	1221.06	595.80	1816.86	22.17	17.76	39.93	29.67	69.60	275.21	905.92	1181.13	566.13	1747.26
एडेलवेइस टोकियो	390.16	65.72	455.88	463.44	919.31	130.45	6.55	137.00	134.33	271.33	259.71	59.17	318.88	329.10	647.98
एक्साइड लाइफ	744.17	58.03	802.20	2084.00	2886.20	47.14	17.29	64.42	166.25	230.67	697.03	40.74	737.77	1917.75	2655.53
फ्यूचर जनराली	640.25	74.69	714.94	528.23	1243.16	66.80	4.60	71.40	70.10	141.50	573.45	70.09	643.54	458.12	1101.67
एचडीएफसी	5058.11	9913.34	14971.45	14214.57	29186.02	2756.34	934.71	3691.05	7630.61	11321.66	2301.77	8978.63	11280.40	6583.96	17864.36
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	6978.53	3385.82	10364.36	20565.42	30929.77	5911.83	862.05	6773.88	15944.27	22718.15	1066.71	2523.77	3590.48	4621.15	8211.63
आईडीबीआई फेडरल	425.74	380.88	806.62	1125.90	1932.52	131.09	230.24	361.33	229.33	590.66	294.65	150.64	445.29	896.57	1341.85
इंडियाफर्स्ट	678.69	1393.96	2072.64	1139.91	3212.55	299.41	36.95	336.35	584.14	920.49	379.28	1357.01	1736.29	555.77	2292.06
कोटक महिन्द्रा	2534.07	1443.04	3977.11	4191.18	8168.29	896.58	437.50	1334.08	1118.83	2452.90	1637.49	1005.55	2643.04	3072.35	5715.39
मैक्स लाइफ	3873.12	1287.28	5160.41	9414.82	14575.23	1686.98	30.39	1717.37	2876.87	4594.24	2186.15	1256.89	3443.04	6537.95	9980.99
पीएनबी मेटलाइफ	1420.44	261.46	1681.90	3095.30	4777.20	470.70	86.33	557.02	561.39	1118.41	949.75	175.13	1124.87	2533.91	3658.78
रिलायंस निप्पोन	998.35	68.65	1067.00	3290.92	4357.93	380.41	14.09	394.50	573.32	967.82	617.94	54.56	672.50	2717.61	3390.11
सहारा	0.07	0.00	0.07	100.64	100.71	0.00	0.00	0.00	3.13	3.13	0.07	0.00	0.07	97.51	97.57
एसबीआई लाइफ	9057.23	4734.75	13791.98	19197.44	32989.42	6736.61	578.78	7315.40	11611.15	18926.54	2320.62	4155.97	6476.59	7586.29	14062.88
श्रीराम लाइफ	485.14	328.44	813.58	885.88	1699.46	8.66	27.71	36.37	17.88	54.25	476.48	300.74	777.21	868.00	1645.21
स्टार यूनियन दाई-ईची	573.59	102.92	676.51	1317.57	1994.07	95.73	31.19	126.92	222.28	349.20	477.86	71.73	549.59	1095.29	1644.87
टाटा एआईए	2312.57	163.95	2476.52	3593.24	6069.76	775.17	9.93	785.10	1079.91	1865.00	1537.40	154.02	1691.42	2513.34	4204.76
निजी कुल	**41887.02**	**30780.06**	**72667.08**	**97959.88**	**170626.96**	**22637.20**	**4726.26**	**27363.45**	**47975.22**	**75338.67**	**19249.82**	**26053.80**	**45303.63**	**49984.67**	**95288.29**
एलआईसी	31326.22	111009.74	142335.96	195169.11	337505.07	34.25	3.34	37.59	775.91	813.50	31291.96	111006.41	142298.37	194393.21	336691.57
कुल जोड़	**73213.24**	**141789.80**	**215003.04**	**293129.00**	**508132.03**	**22671.45**	**4729.59**	**27401.04**	**48751.12**	**76152.17**	**50541.78**	**137060.21**	**187601.99**	**244377.87**	**431979.87**

विवरण 6

वर्ष 2018-19 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि वार (पालिसियाँ)				
	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	< 3 महीने	3-< 6 महीने	6महीने-<1वर्ष	>1वर्ष	कुल
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	45	10	5215	297	5260	306.90	5110	276	126	21	0.00	0.00	0	0	24	9.79	21	3	0	0	24
					100%	100%	97.15%	90.07%	2.40%	6.73%					0.46%	3.19%	87.50%	12.50%			100%
एड्गान	0	0	507	79	507	79.18	489	76	18	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.45%	95.59%	3.55%	4.41%						0.00%					
अवीवा	8	1	930	92	938	93.29	901	89	20	2	15	2	0	0	2	0.30	2	0	0	0	2
					100%	100%	96.06%	95.05%	2.13%	2.57%	1.60%	2.05%			0.21%	0.32%	100.00%				100%
बजाज अलायंज़	250	31	12517	359	12767	390.49	12130	349	445	34	153	3	36	4	3	0.33	3	0	0	0	3
					100%	100%	95.01%	89.38%	3.49%	8.70%	1.20%	0.78%	0.28%	1.05%	0.02%	0.08%	100.00%				100%
भारती अक्सा	7	1	1058	48	1065	49.16	1036	47	22	1	0	0	0	0	7	1.02	5	1	0	1	7
					100%	100%	97.28%	95.60%	2.07%	2.33%					0.66%	2.07%	71.43%	14.29%		14.29%	100%
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	2	1	1004	83	1006	83.42	946	74	59	9	0	0	0	0	1	0.75	0	1	0	0	1
					100%	100%	94.04%	88.81%	5.86%	10.24%		0.06%			0.10%	0.90%		100.00%			100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	7	2	649	28	656	29.73	635	26	19	3	0	0	0	0	2	0.30	2	0	0	0	2
					100%	100%	96.80%	87.99%	2.90%	11.01%					0.30%	1.00%	100.00%				100%
एडेलवेइस टोकियो	0	0	239	14	239	14.21	229	13	10	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	95.82%	94.42%	4.18%	5.58%						0.00%					
एक्साइड लाइफ	5	1	3330	84	3335	85.01	3236	76	99	9	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	97.03%	89.48%	2.97%	10.52%						0.00%					
फ्यूचर जनराली	19	2	1138	38	1157	40.31	1101	35	48	4	0	0	0	0	8	0.85	5	3	0	0	8
					100%	100%	95.16%	87.25%	4.15%	10.63%					0.69%	2.12%	62.50%	37.50%			100%
एचडीएफसी	65	10	12881	618	12946	627.72	12822	577	67	33	23	7	0	0	34	10.19	18	7	0	9	34
					100%	100%	99.04%	91.97%	0.52%	5.34%	0.18%	1.07%			0.26%	1.62%	52.94%	20.59%		26.47%	100%
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	27	13	10799	880	10826	893.93	10672	827	128	52	0	0	5	0	21	15.37	16	5	0	0	21
					100%	100%	98.58%	92.47%	1.18%	5.77%			0.05%	0.04%	0.19%	1.72%	76.19%	23.81%			100%
आईडीबीआई फेडरल	6	0	1300	57	1306	57.15	1251	53	47	3	0	0	0	0	8	1.53	8	0	0	0	8
					100%	100%	95.79%	92.77%	3.60%	4.56%					0.61%	2.67%	100.00%				100%

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 6

वर्ष 2018-19 के लिए वैयक्तिक मृत्यु दावे

(लाभ राशि करोड़ ₹ में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण - अवधि वार (पालिसियाँ)				
	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	< 3 महीने	3-< 6 महीने	6महीने - <1वर्ष	>1वर्ष	कुल
इंडियाफर्स्ट	3	4	2239	86	2242	89.84	2081	75	144	13	8	0	0	0	9	1.55	5	1	1	2	9
					100%	100%	92.82%	83.43%	6.42%	14.58%	0.36%	0.27%			0.40%	1.72%	55.56%	11.11%	11.11%	22.22%	100%
कोटक महिन्द्रा	18	3	3020	146	3038	148.42	2959	137	67	8	0	0	0	0	12	4.08	4	0	7	1	12
					100%	100%	97.40%	92.15%	2.21%	5.10%					0.39%	2.75%	33.33%		58.33%	8.33%	100%
मैक्स लाइफ	2	1	15085	478	15087	479.46	14897	452	187	26	0	0	0	0	3	1.60	3	0	0	0	3
					100%	100%	98.74%	94.33%	1.24%	5.34%					0.02%	0.33%	100.00%				100%
पीएनबी मेट लाइफ	8	4	4162	223	4170	227.56	4012	204	157	24	0	0	1	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	96.21%	89.62%	3.76%	10.37%			0.02%	0.01%		0.00%					
रिलायंस निप्पोन	4	1	8367	164	8371	164.97	8179	154	188	10	0	0	0	0	4	0.91	3	0	0	1	4
					100%	100%	97.71%	93.64%	2.25%	5.81%					0.05%	0.55%	75.00%			25.00%	100%
सहारा	59	0	622	5	681	5.88	614	5	39	0	12	0	0	0	16	0.24	11	3	0	2	16
					100%	100%	90.16%	87.89%	5.73%	8.04%	1.76%	0.04%			2.35%	4.02%	68.75%	18.75%		12.50%	100%
एसबीआई लाइफ	72	6	19830	758	19902	763.73	18913	689	889	66	0	0	72	4	28	4.63	13	14	1	0	28
					100%	100%	95.03%	90.21%	4.47%	8.69%			0.36%	0.50%	0.14%	0.61%	46.43%	50.00%	3.57%		100%
श्रीराम	62	5	2768	83	2830	87.92	2414	66	334	15	43	5	0	0	39	2.16	11	4	20	4	39
					100%	100%	85.30%	75.16%	11.80%	17.07%	1.52%	5.32%			1.38%	2.45%	28.21%	10.26%	51.28%	10.26%	100%
स्टार यूनियन	12	2	1246	49	1258	51.33	1217	47	35	4	1	0	0	0	5	0.33	5	0	0	0	5
					100%	100%	96.74%	92.07%	2.78%	7.22%	0.08%	0.06%			0.40%	0.64%	100.00%				100%
टाटा एआईए	0	0	2700	151	2700	150.72	2675	145	25	6	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.07%	96.12%	0.93%	3.88%						0.00%					
निजी कुल	**681**	**98.15**	**111606**	**4822.17**	**112287**	**4920.32**	**108519**	**4493.38**	**3173**	**346.07**	**255**	**16.71**	**114**	**8.25**	**226**	**55.90**	**135**	**42**	**29**	**20**	**226**
					100%	100%	96.64%	91.32%	2.83%	7.03%	0.23%	0.34%	0.10%	0.17%	0.20%	1.14%	59.73%	18.58%	12.83%	8.85%	100%
एलआईसी	569	90.28	750381	13412.92	750950	13503.20	734328	12871.92	3199	193.07	3442	8.47	9190	293.82	791	135.92	370	285	47	89	791
					100%	100%	97.79%	95.32%	0.43%	1.43%	0.46%	0.06%	1.22%	2.18%	0.11%	1.01%	46.78%	36.03%	5.94%	11.25%	100%
उद्योग कुल	**1250**	**188.43**	**861987**	**18235.09**	**863237**	**18423.52**	**842847**	**17365.30**	**6372**	**539.14**	**3697**	**25.18**	**9304**	**302.07**	**1017**	**191.82**	**505**	**327**	**76**	**109**	**1017**
					100%	**100%**	**97.64%**	**94.26%**	**0.74%**	**2.93%**	**0.43%**	**0.14%**	**1.08%**	**1.64%**	**0.12%**	**1.04%**	**49.66%**	**32.15%**	**7.47%**	**10.72%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 7

वर्ष 2018-19 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ रु. में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण --अवधि वार (पालिसियाँ)				
	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	< 3 महीने	3-<6 महीने	6 महीने-<1 वर्ष	>1वर्ष	कुल
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	23	4	8822	206	8845	209.43	8817	204	13	1	0.00	0.00	0	0	15	4.04	10	2	3	0	15
					100%	100%	99.68%	97.54%	0.15%	0.53%					0.17%	1.93%	66.67%	13.33%	20.00%		100%
एड्गान	0	0	74	6	74	6.30	74	6	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%								0.00%					
अवीवा	0	0	888	16	888	16.15	882	16	0	0	6	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.32%	99.07%			0.68%	0.93%				0.00%					
बजाज अलायंज़	448	5	170885	737	171333	742.14	170800	726	210	13	147	2	4	0	172	0.91	84	39	49	0	172
					100%	100%	99.69%	97.86%	0.12%	1.81%	0.09%	0.21%	0.00%	0.00%	0.10%	0.12%	48.84%	22.67%	28.49%		100%
भारती अक्सा	6	3	351	37	357	39.98	352	39	4	1	0	0	0	0	1	0.26	1	0	0	0	1
					100%	100%	98.60%	97.50%	1.12%	1.84%					0.28%	0.66%	100.00%				100%
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	0	0	2485	63	2485	63.00	2465	60	18	3	1	0	0	0	1	0.50	1	0	0	0	1
					100%	100%	99.20%	94.71%	0.72%	4.00%	0.04%	0.50%			0.04%	0.79%	100.00%				100%
डीएचएफएल प्रामेरिका	29	3	78715	317	78744	320.72	78255	305	207	9	22	0	0	0	260	6.67	234	26	0	0	260
					100%	100%	99.38%	95.07%	0.26%	2.81%	0.03%	0.03%			0.33%	2.08%	90.00%	10.00%			100%
एडेलवेइस टोकियो	0	0	1021	38	1021	38.39	1011	37	10	1	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.02%	96.95%	0.98%	3.05%						0.00%					
एक्साइड लाइफ	0	0	4174	127	4174	127.44	4173	127	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.98%	100.00%	0.02%	0.00%						0.00%					
फ्यूचर जनराली	44	7	879	65	923	72.30	871	67	39	3	8	2	0	0	5	0.41	1	1	2	1	5
					100%	100%	94.37%	92.16%	4.23%	4.11%	0.87%	3.16%			0.54%	0.57%	20.00%	20.00%	40.00%	20.00%	100%
एचडीएफसी	321	11	163196	954	163517	964.60	162383	905	610	47	0	0	0	0	524	12.64	437	46	38	3	524
					100%	100%	99.31%	93.86%	0.37%	4.83%					0.32%	1.31%	83.40%	8.78%	7.25%	0.57%	100%
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	21	1	21109	263	21130	263.90	19917	248	12	2	27	1	0	0	1174	12.36	1107	66	0	1	1174
					100%	100%	94.26%	93.93%	0.06%	0.92%	0.13%	0.47%			5.56%	4.68%	94.29%	5.62%		0.09%	100%
आईडीबीआई फेडरल	0	0	1241	24	1241	24.41	1231	22	10	2	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.19%	90.93%	0.81%	9.07%						0.00%					

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 7

वर्ष 2018-19 के लिए सामूहिक मृत्यु दावे

(लाभ की राशि करोड़ रु. में)

जीवन बीमाकर्ता	अवधि के प्रारंभ में लंबित दावे		सूचित / दर्ज किये गये दावे		कुल दावे		भुगतान किये गये दावे		निराकृत दावे		अस्वीकृत दावे		अदावी		अवधि के अंत में लंबित दावे		लंबित दावों का विश्लेषित विवरण --अवधि वार (पालिसियाँ)				
	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	पालिसियों की संख्या	लाभ की राशि	< 3 महीने	3-<6 महीने	6 महीने-<1 वर्ष	>1वर्ष	कुल
इंडिया फर्स्ट	3	0	9208	233	9211	232.68	8711	217	265	10	234	5	0	0	1	0.72	1	0	0	0	1
					100%	100%	94.57%	93.28%	2.88%	4.43%	2.54%	1.98%			0.01%	0.31%	100.00%				100%
कोटक महिन्द्रा	6	3	53350	515	53356	518.34	52875	490	305	26	0	0	0	0	176	1.74	176	0	0	0	176
					100%	100%	99.10%	94.59%	0.57%	5.08%					0.33%	0.34%	100.00%				100%
मैक्स लाइफ	0	0	9675	164	9675	164.48	9605	155	69	9	1	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	99.28%	94.26%	0.71%	5.73%	0.01%	0.01%				0.00%					
पीएनबी मेट लाइफ	6	1	1678	153	1684	153.50	1664	151	20	3	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	98.81%	98.17%	1.19%	1.83%						0.00%					
रिलायंस निप्पोन	63	1	6434	44	6497	44.84	5608	41	8	1	876	2	1	0	4	0.14	4	0	0	0	4
					100%	100%	86.32%	90.89%	0.12%	3.16%	13.48%	5.49%	0.02%	0.13%	0.06%	0.32%	100.00%				100%
सहारा	1	0	5	0	6	0.02	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%													
एसबीआई लाइफ	28	1	37568	891	37596	892.42	37330	870	237	21	0	0	15	0	14	0.71	1	1	1	11	14
					100%	100%	99.29%	97.54%	0.63%	2.33%			0.04%	0.05%	0.04%	0.08%	7.14%	7.14%	7.14%	78.57%	100%
श्रीराम	60	1	32314	201	32374	202.80	31622	193	670	6	51	2	0	0	31	1.64	31	0	0	0	31
					100%	100%	97.68%	95.31%	2.07%	2.86%	0.16%	1.02%			0.10%	0.81%	100.00%				100%
स्टार यूनियन	3	0	5444	121	5447	121.15	5165	118	10	1	266	2	4	0	2	0.04	1	0	1	0	2
					100%	100%	94.82%	97.59%	0.18%	0.51%	4.88%	1.80%	0.07%	0.07%	0.04%	0.03%	50.00%		50.00%		100%
टाटा एआईए	0	0	486	94	486	94.18	486	94	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
					100%	100%	100.00%	100.00%													
निजी कुल	**1062**	**41.36**	**610002**	**5271.83**	**611064**	**5313.20**	**604303**	**5093.10**	**2718**	**159.73**	**1639**	**16.96**	**24**	**0.61**	**2380**	**42.79**	**135**	**42**	**20**	**29**	**226**
					100%	**100%**	**98.89%**	**95.86%**	**0.44%**	**3.01%**	**0.27%**	**0.32%**	**0.00%**	**0.01%**	**0.39%**	**0.81%**	**59.73%**	**18.58%**	**8.85%**	**12.83%**	**100%**
एलआईसी	360	5.64	258618	4598.91	258978	4604.55	258149	4596.52	41	0.55	0	0.00	0	0.00	788	7.48	539	31	30	188	788
					100%	100%	99.68%	99.83%	0.02%	0.01%					0.30%	0.16%	68.40%	3.93%	3.81%	23.86%	100%
उद्योग कुल	**1422**	**47.00**	**868620**	**9870.74**	**870042**	**9917.75**	**862452**	**9689.62**	**2759**	**160.28**	**1639**	**16.96**	**24**	**0.61**	**3168**	**50.27**	**674**	**73.00**	**50**	**217**	**1014**
					100%	**100%**	**99.13%**	**97.70%**	**0.32%**	**1.62%**	**0.19%**	**0.17%**	**0.00%**	**0.01%**	**0.36%**	**0.51%**	**66.47%**	**7.20%**	**4.93%**	**21.40%**	**100%**

टिप्पणी: प्रत्येक बीमाकर्ता के समक्ष पहली पंक्ति समग्र आंकड़े दर्शाती है जबकि दूसरी पंक्ति संबंधित कुल दावों का प्रतिशत दर्शाती है।

विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	जीवन निधि											
	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास और बुनियादी संरचनागत निवेश		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (जीवन निधि)	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
एइगान	760.40	626.94	141.95	82.49	419.12	323.19	223.82	208.33	5.42	1.61	1550.71	1242.56
अवीवा	3917.10	3136.90	88.95	103.34	868.36	875.14	338.79	401.51	29.14	1.08	5242.34	4517.97
बजाज अलायंज़	11535.00	11869.24	2804.81	2225.06	6148.80	4705.17	5204.76	5175.79	694.83	348.00	26388.20	24323.26
भारती अक्सा	1548.36	1025.61	545.11	510.36	782.30	467.65	1003.41	924.05	279.73	72.21	4158.91	2999.88
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	4850.61	3914.90	555.40	392.40	2865.36	1881.62	1854.58	1626.84	444.94	205.51	10570.89	8021.27
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	1146.06	1032.97	850.40	530.47	1032.61	840.66	747.58	440.10	28.26	0.00	3804.91	2844.20
डीएचएफएल प्रामेरिका	1315.54	1188.81	89.79	58.45	659.71	554.66	292.69	322.76	232.08	17.03	2589.81	2141.71
एडेलवेइस टोकियो	1054.95	670.70	45.93	10.75	305.91	462.67	512.75	653.25	108.15	130.79	2027.69	1928.16
एक्साइड	6524.09	5313.22	292.79	181.16	1717.59	1395.10	1426.48	1424.02	94.22	95.70	10055.17	8409.20
फ्यूचर जनराली	1363.68	1114.49	197.84	108.11	463.70	360.92	365.24	408.05	30.14	11.13	2420.60	2002.70
एचडीएफसी लाइफ	16669.55	16622.48	4333.30	507.11	7839.25	6855.37	7840.19	8294.98	989.18	776.92	37671.47	33056.86
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	19594.75	17624.39	2334.48	2483.81	8319.02	6144.54	9916.29	7808.78	1493.62	992.81	41658.16	35054.33
आईडीबीआई फेडरल	1964.55	1532.81	1263.18	960.45	1056.82	793.33	1274.74	1303.11	52.21	25.63	5611.50	4615.33
इंडिया फर्स्ट	641.58	563.46	400.04	382.20	441.28	317.13	475.21	558.72	66.24	17.00	2024.35	1838.51
कोटक महिन्द्रा ओम	9341.30	7197.47	693.61	119.22	2679.88	1751.57	1851.55	1749.89	668.08	797.94	15234.42	11616.09
मैक्स	23303.29	19964.00	1917.18	1370.34	7999.94	5493.28	7459.95	6882.33	634.04	91.54	41314.40	33801.49
पीएनबी मेटलाइफ	6342.77	5279.95	744.34	533.54	3339.59	2583.76	2879.17	2265.83	234.58	81.54	13540.45	10744.62
रिलायंस निप्पोन	7127.11	6526.48	1341.03	564.05	2582.69	2200.51	2033.19	2147.12	593.33	171.78	13677.35	11609.94
सहारा	373.40	343.89	274.45	259.84	477.67	440.25	111.98	105.10	17.70	12.70	1255.20	1161.78
एसबीआई	18957.48	16480.61	3097.98	1721.96	8018.49	5338.83	9074.14	8897.88	1488.22	1025.96	40636.31	33465.24
श्रीराम	972.92	714.71	535.05	413.95	586.10	390.05	872.41	755.25	166.18	201.22	3132.66	2475.18
स्टार यूनियन दाई-ईची	1710.43	1818.59	796.53	94.23	716.49	531.08	610.75	571.11	70.94	29.64	3905.14	3044.65
टाटा एआईए	10616.77	8227.05	103.55	443.59	3048.19	2511.52	2336.57	2318.89	228.26	45.73	16333.34	13546.78
निजी कुल	**151631.69**	**132789.67**	**23447.69**	**14056.88**	**62368.87**	**47218.00**	**58706.24**	**55243.69**	**8649.49**	**5153.47**	**304803.98**	**254461.71**
एलआईसी	826452.89	745820.57	502006.56	488461.88	190818.46	186109.15	407882.11	394811.23	115491.05	67815.99	2042651.07	1883018.82
उद्योग कुल	**978084.58**	**878610.24**	**525454.25**	**502518.76**	**253187.33**	**233327.15**	**466588.35**	**450054.92**	**124140.54**	**72969.46**	**2347455.05**	**2137480.53**

जारी... विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि							
	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		अनुमोदित निवेश		कुल (पेंशन और सामान्य वार्षिकी एवं सामूहिक निधि)	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
एड्गान	4.02	2.93	0.00	0.00	2.80	3.49	6.82	6.42
अवीवा	220.52	203.36	1.97	2.02	76.71	112.57	299.20	317.95
बजाज अलायंज़	2352.86	1713.64	1472.67	775.09	2703.25	3200.94	6528.78	5689.67
भारती अक्सा	125.58	98.95	76.81	64.79	282.37	229.77	484.76	393.51
आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	1601.17	1467.30	361.58	266.27	2685.86	2297.46	4648.61	4031.03
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	528.50	506.09	248.86	181.84	993.52	895.69	1770.88	1583.62
डीएचएफएल प्रामेरिका	595.52	473.66	112.77	109.33	709.77	588.15	1418.06	1171.14
एडेलवेइस टोकियो	156.16	78.88	0.00	0.00	55.77	49.78	211.93	128.66
एक्साइड	1105.35	956.82	138.88	100.01	679.34	727.85	1923.57	1784.68
फ्यूचर जनराली	159.43	153.30	141.31	127.33	421.04	346.18	721.78	626.81
एचडीएफसी लाइफ़	6994.84	5226.41	3915.86	1840.50	12591.48	8666.86	23502.18	15733.77
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	3198.08	2603.44	91.08	101.74	1343.53	977.58	4632.69	3682.76
आईडीबीआई फेडरल	108.70	91.20	134.16	110.13	190.72	107.06	433.58	308.39
इंडिया फर्स्ट	2293.39	1763.86	1976.29	972.97	4282.97	4120.93	8552.65	6857.76
कोटक महिन्द्रा ओम	301.62	377.25	122.16	54.94	484.28	102.95	908.06	535.14
मैक्स	467.42	434.62	261.65	226.64	387.45	294.14	1116.52	955.40
पीएनबी मेटलाइफ	137.46	126.22	2.98	0.97	92.66	81.54	233.10	208.73
रिलायंस निप्पोन	133.42	93.86	45.99	91.46	41.95	51.97	221.36	237.29
सहारा	2.00	2.17	0.00	0.00	0.20	0.20	2.20	2.37
एसबीआई	10314.61	10345.15	5883.10	3869.70	14007.27	12555.59	30204.98	26770.44
श्रीराम	130.17	100.29	79.46	58.10	288.19	231.45	497.82	389.84
स्टार यूनियन दाई-ईची	596.77	584.20	281.65	150.34	539.72	434.24	1418.14	1168.78
टाटा एआईए	471.13	393.88	21.14	29.69	297.47	257.16	789.74	680.73
निजी कुल	**31998.72**	**27797.48**	**15370.37**	**9133.86**	**43158.32**	**36333.55**	**90527.41**	**73264.89**
एलआईसी	205539.04	163215.05	326696.02	280821.42	151499.90	156337.28	683734.96	600373.75
उद्योग कुल	**237537.76**	**191012.53**	**342066.39**	**289955.28**	**194658.22**	**192670.83**	**774262.37**	**673638.64**

जारी... विवरण 8

जीवन बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	यूनिट सहबद्ध निधि						कुल (सभी निधियाँ)	
	अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल (यूलिप निधियाँ)			
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
एइगान	867.11	855.09	64.76	41.32	931.87	896.41	2489.40	2145.39
अवीवा	3415.57	3870.10	479.84	253.66	3895.41	4123.76	9436.95	8959.68
बजाज अलायंज़	21500.59	19571.80	1131.39	1205.84	22631.98	20777.64	55548.96	50790.57
भारती अक्सा	928.99	1003.00	120.56	97.92	1049.55	1100.92	5693.22	4494.31
आदित्य बिड़ला सन लाइफ़	23686.37	23576.44	1352.76	997.71	25039.13	24574.15	40258.63	36626.45
केनरा एचएसबीसी ओबीसी	8024.81	7252.76	1247.79	1005.51	9272.60	8258.27	14848.39	12686.09
डीएचएफएल प्रामेरिका	331.38	271.88	32.35	26.33	363.73	298.21	4371.60	3611.06
एडेलवेइस टोकियो	558.67	349.01	86.67	37.48	645.34	386.49	2884.96	2443.31
एक्साइड	1863.50	1963.76	153.29	98.72	2016.79	2062.48	13995.53	12256.36
फ्यूचर जनराली	560.36	583.09	65.73	29.11	626.09	612.20	3768.47	3241.71
एचडीएफसी लाइफ़	59046.35	53753.28	4331.07	3432.11	63377.42	57185.39	124551.07	105976.02
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	98535.72	93010.02	12410.10	4491.94	110945.82	97501.96	157236.67	136239.05
आईडीबीआई फेडरल	2578.84	2310.15	168.85	42.67	2747.69	2352.82	8792.77	7276.54
इंडिया फर्स्ट	3796.15	3339.05	450.11	342.46	4246.26	3681.51	14823.26	12377.78
कोटक महिन्द्रा ओम	12636.81	11656.59	1157.11	869.58	13793.92	12526.17	29936.40	24677.40
मैक्स	18428.92	16406.82	1433.00	691.30	19861.92	17098.12	62292.84	51855.01
पीएनबी मेटलाइफ़	5783.95	5912.75	755.87	371.44	6539.82	6284.19	20313.37	17237.54
रिलायंस निप्पोन	5966.76	6765.20	209.30	299.86	6176.06	7065.06	20074.77	18912.29
सहारा	107.90	115.15	1.02	2.09	108.92	117.24	1366.32	1281.39
एसबीआई	65656.36	52204.28	3472.72	2731.57	69129.08	54935.85	139970.37	115171.53
श्रीराम	513.20	606.82	16.20	25.58	529.40	632.40	4159.88	3497.42
स्टार यूनियन दाई-ईची	2476.06	2605.43	201.09	83.44	2677.15	2688.87	8000.43	6902.30
टाटा एआईए	9751.94	8611.59	795.44	638.85	10547.38	9250.44	27670.46	23477.95
निजी कुल	**347016.31**	**316594.06**	**30137.02**	**17816.49**	**377153.33**	**334410.55**	**772484.72**	**662137.15**
एलआईसी	31764.61	40013.64	2507.48	3516.85	34272.09	43530.49	2760658.12	2526923.06
उद्योग कुल	**378780.92**	**356607.70**	**32644.50**	**21333.34**	**411425.42**	**377941.04**	**3533142.84**	**3189060.21**

विवरण 9

जीवन बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	31 मार्च 2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2019 को	भारतीय प्रवर्तक*	विदेशी निवेशक	विदेशी निवेश %
एइगान लाइफ़	1442.62	20.49	1463.11	746.19	716.92	49.00%
अवीवा लाइफ़	2004.90	0.00	2004.90	1022.50	982.40	49.00%
बजाज अलायंज़ लाइफ़	150.71	0.00	150.71	111.53	39.18	26.00%
भारती अक्सा	2406.20	120.00	2526.20	1288.36	1237.84	49.00%
बिड़ला सनलाइफ़	1901.21	0.00	1901.21	969.62	931.59	49.00%
केनरा एचएसबीसी	950.00	0.00	950.00	703.00	247.00	26.00%
डीएचएफएल प्रामेरिका	374.06	0.00	374.06	190.77	183.29	49.00%
एडेलवेइस टोकियो	312.62	0.00	312.62	159.44	153.18	49.00%
एक्साइड लाइफ़	1750.00	100.00	1850.00	1850.00	0.00	0.00%
फ्यूचर जनराली	1737.82	105.00	1842.82	1372.88	469.94	25.50%
एचडीएफसी	2011.74	5.64	2017.38	1303.02	714.36	35.41%
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल	1435.35	0.43	1435.78	943.26	492.52	34.30%
आईडीबीआई फेडरल	800.00	0.00	800.00	592.00	208.00	26.00%
इंडियाफर्स्ट	625.00	0.00	625.00	462.50	162.50	26.00%
कोटक महिन्द्रा	510.29	0.00	510.29	510.29	0.00	0.00%
मैक्स लाइफ़	1918.81	0.00	1918.81	1429.15	489.66	25.52%
पीएनबी मेटलाइफ़	2012.88	0.00	2012.88	1367.70	645.18	32.05%
रिलायंस निप्पोन	1196.32	0.00	1196.32	610.13	586.20	49.00%
सहारा	232.00	0.00	232.00	232.00	0.00	0.00%
एसबीआई लाइफ़	1000.00	0.00	1000.00	647.77	352.23	35.22%
श्रीराम लाइफ़	179.38	0.00	179.38	103.35	76.03	42.39%
स्टार यूनियन दाई-ईची	258.96	0.00	258.96	140.00	118.96	45.94%
टाटा एआईए	1953.50	0.00	1953.50	996.29	957.22	49.00%
कुल (निजी क्षेत्र)	**27164.38**	**351.56**	**27515.94**	**17751.75**	**9764.20**	**35.49%**
एलआईसी	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00%
कुल (जीवन)	**27264.38**	**351.56**	**27615.94**	**17851.75**	**9764.20**	**35.36%**

टिप्पणी: * भारतीय निवेशकों की शेयर पूँजी शामिल है।

विवरण 10

भारत में जीवन बीमाकर्ताओं के तिमाही शोधक्षमता अनुपात 2018-19

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	30.06.2018	30.09.2018	31.12.2018	31.03.2019
1	एइगान लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.95	2.15	1.99	2.59
2	अवीवा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि.	2.92	2.89	2.95	2.99
3	बजाज अलायंज़ लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7.74	7.49	7.67	8.04
4	भारती-अक्सा लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.62	1.62	1.7	1.71
5	बिड़ला सनलाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.12	2.04	2.04	1.98
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.70	3.72	3.73	3.93
7	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5.33	4.91	4.8	4.6
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.22	2.45	2.37	2.29
9	एक्साइड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.93	1.80	1.86	2.08
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.94	1.64	1.56	1.62
11	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.97	1.93	1.91	1.88
12	आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.35	2.34	2.24	2.15
13	आईडीबीआई फेडरल लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.83	3.82	3.85	3.34
14	इंडियाफर्स्ट लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.97	1.73	1.68	1.74
15	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.11	3.1	3.1	3.02
16	भारतीय जीवन बीमा निगम	1.52	1.51	1.50	1.60
17	मैक्स लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.62	2.61	2.39	2.42
18	पीएनबी मेटलाइफ़ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.02	2.01	2	1.97
19	रिलायंस निप्पोन लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.67	2.81	2.79	2.6
20	सहारा इंडिया लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.24	9.42	9.47	8.44
21	एसबीआई लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.14	2.21	2.23	2.13
22	श्रीराम लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.01	2.05	2.14	1.82
23	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.78	2.74	2.90	2.53
24	टाटा एआईए लाइफ़ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.91	2.68	2.59	2.68

विवरण 11

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं का सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (भारत के अंदर और बाहर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	2018-19	2017-18
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता		
एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	141.89	0.92
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	11059.41	9445.22
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2258.05	1753.58
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4428.16	4102.57
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	243.07	141.07
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	92.55	1.30
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	2553.94	1906.37
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	894.82	93.74
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	8612.85	7289.97
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	14488.23	12356.85
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7001.84	5631.89
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	301.11	185.39
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.***	1125.16	816.53
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	970.11	526.69
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	115.96	83.45
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6191.03	5069.08
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3172.57	2623.44
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4706.55	3544.20
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2356.34	2100.76
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7742.66	5435.92
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2830.87	2310.86
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**81287.16**	**65419.82**
	24%	**22%**
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता		
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	15179.94	16243.68
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	26607.99	25159.31
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	13484.75	11736.84
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	16420.47	17429.95
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**71693.15**	**70569.78**
	2%	**12%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता		
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	6900.88	7893.39
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	1247.54	1240.42
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**8148.42**	**9133.81**
	-11%	**11%**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता		
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	496.80	243.17
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2194.44	1717.51
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	484.82	346.40
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	947.02	754.47
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	4.09	लागू नहीं
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1825.57	1091.61
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	5401.29	4161.11
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**11354.04**	**8314.28**
	37%	**42%**
कुल जोड़	**172482.77**	**153437.68**
	12%	**17%**

टिप्पणी: प्रतिशत में आंकड़े पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में वृद्धि दर्शाते हैं।
*** पूर्व की लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान परिचालन में नहीं था।
टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 12

साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं की खंड-वार सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय (भारत के अंदर)

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	फायर		मरीन		मोटर		स्वास्थ्य		अन्य		कुल	
	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता												
एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	0.00	0.00	0.00	0.00	75.32	0.82	31.68	0.10	34.89	0.00	141.89	0.92
बजाज अलांयंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	946.14	821.04	160.97	137.56	4857.03	4152.67	2597.03	1693.11	2498.24	2640.83	11059.41	9445.22
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	123.26	61.05	52.08	31.39	1143.00	1073.87	333.70	148.66	606.02	438.61	2258.05	1753.58
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	264.61	325.41	74.99	71.17	3001.08	2640.73	558.66	470.08	528.82	595.17	4428.16	4102.57
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	94.63	60.85	0.00	0.00	21.11	0.00	126.01	80.23	1.31	0.00	243.07	141.07
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.71	0.00	0.28	0.00	26.90	0.00	63.59	1.18	0.08	0.12	92.55	1.30
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	255.57	241.88	70.66	58.31	1143.47	1037.34	360.07	337.67	724.17	231.19	2553.94	1906.37
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	11.25	13.75	1.01	1.73	854.53	74.71	15.36	2.93	12.67	0.63	894.82	93.74
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	719.65	620.03	180.14	144.59	3059.97	2306.60	1973.17	1585.69	2679.92	2633.06	8612.85	7289.97
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1084.58	916.50	443.68	366.19	6423.53	5249.47	2796.32	2301.87	3740.11	3522.82	14488.22	12356.85
इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	327.70	275.33	160.16	145.52	3261.25	3002.38	928.71	750.09	2324.02	1458.58	7001.84	5631.89
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	16.23	8.16	0.00	0.00	197.60	139.37	75.74	32.38	11.54	5.48	301.11	185.39
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.***	39.13	44.25	24.34	20.29	754.70	553.78	217.27	136.13	89.72	62.09	1125.16	816.53
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	72.57	43.47	21.67	19.11	746.55	413.42	85.14	19.92	44.19	30.77	970.11	526.69
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.42	2.73	0.08	0.05	76.96	51.83	0.42	0.22	36.08	28.62	115.96	83.45
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	433.15	364.18	71.75	67.30	2856.74	2484.49	1126.79	811.02	1702.59	1342.10	6191.03	5069.08
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.47	141.20	37.39	36.53	2075.87	2026.51	416.07	343.66	492.76	75.53	3172.57	2623.44
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	947.84	790.45	20.05	17.20	916.10	978.17	1123.51	939.59	1699.04	818.79	4706.55	3544.20
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.78	35.22	1.88	2.08	2252.45	2040.59	38.48	16.41	32.76	6.47	2356.34	2100.76
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	742.92	687.29	327.32	293.90	3791.34	2813.99	1119.41	724.42	1761.67	916.31	7742.66	5435.92
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	146.78	142.05	17.48	21.94	699.36	647.29	173.08	159.54	1794.16	1340.04	2830.87	2310.86
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**6411.39**	**5594.82**	**1665.94**	**1434.88**	**38234.86**	**31688.03**	**14160.20**	**10554.88**	**20814.76**	**16147.21**	**81287.15**	**65419.82**
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता												
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	867.99	901.79	209.41	207.85	6164.28	7024.02	6060.43	5646.33	1826.79	2413.55	15128.90	16193.55
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2224.75	2082.57	708.89	600.01	8846.68	9094.89	8779.72	7473.15	3350.12	3468.15	23910.16	22718.76
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	990.60	922.95	329.38	293.74	4535.20	4357.48	4677.39	4138.82	2666.76	1738.98	13199.32	11451.97
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1172.91	1278.57	324.52	358.19	6741.33	7081.69	5801.77	5853.10	2379.94	2858.40	16420.47	17429.95
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता कुल	**5256.25**	**5185.88**	**1572.20**	**1459.79**	**26287.49**	**27558.08**	**25319.32**	**23111.40**	**10223.61**	**10479.08**	**68658.85**	**67794.23**
विशेषीकृत बीमाकर्ता												
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	6900.88	7893.39	6900.88	7893.39
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1247.54	1240.42	1247.54	1240.42
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**8148.42**	**9133.81**	**8148.42**	**9133.81**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता												
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	243.17	लागू नहीं	लागू नहीं	496.80	243.17
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	लागू नही	1717.51	लागू नही	लागू नही	2194.44	1717.51
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	346.40	लागू नहीं	लागू नहीं	484.82	346.40
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	754.47	लागू नहीं	लागू नहीं	947.02	754.47
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4.09	NA
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1091.61	लागू नहीं	लागू नहीं	1825.57	1091.61
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	4161.11	लागू नहीं	लागू नहीं	5401.29	4161.11
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**8314.28**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**11354.03**	**8314.28**
कुल जोड़	**11667.64**	**10780.70**	**3238.14**	**2894.66**	**64522.35**	**59246.11**	**50833.55**	**41980.56**	**39186.78**	**35760.09**	**169448.46**	**150662.13**

टिप्पणी: स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।

*** पूर्व की लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा तदनुरूपी खंड में परिचालन में नहीं था।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

विवरण 13

स्वास्थ्य बीमा (यात्रा - देशी/विदेशी और वैयक्तिक दुर्घटना को छोड़कर)

(पालिसियों की संख्या वास्तविक) (व्यक्तियों की संख्या '000 में) (सकल प्रीमियम ₹ लाख में)

बीमाकर्ता	पालिसियों की संख्या	सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम
एक्को	1	3	203
बजाज अलांयंज़	531046	24685	220496
भारती अक्सा	21829	1740	22893
चोल एमएस	103232	1806	27371
डीएचएफएल	119733	200	10426
एडेलवेइस	10449	11	2850
फ्यूचर जनराली	64670	4838	28109
गो डिजिट	865	1	74
एचडीएफसी एरगो	1066395	9605	125423
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	4234760	15179	226716
इफ़्को टोकियो	155454	22015	79991
कोटक जनरल	349931	439	6076
लिबर्टी	50692	880	25715
मैगमा एचडीआई	4477	72	8129
रहेजा क्यूबीई	135	0	10
रिलायंस	91492	27464	100273
रायल सुंदरम	185450	1406	35546
एसबीआई जनरल	756443	2748	51344
श्रीराम जनरल	564	1	11
टाटा एआईजी	220583	2248	80376
यूनिवर्सल सोम्पो	267221	1137	13479
निजी कुल	**8235422**	**116478**	**1065509**
नेशनल	1725290	147728	588996
न्यू इंडिया	1683506	87561	824120
ओरियन्टल	1250812	30325	404771
युनाइटेड इंडिया	1182067	54468	535739
सरकारी कुल	**5841675**	**320081**	**2353626**
आदित्य बिड़ला	186244	1489	42343
अपोलो म्यूनिख	1068479	5116	198753
सिगना टीटीके	229817	1101	46882
मैक्स बूपा	696107	5433	91449
रिलायंस हेल्थ	3145	7	409
रेलिगेर	691739	10713	161122
स्टार हेल्थ	3734365	11617	527182
स्टैंड अलोन स्वास्थ्य कुल	**6609896**	**35475**	**1068141**
कुल जोड़	**20686993**	**472035**	**4487276**

विवरण 14

उपगत दावा अनुपात - सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता 2018-19

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	697.31	143.89	4953.86	3621.74	983.43	10400.23	389.86	129.42	6316.30	3898.62	699.83	11434.03	55.91	89.94	127.50	107.64	71.16	109.94
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1890.90	419.31	9834.42	7448.10	1894.86	21487.59	2138.08	345.44	8609.21	7726.84	1677.13	20496.70	113.07	82.38	87.54	103.74	88.51	95.39
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	601.95	208.40	4343.52	4187.33	1260.32	10601.53	677.16	138.90	4891.64	4555.79	984.59	11248.08	112.49	66.65	112.62	108.80	78.12	106.10
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	768.20	222.51	6067.93	4796.40	1249.46	13104.51	687.41	218.39	7329.40	5300.55	800.34	14336.09	89.48	98.15	120.79	110.51	64.05	109.40
कुल	**3958.36**	**994.11**	**25199.73**	**20053.58**	**5388.07**	**55593.85**	**3892.52**	**832.14**	**27146.56**	**21481.80**	**4161.88**	**57514.91**	**98.34**	**83.71**	**107.73**	**107.12**	**77.24**	**103.46**
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1651.66	1651.66	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1523.64	1523.64	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	92.25	92.25
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	854.42	854.42	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1141.16	1141.16	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	133.56	133.56
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**2506.08**	**2506.08**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**2664.80**	**2664.80**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**106.33**	**106.33**
कुल जोड़	**3958.36**	**994.11**	**25199.73**	**20053.58**	**7894.15**	**58099.93**	**3892.52**	**832.14**	**27146.56**	**21481.80**	**6826.68**	**60179.70**	**98.34**	**83.71**	**107.73**	**107.12**	**86.48**	**103.58**

लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा विशिष्ट खंड में परिचालन में नहीं था।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।
स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।

उपगत दावा अनुपात - सरकारी क्षेत्र साधारण बीमाकर्ता 2017-18

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
सरकारी बीमाकर्ता																		
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	674.88	159.39	5008.23	4047.41	1376.63	11266.55	864.01	77.13	6093.76	4676.88	1158.89	12870.68	128.02	48.39	121.67	115.55	84.18	114.24
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1962.34	377.87	9074.26	6479.06	1831.07	19724.60	1510.40	226.16	7230.58	6685.82	1243.50	16896.47	76.97	59.85	79.68	103.19	67.91	85.66
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	590.38	230.15	4000.26	3750.52	1056.69	9628.01	509.57	160.91	2727.85	4270.53	552.37	8221.21	86.31	69.91	68.19	113.86	52.27	85.39
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	856.88	232.73	5748.32	4638.13	1384.92	12860.98	845.48	176.50	5272.11	5146.18	697.55	12137.81	98.67	75.84	91.72	110.95	50.37	94.38
कुल	**4084.48**	**1000.15**	**23831.08**	**18915.13**	**5649.30**	**53480.14**	**3729.46**	**640.70**	**21324.30**	**20779.41**	**3652.30**	**50126.17**	**91.31**	**64.06**	**89.48**	**109.86**	**64.65**	**93.73**
विशेषीकृत बीमाकर्ता																		
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1779.52	1779.52	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1819.23	1819.23	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	102.23	102.23
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	839.24	839.24	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1138.59	1138.59	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	135.67	135.67
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**2618.76**	**2618.76**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**2957.82**	**2957.82**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**112.95**	**112.95**
कुल जोड़	**4084.48**	**1000.15**	**23831.08**	**18915.13**	**8268.06**	**56098.90**	**3729.46**	**640.70**	**21324.30**	**20779.41**	**6610.12**	**53083.99**	**91.31**	**64.06**	**89.48**	**109.86**	**79.95**	**94.63**

लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा विशिष्ट खंड में परिचालन में नहीं था।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।
स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।

विवरण 15

उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2018-19

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
निजी बीमाकर्ता																		
एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	0.00	0.00	14.41	29.53	4.87	48.81	0.00	0.00	18.63	7.00	2.98	28.61	-	-	129	24	61	59
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	187.71	103.86	4216.25	1865.88	636.08	7009.78	139.69	97.50	2629.29	1591.48	352.45	4810.41	74	94	62	85	55	69
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	18.43	26.65	1015.12	222.60	116.18	1398.98	12.16	20.82	766.14	197.12	80.45	1076.68	66	78	75	89	69	77
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	92.64	18.43	2412.06	428.50	98.27	3049.90	36.95	10.87	2031.97	151.26	104.45	2335.50	40	59	84	35	106	77
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	52.24	0.00	8.88	46.96	0.25	108.31	6.47	0.00	2.59	21.63	0.08	30.77	12	-	29	46	32	28
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.62	0.00	5.01	22.77	0.42	28.81	1.46	0.00	7.26	26.26	0.34	35.31	236	-10	145	115	80	123
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	64.93	48.27	1013.73	238.11	209.67	1574.71	44.71	35.30	702.82	174.57	125.65	1083.05	69	73	69	73	60	69
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	99.14	60.33	2021.22	1053.17	576.16	3810.01	52.87	56.23	1653.04	656.00	491.04	2909.18	53	93	82	62	85	76
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	3.56	0.00	353.12	14.53	128.77	499.98	7.85	0.00	267.99	1.56	116.71	394.11	220	92	76	11	91	79
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	157.88	236.73	5035.65	1826.99	1118.10	8375.35	131.36	198.86	3715.48	1396.80	865.62	6308.11	83	84	74	76	77	75
इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	47.13	68.31	2618.04	838.65	458.19	4030.32	30.58	41.31	2278.36	854.71	353.26	3558.22	65	60	87	102	77	88
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.98	0.00	153.52	37.70	1.16	197.35	2.92	0.00	113.18	17.80	0.43	134.32	59	-	74	47	37	68
लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3.75	16.33	597.49	151.04	36.84	805.44	7.95	19.42	417.91	123.30	22.47	591.05	212	119	70	82	61	73
मैग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6.20	1.14	318.43	54.80	4.38	384.95	5.75	2.20	207.55	49.57	6.61	271.69	93	193	65	90	151	71
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.49	0.06	59.03	0.13	29.87	89.57	0.02	0.01	60.47	0.04	14.24	74.78	05	14	102	33	48	83
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	103.84	5.79	2118.58	893.79	410.26	3532.25	56.42	13.02	1799.59	836.10	326.16	3031.30	54	225	85	94	80	86
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	30.82	18.35	1731.48	306.50	99.04	2186.19	24.04	15.84	1540.25	185.50	89.22	1854.85	78	86	89	61	90	85
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	153.62	12.06	929.64	978.67	314.40	2388.38	113.69	13.77	809.12	509.21	274.78	1720.57	74	114	87	52	87	72
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	19.01	1.30	2015.82	3.57	19.73	2059.43	9.87	0.69	1383.11	1.87	10.78	1406.32	52	53	69	53	55	68
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	106.44	280.38	2790.21	665.72	735.47	4578.21	79.76	240.18	1957.09	518.53	790.81	3586.37	75	86	70	78	108	78
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	58.24	5.55	584.64	133.40	467.23	1249.06	20.74	5.00	513.86	122.99	217.10	879.67	36	90	88	92	46	70
कुल	**1211.66**	**903.53**	**30012.31**	**9812.99**	**5465.31**	**47405.80**	**785.26**	**770.98**	**22875.71**	**7443.32**	**4245.61**	**36120.88**	**65**	**85**	**76**	**76**	**78**	**76**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	348.23	लागू नहीं	348.23	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	204.11	लागू नहीं	204.11	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	59	लागू नहीं	59
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1672.90	लागू नहीं	1672.90	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1047.09	लागू नहीं	1047.09	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	63	लागू नहीं	63
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	392.52	लागू नहीं	392.52	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	243.14	लागू नहीं	243.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	62	लागू नहीं	62
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	659.48	लागू नहीं	659.48	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	355.64	लागू नहीं	355.64	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	54	लागू नहीं	54
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.36	लागू नहीं	1.36	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.18	लागू नहीं	0.18	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	14	लागू नहीं	14
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1091.20	लागू नहीं	1091.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	602.67	लागू नहीं	602.67	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	55	लागू नहीं	55
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	3662.37	लागू नहीं	3662.37	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2297.59	लागू नहीं	2297.59	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	63	लागू नहीं	63
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**7828.06**	**लागू नहीं**	**7828.06**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**4750.43**	**लागू नहीं**	**4750.43**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**61**	**लागू नहीं**	**61**
कुल जोड़	**1211.66**	**903.53**	**30012.31**	**17641.05**	**5465.31**	**55233.86**	**785.26**	**770.98**	**22875.71**	**12193.75**	**4245.61**	**40871.31**	**65**	**85**	**76**	**69**	**78**	**74**

लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा विशिष्ट खंड में परिचालन में नहीं था।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।

जारी... विवरण 15

उपगत दावा अनुपात - निजी क्षेत्र साधारण और स्वास्थ्य बीमाकर्ता 2017-18

बीमाकर्ता	निवल अर्जित प्रीमियम (₹ करोड़)						उपगत दावे (निवल) (₹ करोड़)						उपगत दावा अनुपात (%)					
	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	फायर	मरीन	मोटर	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
निजी बीमाकर्ता																		
एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	0.00	0.00	-0.44	0.08	0.00	-0.35	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.10	-	-	-11	65	-	-29
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	179.63	88.36	3662.67	1331.60	796.31	6058.57	88.64	55.23	2278.06	1033.47	587.18	4042.57	49	63	62	78	74	67
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	9.48	13.99	1010.07	99.79	80.09	1213.43	6.06	13.46	825.60	98.29	63.33	1006.73	64	96	82	98	79	83
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	81.19	15.85	2266.41	339.16	121.24	2823.84	12.59	8.94	1805.23	135.53	86.06	2048.36	16	56	80	40	71	73
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	27.71	0.00	0.00	16.87	0.00	44.58	0.49	0.00	0.00	1.33	0.00	1.82	02	-	-	08	-	04
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	70	80	70
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	53.56	43.89	818.92	256.26	107.55	1280.18	30.61	24.48	626.50	224.03	63.74	969.35	57	56	77	87	59	76
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	97.36	48.61	1516.87	805.11	526.55	2994.50	64.15	39.85	1279.81	423.30	419.58	2226.68	66	82	84	53	80	74
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	-0.10	0.00	5.70	1.76	0.11	7.47	0.19	0.00	5.70	1.05	0.06	7.01	-184	-	100	60	60	94
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	144.09	195.76	4142.19	1349.32	1080.38	6911.73	62.08	106.08	3207.89	921.00	1017.68	5314.72	43	54	77	68	94	77
इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	48.14	57.61	2328.56	499.08	302.93	3236.31	47.91	31.47	1843.92	452.62	306.79	2682.71	100	55	79	91	101	83
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.36	0.00	98.27	15.10	0.15	115.87	0.92	0.00	74.68	7.28	0.15	83.03	39	-	76	48	103	72
लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.99	10.42	441.84	101.25	22.64	579.13	1.85	8.89	307.61	75.51	9.22	403.09	62	85	70	75	41	70
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	5.04	0.96	320.49	3.38	4.71	334.58	6.84	0.56	261.86	1.18	6.98	277.42	136	58	82	35	148	83
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.58	0.03	33.12	0.13	26.33	60.19	-0.42	0.01	37.94	0.02	8.48	46.02	-73	26	115	18	32	76
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	76.84	5.41	1735.52	671.16	366.73	2855.66	47.15	6.28	1413.87	715.08	236.75	2419.14	61	116	81	107	65	85
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	29.92	16.07	1619.78	251.76	22.91	1940.44	13.39	7.45	1376.58	154.60	8.35	1560.37	45	46	85	61	36	80
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	138.34	10.79	738.09	806.21	148.44	1841.87	58.37	8.88	677.21	426.76	145.24	1316.45	42	82	92	53	98	71
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	17.93	1.26	1815.32	2.27	18.11	1854.89	8.68	1.07	1716.56	1.15	11.53	1739.00	48	85	95	51	64	94
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	66.07	247.71	2310.44	418.28	284.47	3326.97	24.18	191.80	1585.43	253.82	310.85	2366.07	37	77	69	61	109	71
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	58.95	5.69	454.75	133.06	544.84	1197.29	17.10	5.87	366.81	138.60	145.64	674.03	29	103	81	104	27	56
कुल	**1040.08**	**762.42**	**25318.57**	**7101.62**	**4454.46**	**38677.15**	**490.77**	**510.32**	**19691.31**	**5064.67**	**3427.63**	**29184.70**	**47**	**67**	**078**	**71**	**77**	**75**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता																		
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	151.98	लागू नहीं	151.98	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	135.35	लागू नहीं	135.35	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	89	लागू नहीं	89
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1264.34	लागू नहीं	1264.34	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	789.88	लागू नहीं	789.88	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	62	लागू नहीं	62
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	266.14	लागू नहीं	266.14	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	123.20	लागू नहीं	123.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	46	लागू नहीं	46
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	575.85	लागू नहीं	575.85	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	289.02	लागू नहीं	289.02	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	50	लागू नहीं	50
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	679.67	लागू नहीं	679.67	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	353.21	लागू नहीं	353.21	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	52	लागू नहीं	52
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	2739.60	लागू नहीं	2739.60	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1692.02	लागू नहीं	1692.02	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	62	लागू नहीं	62
कुल	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**5677.59**	**लागू नहीं**	**5677.59**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**3382.67**	**लागू नहीं**	**3382.67**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**	**60**	**लागू नहीं**	**60**
कुल जोड़	**1040.08**	**762.42**	**25318.57**	**12779.21**	**4454.46**	**44354.74**	**490.77**	**510.32**	**19691.31**	**8447.35**	**3427.63**	**32567.37**	**47**	**67**	**78**	**66**	**77**	**73**

लागू नहीं - निर्दिष्ट करता है कि बीमाकर्ता का व्यवसाय तदनुरूपी वित्तीय वर्ष के दौरान अथवा विशिष्ट खंड में परिचालन में नहीं था।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है। स्वास्थ्य में वैयक्तिक दुर्घटना शामिल है।

विवरण 16

दावों का विश्लेषण - साधारण बीमाकर्ता 2018-19

बीमाकर्ता	दावों की संख्या						प्रदत्त दावों के समय का विश्लेषण (संख्या)					
	अवधि के प्रारंभ में बकाया दावे	अवधि के दौरान सूचित/दर्ज किये गये दावे	अवधि के दौरान अदा किये गये दावे	अवधि के दौरान निराकृत दावे	अवधि के दौरान समाप्त किये गये दावे	अवधि के अंत में बकाया दावे	< 3 महीने	3 महीने या अधिक, <6 महीने	6 महीने या अधिक, <1 वर्ष	1 वर्ष या अधिक, <3 वर्ष	3 वर्ष या अधिक, <5 वर्ष	5 वर्ष या उससे अधिक
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
एक्को	0	24831	17632	80	4573	2546	98.8%	1.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
एआईसी	8351816	5354453	8641867	1709	526676	4536017	60.4%	10.1%	18.7%	10.5%	0.3%	0.0%
बजाज	100231	2683374	2457345	42190	113507	170563	97.9%	1.1%	0.4%	0.3%	0.1%	0.2%
भारती	28993	238214	214964	7016	16019	29208	93.1%	4.4%	1.5%	0.7%	0.1%	0.1%
चोल	50786	220809	190964	16149	11796	52686	88.4%	5.7%	2.7%	2.3%	0.5%	0.3%
डीएचएफएल	8	2411	1925	2	205	287	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ईसीजीसी	550	2316	725	1558	9	592	40.3%	39.9%	12.7%	7.2%	0.0%	0.0%
एडेलवेइस	0	2897	1621	7	7	1262	97.8%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
फ्यूचर	50283	217267	211687	11199	13192	31472	86.9%	4.2%	5.9%	2.4%	0.3%	0.3%
गो डिजिट	184	36847	30076	416	4927	1612	99.4%	0.6%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%
एचडीएफसी एरगो	52186	2012051	1866809	16986	60156	120286	98.8%	0.6%	0.3%	0.2%	0.0%	0.0%
आईसीआईसीआई	168029	1620705	1430666	81738	80008	196322	97.1%	1.7%	0.4%	0.5%	0.2%	0.2%
आईटीजीआई	91395	838194	861337	35452	47880	74304	83.7%	8.7%	3.2%	3.3%	0.5%	0.7%
कोटक	904	27631	22407	2094	2651	1383	97.7%	1.1%	0.9%	0.3%	0.0%	0.0%
लिबर्टी	7750	148977	129834	7334	8002	11557	97.0%	1.9%	0.7%	0.4%	0.0%	0.0%
मैगमा	6182	45292	36857	1406	5112	8099	92.2%	3.1%	2.0%	2.2%	0.6%	0.0%
नेशनल	492990	4966078	4663718	183319	91437	520594	70.9%	17.8%	6.7%	3.8%	0.4%	0.5%
न्यू इंडिया	284004	5349514	5324015	231417	0	309506	89.1%	6.5%	2.5%	1.1%	0.2%	0.5%
ओरियन्टल	242235	2279225	2271566	2994	156815	250810	89.6%	5.6%	2.3%	1.5%	0.5%	0.5%
रहेजा	345	419	169	0	112	489	4.7%	13.0%	28.4%	52.1%	1.8%	0.0%
रिलायंस	262507	1685521	1460225	162583	66305	258915	98.1%	0.6%	0.3%	0.5%	0.2%	0.2%
रायल	29667	438061	405964	8868	15824	41143	96.5%	1.5%	0.8%	0.7%	0.2%	0.3%
एसबीआई	21497	807532	761347	6223	30412	31047	97.0%	2.3%	0.4%	0.3%	0.1%	0.0%
श्रीराम	218327	529939	433555	9642	248726	56343	85.7%	9.7%	1.5%	1.7%	0.7%	0.7%
टाटा एआईजी	38995	1044082	931408	13448	87010	51211	95.1%	3.0%	1.3%	0.5%	0.1%	0.0%
यूआईआईसी	804461	6434686	5990709	567227	23703	657973	91.8%	5.5%	1.8%	0.7%	0.1%	0.1%
यूनिवर्सल	9684	157557	138115	5586	12341	11199	97.0%	2.0%	0.4%	0.4%	0.1%	0.1%
कुल जोड़	**11392041**	**39276432**	**40258164**	**1671460**	**1627405**	**7629151**	**82.9%**	**7.2%**	**6.0%**	**3.4%**	**0.2%**	**0.2%**

टिप्पणी : वर्ष के अंत में बकाया दावे आंशिक भुगतानों/ बहुविध भुगतानों/ देखभाल-रहित (आर्फ़न) दावों आदि के कारण फार्मूला अर्थात् जी=बी+सी-डी-ई-एफ के साथ सामंजस्य नहीं रखते होंगे।

कुछ मामलों में उपर्युक्त आंकड़े सह-बीमा दावों, अंशतः प्रदत्त दावों आदि के संसाधन में अंतर के कारण बीमाकर्ता की वार्षिक रिपोर्ट के साथ सामंजस्य नहीं रखते होंगे।

विवरण 17

साधारण बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवे		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
निजी क्षेत्र														
एक्को जनरल	53.76	39.34	20.04	5.08	25.28	5.15	60.10	35.21	51.62	33.32	0.00	0.00	210.80	118.10
बजाज अलायंज़	4078.63	4410.86	3134.08	1431.11	1890.06	1676.84	3025.47	2931.65	4171.21	3351.04	408.75	161.62	16708.20	13963.12
भारती अक्सा	888.20	693.26	318.84	320.70	410.74	425.23	1064.81	787.55	839.27	963.71	372.79	15.22	3894.65	3205.67
चोलमंडलम एमएस	1623.13	1302.66	1436.28	805.18	1027.15	1039.58	1517.49	1228.28	1775.88	1944.52	224.84	30.33	7604.77	6350.55
डीएचएफएल जनरल	50.70	55.58	25.01	19.99	14.91	25.03	45.16	44.40	59.06	80.06	10.01	0.00	204.85	225.06
एडेलवेइस जनरल	58.92	54.29	11.24	0.62	48.05	33.72	28.13	26.23	56.98	17.83	0.00	4.16	203.32	136.85
फ्यूचर जनराली	850.43	748.45	453.13	457.41	396.12	320.97	871.91	564.41	1031.37	903.16	32.88	9.71	3635.84	3004.11
गो डिजिट	637.37	123.51	68.34	32.84	110.44	35.78	252.12	72.69	384.32	68.59	0.00	0.00	1452.59	333.41
एचडीएफसी एरगो (पूर्व में एचडीएफसी जनरल) #	2335.35	2525.90	1232.18	959.50	819.68	856.00	2229.84	2000.50	2424.45	1723.30	90.00	74.20	9131.50	8139.40
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड	5583.46	4383.95	1158.42	1062.35	2577.15	2431.99	4301.88	2569.33	7615.21	6229.76	660.72	793.38	21896.84	17470.76
इफ़्को टोकियो	1927.75	1510.69	1043.94	792.63	1227.46	922.99	3397.26	3135.14	1230.34	775.47	82.82	11.56	8909.57	7148.48
कोटक महिन्द्रा	104.06	57.23	39.66	36.06	47.59	49.22	119.74	53.49	96.56	52.87	6.69	0.00	414.30	248.87
लिबर्टी	399.67	290.45	179.82	67.85	214.54	131.18	432.08	254.79	576.38	395.84	25.00	0.00	1827.49	1140.11
मैगमा एचडीआई	496.91	337.07	66.66	67.06	175.61	118.59	274.74	203.33	448.35	410.91	0.00	0.00	1462.27	1136.96
रहेजा क्यूबीई	142.08	107.27	0.00	0.00	50.31	45.50	101.25	101.66	102.87	91.82	20.00	0.00	416.51	346.25
रिलायंस	2520.38	2773.92	1020.83	804.03	1293.11	1018.06	1041.02	714.93	3330.91	2466.42	255.69	229.33	9461.94	8006.69
रायल सुंदरम	1218.73	1136.07	358.24	229.20	790.31	719.02	1079.44	819.45	1339.21	1285.85	301.24	103.87	5087.17	4293.46
एसबीआई जनरल	1796.59	1590.89	802.03	693.97	868.82	655.90	1335.60	892.33	1521.34	1433.73	79.50	36.12	6403.88	5302.94
श्रीराम जनरल	2459.69	2169.65	299.65	277.67	2594.58	1848.97	2728.22	2407.87	857.47	1170.35	28.48	33.49	8968.09	7908.00
टाटा एआईजी	2573.16	2008.61	1376.13	598.70	1206.98	605.99	1676.29	1070.62	2754.39	2234.05	427.70	53.34	10014.65	6571.31
यूनिवर्सल सोम्पो	545.08	580.21	274.59	184.62	300.75	291.07	684.82	530.55	496.97	554.70	46.01	11.02	2348.22	2152.17
कुल	**30344.05**	**26899.86**	**13319.11**	**8846.57**	**16089.64**	**13256.78**	**26267.37**	**20444.41**	**31164.16**	**26187.30**	**3073.12**	**1567.35**	**120257.45**	**97202.27**
सरकारी क्षेत्र														
नेशनल	4652.30	4629.56	2974.19	3524.08	1246.32	924.69	2377.25	2500.84	9201.81	9004.36	1060.49	1006.20	21512.36	21589.73
न्यू इंडिया	9546.38	8640.90	10767.67	7863.98	2458.30	2471.86	4489.79	3670.80	10093.70	11025.25	1962.61	1298.81	39318.45	34971.60
ओरियन्टल	3856.63	3248.03	4713.51	3230.11	1253.38	1339.91	1960.71	1850.26	5677.73	4754.63	1103.31	745.70	18565.27	15168.64
युनाइटेड इंडिया	6237.90	5800.03	5503.90	4201.53	2362.45	2407.78	3387.38	3888.98	9847.59	9009.14	2010.63	1572.85	29349.85	26880.31

पहले की एचडीएफसी जिसे एचडीएफसी एरगो के रूप में पुनः नाम दिया गया। * परिचालन 2018-19 में प्रारंभ किया।

जारी... विवरण 17

साधारण बीमाकर्ताओं के प्रबंधन के अधीन आस्तियाँ

(₹ करोड़)

बीमाकर्ता	केन्द्र सरकार प्रतिभूतियाँ		राज्य सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		आवास तथा राज्य सरकार को आवास और एफएफई के लिए ऋण		बुनियादी संरचनागत निवे		अनुमोदित निवेश		अन्य निवेश		कुल निवेश	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
कुल	**24293.21**	**22318.52**	**23959.27**	**18819.70**	**7320.45**	**7144.24**	**12215.13**	**11910.88**	**34820.83**	**33793.38**	**6137.04**	**4623.56**	**108745.93**	**98610.28**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य														
आदित्य बिड़ला हेल्थ	118.96	69.82	66.29	15.28	70.07	25.38	116.13	56.64	117.16	42.95	0.00	0.00	488.61	210.07
अपोलो म्यूनिख	410.52	265.47	165.43	124.20	167.22	166.11	297.23	250.24	633.90	496.86	34.81	20.10	1709.11	1322.98
सिगना टीटीके	122.37	77.48	71.70	36.62	84.92	40.29	114.55	90.47	152.78	110.42	5.00	0.00	551.32	355.28
मैक्स बूपा	188.64	156.23	66.47	56.55	105.65	75.52	170.08	218.40	282.15	158.99	10.05	0.00	823.04	665.69
रिलायंस हेल्थ *	31.99	NA	5.01	NA	0.00	NA	0.00	NA	3.00	NA	0.00	NA	40.00	NA
रेलिगेर हेल्थ	306.95	204.24	124.98	90.32	180.45	119.19	324.65	211.57	361.27	298.25	5.00	5.00	1303.30	928.57
स्टार हेल्थ	1651.17	1053.67	0.00	0.00	249.30	192.33	1027.52	846.01	244.98	203.06	0.00	0.00	3172.97	2295.07
कुल	**2830.60**	**1826.91**	**499.88**	**322.97**	**857.61**	618.82	**2050.16**	**1673.33**	**1795.24**	**1310.53**	**54.86**	**25.10**	**8088.35**	**5777.66**
पुनर्बीमाकर्ता														
जीआईसी आफ इंडिया	14776.66	11607.05	8462.09	6173.38	5174.64	4413.85	5052.79	5205.26	17506.50	19073.16	1950.66	1343.82	52923.34	47816.52
आईटीआई रीइंश्योरेंस लि. $		0.00		0.00		0.00		0.00		6.97		7.85	0.00	14.82
कुल	**14776.66**	**11607.05**	**8462.09**	**6173.38**	**5174.64**	**4413.85**	**5052.79**	**5205.26**	**17506.50**	**19080.13**	**1950.66**	**1351.67**	**52923.34**	**47831.34**
विशेषीकृत बीमाकर्ता														
एआईसी	1902.96	2031.36	999.50	921.28	687.01	532.01	875.55	843.34	2482.89	3241.71	15.00	20.00	6962.91	7589.70
ईसीजीसी	2175.01	1928.65	1677.72	1459.54	1206.17	1157.99	2734.73	1995.33	2179.72	1734.20	371.64	210.62	10344.99	8486.33
कुल	**4077.97**	**3960.01**	**2677.22**	**2380.82**	**1893.18**	**1690.00**	**3610.28**	**2838.67**	**4662.61**	**4975.91**	**386.64**	**230.62**	**17307.90**	**16076.03**
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ														
अक्सा फ्रांस वी भारत शाखा*	804.35	लागू नहीं	25.36	लागू नहीं	0	लागू नहीं	163.10	लागू नहीं	78.84	लागू नहीं	0	लागू नहीं	1071.65	लागू नहीं
जनरल रीइंश्योरेंस एजी भारत शाखा	444.23	128.03	0	0	0	0	94.93	25.29	0	0	23	3	562.16	156.32
हैनोवर आरई भारत शाखा	550.98	229.93	5.23	5.3	65.21	20.36	124.30	55.25	134.07	40.38	1.00	0	880.79	351.22
म्यूनिख आरई भारत शाखा	1323.95	685.57	0.00	0.00	60.09	40.45	186.42	89.18	0.00	0	0.00	0	1570.46	815.20
स्कोर एसई भारत शाखा	1112.17	758.14	0.00	0	144.99	175.03	125.76	0.00	0.00	0	0.00	0	1382.92	933.17
स्विस आरई भारत शाखा	931.44	744.26	0.00	0	163.82	194.66	117.84	42.59	0.00	0	0.00	0	1213.10	981.51
एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी.एसई भारत शाखा	265.83	156.66	0.00	0	0.00	0	61.45	37.13	0.00	0	0.00	0	327.28	193.79
कुल	**5432.95**	**2702.59**	**30.59**	**5.30**	**434.11**	**430.50**	**873.80**	**249.44**	**212.91**	**40.38**	**24.00**	**3.00**	**7008.36**	**3431.21**
गैर-जीवन उद्योग - कुल जोड़	**81755.44**	**69314.94**	**48948.16**	**36548.74**	**31769.63**	**27554.19**	**50069.53**	**42321.99**	**90162.25**	**85387.63**	**11626.32**	**7801.30**	**314331.33**	**268928.79**

पहले की एचडीएफसी जिसे एचडीएफसी एरगो के रूप में पुनः नाम दिया गया। * परिचालन 2018-19 में प्रारंभ किया।

विवरण 18

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं की ईक्विटी शेयर पूँजी

बीमाकर्ता	31 मार्च 2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2019 को	भारतीय प्रवर्तक**	विदेशी निवेशक	विदेशी निवेश %
निजी क्षेत्र बीमाकर्ता						
एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	136.00	100.00	236.00	236.00	--	--
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	110.23	--	110.23	81.57	28.66	26.00%
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1621.45	--	1621.45	826.94	794.51	49.00%
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	298.81	--	298.81	179.28	119.52	40.00%
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	190.05	--	190.05	190.05	--	--
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	170.00	38.00	208.00	208.00	--	--
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	809.80	--	809.80	603.25	206.55	25.51%
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	605.07	0.35	605.42	305.69	292.20	48.26%
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि.	350.00	324.57	674.57	674.57	--	--
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	453.95	0.36	454.31	253.84	--	--
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	269.32	4.90	274.22	139.85	134.37	49.00%
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	175.00	45.00	220.00	220.00	--	--
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1084.60	0.63	1085.23	556.90	528.33	48.68%
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	112.50	12.50	125.00	92.11	32.00	25.60%
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	207.00	--	207.00	105.57	101.43	49.00%
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	251.55	--	251.55	251.55	--	--
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	449.00	--	449.00	269.40	179.60	40.00%
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	215.50	--	215.50	150.85	56.03	26.00%
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	258.74	0.34	259.08	198.60	59.40	22.93%
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	732.50	175.00	907.50	671.55	235.95	26.00%
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	368.18	--	368.18	240.74	127.44	34.61%
निजी क्षेत्र कुल (क)	8869.24	701.64	9570.88	6456.32	2895.99	29.79%
सरकारी क्षेत्र बीमाकर्ता						
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	100.00	--	100.00	100.00	--	--
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	412.00	412.00	824.00	704.00	--	--
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	200.00	--	200.00	200.00	--	--
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	150.00	--	150.00	150.00	--	--
सरकारी क्षेत्र कुल (ख)	862.00	412.00	1274.00	1154.00	--	--
कुल (निजी + सरकारी) (क+ख)	**9731.24**	**1113.64**	**10844.88**	**7610.32**	**2895.99**	**27.15%**
विशेषीकृत बीमाकर्ता						
भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	200.00	--	200.00	200.00	--	--
भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	1500.00	500.00	2000.00	2000.00	--	--
विशेषीकृत बीमाकर्ता कुल (ग)	**1700.00**	**500.00**	**2200.00**	**2200.00**	**--**	**--**
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता						
आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	132.88	79.15	212.03	108.13	103.89	49.00%
अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	357.89	0.52	358.41	182.42	173.95	48.54%
सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	364.73	226.14	590.86	301.34	289.52	49.00%
मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	926.00	55.00	981.00	500.31	480.69	49.00%
रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	--	186.55	186.55	186.55	--	--
रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	594.83	93.72	688.55	668.77	--	--
स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	455.58	--	455.58	158.65	101.58	22.30%
स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता कुल (घ)	2831.90	641.07	3472.97	2106.18	1149.64	31.77%
पुनर्बीमाकर्ता						
सरकारी क्षेत्र पुनर्बीमाकर्ता - जीआईसी	438.60	438.60	877.20	752.50	--	--
निजी क्षेत्र पुनर्बीमाकर्ता - आईटीआई	268.94	--	268.94	268.94	--	--
पुनर्बीमाकर्ता कुल (ङ)	707.54	438.60	1146.14	1021.44	--	--
कुल जोड़ (च) = (क+ख+ग+घ+ङ)	**14970.69**	**2693.31**	**17664.00**	**12937.94**	**4045.63**	**23.66%**

* पूर्व की लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

** भारतीय निवेशकों की शेयर पूँजी शामिल है।

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

टिप्पणी: वर्ष के दौरान परिवर्धन में शेयरों का निरसन, कमी और नया निर्गम शामिल हैं।

विवरण 19

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं की समनुदेशित पूँजी

(₹ करोड़)

विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ	31 मार्च 2018 को	वर्ष के दौरान परिवर्धन	31 मार्च 2019 को
अलायंज़ ग्लोबल*	लागू नहीं	200.24	200.24
हैनोवर आरई	244.87	229.66	474.53
लायड्स आफ़ इंडिया**	105.00	5.00	110.00
म्यूनिख आरई	629.50	451.40	1080.90
आरजीए	100.00	529.00	629.00
स्कोर एसई	670.30	304.87	975.17
स्विस आरई	100.00	526.96	626.96
एक्सएल एसई	136.41	32.35	168.76
अक्सा फ्रांस वी	246.94	661.99	908.93
जन आरई	337.32	145.45	482.77
कुल	**2570.35**	**3086.92**	**5657.27**

टिप्पणी:

*अलायंज़ ग्लोबल को पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) 06.08.2018 को प्रदान किया गया है।

**इसमें सिंडिकेटों अर्थात् मार्केल सर्विस प्रा. लि. और एमएस ऐम्लिन की समनुदेशित पूँजी शामिल है।

**एमएस ऐम्लिन का पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) उनके अनुरोध पर 10.07.2019 को निरस्त किया गया।

विवरण 20

साधारण, स्वास्थ्य और पुनर्बीमाकर्ताओं का शोधक्षमता अनुपात 2018-19

क्रम स.	बीमाकर्ता	जून 2018	सितंबर 2018	दिसंबर 2018	मार्च 2019
	निजी बीमाकर्ता				
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	2.45	1.80	2.11	1.78
2	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.88	2.86	2.81	2.55
3	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.82	1.76	1.77	1.76
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.62	1.61	1.64	1.55
5	डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	3.29	2.76	2.59	2.60
6	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.60	2.37	2.02	2.40
7	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.66	1.64	1.71	1.54
9	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4.47	6.57	3.38	2.27
8	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.10	2.03	1.92	1.75
10	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.04	2.10	2.12	2.24
11	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.75	1.57	1.60	1.66
12	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.57	2.36	2.15	1.86
13	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.**	1.95	3.25	2.57	2.15
14	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.12	1.67	1.77	1.58
15	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4.10	4.19	4.04	3.83
16	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.61	1.71	1.64	1.60
17	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.11	1.96	1.94	1.93
18	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.38	2.46	2.33	2.34
19	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.52	2.74	2.85	3.47
20	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.89	2.00	1.75	1.63
21	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.41	2.29	1.76	2.24
	सरकारी बीमाकर्ता				
22	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1.43	1.21	1.01	1.04
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2.66	2.52	2.25	2.13
24	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1.65	1.54	1.21	1.57
25	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.*	1.21	1.53	1.51	1.52
	विशेषीकृत बीमाकर्ता				
26	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	2.52	2.26	2.37	2.14
27	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	6.70	9.95	11.52	10.40
	स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता				
28	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2.21	2.98	1.77	1.62
29	अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.56	1.60	1.55	1.64
30	सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.11	2.43	1.91	2.23
31	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.95	1.76	1.76	1.77
32	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	1.88	1.53
33	रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.53	1.54	1.53	1.56
34	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.51	1.28	1.65	2.01
	पुनर्बीमाकर्ता				
35	सरकारी क्षेत्र - जीआईसी	1.77	1.73	1.84	2.06

* बीमाकर्ता को प्रदान की गई छूटों पर विचार करने के बाद

** पूर्व की लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

टिप्पणी: बीमाकर्ता द्वारा पिछले वर्ष के आंकड़ों में पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन, यदि कोई हो, पर विचार नहीं किया गया है।

अनुबंध

अनुबंध 1

भारत में परिचालनरत बीमा कंपनियाँ

जीवन बीमाकर्ता *

सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	1. आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2. एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	3. अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4. बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5. भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6. केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7. डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	8. एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9. एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10. फ्यूचर जनराली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12. आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14. इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15. कोटक महिन्द्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	16. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17. पीएनबी मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	18. रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	19. सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	20. एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	21. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	22. स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	23. टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.

* 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार

जारी...**अनुबंध 1**

साधारण बीमाकर्ता *

सरकारी क्षेत्र	**निजी क्षेत्र**
1 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1 बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
2 दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	2 भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
3 दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3 चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
4 युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	4 फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5 एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.#
	6 आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7 इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	8 लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	9 मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	10 रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	11 रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	12 रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	13 एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	14 श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	15 टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	16 यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	17 कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	18 डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	19 एक्को जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	20 गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.
	21 एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.

विशेषीकृत बीमाकर्ता*

1 भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि.	
2 भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ता*

	1 अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	2 सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	3 मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	4 रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	5 स्टार हेल्थ एण्ड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.
	6 आदित्य बिला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.
	7 रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस लि.

** 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार*

एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. (पूर्व में एल एण्ड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के रूप में ज्ञात) का विलय एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि. के साथ होने के परिणामस्वरूप, पूर्व की एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का पंजीकरण (पंजीकरण सं. 125) 16.08.2017 से निरस्त किया गया है। उक्त विलयित संस्था अब एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (पंजीकरण सं. 146) के रूप में जानी जाती है।

जारी...**अनुबंध 1**

पुनर्बीमाकर्ता *

सरकारी क्षेत्र	**निजी क्षेत्र**
1 भारतीय साधारण बीमा निगम (जीआईसी आरई)	1 आईटीआई रीइंश्योरेंस लिमिटेड
विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाएँ लायड्स इंडिया सहित	
	1 म्युन्शेनेर रुकवेरसिशेरंग्स- गेसेलशाफ्ट आक्टिएनगेसेलशाफ्ट - भारत शाखा 2 स्विस रीइंश्योरेंस कंपनी लि., भारत शाखा 3 स्कोर एसई - भारत शाखा 4 हैनोवर रुक एसई - भारत शाखा 5 आरजीए लाइफ रीइंश्योरेंस कंपनी आफ़ कनाडा, भारत शाखा 6 एक्सएल इंश्योरेंस कंपनी एसई, भारत पुनर्बीमा शाखा 7 जनरल रीइंश्योरेंस एजी - भारत शाखा 8 अक्सा फ्रांस वी - भारत पुनर्बीमा शाखा 9 अलायंज़ ग्लोबल कारपोरेट एण्ड स्पेशिएल्टी एसई, भारत शाखा 10 लायड्स इंडिया रीइंश्योरेंस शाखा ऐम्लिन सिंडिकेट** मर्केल सर्विसेज इंडिया पप्राइवेट लिमिटेड**

* *31मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार*

** *लायड्स की बहियों में अनुरक्षित*

अनुबंध 2

बीमाकर्ताओं और विभिन्न मध्यवर्तियों के लिए शुल्क संरचना

क्रम सं.	बीमाकर्ता/ मध्यवर्ती	प्रसंस्करण शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीकरण शुल्क	नवीकरण की आवधिकता
1	बीमाकर्ता (जीवन/ साधारण/स्वास्थ्य)	-	₹ 5,00,000	न्यूनतम रु.5,00,000 और अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन भारत में जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/20 वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
2	पुनर्बीमाकर्ता	-	₹ 5,00,000	न्यूनतम रु.5,00,000 और अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 जनवरी तक)
3	लायड्स सहित विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखा	-	₹ 5,00,000	न्यूनतम रु. 5,00,000 और अधिकतम रु. 10 करोड़ के अधीन भारत में स्वीकृत विकल्पी पुनर्बीमा के संबंध में कुल प्रीमियम के 1% का 1/20वाँ भाग	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)
4	लायड्स की सेवा कंपनी	-	₹ 50,000	₹ 50,000	प्रत्येक वर्ष (31 दिसंबर तक)
5	साधारण / जीवन बीमा व्यवसाय का समामेलन और अंतरण	न्यूनतम रु. 50 लाख और अधिकतम रु. 5 करोड़ के अधीन प्राधिकरण के पास आवेदन दाखिल करने के वित्तीय वर्ष से पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में लेनदेन करनेवाली संस्थाओं द्वारा भारत में प्रत्यक्ष जोखिम-अंकित सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के 1% का 1/10 वाँ भाग	-	-	-
6	अन्य पक्ष प्रबंध (टीपीए)	₹ 20,000	₹ 30,000	₹ 15,000	3 वर्ष
7	दलाल-प्रत्यक्ष	₹ 25,000	सिदधांततः अनुमोदन प्रदान करने के बाद ₹ 50,000	₹ 1,00,000	3 वर्ष
	दलाल-पुनर्बीमा	₹ 50,000	सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के बाद ₹1,50,000/-	₹ 3,00,000	3 वर्ष
	दलाल-सम्मिश्र	₹ 75,000	सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान करने के बाद ₹ 2,50,000/-	₹ 5,00,000	3 वर्ष
8	सर्वेक्षक और हानि निर्धारक वैयक्तिक और कारपोरेट	-	₹ 1,000/-	नवीकरणशुल्ककेरूपमें ₹ 100यदि आवेदनलाइसेंसकीसमाप्तिकीतारीखसे 30दिनपहलेदाखिलकियागयाहो, नवीकरणशुल्ककेरूपमेंरु.850,रु.750के दंडसहितयदिनवीकरणआवेदनबादमेंपरंतु लाइसेंसकीसमाप्तिकीतारीखसेछहमहीने केअंदरदाखिलकियागयाहो।	3 वर्ष
9	कारपोरेट एजेंट	वापस न करने योग्य शुल्क - ₹10,000	₹ 25000 संस्था के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु एवं रु. 500 प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र हेतु।	₹ 25000 पंजीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु एवं ₹ 500 प्रधान अधिकारी/विनिर्दिष्ट व्यक्ति/प्राधिकृत सत्यापक को प्रमाणपत्र के नवीकरण हेतु।	3 वर्ष
10	वेब संग्राहक	□10000	₹ 25000	₹ 25000	3 वर्ष
11	सामान्य सेवा केन्द्र - विशेष प्रयोजन माध्यम	-	₹ 5000	₹ 1000	3 वर्ष
12	रिफ़रल	-	₹ 10,000	₹ 10,000	3 वर्ष
13	बीमा विपणन फर्म	-	₹ 5000	₹ 2000	3 वर्ष
14	बीमा रिपोजिटरी	□ 10000	₹100000	₹ 50000	3 वर्ष
15	आईएसएनपी (बीमा स्व-नेटवर्क प्लेटफार्म)	-	₹ 10000	-	-

अनुबंध 3(i)

भारतीय बीमाकृत जीवन मृत्यु-दर (आईएएलएम) – 2012-14 मानक दरें – पुरुष स्वास्थ्य अवधि "2 और उससे अधिक"

आयु *	qx (क्रमशः परिवर्तित)**	आयु *	qx (क्रमशः परिवर्तित)**	आयु *	qx (क्रमशः परिवर्तित)**
2	0.000915	40	0.00168	78	0.051024
3	0.00047	41	0.001815	79	0.056231
4	0.000271	42	0.001969	80	0.061985
5	0.000185	43	0.002144	81	0.068338
6	0.000152	44	0.002345	82	0.07535
7	0.000149	45	0.002579	83	0.083082
8	0.000167	46	0.002851	84	0.091601
9	0.000206	47	0.003168	85	0.100979
10	0.000265	48	0.003536	86	0.111291
11	0.000341	49	0.003958	87	0.122616
12	0.000429	50	0.004436	88	0.135037
13	0.000522	51	0.004969	89	0.148639
14	0.000614	52	0.00555	90	0.163507
15	0.000698	53	0.006174	91	0.179726
16	0.00077	54	0.006831	92	0.19738
17	0.000829	55	0.007513	93	0.216547
18	0.000874	56	0.008212	94	0.237302
19	0.000905	57	0.008925	95	0.259706
20	0.000924	58	0.009651	96	0.283813
21	0.000934	59	0.010393	97	0.309659
22	0.000937	60	0.011162	98	0.337265
23	0.000936	61	0.011969	99	0.36663
24	0.000933	62	0.012831	100	0.397733
25	0.000931	63	0.013765	101	0.430529
26	0.000931	64	0.014792	102	0.46495
27	0.000934	65	0.015932	103	0.500904
28	0.000942	66	0.017206	104	0.538278
29	0.000956	67	0.018635	105	0.576942
30	0.000977	68	0.02024	106	0.616752
31	0.001005	69	0.02204	107	0.657553
32	0.001042	70	0.024058	108	0.699191
33	0.001086	71	0.026314	109	0.741515
34	0.00114	72	0.028832	110	0.784383
35	0.001202	73	0.031638	111	0.827673
36	0.001275	74	0.034757	112	0.871285
37	0.001358	75	0.038221	113	0.915145
38	0.001453	76	0.042061	114	0.959214
39	0.00156	77	0.046316	115	1

* आयु पिछले जन्मदिन को यथाविद्यमान

** qx (क्रमशः परिवर्तित) दरें क्रमशः परिवरतित मृत्यु दरें हैं।

अनुबंध 3(ii)

प्रकाशित मृत्यु-दर सारणियाँ

[आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000 के विनियम 4 के आशय के अंतर्गत]

वार्षिकीग्राहियों के लिए मृत्यु-दर - एलआईसी (ए) (1996-98) अंतिम दरें

आयु (x)	मृत्यु-दर (qx)	आयु (x)	मृत्यु-दर (qx)
20	0.000919	70	0.024301
21	0.000961	71	0.02741
22	0.000999	72	0.030862
23	0.001033	73	0.034656
24	0.001063	74	0.038793
25	0.00109	75	0.043272
26	0.001113	76	0.048093
27	0.001132	77	0.053257
28	0.001147	78	0.058763
29	0.001159	79	0.064611
30	0.001166	80	0.070802
31	0.00117	81	0.077335
32	0.00117	82	0.08421
33	0.001171	83	0.091428
34	0.001201	84	0.098988
35	0.001246	85	0.106891
36	0.001308	86	0.115136
37	0.001387	87	0.123723
38	0.001482	88	0.132652
39	0.001593	89	0.141924
40	0.001721	90	0.151539
41	0.001865	91	0.161495
42	0.002053	92	0.171794
43	0.002247	93	0.182436
44	0.002418	94	0.193419
45	0.002602	95	0.204746
46	0.002832	96	0.216414
47	0.00311	97	0.228425
48	0.003438	98	0.240778
49	0.003816	99	0.253473
50	0.004243	100	0.266511
51	0.004719	101	0.279892
52	0.005386	102	0.293614
53	0.006058	103	0.307679
54	0.00673	104	0.322087
55	0.007401	105	0.336836
56	0.008069	106	0.351928
57	0.00871	107	0.367363
58	0.009397	108	0.383139
59	0.01013	109	0.399258
60	0.010907	110	0.41572
61	0.011721	111	0.432524
62	0.01175	112	0.44967
63	0.01212	113	0.467159
64	0.012833	114	0.484989
65	0.013889	115	0.503163
66	0.015286	116	0.521678
67	0.017026		

अनुबंध 4

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुमोदित जीवन बीमा उत्पाद और अनुवृद्धियाँ (राइडर) की सूची

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पादों की संख्या
1	एइगान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लि.	4
3	बजाज अलायंज़ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
4	भारती अक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
5	आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10
6	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	18
7	डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10
8	एडेलवेइस टोकियो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
9	एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9
10	फ्यूचर जनराली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	9
11	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	24
12	आईसीआईसीआई प्रुडेन्शियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	20
13	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	8
14	इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
15	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
16	भारतीय जीवन बीमा निगम	5
17	मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	16
18	पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
19	रिलायंस निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	12
20	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
21	श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
22	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
23	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	12
	अनुमोदित कुल उत्पाद और अनुवृद्धियाँ (राइडर)	**214**

टिप्पणी: उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आईआरडीएआई वेबसाइट का अवलोकन करें।

अनुबंध 5

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार जीवन बीमाकर्ताओं के सूक्ष्म बीमा उत्पादों की सूची

बीमाकर्ता	उत्पाद का नाम	
	वैयक्तिक श्रेणी	सामूहिक श्रेणी
आदित्य बिड़ला सन लाइफ	बीएसएलआई बीमा सुरक्षा सूपर	-
	बीएसएलआई ग्रामीण जीवन रक्षा	-
	बीएसएलआई बीमा कवच योजना	-
	बीएसएलआई बीमा धन संचय	-
अवीवा लाइफ	अवीवा नयी ग्रामीण सुरक्षा	-
बजाज अलायंज़ लाइफ	बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा धन सुरक्षा योजना	बजाज अलायंज़ लाइफ जन सुरक्षा योजना
	बजाज अलायंज़ लाइफ बीमा संचय योजना	बजाज अलायंज़ लाइफ ग्रूप संपूर्ण सुरक्षा कवच
केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ	-	केनरा एचएसबीसी ओरियन्टल बैंक आफ़ कामर्स लाइफ इंश्योरेंस संपूर्ण कवच प्लान
डीएचएफएल प्रामेरिका लाइफ	-	डीएचएफएल प्रामेरिका सर्व सुरक्षा
	-	डीएचएफएल प्रामेरिका संपूर्ण सुरक्षा
एडेलवेइस टोकियो लाइफ	एडेलवेइस टोकियो लाइफ रक्षा कवच	एडेलवेइस टोकियो लाइफ जन सुरक्षा
	एडेलवेइस टोकियो लाइफ धन निवेश बीमा योजना	-
एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ	एचडीएफसी एसएल सर्वग्रामीण बचत योजना	एचडीएफसी लाइफ ग्रूप क्रेडिट सुरक्षा
	-	एचडीएफसी लाइफ ग्रूप जीवन सुरक्षा
आईसीआईसीआई प्रूडेन्शियल लाइफ	आईसीआईसीआई प्रू सर्व जन सुरक्षा	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा क्रेडिट
	आईसीआईसीआई प्रू अनमोल बचत	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा वन
	-	आईसीआईसीआई प्रू शुभ रक्षा लाइफ
आईडीबीआई फेडरल लाइफ	टर्मश्योरेंस संपूर्ण सुरक्षा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	आईडीबीआई फेडरल ग्रूप माइक्रोश्योरेंस प्लान
इंडिया फर्स्ट लाइफ	इंडियाफर्स्ट लाइफ "इंश्योरेंस खाता" प्लान	-
कोटक महिन्द्रा लाइफ	कोटक संपूर्ण बीमा माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान	कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान
		कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान
		कोटक रक्षा ग्रूप माइक्रो-इंश्योरेंस प्लान
पीएनबी मेट लाइफ	मेटलाइफ ग्रामीण अक्षय	पीएनबी मेटलाइफ बीमा योजना
एसबीआई लाइफ	एसबीआई लाइफ ग्रामीण बीमा	एसबीआई लाइफ ग्रामीण सूपर सुरक्षा
	-	एसबीआई लाइफ शक्ति
श्रीराम लाइफ	-	श्री सहाय
	-	श्री सहाय एपी
	-	श्रीराम जन सहाय
	-	श्रीराम लाइफ सुजना
टाटा एआईए लाइफ	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस साथ साथ	-
भारतीय जीवन बीमा निगम	जीवन मधुर	-
	जीवन मंगल	-
	जीवन दीप	-
	एलआईसी का न्यू जीवन मंगल	-
	एलआईसी की भाग्य लक्ष्मी	-
	एलआईसी की माइक्रो बचत	-

अनुबंध 6

वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुमोदित साधारण बीमा उत्पाद

क्रम सं.	बीमाकर्ता का नाम	उत्पादों की संख्या (राइडर एवं संलक्नक सहित)
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	24
2	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	105
3	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	57
4	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	89
5	डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	84
6	भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि.	1
7	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	14
8	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63
9	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	41
10	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10
11	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	38
12	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	63
13	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	48
14	लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड	48
15	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	37
16	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	24
17	दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	22
18	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4
19	रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	61
20	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	18
21	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
22	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	26
23	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	26
24	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	13
25	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	67
	कुल	**989**

टिप्पणी : उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आईआरडीएआई वेबसाइट का अवलोकन करें।

अनुबंध 7

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अनुमोदित स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की सूची

क्रम सं.	बीमा कंपनी का नाम	उत्पाद की संख्या
1	एक्को जनरल इंश्योरेंस लि.	3
2	आदित्य बिड़ला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
3	अपोलो म्यूनिख हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5
4	बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	14
5	भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
6	चोल एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3
7	सिगना टीटीके हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
8	डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
9	एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
10	फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	14
11	गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
12	एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
13	आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3
14	इफ़्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
15	कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	10
16	लिबर्टी वीडियोकान जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
17	मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
18	मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
19	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
20	ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
21	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
22	रिलायस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1
23	रिलायंस हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	4
24	रेलिगेर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6
25	रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
26	श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
27	स्टार हेल्थ एण्ड अलायड इंश्योरेंस कंपनी लि.	11
28	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	7
29	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	1
30	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	3
31	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2
	कुल	**134**

टिप्पणी: उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आईआरडीएआई वेबसाइट का अवलोकन करें।

अनुबंध 8

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
1	आईआरडीए/आरआई/सीआईआर/विविध/061/04/2018	पुनर्बीमा	11/04/2018	परिपत्र	अधिमान के क्रम का अनुपालन
2	आईआरडीए/आईटी/ओआरडी/विविध/063/04/2018	सूचना प्रौद्योगिकी	19/04/2018	आदेश	साइबर सुरक्षा लेखा-परीक्षा फर्म के चयन के लिए प्रौद्योगिकी सलाहकार समिति (टीएसी) का गठन
3	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/065/04/2018	गैर-जीवन	27/04/2018	परिपत्र	मोटर अन्य पक्ष दायित्वों का अनुपालन
4	आईआरडीए/एसीटी/विविध/विविध/066/05/2018	बीमांकिक	01/05/2018	विविध	बीमांककों का पैनल
5	आईआरडीए/आरआई/सीआईआर/विविध/068/05/2018	पुनर्बीमा	07/05/2018	परिपत्र	सीबीआर आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/आरआईएन/017/01/2016 संबंधी दिशानिर्देशों के दिशानिर्देश सं. 6 के अधीन अनुमोदन प्रदत्त सीमापार पुनर्बीमा
6	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/सीडीबी/082/05/2018	मध्यवर्ती विभाग	23/05/2018	परिपत्र	आईआईबी में भारत में लाइसेंसप्राप्त बीमा विक्रेता के केन्द्रीय डेटाबेस (ईएनवीओवाई) का गठन - चरण II
7	आईआरडीए/ओएलआई/ओआरडी/विविध/088/05/2018	राजभाषा कार्यान्वयन	31/05/2018	आदेश	वर्ष 2018-19 के लिए राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार का वार्षिक कार्यक्रम
8	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/एसएलएम/090/05/2018	बीमांकिक	31-05-2018	परिपत्र	फ़सल बीमा व्यवसाय के लिए शोधक्षमता मार्जिन
9	आईआरडीए/आईएनटी/ओआरडी/आईएमएफ/092/06/2018	मध्यवर्ती विभाग	15/06/2018	आदेश	आईएमएफ विनियमों की समीक्षा के लिए समिति का गठन
10	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/093/06/2018	मध्यवर्ती विभाग	18/06/2018	परिपत्र	बिक्री केन्द्र विक्रेताओं के माध्यम से विपणन किये जाने के लिए अनुमोदित उत्पादों की सूची
11	आईआरडीए/जीवन/सीआईआर/एडीवी/094/06/2018	जीवन	19/06/2018	परिपत्र	बीएपी पोर्टल में विज्ञापनों की फाइलिंग प्रक्रिया का सरलीकरण तथा बीमा विज्ञापनों संबंधी आईआरडीए मास्टर परिपत्र आईआरडीएआई/जीवन/विविध/148/07/2015 दिनांक 13.08.2015 का आंशिक आशोधन
12	आईआरडीए/आरआई/सीआईआर/विविध/095/06/2018	पुनर्बीमा	20/06/2018	परिपत्र	आईआरडीएआई बैंक खातों में भुगतान
13	आईआरडीए/बीआरके/सीआईआर/विविध/098/06/2018	दलाल	25/06/2018	परिपत्र	देय वार्षिक लाइसेंस शुल्क और नवीकरण शुल्क संबंधी स्पष्टीकरण
14	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/101/06/2018	गैर-जीवन	27/06/2018	परिपत्र	इलेक्ट्रानिक लेनदेन प्रबंधन और निपटान प्रणाली (ईटीएएसएस) सह-बीमा माड्यूल

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
15	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/आईएमएफ/102/07/2018	मध्यवर्ती विभाग	05/07/2018	परिपत्र	आईआरडीएआई बैंक खाते में भुगतान
16	आईआरडीए/एसयूआर/सीआईआर/विविध/103/07/2018	सर्वेक्षक	05/07/2018	परिपत्र	आईआरडीएआई बैंक खाते में भुगतान
17	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/विविध/110/07/2018	बीमांकिक	17/07/2018	आदेश	आदेश सं. आईआरडीए / एसीटी / ओआरडी / विविध /220/09/2017 दिनांक 20 सितंबर 2017 का परिशिष्ट
18	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/112/07/2018	गैर-जीवन	20/07/2018	आदेश	वर्ष 2019-20 के लिए मोटर टीपी कीमत निर्धारण हेतु समिति का गठन
19	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/एफएण्डयू/115/07/2018	गैर-जीवन	30/07/2018	दिशानिर्देश/अनुदेश	यूज़ एण्ड फाइल उत्पादों/ऐड-आन कवरों के लिए विलक्षण पहचान संख्या (यूआईएन) का आबंटन
20	आईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/सीआईआर/114/07/2018	स्वास्थ्य विभाग	26/07/2018	दिशानिर्देश/अनुदेश	सेवा-प्रदाता नेटवर्क में अस्पतालों के लिए मानक और न्यूनतम मानदंडों संबंधी आशोधित दिशानिर्देश
21	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/113/07/2018	स्वास्थ्य विभाग	24/07/2018	विविध	स्वास्थ्य बीमा में अपवर्जनों के मानकीकरण संबंधी कार्य-दल का गठन
22	आईआरडीए/एसीटी/आरईजी/पीआरओ/111/07/2018	बीमांकिक	17/07/2018	विनियम	जीवन बीमा उत्पाद विनियमों संबंधी कार्य-दल का गठन
23	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/104/07/2018	गैर-जीवन	06/07/2018	परिपत्र	वाहन के बीमा का नवीकरण करते समय पीयूसी प्रमाणपत्र
24	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/105/07/2018	वित्त और लेखा	10/07/2018	परिपत्र	पालिसीधारकों की अदावी राशि
25	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/116/08/2018	गैर-जीवन	02/08/2018	आदेश	साधारण बीमा में दीर्घकालिक उत्पादों हेतु ढाँचे की जाँच करने के लिए आंतरिक समूह
26	आईआरडीए/एसयूआर/सीआईआर/विविध/118/08/2018	सर्वेक्षक	03/08/2018	परिपत्र	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 13(1)(ख) के अधीन योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) मानदंडों के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण
27	आईआरडीए/एसयूआर/विविध/ओआरडी/119/08/2018	सर्वेक्षक	03/08/2018	विविध	आंतरिक आईटी कार्य-दल का गठन - सर्वेक्षक विभाग
28	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/विविध/120/08/2018	बीमांकिक	03/08/2018	परिपत्र	तत्काल वार्षिकी खरीदने के प्रयोजन के लिए 31.03.2018 की स्थिति के अनुसार अदावी राशि के अंतर्गत निहित राशियाँ
29	आईआरडीए/एसयूआर/ओआरडी/विविध/121/08/2018	सर्वेक्षक	10/08/2018	आदेश	सर्वेक्षक विनियमों के पुनरीक्षण के लिए कार्य-दल का गठन

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
30	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/ विविध/127/08/2018	गैर-जीवन	14/08/2018	परिपत्र	आईआरडीए बैंक खातों में भुगतान
31	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ सीआईआर/128/08/2018	स्वास्थ्य विभाग	16/08/2018	विविध	मानसिक स्वास्थ्यरक्षा अधिनियम, 2017
32	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/ विविध/131/08/2018	गैर-जीवन	21/08/2018	दिशानिर्देश/ अनुदेश	कर्नाटक राज्य में हाल की बाढ़ (अगस्त 2018) के पीड़ितों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
33	आईआरडीए/एनएल/जीडीएल/ विविध/132/08/2018	गैर-जीवन	21/08/2018	दिशानिर्देश/ अनुदेश	केरल राज्य में हाल की बाढ़ (अगस्त 2018) के पीड़ितों के बीमा दावों संबंधी दिशानिर्देश
34	आईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/ सीआईआर/136/08/2018	स्वास्थ्य विभाग	27/08/2018	दिशानिर्देश/ अनुदेश	उन मदों संबंधी आशोधित दिशानिर्देश जिनके लिए बीमाकर्ताओं द्वारा वैकल्पिक बीमारक्षा प्रस्तावित की जा सकती है
35	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/ एमओटीपी/137/08/2018	गैर-जीवन	28/08/2018	परिपत्र	श्री एस. राजशेखरन बनाम भारतीय संघ और अन्य की डब्ल्यूपी सं. 295/2012 के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन
36	आईआरडीए/एसीटी/सीआईआर/ विविध/138/08/2018	बीमांकिक	29/08/2018	परिपत्र	प्राकृतिक आपदा - केरल राज्य और कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित जिलों में नवीकरण प्रीमियम के भुगतान के लिए छूट अवधि का शिथिलन
37	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ सीओएमएम/139/08/2018	मध्यवर्ती विभाग	29/08/2018	परिपत्र	दीर्घावधि मोटर बीमा पालिसियों के अंतर्गत कमीशन, पारिश्रमिक, प्रतिफल और वितरण शुल्क के भुगतान संबंधी परिपत्र
38	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/ विविध/141/08/2018	वित्त और लेखा	31/08/2018	परिपत्र	बीमा कंपनी के बोर्ड में सामान्य / नामिती निदेशकों की नियुक्ति
39	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ एमआईएसपी/142/09/2018	मध्यवर्ती विभाग	04/09/2018	परिपत्र	स्टैंडअलोन मोटर अन्य पक्ष बीमा संबंधी एमआईएसपी के अंतर्गत प्रतिफल का भुगतान
40	आईआरडीए/एचएलटी/आरईजी/ सीआईआर/143/09/2018	स्वास्थ्य विभाग	04/09/2018	विनियम	स्वास्थ्य विभाग से संबंधित विषय
41	आईआरडीए/एचएलटी/जीडीएल/ सीआईआर/144/09/2018	स्वास्थ्य विभाग	05/09/2018	दिशानिर्देश/ अनुदेश	बाढ़ प्रभावित केरल राज्य और कर्नाटक के जिलों में छूट अवधि का विस्तार और स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के रूप में जमाराशियों का परिवर्तन
42	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ सीआईआर/146/09/2018	दलाल	11/09/2018	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2018 के विनियम 14(1) के बिन्दु 5.3 - अनुसूची I - फार्म के के अनुसार सूचना/विवरण का प्रकटीकरण
43	आईआरडीए/बीआरके/विविध/ ओआरडी/148/09/2018	दलाल	14/09/2018	विविध	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8, 8(2) (vi), 8(2)(vii) 18(1), 18(4) 18 (5) और 19(1) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
44	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/विविध/151/09/2018	वित्त और लेखा	18/09/2018	आदेश	भारत में बीमा स्थान में विनियामक सैंडबाक्स संबंधी समिति
45	आईआरडीए/एसयूआर/सीआईआर/विविध/153/09/2018	सर्वेक्षक	19/09/2018	परिपत्र	सर्वेक्षक लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदनों की फाइलिंग
46	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/154/09/2018	गैर-जीवन	19/09/2018	परिपत्र	फाइल एण्ड यूज़ दिशानिर्देशों के अंतर्गत मोटर दीर्घावधि अन्य पक्ष बीमा/ दीर्घावधि पैकेज कवरों/संबद्ध (बंडल्ड) उत्पादों की फाइलिंग
47	आईआरडीए/आईएनएसपी/सीआईआर/ओएनएस/157/09/2018	निरीक्षण	20/09/2018	परिपत्र	आईआरडीए अधिनियम, 1999 की धारा 14(2)(एच) के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा संचालित आनसाइट निरीक्षणों के लिए डेटा प्रस्तुतीकरण
48	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/158/09/2018	गैर-जीवन	24/09/2018	परिपत्र	मोटर बीमा पालिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना कवर में बीमित पूँजीगत राशि बढ़ाना
49	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/159/09/2018	मध्यवर्ती विभाग	25/09/2018	परिपत्र	1. पीओएस उत्पाद के नाम से पूर्वप्रत्यय `पीओएस' हटाना
50	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/पीएसपी/160/09/2018	मध्यवर्ती विभाग	26/09/2018	परिपत्र	पीओएस द्वारा विपणन किये गये स्वास्थ्य बीमा सहित साधारण बीमा के लिए बीमित राशि की सीमा
51	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/विविध/161/09/2018	दलाल	27/09/2018	आदेश	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42ई के साथ पठित आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 6(1) के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
52	आईआरडीए/एफएण्डए/सीआईआर/ईएचपी/162/09/2018	वित्त और लेखा	27/09/2018	परिपत्र	बीमा कंपनियों की ईक्विटी धारिता के स्वरूप का विवरण
53	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओआरडी/ओएफएस/165/10/2018	निरीक्षण	04/10/2018	आदेश	आईआरडीएआई (निरीक्षण अथवा अन्वेषण के लिए न्यूनतम सूचना) विनियम, 2018 के प्रारूप की समीक्षा के लिए समिति का गठन
54	आईआरडीए/आईएनएसपी/सीआईआर/आरबीएसएफ/166/10/2018	निरीक्षण	04/10/2018	परिपत्र	बीमा क्षेत्र के `जोखिम आधारित पर्यवेक्षण' की ओर अग्रसर होना
55	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओआरडी/ओएफएस/167/10/2018	निरीक्षण	05/10/2018	आदेश	कार्य-दल का गठन करने के लिए कार्यालय आदेश
56	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/168/10/2018	गैर-जीवन	09/10/2018	परिपत्र	अगस्त 2018 में केरल राज्य में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न होनेवाले दावों का निपटान
57	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/सीआईआर/169/10/2018	स्वास्थ्य विभाग	09/10/2018	विविध	एचआईवी और एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
58	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/170/10/2018	गैर-जीवन	10/10/2018	परिपत्र	मोटर बीमा के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना बीमा
59	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/171/10/2018	स्वास्थ्य विभाग	12/10/2018	विविध	किस्तों में वैयक्तिक दुर्घटना और लाभ आधारित स्वास्थ्य बीमा दावों के निपटान की संकल्पना की जाँच करने के लिए कार्य-दल का गठन
60	आईआरडीए/एचएलटी/विविध/ओआरडी/180/10/2018	स्वास्थ्य विभाग	25/10/2018	विविध	स्वास्थ्य बीमा फोरम का पुनर्गठन
61	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/182/11/2018	गैर-जीवन	06/11/2018	आदेश	बीमा व्यवसाय करनेवाले राज्य सरकार विभाग से संबंधित मामलों की जाँच करने के लिए आंतरिक समिति का गठन
62	आईआरडीए/एएल/ओआरडी/विविध/186/11/2018	गैर-जीवन	14/11/2018	आदेश	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64यूएम की उप-धारा 6 के अधीन भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का आदेश
63	आईआरडीए/आईएनएसपी/ओआरडी/आरबीएसएफ/187/11/2018	निरीक्षण	14/11/2018	आदेश	प्रायोगिक परियोजना - केन्द्रीय संपर्क-स्थान (सीपीओसी) जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण तथा बीमा कंपनियों के प्रोफाइलों के लिए रूपरेखा
64	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/विविध/190/11/2018	गैर-जीवन	16/11/2018	आदेश	मोटर निजी हानि की उत्पाद संरचना का पुनरीक्षण करने के लिए कार्य-दल (डब्ल्यूजी)
65	आईआरडीए/एसयूआर/सीआईआर/विविध/192/11/2018	सर्वेक्षक	26/11/2018	परिपत्र	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015 के विनियम 6(3)(क)(v) के अंतर्गत नवीकरण शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण
66	आईआरडीए/एसयूआर/एनटीसी/विविध/193/11/2018	सर्वेक्षक	27/11/2018	नोटिस	सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों (एसएलए) की वेबसूची
67	आईआरडीए/एनएल/सीआईर/विविध/196/11/2018	गैर-जीवन	30/11/2018	परिपत्र	केरल राज्य में अगस्त 2018 में आई बाढ़ के कारण उत्पन्न होनेवाले दावों का निपटान
68	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/एमओटीपी/200/12/2018	गैर-जीवन	11/12/2018	परिपत्र	मोटर बीमा पालिसियों के अंतर्गत मालिक-चालक के लिए अनिवार्य वैयक्तिक दुर्घटना (सीपीए) हेतु बीमारक्षा
69	आईआरडीए/आईटी/विविध/ओआरडी/201/12/2018	सूचना प्रौद्योगिकी	12/12/2018	विविध	व्यावसायिक विश्लेषण-विज्ञान परियोजना संबंधी कार्य-दल का गठन
70	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/डब्ल्यूबीए/202/12/2018	मध्यवर्ती विभाग	13/12/2018	परिपत्र	बीमा वेब संग्राहकों द्वारा किये जानेवाले बाह्यस्रोतीकरण (आउटसोर्सिंग) कार्यकलापों और देय पारिश्रमिक संबंधी स्पष्टीकरण
71	आईआरडीए/जीवन /विविध/सीआईआर/203/12/2018	जीवन	13/12/2018	विविध	पालिसीधारक को बीमाकर्ता द्वारा एसएमएस के माध्यम से प्रीमियम की प्राप्ति की सूचना

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
72	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/ एडीएनडीएम/208/12/2018	बीमांकिक	26/12/2018	आदेश	आदेश का परिशिष्ट 2 - भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए संचालन समिति
73	आईआरडीए/एसीटी/ओआरडी/ विविध/209/12/2018	बीमांकिक	26/12/2018	आदेश	भारतीय बीमा उद्योग के लिए जोखिम-आधारित पूँजी व्यवस्था के कार्यान्वयन हेतु चयनित परामर्शदाताओं के मूल्यांकन के लिए "परामर्शदाता मूल्यांकन समिति" का गठन
74	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/ विविध/210/12/2018	दलाल	26/12/2018	आदेश	लिखित अधिदेश (मैंडेट) के इलेक्ट्रानिक रूप के संबंध में स्पष्टीकरण
75	आईआरडीए/आरआई/ओआरडी/ विविध/212/12/2018	पुनर्बीमा	31/12/2018	आदेश	पुनर्बीमा सलाहकार समिति का पुनर्गठन
76	आईआरडीए/आरआई/सीआईआर/ विविध/004/01/2019	पुनर्बीमा	07/01/2019	परिपत्र	पुनर्बीमा व्यवसाय करने के लिए पंजीकृत भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं, विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं की शाखाओं (एफआरबी) तथा लायड्स इंडिया के सीएमडी/सीईओ एवं आईएफएससी बीमा कार्यालयों (आईआईओए) के प्रभारी
77	आईआरडीए/आरआई/सीआईआर/ विविध/011/01/2019	पुनर्बीमा	15/01/2019	परिपत्र	पुनर्बीमा विवरणियों और कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण
78	आईआरडीए/आरआई/जीडीएल/ विविध/012/01/2019	पुनर्बीमा	16/01/2019	दिशानिर्देश/ अनुदेश	आईआरडीएआई (आईएफएससी बीमा मध्यवर्ती कार्यालय) दिशानिर्देश, 2019
79	आईआरडीए/एफएण्डए/ओआरडी/ विविध/017/01/2019	वित्त और लेखा	23/01/2019	आदेश	देशी प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बीमाकर्ताओं (डी-एसआईआई) संबंधी समिति
80	आईआरडीए/बीआरके/ओआरडी/ विविध/018/01/2019	दलाल	25/01/2019	आदेश	प्रत्यक्ष बीमा व्यवसाय के लिए बीमा मध्यवर्तियों को पारिश्रमिक - नया और नवीकरण
81	आईआरडीए/एसडीडी/सीआईआर/ विविध/020/01/2019	क्षेत्रीय विकास	29/01/2019	परिपत्र	कुछ शर्तों के अधीन केवाईसी के लिए एक स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को अनुमति देना
82	आईआरडीए/आरआई/ओआरडी/ विविध/031/02/2019	पुनर्बीमा	04/02/2019	आदेश	पुनर्बीमा सूचना-प्रणाली फार्मेटों के लिए कार्य-दल का गठन
83	आईआरडीए/आईएनटी/सीआईआर/ आरएसबी/032/02/2019	मध्यवर्ती विभाग	05/02/2019	परिपत्र	भारत में बीमा क्षेत्र में विनियामक सैंडबाक्स संबंधी समिति की रिपोर्ट
84	आईआरडीए/टीपीए/ओआरडी/ सीएएन/035/02/2019	टीपीए (मध्यवर्ती)	19/02/2019	आदेश	अभ्यर्पण करने पर टीपीए पंजीकरण प्रमाणपत्र सं. 12 का निरसन

जारी... **अनुबंध 8**

01/04/2018 से 31/03/2019 तक जारी किये गये परिपत्र/आदेश/दिशानिर्देश/अनुदेश/विविध

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विभाग का नाम	दिनांक	अधिसूचना का प्रकार	विषय
85	आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/विविध/038/03/2019	उपभोक्ता कार्य	05/03/2019	परिपत्र	लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णयों का अनुपालन न करना
86	आईआरडीए/एचएलटी/ओआरडी/विविध/039/03/2019	स्वास्थ्य विभाग	05/03/2019	आदेश	आईआरडीएआई और एनएचए के संयुक्त कार्य-दल का परामर्श
87	आईआरडीए/आईटी/विविध/ओआरडी/040/03/2019	सूचना प्रौद्योगिकी	05/03/2019	विविध	चालू आईटी निविदाओं से संबंधित समन्वित शिकायत प्रबंध प्रणाली एवं वेबसाइट और इंट्रानेट के विकास में सहायता के लिए तकनीकी समिति का गठन
88	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/सीआरपीआई/047/03/2019	गैर-जीवन	15/03/2019	परिपत्र	फ़सल बीमा योजनाओं की सर्विसिंग का प्रभावी कार्यान्वयन और सुधार
89	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/आरओ/048/03/2019	गैर-जीवन	18/03/2019	परिपत्र	ऐड-आन "अवधि का स्वतः विस्तार खंड" का प्रत्याहार (विदड्राअल)
90	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/049/03/2019	गैर-जीवन	20/03/2019	परिपत्र	कार्यकारी निदेशक (ईडी)/प्रबंध निदेशक (एमडी) और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के पारिश्रमिक प्रस्ताव
91	आईआरडीए/आरआई/ओआरडी/विविध/050/03/2019	पुनर्बीमा	25/03/2019	आदेश	वैकल्पिक जोखिम अंतरण (एआरटी) संबंधी आंतरिक समिति का गठन
92	आईआरडीए/एनएल/ओआरडी/एमओटीपी/051/03/2019	गैर-जीवन	28/03/2019	आदेश	मोटर अन्य पक्ष देयता बीमा रक्षा के लिए प्रीमियम दरें
93	आईआरडीए/एनएल/सीआईआर/विविध/052/03/2019	गैर-जीवन	29/03/2019	परिपत्र	दीर्घावधि पैकेज पालिसियों के अंतर्गत ओडी घटक के प्रीमियम का लेखांकन

अनुबंध 9

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
1	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठक) विनियम, 2000
2	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2000
3	आईआरडीए (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000
4	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2000
5	आईआरडीए (बीमाकर्ताओं की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2000
6	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
7	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000
8	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000
9	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2000
10	आईआरडीए (बैठकें) विनियम, 2000
11	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2000
12	आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2000
13	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) विनियम, 2000
14	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) विनियम, 2000
15	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2000
16	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2001
17	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2001
18	आईआरडीए (पुनर्बीमा सलाहकार समिति) विनियम, 2001
19	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2002
20	आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम, 2002

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
21	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002
22	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002
23	आईआरडीए (ग्रामीण सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2002
24	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2002
25	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2002
26	आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) (संशोधन) विनियम, 2002
27	आईआरडीए (प्रीमियम की प्राप्ति की विधि) विनियम, 2002
28	आईआरडीए (अधिशेष के वितरण) विनियम, 2002
29	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2003
30	आईआरडीए (निवेश) (संशोधन) विनियम, 2004
31	आईआरडीए (अर्हता बीमांकक) विनियम, 2004
32	आईआरडीए (ग्रामीण / सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) (संशोधन) विनियम,2004
33	आईआरडीए (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2005
34	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2005
35	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (संशोधन) विनियम, 2005
36	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
37	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2007
38	आईआरडीए (बीमा दलाल) (संशोधन) विनियम, 2007
39	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व)(तीसरा संशोधन) विनियम, 2008
40	आईआरडीए (ग्रामीण अथवा सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं का दायित्व) (चौथा संशोधन) विनियम,2008
41	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
42	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (संशोधन) विनियम, 2008
43	आईआरडीए (निवेश) (चौथा संशोधन) विनियम, 2008
44	आईआरडीए (बीमा उत्पादों के वितरण के लिए डेटाबेस की साझेदारी) विनियम, 2010
45	आईआरडीए (समाप्त संबद्ध बीमा पालिसियों का उपचार) विनियम, 2010
46	आईआरडीए (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
47	आईआरडीए (कारपोरेट एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2010
48	आईआरडीए (साधारण बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) विनियम, 2011
49	आईआरडीए (जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2011
50	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012
51	आईआरडीए (बीमा सलाहकार समिति) (बैठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2012
52	आईआरडीए (देशी अथवा विदेशी संस्था से संबंधित गोपनीय सूचना की साझेदारी) विनियम, 2012
53	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (चौथा संशोधन) विनियम, 2013
54	आईआरडीए (नियुक्त बीमांकक) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
55	आईआरडीए (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
56	आईआरडीए (बीमा दलाल) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
57	आईआरडीए (जीवन बीमा व्यवसाय के समामेलन और अंतरण की योजना) 2013
58	आईआरडीए (अन्य पक्ष प्रबंधक - स्वास्थ्य सेवाएँ) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
59	आईआरडीए (जीवन बीमा के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) विनियम, 2013
60	आईआरडीए (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2013
61	आईआरडीए (साधारण बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2013
62	आईआरडीए (असंबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
63	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2013
64	आईआरडीए (संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2013
65	आईआरडीएओ (निवेश) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
66	आईआरडीए (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013
67	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (संशोधन) विनियम, 2013
68	आईआरडीए (बीमा दलालों के रूप में बैंकों का लाइसेंसीकरण) विनियम, 2013
69	आईआरडीए (वेब संग्राहक) विनियम, 2013
70	आईआरडीए (बैंठकें) (पहला संशोधन) विनियम, 2013
71	आईआरडीए आईएसी (बैंठकें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
72	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2013
73	आईआरडीए (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
74	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2013
75	आईआरडीए (बीमा एजेंटों का लाइसेंसीकरण) (संशोधन) विनियम, 2013
76	आईआरडीए (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक - लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाएँ और आचरण-संहिता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013
77	आईआरडीए (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2014
78	आईआरडीए (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2014
79	आईआरडीए (स्वास्थ्य बीमा) (पहला संशोधन) विनियम, 2014
80	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) विनियम, 2014
81	आईआरडीएआई (सूक्ष्म बीमा) विनियम, 2015

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
82	आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के ईक्विटी शेयरों का अंतरण) विनियम, 2015
83	आईआरडीएआई (नामांकन के पंजीकरण, निरसन अथवा परिवर्तन के लिए शुल्क) विनियम, 2015
84	आईआरडीएआई (समनुदेशन अथवा अंतरण की सूचना प्राप्त होने की लिखित प्राप्ति-सूचना प्रदान करने के लिए शुल्क) विनियम, 2015
85	आईआरडीएआई (मोटर अन्य पक्ष बीमा व्यवसाय के संबंध में बीमाकर्ता का दायित्व) विनियम, 2015
86	आईआरडीएआई (व्यवसाय के स्थान) विनियम, 2015
87	आईआरडीएआई (बीमा अभिलेखों का अनुरक्षण) विनियम, 2015
88	आईआरडीएआई (कारपोरेट एजेंटों का पंजीकरण) विनियम, 2015
89	आईआरडीएआई (ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्रों के प्रति बीमाकर्ताओं के दायित्व) विनियम, 2015
90	आईआरडीएआई (वार्षिकियों और अन्य लाभों के लिए न्यूनतम सीमाएँ) विनियम, 2015
91	आईआरडीएआई (अभ्यर्पण और प्रदत्त मूल्यों का अधिग्रहण) विनियम, 2015
92	आईआरडीएआई (सामान्य सेवा केन्द्रों द्वारा बीमा सेवाएँ) विनियम, 2015
93	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) विनियम, 2015
94	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) विनियम, 2015
95	आईआरडीएआई (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) (संशोधन) विनियम, 2015
96	आईआरडीएआई (अन्य प्रकार की पूँजी) विनियम, 2015
97	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय को छोड़कर अन्य प्रकार का व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015
98	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाली भारतीय बीमा कंपनियों द्वारा पूँजी का निर्गम) विनियम, 2015

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
99	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
100	आईआरडीएआई (विवरणियों के निरीक्षण और प्रतियों की आपूर्ति के लिए शुल्क) विनियम, 2015
101	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (सातवाँ संशोधन) विनियम, 2016
102	आईआरडीएआई (लायड्स इंडिया) विनियम, 2016
103	आईआरडीएआई (टीपीए - स्वास्थ्य सेवाएँ) विनियम, 2016
104	आईआरडीएआई (साधारण बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
105	आईआरडीएआई (बीमांकक की अर्हता) (निरसन) विनियम, 2016
106	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियाँ, देयताएँ और शोधक्षमता मार्जिन) विनियम, 2016
107	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
108	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों की नियुक्ति) विनियम, 2016
109	आईआरडीएआई (साधारण अथवा स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
110	आईआरडीएआई (बीमाकर्ताओं के पूर्णकालिक कर्मचारियों को ऋण अथवा अस्थायी अग्रिम) विनियम, 2016
111	आईआरडीएआई (जीवन बीमा व्यवसाय करनेवाले बीमाकर्ताओं के प्रबंधन व्यय) विनियम, 2016
112	आईआरडीएआई (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2016
113	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) विनियम, 2016
114	आईआरडीएआई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016
115	आईआरडीएआई (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) (आठवाँ संशोधन) विनियम, 2016
116	आईआरडीएआई स्टाफ (अधिकारी और अन्य कर्मचारी) विनियम, 2016
117	आईआरडीएआई (निवेश) विनियम, 2016

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

जारी... **अनुबंध 9**

31/03/2019 तक आईआरडीए अधिनियम, 1999 के अधीन बनाये गये विनियम

क्रम सं.	अधिसूचना का नाम
118	आईआरडीएआई (ई-बीमा पालिसियों का निर्गम) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
119	आईआरडीएआई (लायड्स को छोड़कर अन्य विदेशी पुनर्बीमाकर्ताओं के शाखा कार्यालयों का पंजीकरण और परिचालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
120	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) विनियम, 2016
121	आईआरडीएआई (बीमा विपणन फर्म का पंजीकरण) (पहला संशोधन) विनियम, 2016
122	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
123	आईआरडीएआई (बीमा वेब संग्राहक) विनियम, 2017
124	आईआरडीएआई (भारतीय बीमाकर्ताओं द्वारा कार्यकलापों का बाह्यस्रोतीकरण) विनियम, 2017
125	आईआरडीएआई (नियुक्त बीमांकक) विनियम, 2017
126	आईआरडीएआई (बीमा सर्वेक्षक और हानि निर्धारक) (पहला संशोधन) विनियम, 2017
127	आईआरडीएआई (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2017
128	आईआरडीएआई (बीमा एजेंटों और बीमा मध्यवर्तियों को कमीशन अथवा पारिश्रमिक अथवा प्रतिफल का भुगतान) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2017
129	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) विनियम, 2018
130	आईआरडीएआई (जीवन बीमाकर्ताओं के लिए मानक प्रस्ताव फार्म) (निरसन) विनियम, 2018
131	आईआरडीएआई (पुनर्बीमा) विनियम, 2018
132	आईआरडीएआई (बीमा दलाल) (पहला संशोधन) विनियम, 2018

#भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया

अनुबंध 10

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्राधिकरण द्वारा लगाये गये अर्थदंड

क्रम सं.	संस्था का नाम	अर्थदंड की राशि (रुपयों में)	अर्थदंड आदेश के निर्गम की तारीख	किये गये उल्लंघन का संक्षिप्त विवरण
1	एओएन ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रोकर प्रा. लि.	₹ 1,00,000	20-09-2018	आईआरडीए (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के विनियम 21 के अंतर्गत अनुसूची III के पैरा 3(ख) का उल्लंघन
2	स्टार यूनियन दाई-ईची जीवन बीमाकर्ता	₹ 1,00,000	10-01-2019	बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 45(4) का उल्लंघन
3	युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	₹ 9,00,000	06-02-2019	एफएण्डयू दिशानिर्देशों तथा आईआरडीए (पालिसीधारकों के हितों का संरक्षण) विनियम, 2002 के विनियम 9 का उल्लंघन

अनुबंध 11

जीवन बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	516	नगालैंड	17
अरुणाचल प्रदेश	15	ओडिशा	402
असम	280	पंजाब	363
बिहार	477	राजस्थान	521
छत्तीसगढ़	203	सिक्किम	9
गोवा	55	तमिलनाडु	960
गुजरात	646	तेलंगाना	366
हरियाणा	324	त्रिपुरा	38
हिमाचल प्रदेश	113	उत्तर प्रदेश	1342
जम्मू व कश्मीर	99	उत्तराखंड	147
झारखंड	294	पश्चिम बंगाल	743
कर्नाटक	615	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	3
केरल	598	चंडीगढ़	38
मध्य प्रदेश	643	दादरा व नगर हवेली	2
महाराष्ट्र	1113	दमण व दीव	1
मणिपुर	26	दिल्ली	248
मेघालय	26	लक्षद्वीप	1
मिज़ोरम	12	पुदुचेरी	23
कुल जोड़			**11279**

जारी.. अनुबंध 11

साधारण बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	528	नगालैंड	13
अरुणाचल प्रदेश	12	ओडिशा	340
असम	238	पंजाब	460
बिहार	277	राजस्थान	560
छत्तीसगढ़	175	सिक्किम	10
गोवा	63	तमिलनाडु	1172
गुजरात	674	तेलंगाना	348
त्रिपुरा	317	त्रिपुरा	45
हिमाचल प्रदेश	118	उत्तर प्रदेश	935
जम्मू व कश्मीर	110	उत्तराखंड	126
झारखंड	202	पश्चिम बंगाल	537
कर्नाटक	685	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	10
केरल	553	चंडीगढ़	59
मध्य प्रदेश	452	दादरा व नगर हवेली	5
महाराष्ट्र	1234	दमण व दीव	3
मणिपुर	12	दिल्ली	340
मेघालय	31	लक्षद्वीप	2
मिज़ोरम	13	पुदुचेरी	36
कुल जोड़			**10695**

जारी.. अनुबंध 11

स्टैंडअलोन स्वास्थ्य बीमाकर्ताओं के कार्यालयों का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र वार वितरण

(31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यालयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	31	नगालैंड	1
अरुणाचल प्रदेश	0	ओडिशा	16
असम	8	पंजाब	27
बिहार	11	राजस्थान	35
छत्तीसगढ़	12	सिक्किम	0
गोवा	4	तमिलनाडु	107
गुजरात	47	तेलंगाना	41
हरियाणा	38	त्रिपुरा	2
हिमाचल प्रदेश	2	उत्तर प्रदेश	62
जम्मू व कश्मीर	4	उत्तराखंड	9
पश्चिम बंगाल	13	पश्चिम बंगाल	51
कर्नाटक	65	अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह	0
केरल	73	चंडीगढ़	9
मध्य प्रदेश	36	दादरा व नगर हवेली	0
महाराष्ट्र	133	दमण और दीव	0
मणिपुर	1	दिल्ली	40
मेघालय	1	लक्षद्वीर	0
मिज़ोरम	0	पुदुचेरी	4
कुल जोड़			**883**

अनुबंध 12

वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु मोटर टीपी दायित्वों के परिकलन के लिए डेटा

(करोड़ ₹)

बीमाकर्ता	वित्तीय वर्ष 2018-19			
	मोटर ओडी जीडीपी	मोटर अन्य पक्ष जीडीपी	कुल मोटर जीडीपी	कुल जीडीपी
एक्को जनरल इंश्योरेंस लि. .	27.46	47.86	75.32	141.89
बजाज अलायंज़ जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2102.83	2754.20	4857.03	11059.41
भारती अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	678.29	464.71	1143.00	2258.05
चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1034.97	1966.10	3001.08	4428.16
डीएचएफएल जनरल इंश्योरेंस लि.	4.10	17.01	21.11	243.07
एडेलवेइस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.16	26.74	26.90	92.55
फ्यूचर जनराली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	495.56	647.91	1143.47	2553.94
गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लि..	234.25	620.29	854.53	894.82
एचडीएफसी एरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1635.12	1424.87	3059.99	8612.85
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3407.77	3015.76	6423.53	14488.23
इफ्को टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1594.93	1666.32	3261.25	7001.84
कोटक महिन्द्रा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	103.61	93.99	197.60	301.11
लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	440.37	314.33	754.70	1125.16
मैगमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	219.93	526.62	746.55	970.11
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2284.58	3879.70	6164.28	15128.90
दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लि.	3015.80	5830.88	8846.68	23910.16
दी ओरियन्टल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1477.49	3057.69	4535.18	13199.31
रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.28	76.68	76.96	115.96
रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1314.35	1542.40	2856.74	6191.03
रायल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1230.18	845.70	2075.87	3172.57
एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	599.74	316.36	916.10	4706.55
श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	574.64	1677.81	2252.45	2356.34
टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1873.05	1918.29	3791.34	7742.66
युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	1818.15	4923.19	6741.33	16420.47
यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	319.90	379.46	699.36	2830.87
कुल जोड़	**26487.50**	**38034.85**	**64522.34**	**149946.00**

टिप्पणी: छूट-प्राप्त बीमाकर्ताओं को शामिल नहीं किया गया है।

भा बी वि वि प्रा

irdai

कार्यालय

सर्वे नं.-115/1, फाइनंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, गच्चीबाउली, हैदराबाद - 500032, (भारत)

फोन: +91 - 4 0 - 2 0204000, वेबसाइट: www.irdai.gov.in

Office

Survery No. 115/1, Financial District, Nanakramguda, Gachibowli, Hyderabad - 500032, (India)

Phone: +91-40-20204000, Website: www.irdai.gov.in